VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

अर्थव्यवस्था

Classroom Study Material

(May 2021 to January 2022)

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

अर्थव्यवस्था (Economy)

विषय-सूची

1. राजकोषीय नीति और समावेशी विकास (FISCAL POLICY AND INCLUSIVE GROWTH) 6
1.1. सरकारी वित्त की स्थिति (Status of Government Finances) 6
1.1.1. राज्य वित्त (State Finances) 6
1.1.2. सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities: G-Secs)........ 8
1.2. कराधान (Taxation)........ 11
1.2.1. भूतलक्षी या पूर्वव्यापी कराधान (Retrospective Taxation)........ 11
1.2.2. वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर (Global Minimum Corporate Tax Rate)........ 12
1.3. गैर-कर राजस्व (Non-tax revenue) 13
1.3.1. राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण (Direct Monetisation of The Fiscal Deficit) 13
1.3.2. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline: NMP)........ 15
1.3.3. भूमि बैंक (Land Banks) 17
1.4. समावेशी विकास (Inclusive Growth)........ 19
1.4.1. राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index)........ 19
1.4.2. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) 21
1.5. राजकोषीय नीति से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and information on Fiscal Policy) 22

2. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (BANKING AND MONETARY POLICY)........ 25
2.1. बैंकिंग (Banking)........ 25
2.1.1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण {Privatisation of Public Sector Banks (PSBs)}........ 25
2.1.2. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action: PCA) 26
2.1.3. भुगतान बैंक (Payment Bank)........ 29
2.1.4. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) (Amendment) Act, 2021}........ 30
2.2. संपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्गठन (Asset Quality and Restructuring)........ 31
2.2.1. दिवाला और शोधन अक्षमता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC)........ 31
2.2.2. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड {National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) and India Debt Resolution Company Limited (IDRCL)} 32
2.3. मौद्रिक नीति (Monetary Policy) 34
2.3.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण (RBI Surplus Transfer)........ 34
2.3.2. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India's Forex Reserves)........ 35
2.4. बैंकिंग और मौद्रिक नीति से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information On Banking And Monetary Policy)........ 37

3. भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (PAYMENT SYSTEMS AND FINANCIAL MARKETS) 39
3.1. भुगतान प्रणाली (Payment Systems)........ 39
3.1.1. सूक्ष्म-वित्त का विनियमन (Microfinance Regulations)........ 39

VISION IAS

© Vision IAS

3.1.2. भारत में फैक्टरिंग (Factoring in India)....... 41
3.1.3. भुगतान प्रणाली से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other Developments in the Payment Systems)....... 41
3.1.3.1. ऋण प्रदायगी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु खाता संग्राहक प्रणाली आरंभ की गई है (Account Aggregator system launched to bolster lending ecosystem)....... 41
3.1.3.2. गैर-बैंकों के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) भुगतान प्रणाली आरंभ {Real Time Gross Settlement (RTGS) & National Electronic Fund Transfer (NEFT) Payment Systems Opened for Non-Banks} 42
3.1.3.3. भुगतान प्रणाली के लिए सरकार द्वारा की गई पहल (Initiatives taken by the Government for Payment Systems) 43
3.2. वित्तीय बाजार (Financial Markets) 44
3.2.1. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange: SSE)....... 44
3.2.2 सेबी की ओर से विनियामकीय प्रगति (Regulatory Developments from SEBI) 45
3.2.3. सुर्ख़ियों में रहे बंधपत्र या बॉण्ड्स (Bonds in News)....... 46
3.2.4. स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित घटनाक्रम (Developments in relation to Stock Exchanges)....... 47
3.3.भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजारों से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and information on Payment Systems and Financial Markets) 48
4. बाह्य क्षेत्र (EXTERNAL SECTOR)....... 51
4.1. भारत का निर्यात (India's Exports)....... 51
4.2. विश्व व्यापार संगठन से संबंधित घटनाक्रम (WTO Related Developments) 53
4.2.1. कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA)....... 53
4.2.2. सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशंस (Services Domestic Regulations: SDR)....... 55
4.2.3. कोविड-19 का टीका और बौद्धिक संपदा अधित्याग (Covid-19 Vaccine and IP Waiver) 57
4.2.4. चाय निर्यात (Tea Exports)....... 58
4.3. वैश्विक वित्तीय एकीकरण (Global Financial Integration)....... 59
4.3.1. पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility: CAC) 59
4.3.2. विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सूचकांक को बंद किया (World Bank discontinue Ease of Doing Business: EoDB) 61
4.3.3. मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements: FTAs) 62
4.3.4. प्रमुख वैश्विक संस्थान (Key Global Institutions)....... 63
4.3.5. अन्य वैश्विक वित्तीय घटनाक्रम (Other Global Financial Developments)....... 65
4.4. बाह्य क्षेत्र से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on External Sector) 66
5. श्रम, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता (LABOUR, EMPLOYMENT, SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP) 68
5.1. श्रम और रोजगार (Labour and Employment)....... 68
5.1.1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey: PLFS) 68
5.2. कौशल विकास (Skill Development)....... 70
5.3. नवाचार और उद्यमिता (Innovation and Entrepreneurship) 72

VISION IAS

5.3.1. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए (Ministry of Heavy Industries Launched Six Technology Innovation Platforms) 72

5.3.2. भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र (Startup Ecosystem in India) 73

5.4. श्रम, रोजगार और उद्यमिता पर प्रमुख अवधारणाएँ और सूचना (Key Concepts and Information on Labour, Employment, and Entrepreneurship) 74

6. कृषि (AGRICULTURE) 77

6.1. किसानों की आय (Farmer's Income) 77

6.1.1. भारत में कृषि ऋणग्रस्तता (Agricultural Indebtedness in India) 77

6.2. उर्वरक सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) 78

6.3. फसलों का क्षेत्रवार विश्लेषण (Sectoral Analysis of Crops) 80

6.3.1. दलहन (Pulses) 80

6.3.2. बागवानी (Horticulture) 81

6.3.3. कपास की कृषि (Cotton Cultivation) 82

6.3.4. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (National Mission on Edible Oils – Oil Palm: NMEO-OP) 84

6.3.5. जूट उद्योग (Jute Industry) 86

6.3.6. चीनी मिल (Sugar Mills) 86

6.4. संधारणीय कृषि (Sustainable Agriculture) 89

6.4.1. वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना {Large Area Certification (LAC) Scheme} 89

6.4.2. शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (Zero-budget Natural Farming: ZBNF) 90

6.4.3. संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 का पूर्व-सत्र {Pre-Summit of United Nations (UN) Food Systems Summit 2021} 90

6.4.4. कृषि में अन्य संधारणीय प्रथाएँ/योजनाएँ (Other Sustainable Practices/Schemes in Agriculture) 91

6.5. भारत का पशुधन क्षेत्रक (Livestock Sector of India) 93

6.6. भारत में मत्स्य पालन क्षेत्रक (Fisheries Sector in India) 95

6.7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry: FPI) 97

6.8. भारत का कृषि निर्यात (India's Agricultural Export) 99

6.9. एग्रीस्टैक (AgriStack) 100

6.10. कृषि से संबंधित प्रमुख अवधारणाएँ और जानकारियाँ (Key Concepts and Information on Agriculture) 103

7. उद्योग और संबद्ध मुद्दे (INDUSTRY AND ASSOCIATED ISSUES) 105

7.1 खनन (Mining) 105

7.1.1. खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 {Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules (MCDR), 2021} 105

7.1.2. महत्त्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) 107

7.1.3. जिला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation: DMF) 108

7.2. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (Electronics Industry) 109

7.3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small & Medium Enterprises: MSMEs) 110

7.4. भारत में अर्धचालकों का विनिर्माण (Semiconductors Manufacturing in India) 111

VISION IAS

7.5. वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Textiles} 114

7.6. औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other developments in the Industrial Sector) 116

7.6.1. विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Specialty Steel} 116

7.6.2. राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति (National Automobile Scrappage Policy) 117

7.7. उद्योग से संबंधित प्रमुख अवधारणाएँ तथा जानकारी और अन्य मुद्दे (Key Concepts And Information On Industry And Associated Issues) 117

8. सेवा क्षेत्रक (SERVICES SECTOR) 120

8.1 ई-कॉमर्स (E-Commerce) 120

8.1.1. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 {Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020} 120

8.1.2. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce: ONDC) 121

8.2. बीमा क्षेत्रक से संबंधित घटनाक्रम (Developments Related to Insurance Sector) 121

8.3. सेवा क्षेत्रक की प्रमुख अवधारणाएँ और संबद्ध जानकारी (Key Concepts and Information on Services Sector) 123

9. अवसंरचना क्षेत्रक (INFRASTRUCTURE SECTOR) 124

9.1. शहरी अवसंरचना (Urban Infrastructure) 124

9.1.1. शहरी रूपांतरण (Urban Transformation) 124

9.1.2. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (National Urban Digital Mission: NUDM) 127

9.1.3 शहरी/ग्रामीण अवसंरचना की अन्य पहलें (Other Initiatives Urban/Rural Infrastructure) 128

9.2. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector) 129

9.2.1. गति शक्ति (Gati Shakti) 130

9.2.2 लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के लिए अन्य पहलें (Other initiatives for the Logistics Sector) 132

9.2.2.1. “विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सहजता” (लीड्स) रिपोर्ट, 2021 {LEADS (Logistics Ease Across Different States) 2021 Report} 132

9.2.2.2. वाणिज्य मंत्रालय ने 'फ्रेट स्मार्ट सिटी' की योजना प्रस्तुत की है (Commerce Ministry unveils plans for ‘Freight Smart Cities’) 132

9.2.3 अवसंरचना वित्तपोषण मॉडल (Infrastructure Financing Models) 132

9.3. रेलवे (Railways) 133

9.3.1. भारतीय रेलवे के वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट {Comptroller and Auditor General (CAG) Report on Indian Railways} 133

9.3.2. रेलवे सुरक्षा (Railway Safety) 134

9.4. नागरिक उड्डयन क्षेत्रक (Civil Aviation Sector) 136

9.5. सड़क मार्ग (Roadways) 138

9.5.1. सड़क सुरक्षा (Road Safety) 138

9.6. अवसंरचना की मूल अवधारणाएँ (Key Concepts on Infrastructure) 140

10. ऊर्जा क्षेत्रक (ENERGY SECTOR) 142

10.1. विद्युत क्षेत्र में सुधार (Power Sector Reforms) 142

VISION IAS

10.1.1. जनरल नेटवर्क एक्सेस (General Network Access: GNA)............ 143

10.1.2. सुधार-आधारित और परिणाम-से जुड़ी, संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना (Reforms-Based and Results-Linked, Revamped Distribution Sector Scheme)............ 145

10.1.3. स्मार्ट मीटर (Smart Meters)............ 146

10.2. कोयला, तेल और गैस (Coal, Oil and Gas)............ 148

10.2.1. सामरिक तेल भंडार (Strategic Oil Reserves)............ 148

10.3 ऊर्जा क्षेत्रक की प्रमुक अवधारणाएँ और संबद्ध जानकारी (Key Concepts and Information for Energy Sector)............ 149

11. विविध (MISCELLANEOUS)............ 150

11.1. संधारणीय उद्यम पद्धतियाँ (Sustainable Business Practices)............ 150

11.2. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics)............ 151

11.3. एक राष्ट्र एक मानक (One Nation One Standard)............ 152

नोट:

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

1. टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस अध्ययन सामग्री में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
2. अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।
3. विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजकोषीय नीति और समावेशी विकास (FISCAL POLICY AND INCLUSIVE GROWTH)

1.1. सरकारी वित्त की स्थिति (Status of Government Finances)

1.1.1. राज्य वित्त (State Finances)

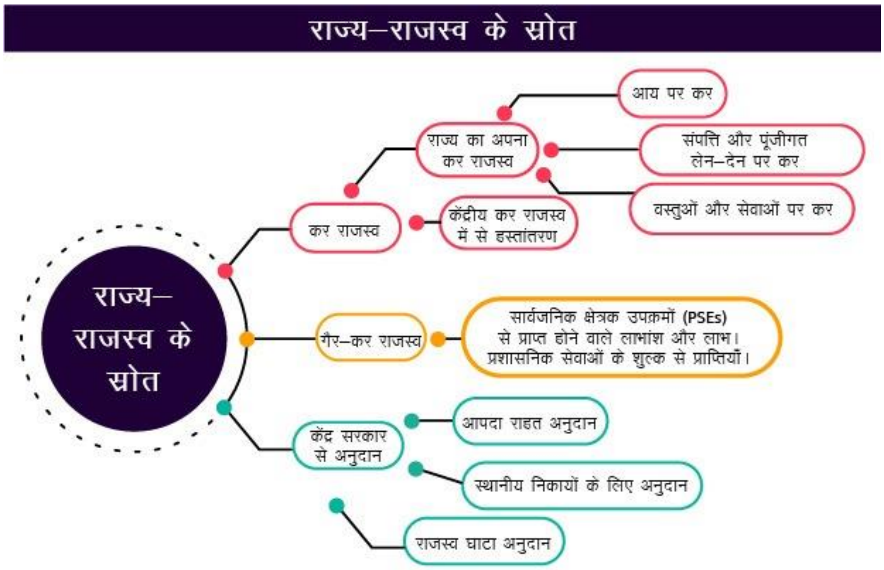

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने **"राज्य वित्त: 2021-22 के बजट का अध्ययन"**[1] नामक शीर्षक से एक **रिपोर्ट** जारी की। इसका थीम या विषय **"महामारी से मुकाबला: एक त्रि-स्तरीय आयाम"**[2] है।

- **इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:**
  - वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, राज्यों ने अपने समेकित **सकल राजकोषीय घाटे**[3] को GDP के अनुपात में **3.7%** पर रखा है। ज्ञातव्य है कि 2020-21 के संशोधित अनुमानों में यह **4.7%** था, जो कि सुधार को प्रदर्शित/रेखांकित करता है।
  - राज्यों का **GDP की तुलना में संयुक्त ऋण अनुपात** (अर्थात् संयुक्त ऋण-GDP अनुपात) **मार्च 2021 के अंत में 31%** था। यह **20% के लक्ष्य** से अधिक है, जिसे FRBM[4] समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार **वर्ष 2022-23 तक प्राप्त किया जाना है।**
  - हाल के वर्षों में **राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात** स्थिर गति से बढ़ रहा है। यह **ऋण स्थिरता के क्षरण** को दर्शाता है।
  - **बाजार से उधारी**, जो बकाया ऋण का सबसे बड़ा घटक है, के मार्च 2022 के अंत तक 63 प्रतिशत तक पहुँच जाने की संभावना व्यक्त की गई है।
  - पिछले कुछ सालों में राज्यों की कुल बकाया देनदारियों में **राष्ट्रीय लघु बचत कोष**[5]**, बैंकों और वित्तीय संस्थानों और लोक लेखा से ऋण** की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

---

[1] State Finances: A Study of Budgets of 2021-22

[2] Coping with the Pandemic: A Third-Tier Dimension

[3] Gross Fiscal Deficit: GFD

[4] Fiscal Responsibility and Budget Management

[5] National Small Savings Fund: NSSF

- अनुमान है कि वर्ष 2021 में **स्थानीय प्रधिकरणों को अपने राजस्व में लगभग 15-25 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ेगा,** जिससे सेवा प्रदायगी का वर्तमान स्तर बनाए रखना मुश्किल भरा हो सकता है।

राज्य वित्त के प्रमुख रुझान

- **राजकोषीय घाटे में वृद्धि:** राज्यों का **राजकोषीय घाटा** वर्ष 2019-20 में GDP के 2.9% से बढ़कर वर्ष **2020-21** में **GDP** का **4.1%** (2.25 लाख करोड़ रुपये) हो गया।
- **बढ़ता सार्वजनिक ऋण:** वर्ष 2021-22 के अंत में**,** राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण **GDP** का **25.1%** होने का अनुमान है, जो वर्ष 2011-12 में **GDP** के **17.2%** से एक बड़ी वृद्धि को रेखांकित करता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **खुद का कर राजस्व, राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है:** राज्यों का अपना कर राजस्व वर्ष 2021-22 में राज्यों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत **(कुल राजस्व प्राप्तियों का 45%)** होने का अनुमान है। यह उनके GSDP का लगभग 6.7% भाग है।

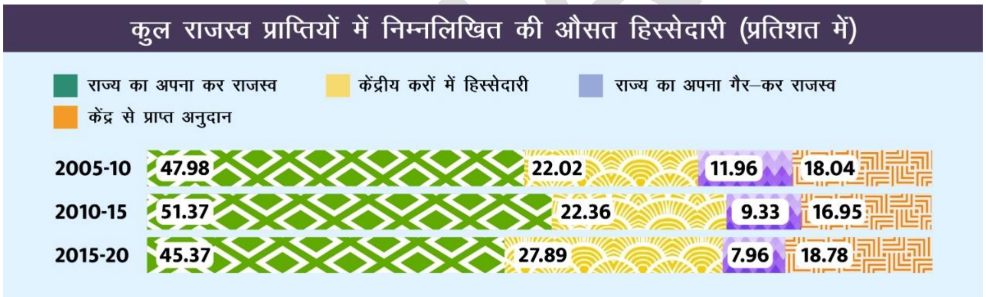

- **कम संपत्ति कर संग्रह:** भारत में संपत्ति कर संग्रह का स्तर कुछ विकसित देशों की तुलना में **काफी कम (GDP का 0.2%)** है। 15वें वित्त आयोग ने कम संपत्ति कर राजस्व के लिए संपत्ति का **कम मूल्यांकन,** अपूर्ण संपत्ति कर **अभिलेखों** और **अक्षम** प्रशासन जैसे कारकों को रेखांकित किया था।
- **राज्य वित्त के लिए जोखिम को कम करने में डिस्कॉम्स बाधा बने हुए हैं:** अधिकांश राज्यों में**,** राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स/DISCOMs) **राज्य वित्त पर दबाव** का स्रोत बनी हुई हैं, क्योंकि वे लगातार घाटे में चल रही हैं और उनकी देनदारियाँ बढ़ती जा रही हैं।

राज्यों की सहायता करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदम

- **कुछ शर्तों के साथ** वर्ष **2020-21 के लिए अतिरिक्त उधारी की अनुमति:** कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, मई 2020 में, केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने राजकोषीय घाटे की सीमा को GSDP[6] के 3% से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 में GSDP का 5% करने की अनुमति दी।
- इस 2 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि में से, चार क्षेत्रों में **सुधारों को पूरा करने** पर 1% की वृद्धि की अनुमति दी जानी है (प्रत्येक सुधार के लिए GSDP का 0.25%) - **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यवसाय करने की सुगमता, शहरी स्थानीय निकाय, और विद्युत वितरण।**
- **वर्ष 2021-22 के लिए पूँजीगत व्यय हेतु राज्यों को विशेष सहायता:** इस योजना के तहत, राज्यों को 2021-22 में **15,000 करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान किया जाएगा, जिसे **50 वर्षों के बाद चुकाना** होगा।
    - इसमें से **5,000 करोड़ रुपये का ऋण** राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों का **विनिवेश करने** या अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण करने वाले **राज्यों के लिए रखा गया है।**
- **स्वास्थ्य क्षेत्र:** केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन[7] के तहत** राज्यों को अनुदान के रूप में लगभग 80,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- **RBI द्वारा किए गए उपाय:**
    - **ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधाओं** के लाभ के संबंध में कुछ छूटों की अनुमति दी जा रही है।
    - राज्यों के **वेज़ और मीन्स एडवांस (WMA) की सीमा** को बढ़ा दिया गया है।

[6] Gross State Domestic Product

[7] National Health Mission: NHM

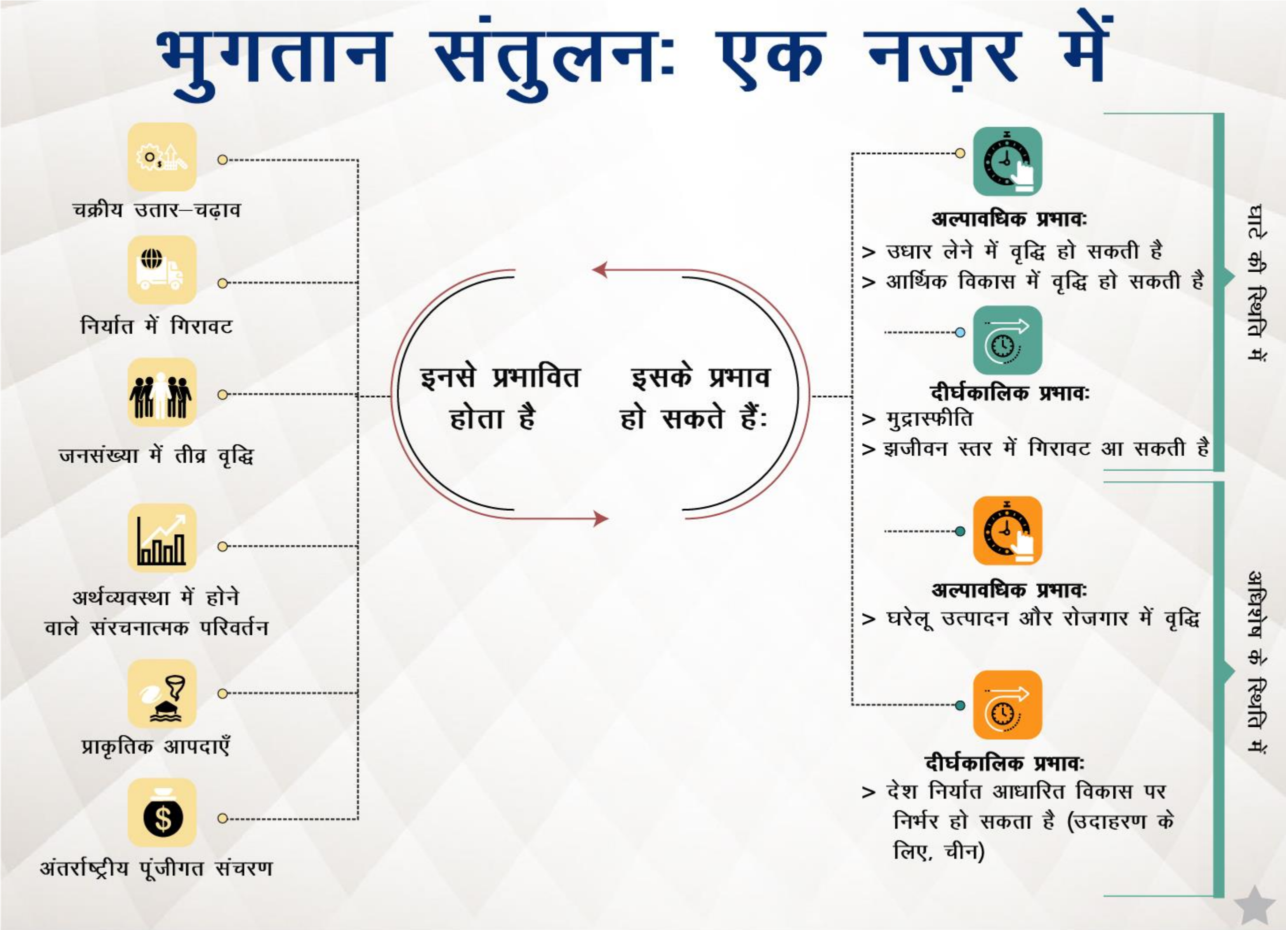

1.1.2. सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities: G-Secs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी 'भारतीय रिज़र्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष' योजना[8] के अंतर्गत, **लघु खुदरा निवेशकों** को G-Secs में निवेश करने की अनुमति प्रदान की है। इसके लिए निवेशकों को RBI में अपना गिल्ट खाता (Gilt Account) खुलवाना होगा।

G-Sec और गिल्ट खाते के बारे में

- सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा निर्गमित व्यापार-योग्य लिखत होती है। सरकारें इसके माध्यम से ऋण जुटाती हैं।
- G-Secs **दो प्रकार** की होती हैं (बॉक्स देखें)।
- भारत में, **केंद्र सरकार** ट्रेजरी बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां निर्गमित करती है, जबकि **राज्य सरकारें** केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें **राज्य विकास ऋण**[9] कहा जाता है।
- G-Secs में व्यावहारिक रूप में डिफॉल्ट/चूक संबंधी कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिए इन्हें **जोखिम रहित गिल्ट-एज्ड विपत्र** भी कहा जाता है।

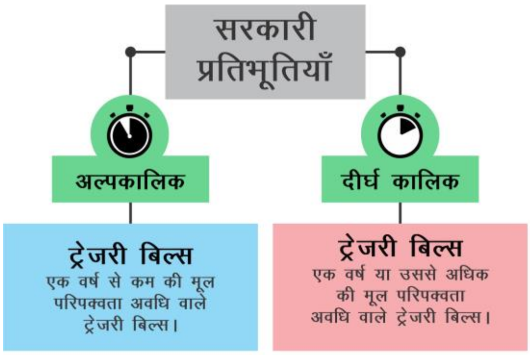

ट्रेजरी बिल (टी–बिल):
- ट्रेजरी बिल्स मुद्रा बाजार से संबंधित विपत्र होते हैं। इसलिए ये भारत सरकार द्वारा जारी अल्पावधिक ऋण विपत्र होते है। वर्तमान में 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल्स जारी किये जाते हैं।
- ट्रेजरी बिल्स शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ होती हैं और उन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।
- ये अंकित मूल्य से कम पर (बट्टे पर) जारी किए जाते हैं और इनका मोचन (Redeemed) अंकित मूल्य पर होता है। अर्थात् इन्हें अंकित मूल्य से कम मूल्य पर ख़रीदा जाता है और परिपक्वता अवधि के बाद पूर्ण अंकित मूल्य प्राप्त होता है।

दनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ (Dated G-Secs):
- दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर स्थायी या अस्थायी कूपन (ब्याज दर) प्रदान किया जाता है। इनका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर देय होता है।
- सामान्य रूप से, दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि 5 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होती है।

[8] RBI Retail Direct' scheme

[9] State Development Loans: SDLs

- **"गिल्ट खाता"** RBI द्वारा अनुमत ऐसा खाता होता है जिसे किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को धारित करने के लिए खोला और प्रबंधित किया जाता है।
  - परंतु, **'भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति'** के मामले में, गिल्ट खाते के परिचालन/प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों पर **विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 2000** और इसके तहत निर्मित विनियम लागू होंगे।

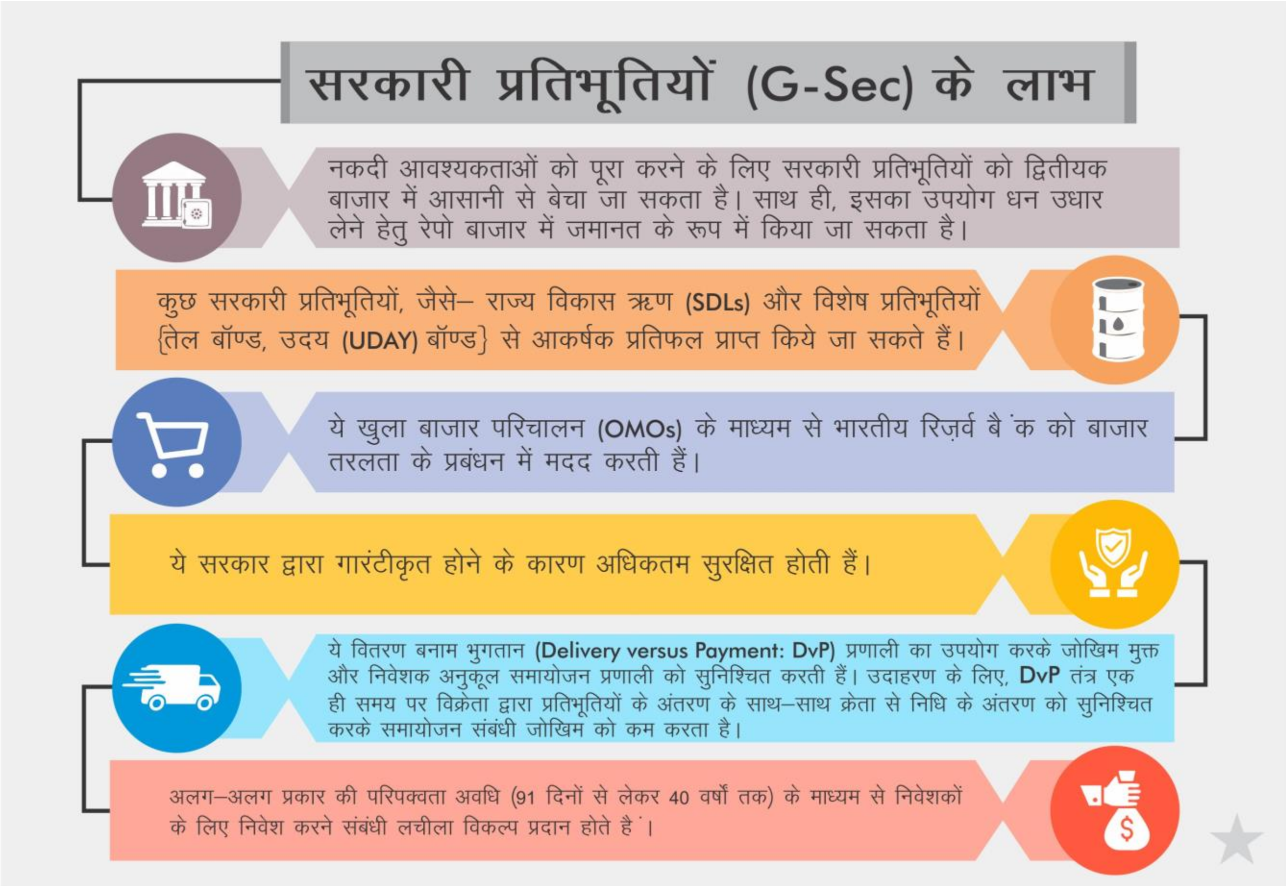

G-Secs के धारण में जोखिम

- **चलनिधि जोखिम:** जब निवेशक किसी प्रतिभूति के लिए खरीददार की अनुपलब्धता के कारण अपनी प्रतिभूति का विक्रय नहीं कर पाता है तो उसे चलनिधि जोखिम कहते हैं।
- **बाजार जोखिम:** ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी निवेशक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के मूल्यों में प्रतिकूल परिचालन होने से बाजार जोखिम उत्पन्न होता है। यदि प्रतिभूतियों को प्रतिकूल मूल्यों पर बेचा जाता है तो उससे मूल्य ह्रास होगा।
- **पुनर्निवेश जोखिम:** G-Secs पर नकदी के प्रवाह में प्रत्येक छमाही में मियादी कूपन और परिपक्वता पर मूलधन की वापसी सम्मिलित होती है। इन नकदी प्रवाहों को उनकी वापसी के बाद पुनः निवेश करना आवश्यक होता है। इसलिए इस बात का जोखिम रहता है कि नकदी प्रवाह की प्राप्ति के समय प्रचलित ब्याज दरों में कमी के कारण निवेशक निवेश करने के समय प्रचलित प्रतिफल पर इन आय को पुनर्निवेश न कर पाए।

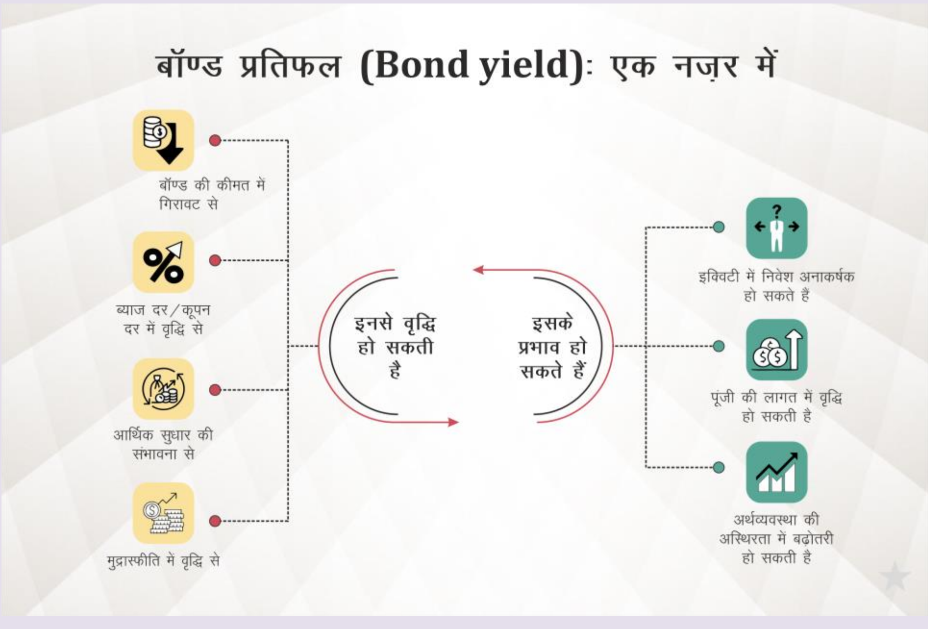

भारत में सरकारी प्रतिभूतियों की परिचालनगत व्यवस्था (Operational mechanism of G-Secs in India)

- **जारीकर्ता प्राधिकरण:** इन्हें RBI द्वारा भारत सरकार के परामर्श से जारी किया जाता है।
- **जारी करने वाला मंच:** G-Secs की नीलामी का आयोजन **ई-कुबेर** नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। **ई-कुबेर, RBI का प्रमुख बैंकिंग समाधान[10] प्लेटफॉर्म** है।
  - गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों[11] सहित, वे सभी जो ई-कुबेर के सदस्य नहीं हैं, वाणिज्यिक बैंकों या प्राथमिक डीलरों (Primary Dealers: PDs) के माध्यम से प्राथमिक नीलामी में भागीदारी कर सकते हैं। PDs को प्राथमिक सदस्य (Primary Members: PMs) भी कहा जाता है।
- **समाशोधन करने वाली एजेंसी: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड[12],** G-Secs में होने वाले सभी लेन-देन के लिए सेंट्रल काउंटरपार्टी (CCP) के रूप में कार्य करता है। वास्तव में, समायोजन के समय, CCP वास्तविक लेन-देन के क्रेता के लिए विक्रेता और विक्रेता के लिए क्रेता बन जाता है।

G-Secs के संबंध में वर्तमान में क्या पहलें की गई हैं और उनका क्या प्रभाव रहा है?

पहल	प्रभाव/संभावित प्रभाव
RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना: व्यक्तिगत निवेशक सरकारी बॉण्ड का क्रय करने के लिए RBI में खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट[13] खाते खुलवा सकते हैं। • ये बॉण्ड्स केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित **G-Secs, स्टेट डेवलपमेंट्स लोन्स** (राज्य सरकारों द्वारा निर्गमित बॉण्ड्स) और केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स** (जिसका मूल्य स्वर्ण के मूल्य से जुड़ा होता है) के रूप में होते हैं।	• **व्यापक निवेशक आधार:** G-Secs में प्रत्यक्ष रूप से खुदरा निवेश को अनुमति प्रदान करने से निवेशकों का आधार व्यापक होगा। इससे खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने के लिए बेहतर सुलभता प्राप्त होगी। • इससे घरेलू बचत को वित्तीय रूप देने में मदद मिलेगी। परंतु, लोक भविष्य निधि या राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जैसी केंद्र सरकार की लघु बचत योजनाओं की तरह **सरकारी बॉण्ड को प्रत्यक्ष रूप से क्रय करने पर कोई विशेष कर संबंधी लाभ प्राप्त नहीं होता है।**
सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (Government Securities Acquisition Programme: G-SAP): इस कार्यक्रम के माध्यम से, RBI का लक्ष्य वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की G-Secs का क्रय करना है।	• बॉण्ड के प्रतिफल में गिरावट, **इक्विटी बाजारों के लिए प्रोत्साहन** के रूप में कार्य करता है। • यह **निजी निवेश के बाहर जाने (क्राउडिंग आउट) पर अंकुश लगाता है।**
दीर्घावधि रेपो परिचालन (Long-Term Repo Operations: LTROs): LTRO के माध्यम से RBI द्वारा प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को एक से तीन वर्ष तक के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसके बदले में RBI द्वारा समान या उच्चतर अवधि वाली G-Secs को संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किया जाता है।	• इससे बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा[14] और सीमांत स्थायी सुविधा[15] द्वारा प्रदत्त **लघुकालिक चलनिधि/तरलता की तुलना में दीर्घकालिक** निधि प्राप्त होगी। • बैंक एक दिवसीय/ओवरनाइट रेपो के समान ब्याज दर पर एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
ऑपरेशन ट्विस्ट: 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के माध्यम से, RBI का लक्ष्य दीर्घकालीन बॉण्ड प्रतिफल (yields) को कम करना है। • **बॉण्ड के मूल्य और रिटर्न या प्रतिफल में उल्टा संबंध** है। • वर्तमान स्थिति में, चूंकि RBI द्वारा दीर्घकालीन बॉण्ड का क्रय किया जाता है, इसलिए इसकी मांग से बॉण्ड के मूल्य में वृद्धि होती है। दीर्घकालीन बॉण्ड के मूल्य में वृद्धि के चलते उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल में कमी होगी।	• निम्नतर दीर्घकालीन प्रतिफल से **अर्थव्यवस्था को बढ़ावा** मिलता है। इससे उन लोगों के लिए **ऋण किफायती हो जाता** है जो घर या गाड़ी खरीदना चाहते हैं या किसी परियोजना में निधि लगाना चाहते हैं। साथ ही, बचत कम वांछित हो जाती है क्योंकि इस पर अधिक ब्याज प्राप्त नहीं होता है।

10 Core Banking Solution

11 Urban Co-operative Banks: UCBs

12 Clearing Corporation of India Limited: CCIL

13 Retail Direct Gilt: RDG

14 Liquidity Adjustment Facility: LAF

15 Marginal Standing Facility: MSF

अन्य संबंधित तथ्य

सरकारी प्रतिभूतियां शीघ्र ही वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में शामिल होंगी

- वैश्विक बॉण्ड सूचकांक में विश्व भर के निवेश-श्रेणी के और सरकारी बॉण्ड शामिल होते हैं। इनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक की होती है।
- G-Sec **केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य लिखत (tradeable instrument) है।** यह सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा होता है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से चूक का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए, इन्हें **जोखिम मुक्त गिल्ट-एज लिखत** कहा जाता है।
- **वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में शामिल होने के लाभ:**
  - इससे ऋण बाजार में विदेशी अंतर्वाह को आकर्षित करने, वाणिज्यिक बैंकों पर से सरकारी बॉण्ड को खरीदने के दबाव को कम करने और भारतीय बॉण्ड बाजारों के लिए सद्भाव का निर्माण करने में सहायता मिलेगी।
  - इससे भारतीय रुपये को मजबूती और स्थिरता प्राप्त होगी तथा सरकार को उसके बाजार उधार कार्यक्रम में मदद मिलेगी।

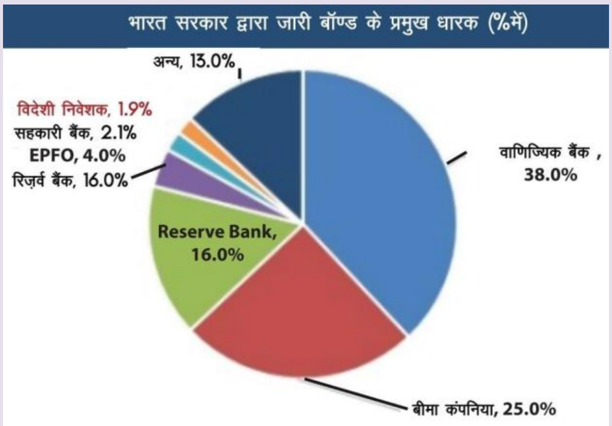

1.2. कराधान (Taxation)

1.2.1. भूतलक्षी या पूर्वव्यापी कराधान (Retrospective Taxation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **आयकर अधिनियम, 1961** और **वित्त अधिनियम, 2012** में संशोधन करने के लिए **कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Taxation Laws (Amendment) Act, 2021}** अधिनियमित किया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2012 के भूतलक्षी कर कानून को समाप्त कर दिया गया है।

भूतलक्षी कराधान क्या है और इसके संबंध में भारत का अनुभव कैसा रहा है?

- भूतलक्षी कराधान एक प्रकार का 'प्रगति विरोधी' कर ('backward looking' tax) है। कराधान की इस विधि का कई राष्ट्रों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य कराधान से संबंधित गड़बड़ियों को दूर करना होता है, जिसके लिए विगत लेन-देनों पर या तो नया या फिर अतिरिक्त शुल्क आरोपित किया जाता है। इससे, कंपनियों द्वारा कर कानूनों की कमियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलती है।
- यह एक देश को किसी **कर-कानून के पारित होने की तिथि से पूर्व की अवधि के लिए भी** किसी उत्पाद, सामग्री अथवा सेवाओं और सौदों पर कर आरोपित करने या **कंपनियों से शुल्क वसूलने की अनुमति प्रदान करता है।** कराधान की इस विधि का कई राष्ट्रों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य कराधान से संबंधित गड़बड़ियों को दूर करना होता है, जिसके लिए विगत लेन-देनों पर या तो नया या फिर अतिरिक्त शुल्क आरोपित किया जाता है। इससे, कंपनियों द्वारा कर कानूनों की कमियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलती है।

करारोपण का संप्रभु अधिकार और उसकी सीमाएं

- किसी भी संप्रभु देश के लिए कर आरोपित करने अर्थात् करारोपण का अधिकार **एक प्रमुख संप्रभु अधिकार (core sovereign power) है।**
- भारत के संविधान ने सरकार को **विधि निर्माण के अधिकार के अतिरिक्त करारोपण का अधिकार भी दिया है।**
- यद्यपि निवेशक राज्य विवाद समाधान (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) अधिकरण द्वारा भी इनका अनुमोदन किया गया है तथापि द्विपक्षीय निवेश संधियों (Bilateral Investment Treaties: BITs) के माध्यम से इन **अधिकारों पर कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, अर्थात् एक संप्रभु देश को इस संबंध में कुछ अधिकार त्यागने पड़े हैं।** जैसे कि:
  - **स्वत्वाधिहरण या स्वामित्व हरण (Expropriation),** अर्थात्, सरकार किसी संपत्ति के स्वामी की इच्छाओं के विरुद्ध उसकी संपत्ति न तो जब्त कर सकती है और न उस पर दावा कर सकती है।
  - **उचित और निष्पक्ष व्यवहार (Fair and Equitable treatment),** अर्थात् कर, विभेदक प्रकृति के नहीं होने चाहिए।
- वर्ष 2016 में, भारत ने **मॉडल BIT निर्मित किया, जिसमें कराधान उपायों को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया।** इस प्रकार, कर के संप्रभु अधिकार में ISDS के हस्तक्षेप की संभावना को कम किया गया।

 © Vision IAS

- **भारत में -** इसे **वर्ष 2012** में लागू किया गया था। इससे आयकर विभाग को यह अधिकार मिल गया कि वह भारत में स्थित **संपत्तियों के अप्रत्यक्ष स्थानांतरण** से होने वाली **पूंजीगत प्राप्तियों** पर कर की मांग कर सकता है।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 के माध्यम से क्या परिवर्तन लागू किए गए हैं?

- इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से **आयकर अधिनियम, 1961** की **धारा 9** में संशोधन कर 28 मई 2012 से पहले भारतीय परिसंपत्तियों के किए गए **अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए की गई कर या शुल्क मांगों को अमान्य घोषित किया गया है। अर्थात् इससे संबंधित भूतलक्षी कर को समाप्त किया गया है।** हालांकि, कंपनियों को इसके लिए कुछ विशेष शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि उन्हें इस संबंध में की गई अपील, दायर याचिका, मध्यस्थता आदि को वापस लेना होगा।
- इस संशोधन अधिनियम की **धारा 244-A** के अंतर्गत, इन मामलों में **भुगतान की गई राशि के एवज में** ब्याज रहित पुनर्भुगतान किया जाएगा।
- लेकिन, **28 मई 2012** से पहले हुए **भारतीय परिसंपत्तियों के विदेशी लेन-देन** पर **अब भी कर लगेगा,** क्योंकि इनके संबंध में कानून को भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जा गया है।

निष्कर्ष

नए कानून से **अधिक पारदर्शी, स्थिर** और **निश्चित कराधान व्यवस्था** निर्मित होगी। इससे निवेशकों के मध्य यह सकारात्मक संदेश जाएगा, कि भारत निवेश में सुधार के लिए विरासत से संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम है। इससे कर के दायरे में वृद्धि करने, उच्च संवृद्धि दर प्राप्त करने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक आधार को विस्तार दिया जा सकेगा, जिससे कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई संकटपूर्ण स्थिति को **शीघ्र सामान्य करने में** सहायता मिलेगी।

1.2.2. वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर (Global Minimum Corporate Tax Rate)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन[16] ने **15% वैश्विक न्यूनतम कर**[17] को घरेलू स्तर पर लागू करने के लिए **पिलर टू (या स्तम्भ-दो) मॉडल** के नियमों को जारी किया है।

वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर के बारे में

- यह **'आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण'**[18] पर G20 देशों और OECD द्वारा सहमत **समावेशी फ्रेमवर्क का एक हिस्सा** है।
  - BEPS वस्तुतः **बहुराष्ट्रीय उद्यमों (Multi-National Enterprises: MNEs) द्वारा उपयोग की जाने वाली कर वंचन (बचाने) की रणनीति को संदर्भित करता है,** जिसके तहत कृत्रिम रूप से मुनाफे को कम या बिना कर वाले स्थानों पर स्थानांतरित करने हेतु कर नियमों में विद्यमान खामियों तथा असमानता का लाभ उठाया जाता है। ऐसे स्थानों या देशों में अत्यंत कम या किसी भी आर्थिक गतिविधि के अभाव के कारण कम या शून्य निगम कर का भुगतान करना पड़ता है।

वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर कैसे कार्य करेगा?

- मान लीजिए, कोई कंपनी जिसका मुख्यालय **देश A** में है, वह **देश B में आय दर्ज करती है, जहां कर की दर 11% है।**
- **15%** की वैश्विक न्यूनतम कर की दर के प्रभावी होने से, **देश A** द्वारा **कर में "बढ़ोतरी (टॉप अप)" की जाएगी** और संबंधित कंपनी से, देश B में प्राप्त होने लाभ पर **4% का अतिरिक्त कर वसूल लिया जाएगा।** यह अतिरिक्त कर **देश B की दर और वैश्विक न्यूनतम दर के मध्य के अंतर को प्रदर्शित करता है।**

- **वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर** के तहत अलग-अलग देश अपने यहाँ कारोबार करने वाली **बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs)** पर न्यूनतम कर लगा सकेंगे। इससे MNCs द्वारा करों के भुगतान से बचने के प्रयासों को रोका जा सकेगा।
- यह **750 मिलियन यूरो से अधिक राजस्व वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू होगा।** इसका उद्देश्य **डिजिटल तथा वैश्वीकृत विश्व के लिए प्रासंगिक कराधान संरचना विकसित करना** है।
- इसमें गूगल, अमेजन, आदि जैसी वैश्विक कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें उन देशों को करों का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाएगा जहां उनकी वस्तुएं या सेवाओं की बिक्री की जाती है। इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि संबंधित देश में उस कंपनी की भौतिक उपस्थिति है या नहीं।

---

16 Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD

17 Global Minimum Tax: GMT

18 Base Erosion and Profit Shifting: BEPS

OECD टू-पिलर प्लान (Two-pillar Plan)

- **OECD / G20 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)** के अंतर्गत, 139 देशों और अधिकार-क्षेत्रों द्वारा कर वंचन की रणनीतियों {जिनके तहत कर से बचने के लिए कर नियमों में विद्यमान खामियों तथा असमानता (mismatches) का लाभ उठाया जाता है} के उन्मूलन हेतु साझा प्रयास किए गए हैं।
- नया **टू-पिलर प्लान** अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार करके 15% वैश्विक न्यूनतम कर को **घरेलू स्तर पर लागू करने** में मदद करेगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस देश/ क्षेत्राधिकार में अपना कारोबार चला रही हैं, वे वहां अर्जित आय पर उचित कर का भुगतान करें।
- यह मॉडल नियम वर्ष 2022 के दौरान घरेलू कानून में GloBE नियमों को शामिल करने में देशों की सहायता भी करेगा।
  - GloBE नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस देश/क्षेत्राधिकार में परिचालनरत हैं, वे वहां अर्जित आय पर न्यूनतम कर का भुगतान करें।
  - किसी भी देश/क्षेत्राधिकार में **प्रभावी कर की दर जब न्यूनतम 15% की दर से कम हो, तब ये नियम अर्जित लाभ पर 'टॉप-अप टैक्स' लागू करने का भी प्रावधान** करते हैं।

भारत के लिए निहितार्थ या भारत पर प्रभाव

- विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए यह लाभदायक साबित होगा क्योंकि **भारत में प्रभावी घरेलू कर की दर, इस कर की सीमा से अधिक** है। इस प्रकार भारत एक बड़ा संभावित बाजार होने के कारण विदेशी निवेश को आकर्षित करना जारी रखेगा।
- इस कर समझौते का अर्थ है कि **वर्ष 2023 तक मौजूदा डिजिटल सर्विस टैक्स और अन्य एकपक्षीय करों** को समाप्त करना होगा। साथ ही, भारत को वर्ष 2016 में आरंभ किये गए **समकारी शुल्क** (equalization levy) को भी समाप्त करना पड़ेगा।
- **भारत में हेडक्वार्टर वाले बड़े MNCs को भी पिलर-1 नियमों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है।** साथ ही, भारत को अन्य देशों के साथ अपने करारोपण अधिकार को साझा करने की आवश्यकता होगी। भारत को शीर्ष 100 में शामिल **अपर्याप्त रूप से डिजिटलीकृत कंपनियों से प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हो सकती** है।

1.3. गैर-कर राजस्व (Non-tax revenue)

1.3.1. राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण (Direct Monetisation of The Fiscal Deficit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था को हुई क्षति को देखते हुए इस विषय पर चर्चा हो रही है कि क्या भारत को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से **घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण** करना चाहिए या नहीं।

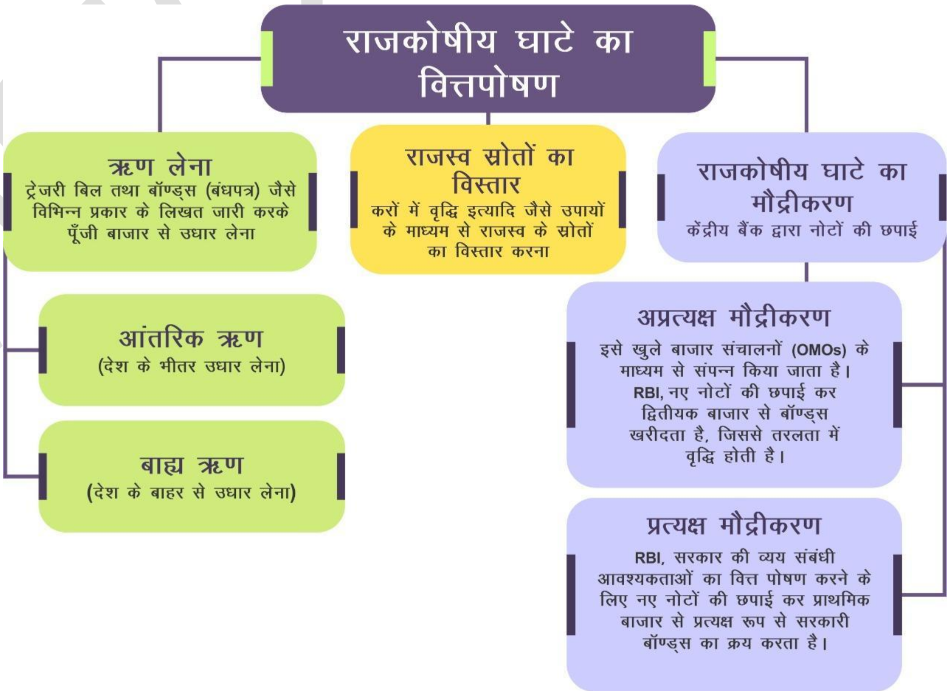

राजकोषीय घाटा क्या है और इसे कैसे वित्तपोषित किया जाता है?

- **राजकोषीय घाटा** तब होता है जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए, कम कर संग्रह और महामारी के नतीजों के प्रभाव को कम करने हेतु खर्च में वृद्धि के कारण, भारत ने वर्ष 2020-21 में **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 9.3% का राजकोषीय घाटा** दर्ज किया। जबकि वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 6.8% रखा गया था।
- राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, सरकार के पास कई विकल्प उपलब्ध होते हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

भारत में घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण

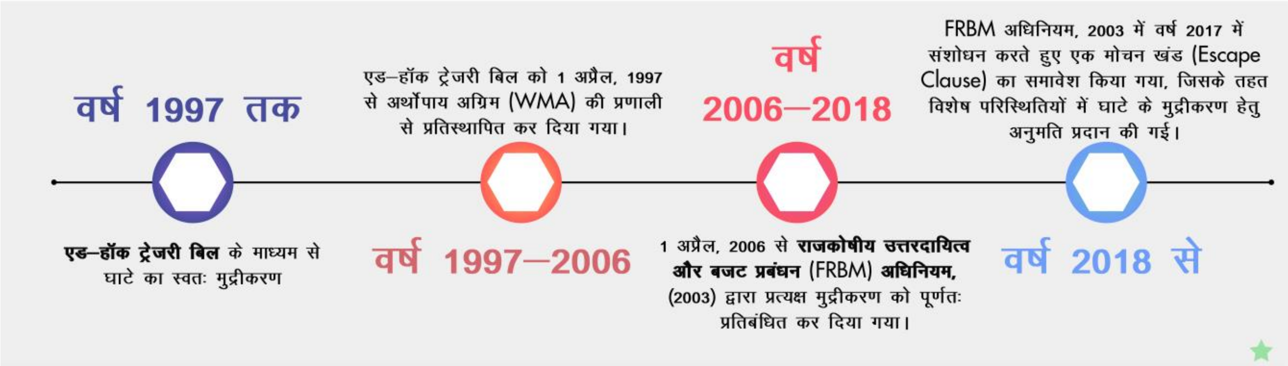

घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण (Direct Monetisation of deficit) के बारे में

- यह उस परिदृश्य को संदर्भित करता है जब **केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार के अत्यधिक घाटे और इससे संबंधित व्यय को समायोजित (या पूरा) करने के लिए नोटों की छपाई** की जाती है।
- ऐसा तब होता है जब सरकार प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट्स) के जरिए अपने बॉण्ड्स केंद्रीय बैंक के पास रखती है अर्थात् जब **केंद्रीय बैंक प्राथमिक बाजार से सरकारी बॉण्ड्स खरीदता है। इस प्रक्रिया से आर्थिक प्रणाली अर्थात् बाजार में कुल मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि** होती है।
    - हालांकि, प्रत्यक्ष मुद्रीकरण में यह आवश्यक नहीं है कि वास्तव में नोटों की छपाई की ही जाए, क्योंकि केंद्रीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रविष्टि (electronic accounting entry) के माध्यम से भी सरकार के खाते में राशि क्रेडिट (जमा) कर सकता है।
- घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण को **हेलीकॉप्टर मुद्रा** के रूप में भी संदर्भित किया जाता है अर्थात् जब किसी संकट, जैसे- मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक व्यापक मात्रा में नोटों की छपाई की जाती है।

प्रत्यक्ष मुद्रीकरण की माँग के पीछे उत्तरदायी कारण

- सरकार द्वारा प्रत्यक्ष तरलता के माध्यम से **रिकवरी (अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली) कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना।**
- लोगों द्वारा और अधिक खर्च के माध्यम से **अपस्फीति (deflation) के दबाव को कम करना और मध्यम मुद्रास्फीति (moderate inflation) को प्रोत्साहित करना।**
- **वित्तीय स्थिरता बनाए रखना:** चूंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में बचतें सीमित होती हैं, इसलिए सरकारी प्रतिभूतियों को जारी कर व्यापक घाटे को वित्तपोषित करने से सरकार के लिए ब्याज की दरों और ऋण की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। इससे ऋण की अदायगी संबंधी चूक (डिफ़ॉल्ट) की संभावना में वृद्धि हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **तरलता का समावेश:** ऐसे समय में जब मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण ब्याज दर में कटौती संभव नहीं है, तब प्रत्यक्ष मुद्रीकरण वित्तीय प्रणाली में तरलता का समावेश (बढ़ावा या वृद्धि) कर सकता है।
    - उदाहरण के लिए- RBI द्वारा वर्ष 2020 में मार्च और मई के मध्य रेपो दर में 115 आधार अंकों[19] की कटौती की गई थी। हालांकि, इससे अधिक ब्याज दर में कटौती करना संभव नहीं था, इसलिए इसके बाद रेपो दर को 4% के स्तर पर बनाए रखा गया था।
- **अन्य लाभ:**
    - ऋण द्वारा वित्तपोषित राजकोषीय कार्यक्रमों के विपरीत नोटों की छपाई कर घाटे की पूर्ति करने से भविष्य में कर संबंधी बोझ में वृद्धि नहीं होती है।
    - यह मुद्रास्फीति में वृद्धि कर एक निश्चित सीमा तक सरकार की बकाया देयताओं में कमी कर सकती है।

भारत में प्रत्यक्ष मुद्रीकरण के उपयोग को लेकर व्यक्त चिंताएं

- **उच्च मुद्रास्फीति:** सरकार के राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण से अनुत्पादक व्यय (unproductive spending) में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2008 में, यह जिम्बाब्वे में एक वर्ष में कीमतों में 23,10,00,000% की वृद्धि के साथ अति मुद्रास्फीति का कारण बना।

[19] Basis Points (BPS or BP)

VISION IAS

* यह कदम मौद्रिक और राजकोषीय नीति के बीच की बाधाओं को दूर करके, RBI की विश्वसनीयता व इसके जनादेश को पूरा करने की क्षमता को कम करता है।
* **राजकोषीय विवेक पर प्रश्नचिन्ह:** प्रत्यक्ष मुद्रीकरण, सरकार की राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) संबंधी गतिविधियों को हतोत्साहित कर सकता है।
* **तरलता या चलनिधि में वृद्धि करने में अप्रभावी:** राजकोषीय कार्यक्रम द्वारा प्रदान की गई धनराशि अंततः अपरिहार्य रूप से बैंकिंग प्रणाली में पहुंचती है। इससे केंद्रीय बैंक में बैंकों द्वारा रखी जाने वाली आरक्षित धन की मात्रा बढ़ सकती है क्योंकि आर्थिक तनाव या संकट के समय बैंक सामान्यतः ऋण प्रदान करने में अनिच्छुक होते हैं, इसलिए उनके द्वारा इस अतिरिक्त आरक्षित धन को केंद्रीय बैंक में रखने और उन पर ब्याज अर्जित करने की संभावना होती है।
* **मुद्रा का अवमूल्यन:** मुद्रा बाजार में आपूर्ति-मांग असंतुलन के कारण भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो सकता है।
    * RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का परिणाम अंततः **भुगतान संतुलन के संकट** के रूप में परिणत हो सकता है।

1.3.2. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline: NMP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)** शुरू की है। यह विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक रोडमैप है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में

* इसे **आमतौर पर परिसंपत्ति या पूंजी पुनर्चक्रण के रूप में जाना जाता है।** यह **परिसंपत्ति को आर्थिक मूल्य में रूपांतरित करने** की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
* यह सरकार की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का एक घटक है। इसमें तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र या संस्थागत निवेशकों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना शामिल है:
    * अवसंरचना में **सार्वजनिक निवेश के माध्यम से वास्तविक मूल्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है।**
    * **निजी क्षेत्र की क्षमता का दोहन करता है।**
    * अब तक अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करके **राजस्व के नए स्रोतों का निर्माण** करता है।
* इसमें "निष्क्रिय" पूंजी को क्रियाशील बनाने के लिए **ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों** (जहां निवेश पहले से ही किया जा रहा है, किंतु परिसंपत्ति को मुद्रीकृत करने की प्रक्रिया अवरुद्ध है या वह पूरी तरह से मुद्रीकृत नहीं है या कम उपयोग में है) **को सीमित अवधि के लिए निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाता है।**
* सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्राप्त धन, सरकार को **सामाजिक क्षेत्र और अन्य प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक प्राथमिकताओं सहित** अन्य संपत्तियों या परियोजनाओं में पुनर्निवेश करने में मदद करता है।
* यह निजी क्षेत्र की इकाई द्वारा पेश की गई उच्च परिचालन क्षमता और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाकर परिसंपत्तियों से अधिक रिटर्न उत्पन्न करने में भी मदद करता है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) की समयावधि के साथ ही राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) का समापन, 4 वर्ष (वित्त–वर्ष 2022–2025)

"NMP के लिए सरकार द्वारा चिन्हित प्रमुख क्षेत्र"

शीर्ष 5 क्षेत्रों की कुल पाइपलाइन मूल्य में 83 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इनमें सड़कें, उसके बाद रेलवे, विद्युत, तेल एवं गैस पाइपलाइन तथा दूरसंचार शामिल हैं।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण मॉडल्स

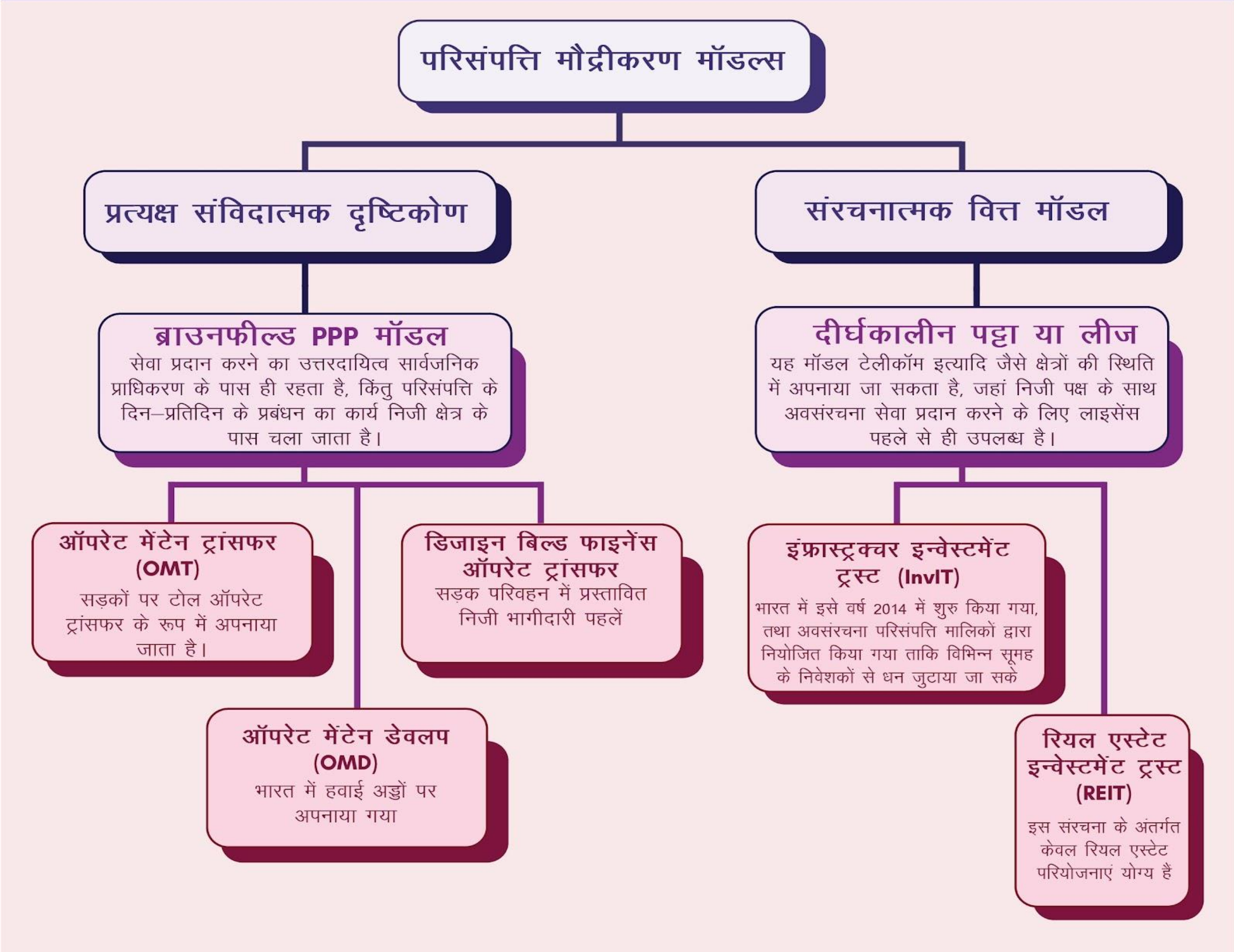

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के बारे में

- केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत देश में मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए तीन स्तंभों में से एक के रूप में संपत्ति के मुद्रीकरण की पहचान की गई थी।
- परिणामस्वरूप, NMP को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (वर्ष 2019 में घोषित) के साथ समान अवधि के लिए रखने की योजना बनाई गई है। यह मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक सामान्य ढांचा विकसित करने में सहायक है।
- **गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण के माध्यम से किए जाने वाले मुद्रीकरण** को NMP में **शामिल नहीं किया गया** है।
    - **प्रमुख और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियां:** ऐसी परिसंपत्तियां जो किसी इकाई के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय होती हैं और जनता/उपयोगकर्ताओं को अवसंरचना सेवाएं देने के लिए उपयोग की जाती हैं, उन्हें **प्रमुख परिसंपत्तियां** माना जाता है। अन्य परिसंपत्तियां, जिनमें आम तौर पर भूमि पार्सल (अर्थात् कोई प्लॉट) और भवन शामिल हैं, उन्हें **गैर-प्रमुख परिसंपत्ति** के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- केंद्र सरकार की प्रमुख परिसंपत्तियों के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) का **कुल सांकेतिक मूल्य वित्त वर्ष 2022-2025 की 4 वर्ष की अवधि में 6 लाख करोड़ रुपये** होने का अनुमान लगाया गया है।
    - यह **NIP के तहत परिकल्पित कुल अवसंरचना निवेश** (लगभग 111 लाख करोड़ रुपये) **का लगभग 5.4% है** और **केंद्र के लिए प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 14% (43 लाख करोड़ रुपये) है।**
- प्रमुख परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए **ढांचे में तीन** अनिवार्य अवयव हैं:
    - **स्वामित्व का नहीं वरन् अधिकारों का मुद्रीकरण,** जिसका अर्थ है कि परिसंपत्ति लेनदेन जितने समय के लिए किया गया है, वह अवधि समाप्त होने पर उसे वापस कर दिया जाएगा।
    - **स्थिर राजस्व सृजन प्रोफ़ाइल वाली तथा महत्वपूर्ण ब्राउनफील्ड व जोखिम रहित परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण।**

- ○ परिभाषित **संविदात्मक ढांचे (contractual frameworks)** और **पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के तहत संरचित भागीदारी,** जहां संविदात्मक भागीदारों को प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators: KPIs) और प्रदर्शन मानकों का पालन करना होगा।
- NMP के तहत पहचानी गई परिसंपत्तियों और लेनदेनों को कई प्रकार के उपकरणों/मॉडल्स (इन्फोग्राफिक देखें) के माध्यम से शुरू किए जाने की अपेक्षा है।

1.3.3. भूमि बैंक (Land Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग[20] ने **भूमि बैंक कंपनी** की संरचना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है। इसे सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों के स्वामित्व वाले **भूखंडों का विक्रय करने** का कार्यभार सौंपा जाएगा।

भूमि बैंक क्या है?

- भूमि बैंक एक सरकारी निकाय या गैर-लाभकारी निगम होते हैं जो खाली अप्रयुक्त परिसंपत्तियों, अप्रयुक्त भूमि, या विलंबी कर-दाता (tax-delinquent) परिसंपत्तियों (अर्थात् कर न चुकाने के आधार पर जब्त की गई परिसंपत्तियों) के प्रबंधन और निपटान में सहायता करता है ताकि अधिक उत्पादक उपयोग के लिए इन परिसंपत्तियों का पुनर्विकास किया जा सके।
- राज्य सरकारों ने 1990 के दशक में, विशेष रूप से उदारीकरण के पश्चात् की अवधि में, "भूमि बैंक" की स्थापना को आरंभ किया था। वर्ष 2017 तक, **अधिकांश भारतीय राज्यों** में या तो पहले से ही बड़े भूमि बैंक थे या इनके सृजन की प्रक्रिया जारी थी।
- **न्यू इंडिया @ 75** की नीति आयोग की रणनीति ने विनिर्माण सुविधाओं के लिए **पूर्व-स्वीकृत भूमि बैंक** सृजित करने के लिए सभी स्तरों पर भौगोलिक सूचना प्रणाली[21] आधारित मानचित्रों का उपयोग करने की प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया।

भूमि बैंक की दिशा में कदम

- अगस्त 2020 में, **प्रथम चरण में छह राज्यों की GIS प्रणाली के साथ** औद्योगिक सूचना प्रणाली (Industrial Information System: IIS) के एकीकरण द्वारा **राष्ट्रीय GIS-सक्षम भूमि बैंक प्रणाली** आरंभ की गई थी। दूसरे चरण में इसमें आठ और राज्य शामिल हुए।
- वर्तमान में, **इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल (IIS पोर्टल)** में संपूर्ण देश के औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों का GIS आधारित डेटाबेस शामिल है। इस डेटाबेस में 31 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों की लगभग **4,75,000 हेक्टेयर भूमि** पर स्थापित **3,350 से अधिक पार्कों/क्लस्टरों** को शामिल किया गया है।
- IIS का लक्ष्य निम्नलिखित प्रदान करना है: (इन्फोग्राफिक देखें)

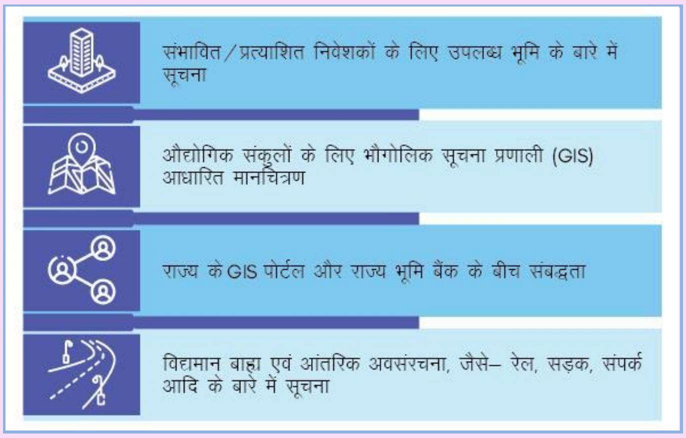

भूमि बैंक के लाभ

- **भूमि उपयोग दक्षता:** विश्व के **कुल भू-क्षेत्र के 2.4%** के साथ भारत **विश्व की 18% आबादी** का आश्रय स्थल है, जो कि भूमि को एक दुर्लभ संसाधन बनाता है।
- **सरकारी भूमि के निपटान में अत्यधिक देरी को संबोधित करना:** यह पर्याप्त भूमि अभिलेखों के अभाव और एक व्यापक भूमि डेटाबेस की अनुपस्थिति, ट्रेड यूनियनों के विरोध, अवैध अतिक्रमण तथा विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय की कमी के कारण होता है।

---

[20] Department of Investment and Public Asset Management: DIPAM

[21] Geographic Information System: GIS

© Vision IAS

- **आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा:** चीन के साक्ष्य से पता चलता है कि वर्ष 2001-2009 {इसकी अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक विस्तार की अवधि (GDP वृद्धि के संदर्भ में)} के दौरान इसकी **आर्थिक संवृद्धि में भूमि का योगदान आश्चर्यजनक रूप से 26.07 प्रतिशत** था।
- **निवेश को बढ़ावा:** भूमि बैंक **सभी संबंधित औद्योगिक सूचनाओं की निःशुल्क और आसान पहुंच हेतु वन-स्टॉप समाधान** उपलब्ध करा सकते हैं, जो निवेशकों द्वारा दक्षतापूर्ण निर्णय लेने में सहायता के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा भी प्रदान करेंगे।
- **व्यापार करने में सुगमता:** LARR अधिनियम, 2013 को प्रायः भूमि अधिग्रहण के संबध में बाधा के रूप में देखा जाता है।
- **अन्य लाभ:** इसमें भूमि संबंधी बाजार लेन-देन में पारदर्शिता, समेकित भूमि की उपलब्धता, न्यायतंत्र पर बोझ का कम होना और विभिन्न हितधारकों द्वारा सूचित निर्णय लेना शामिल हैं।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 {Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (LARR) Act, 2013}

- इस अधिनियम ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को प्रतिस्थापित किया है।
- यह अधिनियम **सामाजिक प्रभाव आकलन[1] अध्ययन** का प्रावधान करता है ताकि अधिग्रहण के कारण प्रभावित लोगों की लागत और लाभ का निर्धारण एवं अनुमान लगाया जा सके। **अविलंबनीय या सिंचाई संबंधी परियोजनाओं,** जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य होता है, को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए SIA अनिवार्य होता है।
- सभी भू-अधिग्रहणों के तहत अधिग्रहण से प्रभावित लोगों का **पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन[1]** करना अनिवार्य है।
- अधिग्रहित **भूमि के स्वामियों के लिए मुआवजा की राशि** ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्र के मामले में दोगुना होगी।
- यह अधिनियम, सार्वजनिक-निजी-भागीदारी[1] परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कम-से-कम **70 प्रतिशत** भूमि स्वामियों और निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कम-से-कम **80 प्रतिशत** भूमि स्वामियों की **अनिवार्य सहमति** निर्धारित करता है।

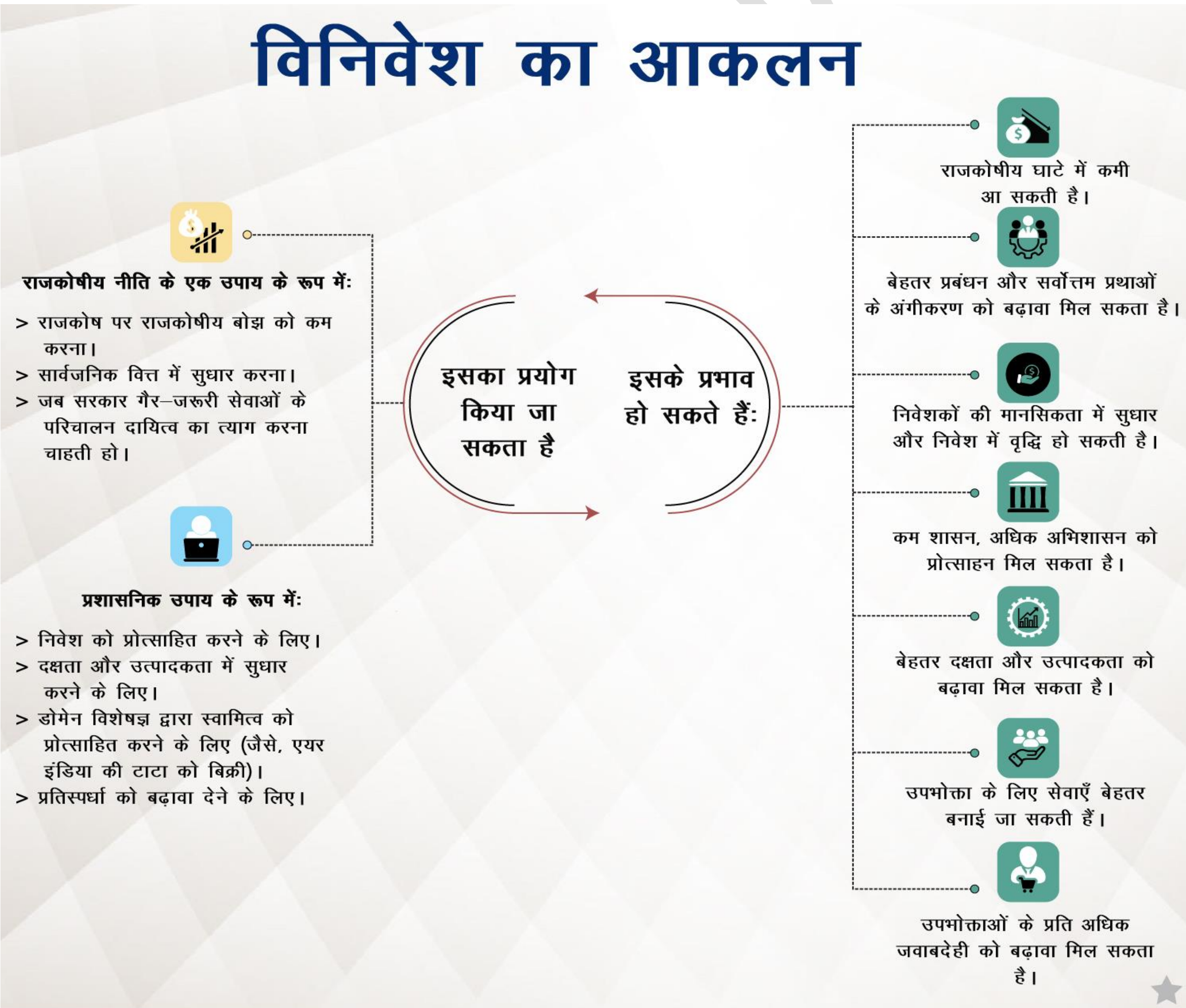

1.4. समावेशी विकास (Inclusive Growth)

1.4.1. राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** ने **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** तथा **ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल**[22] के सहयोग से भारत का पहला **'राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक: आधार रेखा रिपोर्ट और डैशबोर्ड'**[23] जारी किया।

UNDP

- यह **गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अन्याय को समाप्त करने की लड़ाई लड़ने वाला** संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख संगठन है।
- संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी के रूप में, **UNDP देशों के सतत विकास लक्ष्यों**[24] **को हासिल करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**
- **इसका कार्य तीन क्षेत्रों में केंद्रित है:**
    - संधारणीय विकास (Sustainable development);
    - लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण (Democratic governance and peace building); और
    - जलवायु और आपदा लचीलापन (Climate and disaster resilience)

ऑक्सफ़ोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI)

- यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में **ऑक्सफोर्ड अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के भीतर एक आर्थिक अनुसंधान केंद्र है।**
- इसका उद्देश्य लोगों के अनुभवों और मूल्यों में अंतर्ग्रस्त बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए **अधिक व्यवस्थित कार्यप्रणाली और आर्थिक ढांचे का निर्माण और उन्नति करना है।**
- OPHI का कार्य **अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण पर आधारित है** और यह गरीबी कम करने के लिए नीतियों को सूचित करने वाले वास्तविक साधनों का निर्माण कर इस दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने के लिए काम करता है।

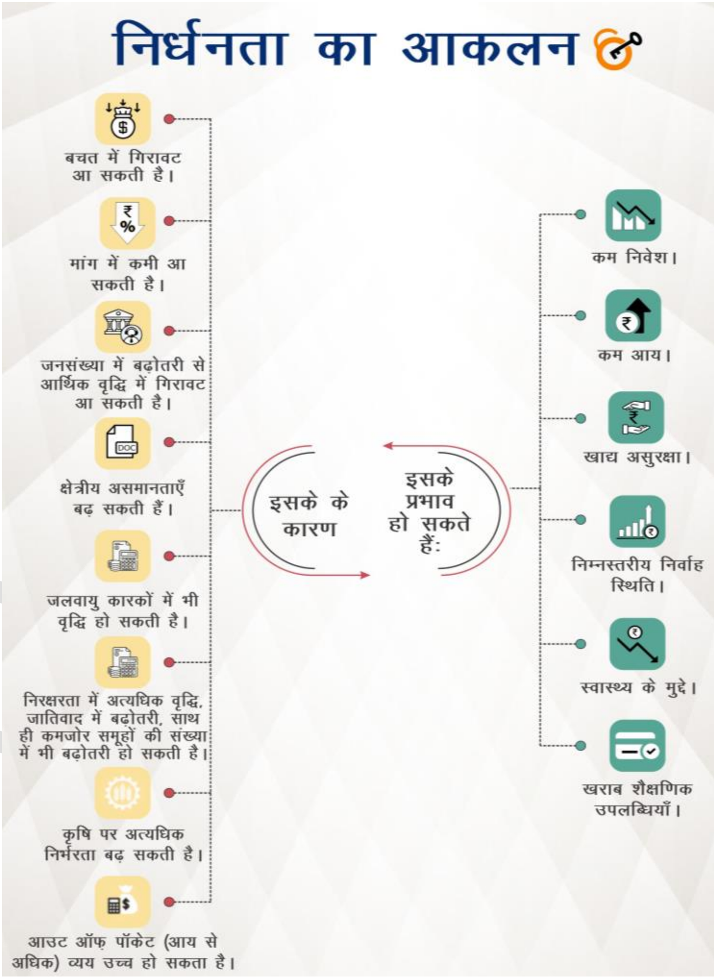

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (Multidimensional Poverty Index: MPI) के बारे में

- पहली बार वर्ष 2010 में UNDP और OPHI द्वारा विकसित किया गया MPI, निर्धनता के आकलन का एक साधन है। इसका UNDP की **मानव विकास रिपोर्ट** में उपयोग किया जाता है।
- यह सूचकांक या MPI का हेडकाउंट निर्धनता के तीन वृहद आयामों - **स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर** - पर आधारित है। यह एक साथ किसी व्यक्ति द्वारा सामना किए जाने वाले तीव्र अभावों (acute deprivations) के **10 संकेतकों** को कवर करता है।
- MPI का मान 0 से 1 तक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दस भारित संकेतकों में से तीन या अधिक से वंचित होता है, तो वैश्विक MPI में उसे **'MPI पुअर'** के रूप में पहचाना जाता है।
    - इसे, गरीबी की कुल गणना को गरीबी की तीव्रता से गुणा करके ज्ञात किया जाता है।

[22] Oxford Poverty & Human Development Initiative: OPHI

[23] National Multidimensional Poverty Index: Baseline Report and Dashboard

[24] Sustainable Development Goals: SDGs

© Vision IAS

- **'ग्लोबल MPI 2021: नृजातीयता, जाति और लिंग के आधार पर असमानताओं को उजागर करना'**[25] नामक शीर्षक जारी सूचकांक में, भारत 109 देशों में से 62वें स्थान पर था। भारत का MPI मान 0.123 (27.9% जनसंख्या बहुआयामी गरीब के रूप में) था।
- पहली बार, **'ग्लोबल MPI'** को **नृजातीयता या नस्ल** (उपलब्ध जानकारी वाले 40 देशों के लिए), **जाति** (भारत के लिए) और **घर के मुखिया के लिंग** (108 देशों के लिए) के आधार पर अलग-अलग किया गया है।
- **MPI में शीर्ष 5 देश:** भारत (2015/16) 38.1 करोड़, इसके बाद नाइजीरिया 9.3 करोड़, पाकिस्तान, इथियोपिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो का स्थान है।

गरीबी के आयाम	संकेतक	वंचित माना जाएगा, अगर ऐसे परिवार में रहते हैं जहां	भारांश
स्वास्थ्य	पोषण	70 साल से कम आयु का कोई वयस्क या कोई बच्चा जिसका पोषण स्तर पर्याप्त नहीं है।	1/6
	बच्चों की मौत (चाइल्ड मोर्टालिटी)	सर्वे की तारीख से पांच साल पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम के किसी वयस्क की मृत्यु हो गई हो।	1/6
शिक्षा	विद्यालय में पढ़ाई की अवधि (इयर्स ऑफ़ स्कूलिंग)	परिवार के किसी भी सदस्य ने विद्यालय जाने की आयु में विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया और छह साल तक पढ़ाई नहीं की या परिवार के बड़े सदस्य ने कम से कम छह सालों तक विद्यालय में पढ़ाई की।	1/6
	विद्यालय में हाजिरी (स्कूल अटेंडेंस)	विद्यालय जाने की आयु वाला कोई भी बच्चा उस आयु तक विद्यालय नहीं जा रहा जिस आयु में वह आठवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर लेगा।	1/6
जीवन स्तर	रसोई के ईंधन	परिवार में गोबर, लकड़ी, चारकोल या कोयले से भोजन बनता है।	1/18
	शौचालय	परिवार के पास उचित शौचालय सुविधा नहीं है (SDG दिशा–निर्देश के अनुसार) या उचित सुविधा है परंतु अन्य परिवारों के साथ इसे साझा किया जाता है।	1/18
	पेय जल	परिवार के पास पेयजल की सही सुविधा नहीं है (SDG दिशानिर्देश के अनुसार) या पेयजल की अच्छी व्यवस्था घर से कम से कम 30 मिनट की दूरी पर है।	1/18
	बिजली	परिवार के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है।	1/18
	आवास	छत, दीवार और फर्श के लिए तीन आवासीय सामग्रियों में से कम से कम एक अपर्याप्त है: फर्श मिट्टी की है और/या छत और/या दीवारें मिट्टी या लकड़ी की हैं।	1/18
	संपत्ति	परिवार के पास निम्नलिखित में से एक से अधिक संपत्ति नहीं है: रेडियो, टेलिविजन, टेलिफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजेरेटर और कार या ट्रक नहीं है।	1/18

नीति आयोग द्वारा तैयार बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

- यह सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक[26] पहल का एक हिस्सा है। यह नवीनतम सूचकांक UNDP और OPHI के MPI पर आधारित है।
- इसमें **स्वास्थ्य** और **जीवन स्तर** के आयामों के तहत **दो अतिरिक्त संकेतक,** यथा- **प्रसवपूर्व देखभाल** और **बैंक खाता** शामिल हैं।
- भारत की पहली राष्ट्रीय MPI माप की यह आधारभूत रिपोर्ट **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण**[27] **की** वर्ष **2015-16 की संदर्भ अवधि पर आधारित है।**
- MPI, गरीबी मापने का एक सेट है। इसे नीचे इन्फोग्राफिक में इस प्रकार समझाया गया है:

MPI से संबंधित नीति आयोग के मानदंड

आयाम	भारांश		संकेतक	परिवार वंचित माना जाएगा, यदि
स्वास्थ्य	1/3	1/6	पोषण	एक परिवार वंचित माना जाएगा यदि उस परिवार का कोई भी 0 से 59 महीने का बच्चा या 15 से 49 वर्ष के बीच की महिला या 15 से 54 वर्ष के बीच का पुरुष, जिसकी पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध है, और वो अल्पपोषित पाया जाता है।
		1/12	बाल एवं किशोर मृत्यु दर	सर्वे की तारीख से पांच साल पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम के किसी वयस्क की मृत्यु हो गई हो।
		1/12	प्रसवपूर्व देखभाल	परिवार वंचित माना जाएगा यदि, सर्वेक्षण शुरू होने से पांच वर्ष के भीतर कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और उसने अपने सबसे कम आयु वाले बच्चे को जन्म देने के दौरान कम से कम चार प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त न की हो या किसी कुशल चिकित्सा कर्मी द्वारा कोई सहायता प्राप्त न की हो।
शिक्षा	1/3	1/6	स्कूल शिक्षा के वर्ष	परिवार का 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी ना कर पाया हो।
		1/6	विद्यालय में हाजिरी (स्कूल अटेंडेंस)	स्कूल जाने योग्य एक भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल ना जा पाया हो जब तक उसे कक्षा 8 में होना चाहिए।
जीवन स्तर	1/3	1/21	कुकिंग फ्यूल	परिवार गोबर, कृषिगत फसलों, झाड़ियों, लकड़ी, चारकोल या कोयले से भोजन पकाता हो।
		1/21	सैनिटेशन	परिवार के पास उन्नत या कोई भी सैनिटेशन सुविधा न हो,या उन्नत सुविधा हो लेकिन अन्य परिवार भी उसमें भागीदारी करते हों।
		1/21	पेयजल	परिवार के पास पेयजल की सही सुविधा नहीं है या पेयजल की अच्छी व्यवस्था घर से कम से कम 30 मिनट की दूरी पर है।
		1/21	बिजली	परिवार के पास बिजली की सुविधा ना हो।
		1/21	आवास	परिवार के पास उपयुक्त आवास ना हो: फर्श, प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई गई हो और/या छत या दीवारें मिट्टी या लकड़ी की हैं।
		1/21	परिसंपत्ति	परिवार के पास निम्नलिखित में से एक से अधिक संपत्ति नहीं है: रेडियो, टेलिविजन, टेलिफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजेरेटर और कार या ट्रक नहीं है।
		1/21	बैंक खाता	परिवार के किसी भी सदस्य के पास बैंक खाता या डाक घर खाता ना हो।

25 Global MPI 2021: Unmasking disparities by ethnicity, caste and gender

26 Global Indices for Reforms and Growth: GIRG

27 National Family Health Survey: NFHS

राष्ट्रीय MPI के प्रमुख निष्कर्ष

राष्ट्रीय स्तर पर MPI की गणना के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों एवं सभी जिलों के लिए प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- **राष्ट्रीय MPI: राष्ट्रीय स्तर पर MPI का मान 0.155** है, **ग्रामीण स्तर पर MPI का मान 0.118** और **शहरी स्तर पर MPI का मान 0.04** है (इस गणना में **MPI** का रेंज **0** से **1** के बीच है, जहाँ उच्च मान का आशय उच्च निर्धनता से है)।
- **सबसे ज़्यादा निर्धनता वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:** बिहार की 51.91% आबादी गरीब है, इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है।
- **सबसे कम निर्धनता वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:** केरल में केवल 0.71% आबादी गरीब है, इसके बाद पुडुचेरी और लक्षद्वीप का स्थान है।

भारत में गरीबी को परिभाषित करने के पूर्ववर्ती प्रयास

- भारत में **दादाभाई नौरोजी** ने वर्ष 1901 में अपनी पुस्तक **'पॉवर्टी एंड द अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया'** में स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी को परिभाषित करने का पहला प्रयास किया था।
  - इसके बाद वर्ष 1938 में **नेशनल प्लानिंग कमेटी (NPC)** ने और वर्ष 1944 में **'बॉम्बे प्लान'** में गरीबी रेखा को परिभाषित किया।
- स्वतंत्रता के बाद, वर्ष 1962 में **प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप;** वर्ष 1971 में **दांडेकर और रथ;** वर्ष 1979 में **अलघ समिति;** वर्ष 1993 में **लकड़ावाला समिति;** वर्ष 2009 में **तेंदुलकर समिति** और वर्ष 2014 में **रंगराजन समिति** ने इसे अपने मापदंडों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया।

1.4.2. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रथम समग्र **वित्तीय समावेशन सूचकांक** {Financial Inclusion Index (FI-Index)} जारी किया है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (FII) के बारे में

- वित्तीय समावेशन सूचकांक (FII) देश भर में **वित्तीय समावेशन के परिमाण का पता लगाने के लिए एक व्यापक सूचकांक है।** यह **"वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति[28]: 2019-2024"** के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुरूप है।
- यह सरकार और नियामकों के परामर्श से **बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ पेंशन क्षेत्रक के विवरण को शामिल करता है।**
- यह **0 से 100 के पैमाने पर वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है,** जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण (complete financial exclusion) को और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन (full financial inclusion) को दर्शाता है।
- कुछ निर्दिष्ट भारांशों के साथ **मोटे तौर पर तीन मापदंड** हैं - पहुँच (access) (35 प्रतिशत), उपयोग (access) (45 प्रतिशत) और गुणवत्ता (quality) (20 प्रतिशत)। प्रत्येक मापदंड में विभिन्न आयाम होते हैं जिनकी गणना **97 संकेतकों** के आधार पर की जाती है।

[28] National Strategy for Financial Inclusion: NSFI

* **वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक का कोई आधार वर्ष नहीं** है, इसलिए यह वित्तीय समावेशन की दिशा में विगत कुछ वर्षों के दौरान सभी हितधारकों के संचयी प्रयासों को दर्शाता है।

वित्तीय समावेशन की दिशा में अन्य पहल

RBI द्वारा	**वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (National Strategy for Financial Inclusion: NSFI) (2019-2024):** वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए व अलग-अलग कार्रवाई को एकीकृत कर राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को विस्तारित करने और बनाए रखने के लिए।
	वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Education: NSFE) (2020-2025): जनसंख्या के अलग-अलग वर्गों को **ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार** विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए, जो उनके धन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने तथा उनके भविष्य की योजना बनाने हेतु आवश्यक हैं।
सरकार द्वारा	**प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):** बैंक खाताधारक 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए।
	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): बैंक खाताधारक 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए।
	अटल पेंशन योजना (APY): 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बचत बैंक / डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए।

	प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY): एक किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में।
	
	• **इस योजना के उद्देश्य:**
	  ○ **समाज की मुख्यधारा से अलग-थलग पड़े वर्गों अर्थात्** सुभेद्य वर्ग और कम आय वाले समूहों को **आवश्यकता आधारित ऋण, बीमा और पेंशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित** करना।
	  ○ लागत कम करने और वित्तीय क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने के लिए **प्रौद्योगिकी** का उपयोग करना।
	पिछले सात वर्षों में PMJDY का प्रदर्शन
	• वर्ष 2021 तक **43.04 करोड़ खाते** खोले जा चुके थे। इनमें महिला खाताधारकों की संख्या आधे से ज्यादा है।
	  ○ इनमें से **86.5% खाते** चालू हैं।
	• दो-तिहाई खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। इनमें लगभग 5 करोड़ PMJDY खाताधारक अलग-अलग योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्राप्त कर रहे हैं।
	• **खातों के तहत जमा:** इसमें **वर्ष 2015 से वर्ष 2021 तक लगभग 6.38 गुना की वृद्धि** हुई है।
	• **जन धन दर्शक ऐप** का निर्माण किया गया है।
	• यह बैंक शाखाओं, ए.टी.एम., बैंक मित्रों, डाकघरों आदि **जैसे बैंकिंग टच पॉइंट्स का पता लगाने के** एक **नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म** है। दूसरे शब्दों में, इस ऐप के जरिये ग्राहक आसानी से आस-पास के बैंक शाखाओं, ए.टी.एम., डाकघरों, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि का पता लगा सकते हैं। इस ऐप में 8 लाख से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट्स को शामिल किया गया है।
	• **5 कि.मी. के भीतर बैंकिंग टच पॉइंट्स की सेवा प्राप्त नहीं करने वाले गांवों की पहचान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है।**

1.5. राजकोषीय नीति से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and information on Fiscal Policy)

ऋण-GDP अनुपात (Debt to GDP ratio)	• यह किसी देश के **सार्वजनिक ऋण का उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से अनुपात** है। यह किसी देश की अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता को इंगित करता है। ○ राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) अधिनियम ने **केंद्र के ऋण-से-जीडीपी अनुपात को वर्ष 2024-25 तक घटाकर 40 प्रतिशत तक लाना** और राज्यों के ऋण-से-जीडीपी अनुपात को 20 प्रतिशत तक लाना अनिवार्य किया है।
राजकोषीय घाटा	• राजकोषीय घाटा, सरकार की कुल आय (कुल करों एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों) और उसके कुल व्यय के मध्य का अंतर होता है।

	• **राजकोषीय घाटा** = सरकार का कुल व्यय (पूँजीगत और राजस्व व्यय) - सरकार की कुल आय (राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणों की वसूली + अन्य प्राप्तियाँ)
रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों का विभाजन (Strategic - Non-strategic sector bifurcation)	• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) में विनिवेश के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए। • ये दिशा-निर्देश नई सार्वजनिक उपक्रम नीति को लागू करने के लिए **गैर-रणनीतिक CPSE के निजीकरण, विलय, बंद या सहायकीकरण (subsidiarisation)** के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। • **मुख्य उद्देश्य:** सरकार पर वित्तीय बोझ कम करना, प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन लागू करना, स्वामित्व के व्यापक हिस्से को प्रोत्साहित करना आदि।
आई.टी.ए.टी. ए-द्वार (ITAT e-dwar)	• यह **विधि और न्याय मंत्रालय** द्वारा आरंभ किया गया **आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT)** संचालित एक **ई-फाइलिंग पोर्टल** है। • इसका उद्देश्य ITAT की दैनिक कार्यप्रणाली में **पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता** में वृद्धि करना है। • इससे कागज के उपयोग में कमी होगी, लागत न्यून होगी और मामलों के निर्धारण के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप मामलों के त्वरित निपटान को बढ़ावा मिलेगा।
प्रभावी प्रबंध का स्थान {Place of Effective Management (POEM)}	• कोविड -19 के उपरांत **हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल (HNI) व्यक्तियों** द्वारा **व्यावसायिक व पारिवारिक वर्धित पलायन के साथ**, POEM का उल्लंघन करने का जोखिम बढ़ गया है। • **आयकर अधिनियम,1961 की धारा 6 के अंतर्गत-** "प्रभावी प्रबंध का स्थान" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां किसी अस्तित्व के संपूर्ण कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक विनिश्चय, सारवान रूप से किए जाते हैं। • इसे वर्ष 2017-18 में भारत में अधिवास स्थिति और इसके कारण आरोपित होने वाले कर से बचने के लिए भारत के बाहर नियंत्रण एवं प्रबंधन से संबंधित निरर्थक या अलग-थलग प्रकरणों को कृत्रिम रूप से स्थानांतरित करके **भारतीय कर प्राधिकारियों के दायरे को सीमित करने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए** प्रस्तुत किया गया था।
अनुपूरक अनुदान (Supplementary grant)	• सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए **आवश्यक अतिरिक्त अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहा जाता है।** इस अनुदान का उल्लेख **संविधान के अनुच्छेद 115** के तहत किया गया है।
गिनी गुणांक (Gini Coefficient)	• **गिनी सूचकांक**, या **गिनी गुणांक,** विश्व स्तर पर **आय वितरण असमानताओं** को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला लोकप्रिय उपकरण है। ○ **लॉरेंज वक्र** इस असमानता का चित्रमय प्रतिनिधित्व है और गिनी गुणांक से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। • इस गुणांक में 0 (या 0%) से लेकर 1 (या 100%) तक के मान होते हैं, जिसमें 0 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है और 1 पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। 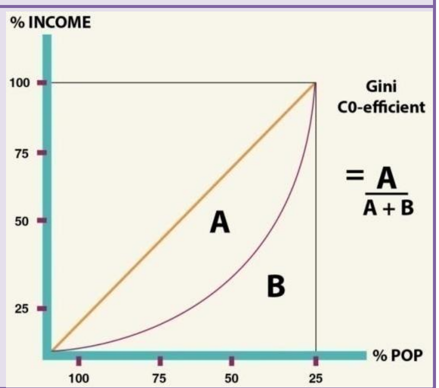

© Vision IAS

K-आकार की रिकवरी (K-shaped recovery)	• K-आकार की रिकवरी तब होती है, **जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत भिन्न-भिन्न दरों में रिकवरी** होती है। कुछ उद्योग और व्यक्ति यद्यपि मंदी से बाहर निकल आते हैं, जबकि अन्य स्थिर बने रहते हैं। • भारत के **रियल एस्टेट क्षेत्र में K-आकार की रिकवरी** दृष्टिगत हुई है, जहां **आवासीय क्षेत्र** में स्वस्थ संवृद्धि परिलक्षित हुई है, वहीं **कार्यालय क्षेत्र** में संवृद्धि मंद रही है। • **रोजगार बाजार में भी K-आकार की रिकवरी दृष्टिगोचर हुई है:** निम्न-कुशल श्रमिकों को अनुपातहीन रूप से उनकी नौकरी की क्षति हुई है, जबकि वित्तीय व सेवा क्षेत्र में रोजगार हानि का अधिक प्रभाव दृष्टिगत नहीं हुआ है।

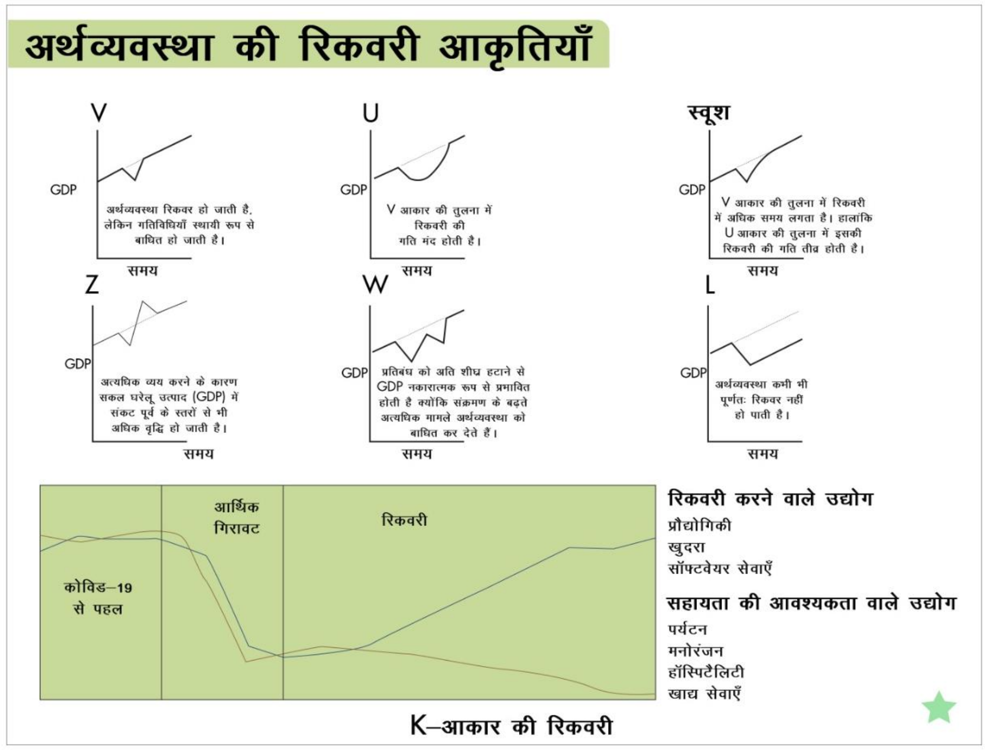

2. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (BANKING AND MONETARY POLICY)

2.1. बैंकिंग (Banking)

2.1.1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण {Privatisation of Public Sector Banks (PSBs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त सचिव ने कहा है कि सरकार अधिकतर **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का** 'अंततः' **निजीकरण** करेगी। साथ ही, इस क्षेत्र में सरकार अपनी **उपस्थिति को भी न्यूनतम बनाए रखेगी।**

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBS)

- D-SIB का अर्थ है कि ये बैंक **इतने विशाल हैं कि इन्हें असफल नहीं होने दिया जा सकता।** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, कुछ बैंक अपने आकार, भिन्न-भिन्न देशों में गतिविधियों, जटिलता तथा विकल्प की कमी और पारस्परिक संबंध के कारण व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
- जिन **बैंकों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक है,** उन्हें इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। **भारतीय स्टेट बैंक (SBI), ICICI बैंक और HDFC बैंक** को D-SIB की श्रेणी में रखा गया है।
- संरचना के अनुसार, वर्ष 2015 से, **RBI को D-SIBs के रूप में नामित बैंकों के नामों का खुलासा करना होता है।**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लाभ

- उच्च स्तर के पेशेवर प्रबंधन के चलते **मानव संसाधन का प्रबंधन बेहतर** हो जाता है।
- बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता से **बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता** आती है।
- लागत प्रभावी सेवाओं और उच्च ग्राहक संतुष्टि के लिए **नवाचार एवं विशेषज्ञता को बढ़ावा** मिलता है।
- **बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण कवरेज की दक्षता** उन्हें शहरी और अर्ध-शहरी उपभोक्ताओं को बनाए रखने और आकर्षित करने में मदद करती हैं।

PSBs के निजीकरण से संबंधित चिंताएँ

- **कमजोर वर्गों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बाधा:** निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने लाभ कमाने के उद्देश्यों के कारण आबादी के संपन्न वर्गों और महानगरीय/शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- इससे युवाओं, खासकर आरक्षण पाने वाले वंचित तबके के लोगों के लिए **रोजगार का अवसर घट जाता है।**
- **जमा राशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता: PSBs** के निजीकरण से **PSBs में जमा राशियों** के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली संप्रभु गारंटी समाप्त हो जाएगी।

- **बैंकों की विफलता के व्यापक आर्थिक प्रभाव:** वर्ष 1947 से 1969 तक **बैंकों की विफलता की 665 घटनाएं** हुईं। इसके परिणामस्वरूप ही वर्ष 1969 में **बैंकों का राष्ट्रीयकरण** करने का कार्य किया गया।

© Vision IAS

PSBs को मजबूत करने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम

- **इन्हैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस** (EASE) की शुरुआत वित्त वर्ष 2019 में की गई थी। यह एक विशिष्ट सुधार सूचकांक पर आधारित **PSBs** के सुधार एजेंडा का एक हिस्सा है।
    - ईज़ 4.0 के तहत वर्ष 2021-22 में नए सुधार किए गए। इसके तहत **ग्राहक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन** के एजेंडे को आगे बढ़ाने तथा PSBs की कार्यप्रणाली में डिजिटल प्रौद्योगिकी और डेटा को अच्छी तरह से शामिल करने पर बल दिया गया था।
- **MSMEs** और **खुदरा ग्राहकों** को डिजिटल ऋण देने के लिए **PSBloansin59minutes.com** का शुभारंभ किया गया और ट्रेड्स यानी व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली[29] अपनायी गई।
- बैंक बोर्ड्स को मार्केट-लिंक्ड मुआवजे के लिए **बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी[30] को बाजार से नियुक्त करने का अधिकार** दिया गया है।
- सरकार द्वारा **3.17 लाख करोड़ रुपये** डाले गए हैं और स्वयं बैंकों द्वारा **2.49 लाख करोड़ रुपये** से अधिक की राशि जुटाई गई है।

2.1.2. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action: PCA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने **वाणिज्यिक बैंकों के लिए संशोधित मानदण्ड** जारी किया है, जिन्हें 1 जनवरी, 2022 से **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क** के अंतर्गत रखा जाना है।

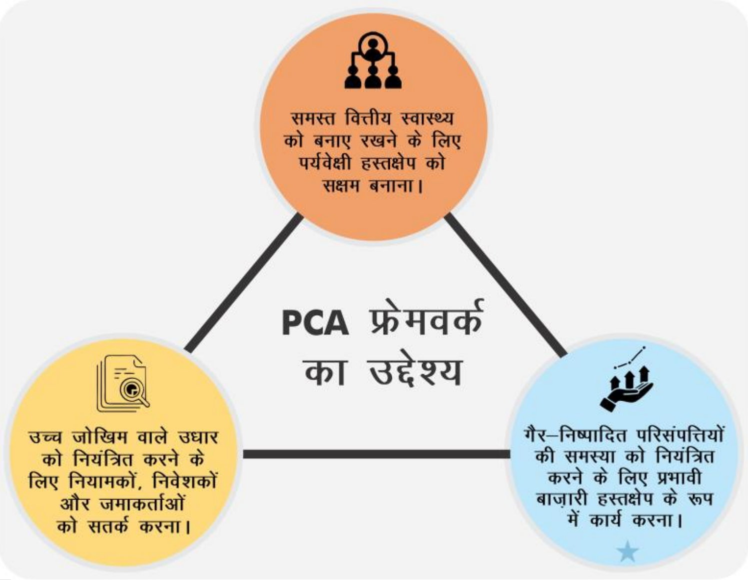

अन्य संबंधित तथ्य

- RBI ने कमजोर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों[31] पर विनियमन को कठोर करने के लिए **PCA फ्रेमवर्क** जारी किया है।
- **इसमें शामिल होंगी: NBFCs-D** यानी जमा स्वीकार करने वाली सभी NBFCs (सरकारी कंपनियों को छोड़कर); **कोर निवेश कंपनियों[32] सहित मिडिल, अपर और टॉप स्तर पर गैर-जमा श्रेणी की NBFCs (NBFCs-ND)** {इसमें शामिल नहीं हैं - (i) ऐसी NBFCs, जो सार्वजनिक निधियों को स्वीकार नहीं करती हैं/नहीं करना चाहती हैं; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक डीलर और (iv) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां}।

PCA के बारे में

- यह एक ऐसा फ्रेमवर्क या कार्यढांचा है, जिसके अंतर्गत **कमजोर वित्तीय संकेत देने वाले बैंकों को RBI की निगरानी में रखा जाता है।**
- **वर्ष 2002 में RBI ने PCA फ्रेमवर्क** को उन बैंकों के लिए एक ढांचागत आरंभिक-हस्तक्षेप प्रणाली के रूप में **पेश किया** जो खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता के कारण अल्प-पूंजीकृत हो जाते हैं, या मुनाफ़ा न कमाने के कारण असुरक्षित हो जाते हैं।
- **वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद[33] और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग[34]** की सिफारिशों के आधार पर इस फ्रेमवर्क या कार्यढांचे की **वर्ष 2017 में समीक्षा की गई** थी।

---

[29] Trade Receivables Discounting System: TReDS

[30] Chief Risk Officer

[31] Non-Banking Financial Companies: NBFCs

[32] Core Investment Companies: CICs

[33] Financial Stability and Development Council: FSDC

[34] Financial Sector Legislative Reforms Commission: FSLRC

PCA फ्रेमवर्क में हाल में लाए गए बदलाव

- **PCA के लिए मापदंड: पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और उत्तोलन या लेवरिज,** ये 3 मापदंड या पैरामीटर हैं जो संशोधित कार्यढांचे में निगरानी के प्रमुख क्षेत्र होंगे। इसमें गंभीरता के बढ़ते क्रम में **1 से 3 तक तीन जोखिम सीमाएं** होंगी।
  - संशोधित कार्यढांचे में संकेतक के रूप में **परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ या रिटर्न ऑन एसेट को हटा दिया गया है।**
- **PCA की व्यावहारिकता और मानदंड (PCA applicability and criteria):** PCA कार्यढांचा या फ्रेमवर्क **भारत में संचालित सभी बैंकों पर लागू होगा, जिनमें शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालन करने वाले विदेशी बैंक भी शामिल** हैं। यह पहचान किए गए संकेतकों की जोखिम सीमा[35] के उल्लंघन पर आधारित है।
  - हालांकि, **भुगतान या पेमेंट बैंकों और लघु वित्त बैंकों (SFBs),** जहां त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है, **को ऋणदाताओं की सूची से हटा दिया गया है।**
- किसी बैंक को **लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों[36] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे पर्यवेक्षी मूल्यांकन[37]** के आधार पर PCA कार्यढांचे में रखा जाएगा।
- **प्रवेश:** RBI **एक वर्ष की अवधि के दौरान बीच में भी** (एक सीमा से दूसरी सीमा में स्थानांतरण सहित) **किसी भी बैंक पर PCA लागू कर सकता है,** यदि परिस्थितियां ऐसी बन गई हों।
- **एग्जिट या PCA से बाहर निकलना और PCA के अंतर्गत प्रतिबंधों को हटाया जाना:** यदि लगातार चार तिमाही के वित्तीय विवरणों में किसी भी मापदंड या पैरामीटर में जोखिम सीमा का उल्लंघन नहीं देखा जाता है, और साथ ही इनमें से एक का (RBI द्वारा मूल्यांकन के अधीन) लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण[38] होना चाहिए।
- **PCA के अंतर्गत रखे जाने के बाद बैंक के लिए निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाई:**

RBI द्वारा की जाने वाली अनिवार्य एवं विवेकाधीन कार्रवाई		
विनिर्देश	अनिवार्य कार्रवाई	विवेकाधीन कार्रवाई
जोखिम सीमा 1 (Risk Threshold 1)	• **लाभांश वितरण / लाभ के प्रेषण (भेजने) पर प्रतिबंध।** • प्रमोटर/मालिकों/जनक (Parent) (**विदेशी बैंक** की स्थिति में) को पूंजी जुटाना पड़ता है। • ग्रुप कंपनियों की ओर से कोई अन्य आकस्मिक देयता लेने या गारंटी जारी करने पर प्रतिबंध (केवल CICs के लिए)	सामान्य विकल्प • विशेष पर्यवेक्षी कार्रवाई (Special Supervisory Actions) • रणनीति संबंधी • प्रशासन संबंधी • पूंजी संबंधी • ऋण जोखिम संबंधी • बाजार जोखिम संबंधी • मानव संसाधन (HR) संबंधी • लाभप्रदता संबंधी • संचालन/कारोबार संबंधी • अन्य
जोखिम सीमा 2	जोखिम सीमा 1 की अनिवार्य कार्रवाइयों के अतिरिक्त, • **शाखा विस्तार पर प्रतिबंध**; घरेलू और/या विदेशी	
जोखिम सीमा 3	जोखिम सीमा 1 और 2 की अनिवार्य कार्रवाइयों के अतिरिक्त, • बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर **तकनीकी उन्नयन के लिए किए जाने वाले व्यय के अतिरिक्त अन्य सभी पूंजीगत व्यय पर उचित प्रतिबंध।** • परिवर्तनीय परिचालन लागत पर प्रतिबंध/ में गिरावट (NBFCs के लिए)	

- हालांकि, PCA के अंतर्गत आने पर भी, **ऐसे बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों / अन्य उच्च गुणवत्ता वाले तरल निवेशों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है।**

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और उनके विनियमन के बारे में

- NBFCs को गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। ये वे संस्थाएं हैं जो बैंक जैसी कुछ सेवाएं और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। इसमें कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री (प्रतिभूतियों के अलावा) के मूल व्यवसाय करने वाली अथवा कोई सेवा प्रदाता और अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद/निर्माण संबंधी गतिविधियों वाली संस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है।
  - इनका मूल व्यवसाय वित्तीय गतिविधियों से जुड़ा होता है। ऐसी गतिविधियों में **कंपनी की संपत्ति का 50% से अधिक और सकल आय का 50% से अधिक हिस्सा** शामिल होता है।

---

[35] thresholds of identified indicators

[36] Audited Annual Financial Results

[37] Supervisory Assessment

[38] Audited Annual Financial Statement

 © Vision IAS

जमा स्वीकार करने वाले– गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs&D) और गैर–जमा स्वीकार करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs&ND) के लिए PCA ढांचा

संकेतक	जोखिम सीमा 1	जोखिम सीमा 2	जोखिम सीमा 3
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR)	रेगुलेटरी मिनिमम (नियामकीय तौर पर न्यूनतम) CRAR से नीचे लगभग 300 आधार अंकों तक (वर्तमान में CRAR <15% से कम किन्तु ≥12% के समतुल्य या उससे अधिक रखा गया है।)	रेगुलेटरी मिनिमम CRAR से नीचे लगभग 300 आधार अंकों से अधिक किन्तु अधिकतम 600 आधार अंकों तक (वर्तमान में, CRAR <12% से कम किन्तु ≥9% के समतुल्य या उससे अधिक रखा गया है।)	रेगुलेटरी मिनिमम CRAR से नीचे लगभग 600 आधार अंकों से अधिक (वर्तमान में, CRAR <9% से कम रखा गया है।)
टीयर 1 पूंजी अनुपात	रेगुलेटरी मिनिमम टीयर 1 पूंजी अनुपात से नीचे लगभग 200 आधार अंकों तक (वर्तमान में, टीयर 1 पूंजी अनुपात <10% से कम किन्तु ≥ 8% के समतुल्य या उससे अधिक रखा गया है।)	रेगुलेटरी मिनिमम टीयर 1 पूंजी अनुपात से नीचे लगभग 200 आधार अंकों से अधिक किन्तु 400 आधार अंकों तक (वर्तमान में, टीयर 1 पूंजी अनुपात <8% से कम किन्तु ≥ 6% के समतुल्य या उससे अधिक रखा गया है।)	रेगुलेटरी मिनिमम टीयर 1 पूंजी अनुपात से नीचे लगभग 400 आधार अंकों से अधिक (वर्तमान में, टीयर 1 पूंजी अनुपात <6% से कम रखा गया है।)
गैर निष्पादित निवेश (NPIs) को शामिल करते हुए कुल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (NNPAs)	>6% से अधिक किन्तु ≥9% के समतुल्य या उससे कम निर्धारित किया गया है।	>9% किन्तु ≥12% के समतुल्य या उससे कम निर्धारित किया गया है।	>12% से अधिक

- **NBFCs की बैंकों से भिन्नता:** NBFCs मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स स्वीकार नहीं कर सकती हैं; ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं; ये स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती हैं; और NBFCs के जमाकर्ताओं के लिए DICGC[39] सुविधा उपलब्ध नहीं होती है।
- **विनियमन:** NBFCs को RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। हालांकि कुछ NBFCs को सेबी, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), राष्ट्रीय आवास बैंक आदि द्वारा भी विनियमित किया जाता है ताकि दोहरे विनियमन से बचा जा सके।
- **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFCs:** वे NBFCs, जिनकी परिसंपत्ति का आकार ₹500 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण[40] NBFCs माना जाता है। उदाहरण के लिए- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFCL), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RECL) आदि।

NBFCs का विनियमन: संशोधित स्केल-आधारित नियामक (SBR) ढांचा {Revised Scale-Based Regulatory (SBR) Framework}

- हाल ही में, RBI ने NBFCs के लिए एक संशोधित स्केल-आधारित नियामक ढांचा प्रस्तुत किया।
- संशोधित नियामक ढांचे **(1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होने वाले)** के तहत, उन्हें उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर **चार लेयर्स/स्तरों के साथ एक स्केल-आधारित नियामक (SBR) ढांचे के अधीन लाया जाएगा** (इन्फोग्राफिक देखें)।

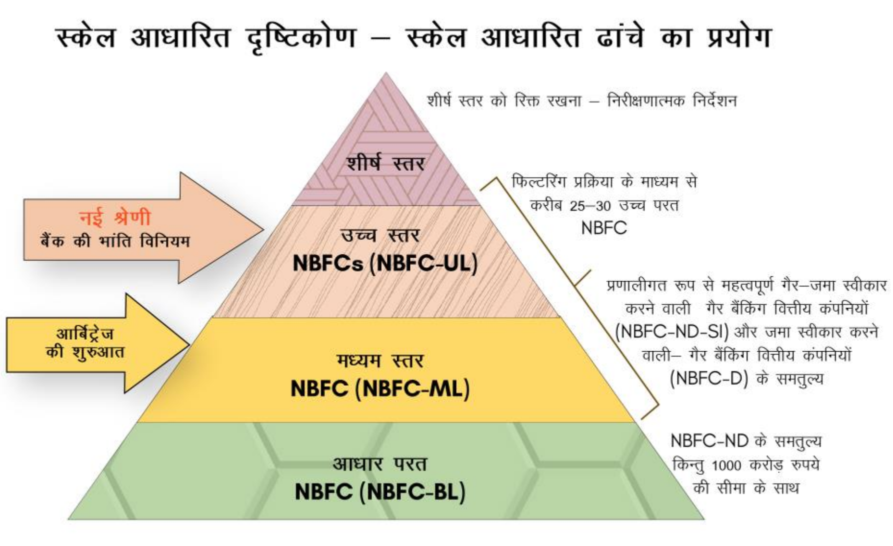

- **बेस लेयर:** इसमें 1,000 करोड़ रुपये से कम आस्ति (एसेट्स) के आकार वाली NBFC-ND और निम्नलिखित गतिविधियों वाली NBFCs शामिल हैं- P2P लेंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर, गैर-परिचालनरत वित्तीय होल्डिंग कंपनी और सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं करने वाली NBFCs, जिनका कोई ग्राहक इंटरफेस नहीं है।

मिडिल लेयर: इसमें किसी भी एसेट या आस्ति आकार की जमा राशि स्वीकार करने वाली NBFCs तथा 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमा राशि स्वीकार करने वाली NBFCs-ND और निम्नलिखित गतिविधियों वाली NBFCs शामिल हैं: स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (SPDs), इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड , कोर इंवेस्टमेंट कंपनी (CICs), आवास वित्त कंपनी (HFCs) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (IFCs)।

अपर लेयर: आस्ति के आकार के अनुसार शीर्ष दस पात्र NBFCs हमेशा अपर लेयर में शामिल होंगी। साथ ही इसमें वे सभी NBFCs शामिल होंगी जिनकी पहचान विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए मापदंडों और स्कोरिंग पद्धति के आधार पर बढ़ी हुई नियामक आवश्यकता के अनुरूप की गई है।

टॉप लेयर: यह आदर्श स्थिति में रिक्त रहेगी। इस लेयर में कोई NBFC तब शामिल हो सकती है, यदि रिज़र्व बैंक की यह राय है कि टॉप लेयर में किसी विशिष्ट NBFC से संभावित प्रणालीगत जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ऐसी NBFC अपर लेयर से टॉप लेयर में जाएगी।

[39] Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

[40] Systemically important

नए SBR ढांचे ने निम्नलिखित बदलाव किये हैं:

- मौजूदा NPA वर्गीकरण मानदंड NBFCs की सभी श्रेणियों के लिए **मार्च 2026 तक 90 दिनों का होगा;**
- IPO से पैसा जुटाने के लिए **प्रति उधारकर्ता 1 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा** होगी;
- **बैंक/NBFC में कार्य का अनुभव रखने वाले** कम-से-कम एक निदेशक को नियुक्त करना होगा;
- मिडिल और अपर लेयर में NBFC के लिए पूंजी संबंधी दिशा-निर्देशों में परिवर्तन किए गए हैं;
- **संशोधित गवर्नेंस दिशा-निर्देश** (उदाहरण के लिए, मुख्य अनुपालन अधिकारी) और कुछ ही जगहों पर क्रेडिट कंसंट्रेशन / संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोजर[41] पर विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश, इत्यादि।

2.1.3. भुगतान बैंक (Payment Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक आदि जैसे कई भुगतान बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है।

अनुसूचित बैंक का दर्जा और उसके लाभ

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की **दूसरी अनुसूची** में शामिल सभी बैंक अनुसूचित बैंक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
    - इन बैंकों में **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक** शामिल हैं।
- **अनुसूचित बैंक का दर्जा, बैंकों को** नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करने, सरकार और अन्य बड़े निगमों द्वारा जारी **रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल,** प्राथमिक नीलामी, निश्चित और परिवर्तनीय दर वाले रेपो एवं रिवर्स रेपो में भाग लेने में सक्षम बनाता है।
- ऐसे बैंक **सीमांत स्थायी सुविधा**[42] में भी भाग ले सकते हैं और वे सरकार द्वारा संचालित **वित्तीय समावेशन की योजनाओं में भागीदार बनने के पात्र** होते हैं।
- वे बैंक दर पर **RBI से पुनर्वित्त सुविधा (refinancing facility)** के लिए पात्र होते हैं। वे **समाशोधन गृह (clearing house)** की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, वे **मुद्रा भंडारण सुविधा (currency storage facility)** तक पहुंच प्राप्त करते हैं।

पेमेंट्स बैंक के बारे में

- वर्ष 2013 में **नचिकेत मोर समिति** की सिफारिशों के आधार पर **पेमेंट्स बैंक** के गठन हेतु मंजूरी दी गयी थी।
- इसे **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत **पंजीकृत करना पड़ता** है। इसके लिए **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के तहत **लाइसेंस** लेना होता है।
- पेमेंट्स बैंक की **न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी**[43] 100 करोड़ रुपये है। इसके लिए **न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात**[44] **15%** बनाए रखना आवश्यक है।
- पेमेंट्स बैंक के प्रमोटरों को **शुरू के 5 वर्षों** के लिए अपनी **चुकता इक्विटी पूंजी का कम-से-कम 40% हिस्सा** बनाये रखना पड़ता है।
- प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप का **मौजूदा SCB के साथ संयुक्त उद्यम** हो सकता है।
- वे बिना किसी क्रेडिट जोखिम के छोटे पैमाने पर काम करते हैं (वे ऋण नहीं दे सकते या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते)।

[41] Sensitive Sector Exposure

[42] Marginal Standing Facility: MSF

[43] paid-up equity capital

[44] Capital Adequacy Ratio: CAR

- वे **डिमांड डिपॉजिट्स यानी मांग जमा (1 लाख रुपये तक)** स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही, वे **रेमिटेंस यानी विप्रेषण सेवाएं, मोबाइल भुगतान/ धन अंतरण/ खरीद और अन्य बैंकिंग सेवाएं** भी प्रदान कर सकते हैं।
- इसे RBI के द्वारा निर्धारित **नकद आरक्षित अनुपात**[45] बनाए रखना होता है और **सांविधिक तरलता अनुपात**[46] के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों/ ट्रेजरी बिलों में निवेश करना होता है।
- यह अस्थायी तरलता प्रबंधन के लिए **इंटर-बैंक अनकोलैटरलाइज़्ड कॉल मनी मार्केट** और **कोलैटरलाइज़्ड रेपो** और **CBLO**[47] **मार्केट** तक पहुँच स्थापित कर सकता है।
- हाल ही में, **सेबी** ने भुगतान बैंकों को **निवेश बैंकर** के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है, अर्थात् वे निगमों, सरकारों, या गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली जैसी अन्य संस्थाओं के लिए पूंजी जुटाने का काम कर सकते हैं।

2.1.4. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 {Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) (Amendment) Act, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, DICGC संशोधन अधिनियम, 2021 सुर्ख़ियों में रहा था।

DICGC के बारे में

- यह **DICGC अधिनियम, 1961** के तहत गठित की गई RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। **RBI के डिप्टी गवर्नर** इसके **पदेन अध्यक्ष** के रूप में कार्य करते हैं।
- यह वर्ष 1961 के DICGC अधिनियम और वर्ष 1961 के DICGC सामान्य विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। साथ ही, **DICGC** एक बीमित बैंक (insured banks) के जमाकर्ताओं को **बीमित जमा राशि**[48] का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
- यह बैंकिंग लाइसेंस जारी होने पर तुरंत और स्वचालित रूप से एक बैंक को बीमाधारक के रूप में पंजीकृत करता है।
- सभी बीमित बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे DICGC को **जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान** करें। इसी बीमा के एवज में निम्नलिखित में से कोई घटना घटने पर DICGC जमाकर्ताओं को बीमित जमा राशि का भुगतान करता है:
  - **परिसमापन (Liquidation)** (बैंक बंद होने पर उसकी सभी परिसंपत्तियों की बिक्री), किसी योजना के तहत **पुनर्गठन (Reconstruction),** या कोई अन्य व्यवस्था, या किसी अन्य बैंक द्वारा **विलय या अधिग्रहण** होने पर।
- इसमें सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल होते हैं, जिनमें भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत लोकल एरिया बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं।
- पिछले बजट में, जमा बीमा कवर को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता कर दिया गया था। इसके चलते मार्च 2021 के अंत तक कुल 252.6 करोड़ खातों में से 98.1% या कुल आकलन योग्य जमा[49] का 50.9% भाग पूरी तरह से बीमा कवर के अंतर्गत शामिल था।
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 80% खाते पूरी तरह से संरक्षित हैं तथा ये कुल आकलन योग्य जमा का लगभग 20 से 30% हैं।
  - बैंक-समूह के अनुसार, कुल जमा की तुलना में बीमित जमा का प्रतिशत RRB के लिए 84%, सहकारी बैंकों के लिए 70%, SBI के लिए 59%, PSBs के लिए 55%, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 40% और विदेशी बैंकों के लिए 9% है।

DICGC (संशोधन) अधिनियम, 2021 की प्रमुख विशेषताएं

- जमाकर्ताओं को **90 दिनों (अधिकतम) की समय सीमा के भीतर DICGC से अंतरिम भुगतान** पाने की सुविधा की शुरुआत की गयी है।
- बैंकों की ओर से DICGC को समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित किया गया है। इसमें देरी होने पर बैंकों पर **दंडात्मक ब्याज** लगाने का प्रावधान किया गया है।

---

45 Cash Reserve Ratio: CRR

46 Statutory Liquid Ratio: SLR

47 Collateralized Borrowing and Lending Obligation

48 insured deposit amount

49 total assessable deposits

VISION IAS

- प्रीमियम पर 15 पैसे (0.15%) की पूर्व सीमा को हटाया गया है। अब RBI से मंजूरी लेकर DICGC द्वारा प्रीमियम पर उच्चतम सीमा को अधिसूचित किया जाएगा।
- अपनी शर्तों पर बीमा भुगतान के बाद बीमाकृत बैंकों से देय पुनर्भुगतान को स्थगित करने के लिए DICGC बोर्ड को सशक्त बनाया गया है।

2.2. संपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्गठन (Asset Quality and Restructuring)

2.2.1. दिवाला और शोधन अक्षमता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद में **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021** पारित किया गया। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित दिवाला कार्यवाही का समाधान करने के लिए **"पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया (Pre-packaged Insolvency Resolution Process: PIRP)"** के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई।

IBC के बारे में

- **IBC, 2016** में किसी कंपनी, सीमित देनदारी वाली साझेदार फ़र्म, किसी व्यक्ति के मालिकाना हक वाले फ़र्म या साझेदारी वाली फ़र्म या किसी व्यक्ति की **दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान** का प्रावधान किया गया है।
- पिछले 5 वर्षों में IBC ने भारत में एक **दिवाला** पारितंत्र (insolvency ecosystem) निर्मित किया है। IBC द्वारा इस पारितंत्र का निर्माण अपने स्तंभों के माध्यम से **अपीलीय प्राधिकरण** के रूप में **राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण**[50] के तहत किया गया है (चित्र देखें)।

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया क्या है?

- पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शोधन अक्षमता की कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण[51] का रुख करने से पूर्व संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदार[52] और ऋणदाता एक समाधान व्यवस्था पर सहमत होते हैं।
- इसके द्वारा बैंकों, प्रवर्तकों और खरीदार के मध्य सहमत योजना को विधिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- इसके द्वारा **कब्जेदार देनदार (debtor-in-possession) मॉडल** का अनुपालन किया जाता है।
- **कपटपूर्ण गतिविधियों/कुप्रबंधन के विरुद्ध संरक्षण:** लेनदारों की समिति[53] द्वारा, 66 प्रतिशत वोट शेयर के साथ, कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन के लिए आवेदन किया जा सकता है और समाधान वृत्तिकों/पेशेवरों को नियंत्रण सौंपा जा सकता है। ऐसा तभी किया जा सकता है यदि CoC को पता चलता है कि कंपनी को कपटपूर्ण ढंग से संचालित किया जा रहा है या प्रवर्तक द्वारा कंपनी के कार्यों में अत्यधिक कुप्रबंधन किया गया है।

---

[50] National Company Law Appellate Tribunal as Appellate Authority

[51] National Company Law Tribunal: NCLT

[52] Corporate Debtor: CDs

[53] Committee of Creditors: CoC

  - यदि प्रवर्तक द्वारा प्रस्तुत की गई समाधान योजना में किसी भी दावे के ह्रास (वसूली योग्य राशि में अत्यधिक कमी करने संबंधी) के लिए उपबंध किया जाता है, तो CoC द्वारा प्रवर्तकों से कंपनी में अपनी शेयरधारिता या मतदान या नियंत्रण अधिकारों को कम करने के लिए कहा जा सकता है।
- यदि परिचालक लेनदारों (operational creditors) को उनके 100 प्रतिशत बकाए का भुगतान नहीं किया जाता है तो **यह CD द्वारा प्रस्तुत की गई समाधान योजना के लिए स्विस चैलेंज (Swiss challenge) की अनुमति प्रदान करता है।**

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया (PIRP) और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के मध्य अंतर

मानदंड	PIRP	CIRP
दिवाला प्रक्रिया के दौरान फर्म/कंपनी का नियंत्रण	देनदारों का अपनी संकटग्रस्त फर्म पर नियंत्रण बना रहता है।	कंपनी का प्रबंधन समाधान वृत्तिक द्वारा किया जाता है।
समय सीमा	प्रारंभ होने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करना।	प्रारंभ होने की तारीख से 270 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करना।
ऋण के समाधान की प्रक्रिया	संकटग्रस्त कंपनी द्वारा सुरक्षित लेनदारों और मौजूदा स्वामियों या बाह्य निवेशकों के मध्य प्रत्यक्ष समझौता किया जाता है।	खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से समाधान।

वर्ष 2019 में, **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)** ने **IBC, 2016** की ट्रैकिंग करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया था। इसे **जी. एन. वाजपेयी समिति** के रूप में भी जाना जाता है।

क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी (Cross Border Insolvency)

- क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी उन परिस्थितियों को दर्शाता है, **जिनमें एक दिवालिया देनदार के पास एक से अधिक देशों में संपत्ति और/ या लेनदार होते हैं।**
- वर्तमान में, इसका निराकरण **IBC, 2016 की धारा 234 और 235** के तहत किया जाता है। इसकी **प्रकृति तदर्थ** है और इसमें **विलंब** होने की संभावना होती है।
  - **धारा 234:** यह केंद्र सरकार को अन्य देशों के साथ **क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी** से संबंधित स्थितियों के समाधान हेतु द्विपक्षीय समझौता करने का अधिकार देता है।
  - **धारा 235:** यह न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों को विदेशी न्यायालयों को अनुरोध पत्र जारी करने की अनुमति देता है। इसके तहत धारा 234 के अंतर्गत समझौते वाले देशों में IBC के अनुसार दिवाला कार्यवाही के संबंध में साक्ष्य या कार्रवाई के अनुरोध से निपटा जाता है।
- मानकीकृत **क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी** फ्रेमवर्क की अनुपस्थिति से जटिलताओं में वृद्धि होती है और अनेक मुद्दे भी पैदा होते हैं, जैसे-
  - किसी दिवाला प्रशासक के लिए एक विदेशी राष्ट्र में स्थित **संपत्ति तक पहुंच संबंधी सीमाएं,**
  - **भुगतान संबंधी प्राथमिकता,** अर्थात् क्या स्थानीय लेनदारों के पास विदेशी प्रशासन के पास धन जाने से पहले स्थानीय संपत्ति तक पहुंच है या नहीं,
  - किसी विदेशी प्रशासन में **स्थानीय लेनदारों के दावों की मान्यता,**
  - स्थानीय परिसंपत्तियों पर **लोकल सिक्योरिटी** और कराधान प्रणाली की मान्यता और प्रवर्तन जहां विदेशी प्रशासक की नियुक्ति की जाती है आदि।
- **वर्ष 2018 की दिवाला कानून समिति की सिफारिशों का पालन कर** एक मजबूत क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। इसके लिए भारतीय संदर्भ के अनुरूप कुछ संशोधनों के साथ UNCITRAL[54] के नियमों को अपनाया जा सकता है।

2.2.2. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड {National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) and India Debt Resolution Company Limited (IDRCL)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

पहले से चले आ रहे NPAs का समाधान करने और बैंक की बहियों को साफ करने के लिए वर्ष 2021 में दो नई संबंधित कंपनियों, यथा- NARCL और IDRCL का गठन किया गया। इनका गठन ऋण प्रबंधन समझौते के तहत किया गया है।

[54] United Nations Commission on International Trade Law / अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग

अन्य संबंधित तथ्य

- विभिन्न समाधान तंत्रों (जैसे कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, SARFAESI अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि) और 28 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के बावजूद, पहले से चले आ रहे NPAs के एक बड़े भंडार का समाधान किया जाना बाकी है। इसके समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
  - **NARCL:** यह एक **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC)** है। इसे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को एकत्र करने और उन्हें निपटाने के लिए जुलाई 2021 में गठित किया गया। इसका **स्वामित्व मुख्य रूप से PSBs पास है और केनरा बैंक इसका प्रायोजक है;** तथा
  - **IDRCL:** परिसंपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए सितंबर 2021 में एक सेवा कंपनी के रूप में इसका गठन किया गया था। इसका स्वामित्व मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों (51%) के पास है और शेष PSBs के पास।
- NARCL का **5 वर्ष** का सीमित कार्यकाल होगा, और IDRCL का कार्यकाल NARCL के साथ समाप्त हो जाएगा।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन या परिसंपत्ति पुनर्रचना और ARC के बारे में

- परिसंपत्ति पुनर्रचना किसी ऐसी वित्तीय सहायता को कहा जाता है, जिसमें किसी ARC द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के अधिकार या हित का अधिग्रहण किया जाता है, ताकि ऐसी वित्तीय सहायता से परिसंपत्ति का वास्तविक मूल्य प्राप्त किया जा सके।
- भारत में, ARCs का गठन **कंपनी अधिनियम** के अंतर्गत होता है तथा ये **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूत हित का प्रवर्तन**[55] **अधिनियम, 2002 की धारा 3** के अंतर्गत RBI में पंजीकृत होती हैं।

समाधान प्रक्रिया (Resolution Process)

- NARCL, **लीड बैंक को ऑफर देकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये** की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करेगा। दूसरी ओर, **लीड बैंक** NARCL के ऑफर को बेहतर बनाने के लिए **स्विस चैलेंज प्रक्रिया** के तहत अन्य ARC/बोलीदाताओं को आमंत्रित करेगा। यह सब NARCL को **पसंदीदा बोलीदाता** घोषित किए जाने से पहले किया जाता है।
- NARCL द्वारा अंतर्निहित ट्रस्टों में परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा जबकि IDRCL इनमें से प्रत्येक के लिए प्रस्तावित पुनर्गठन/समाधान योजना, रणनीतियाँ आदि तैयार करेगा और सुझाव देगा।

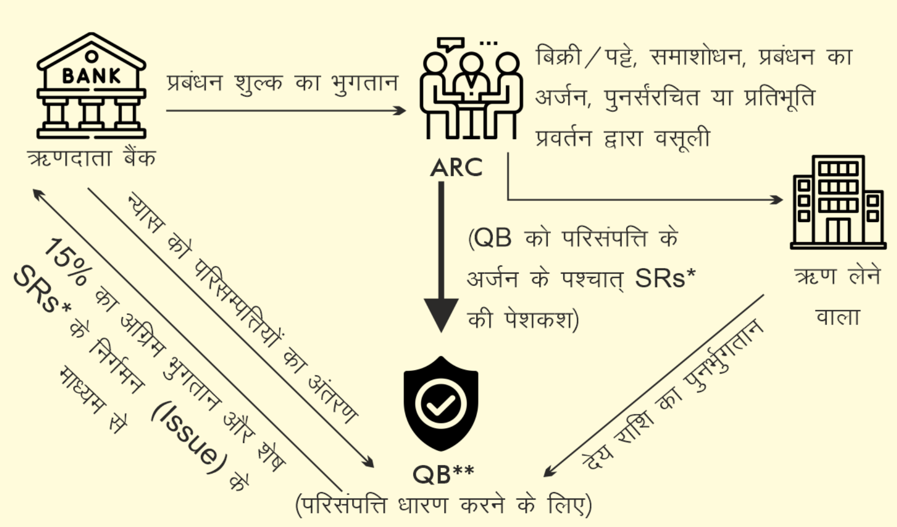

ARCs के कार्य

- प्रतिभूति रसीद (*Security Receipt: SR), ARCs द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति में किसी अविभक्त अधिकार, हक या हित की खरीद/अर्जन पर किसी भी QBs को निर्गमित की गई रसीद/प्रतिभूति है।
- अर्हित क्रेता (**Qualified Buyers: QB) कॉर्पोरेट संस्थाओं जैसे कि FLs, बीमा कंपनी, बैंक, न्यासी, AMC आदि या RBI या सेबी द्वारा निर्दिष्ट गैर–संस्थागत निवेशकों की किसी भी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- **ARCs के लिए RBI ढांचे** के भीतर ही **परिसंपत्ति अधिग्रहण** और **समाधान** होगा।
- उदाहरण के लिए- **15:85 संरचना** (15% नकदी में और 85% सिक्यूरिटी रिसीट या SR में) के तहत RBI के मौजूदा विनियमों के भीतर परिसंपत्ति अधिग्रहण।
- मलेशिया और ब्रिटेन की तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर, NARCL द्वारा जारी किए गए SR को, **विश्वसनीयता** और **आकस्मिक बफर प्रदान करने के लिए, सरकार द्वारा समर्थित** (30,600 करोड़ रुपये तक) किया जाएगा।

[55] Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest: (SARFAESI/सरफेसी)

- सरकार अपने द्वारा गारंटी दी गई राशि पर, जो 5 वर्ष तक वैध होगा, गारंटी शुल्क लगाएगी, जिसमें शीघ्र और समय पर समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए सालाना वृद्धि की जाएगी।
- NARCL केवल उन्हीं परिसंपत्तियों का पुनर्गठन करेगा जिन्हें ऋणदाताओं द्वारा पूर्ण रूप से अर्थात् 100 प्रतिशत के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। NARCL द्वारा धोखाधड़ी (fraud) के रूप में वर्गीकृत या परिसमापन (liquidation) प्रक्रिया से गुजर रही परिसंपत्तियों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

2.3. मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

2.3.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण (RBI Surplus Transfer)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने भंडार से केंद्र सरकार को अधिशेष (व्यय से अधिक आय) के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के अंतरण को मंजूरी दी।

RBI अधिशेष कैसे उत्पन्न करता है?

RBI के लिए आय के स्रोत (प्रतिशत के आधार पर)	RBI का व्यय (प्रतिशत के आधार पर)
RBI की आय मुख्य रूप से आती है: • **विदेशी स्रोतों से अन्य आय (41%):** इसमें विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/ हानि, विदेशी मुद्रा लेन-देन से लाभ/हानि इत्यादि शामिल हैं। • **घरेलू स्रोतों से अन्य आय (33%):** इसमें रुपये की प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि, कमीशन इत्यादि शामिल हैं। • **विदेशी स्रोतों से प्रतिफल (19%):** इसमें विदेशी मुद्रा जमाराशियों से ब्याज, रेपो/रिवर्स रेपो से संबंधित लेनदेन पर ब्याज आदि शामिल हैं। • **घरेलू स्रोतों से प्रतिफल:** इसमें ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज, चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility: LAF) संचालनों आदि पर ब्याज शामिल हैं।	**RBI का व्यय मुख्य रूप से होता है:** • **RBI के भंडार में जोखिमों के लिए व्यवस्था करना:** आकस्मिकता निधि (Contingency Fund: CF) और परिसंपत्ति विकास निधि (Asset Development Fund: ADF) के रूप में। ○ **आकस्मिकता निधि (CF):** यह दूसरा सबसे बड़ा कोष है जिसे विनिमय दर संचालनों और मौद्रिक नीति निर्णयों से उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए अभिकल्पित (डिज़ाइन) किया गया है। • इसका निधि का अत्यधिक भाग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्जित लाभ से वित्त पोषित होता है। ○ **परिसंपत्ति विकास निधि (ADF):** यह सहायक कंपनियों और संबद्ध संस्थानों में निवेश तथा आंतरिक पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। • **एजेंसी प्रभार (15%):** इसमें बैंकों, प्राथमिक डीलरों आदि को दिया जाने वाला कमीशन शामिल है। • **नोटों का मुद्रण (12%)।** • **कर्मचारी लागत (10%)।**
समग्र रूप से, • **भारतीय रिज़र्व बैंक का कुल व्यय उसकी कुल निवल ब्याज आय का केवल 1/7वां हिस्सा है,** जिससे अधिशेष सृजित होता है।	

RBI सरकार को अधिशेष कैसे अंतरित करता है?

- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47** (अधिशेष लाभों का आवंटन) **के अनुसार,** भारतीय रिजर्व बैंक अधिशेष को अंतरित करता है।
- अंतरित की जाने वाली अधिशेष राशि को समिति की सिफारिशों और भारतीय रिजर्व बैंक की जरूरतों के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- **RBI अधिशेष अंतरण से संबंधित समितियां:** इन समितियों की अध्यक्षता वर्ष 1997 में वी. सुब्रह्मण्यम, वर्ष 2004 में उषा थोराट और वर्ष 2013 में वाई. एच. मालेगाम तथा वर्ष 2018 में बिमल जालान ने की थी।
- बाद में, बिमल जालान समिति ने एक संशोधित **आर्थिक पूंजी ढांचा (Economic Capital Framework: ECF)** प्रदान किया। **ECF** भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत जोखिम के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं और लाभ वितरण के उचित स्तर को निर्धारित करने हेतु एक पद्धति प्रदान करता है।

- इस संशोधित ECF के अनुसार, **RBI द्वारा केंद्र को अनिवार्य रूप से अंतरित की जाने वाली राशि का निर्धारण निम्नलिखित दो कारकों के आधार पर किया जाता है:**
  - **वसूल की गई इक्विटी (Realized equity)** (वास्तव में CF में अनिवार्य रूप से मौजूदा राशि): CF को भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र की 6.5% से 5.5% की सीमा के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए और अधिशेष राशि सरकार को अंतरित की जानी होती है।
  - **आर्थिक पूंजी** {अनिवार्य रूप से मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (Currency and Gold Revaluation Account: CGRA)}: इसे तुलन-पत्र के **20-24.5%** सीमा में रखा जाना चाहिए और शेष को सरकार को अंतरित किया जाना चाहिए।

इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष तेजी से क्यों बढ़ा है?

- **प्रावधान राशि (Provisioning amount) में कमी के कारण कम व्यय होना** उच्चतर अधिशेष के प्रमुख कारणों में से एक है।
  - इस बार, RBI ने घोषणा करते हुए **CF को 5.5% के न्यूनतम आवश्यक बफर स्तर** को बनाए रखने का निर्णय लिया है और सरकार को अधिकतम संभव अधिशेष प्रदान किया है।
- RBI के अधिशेष में वृद्धि को इसके **खुला बाज़ार परिचालन (Open Market Operations) से उच्चतर आय के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि** से भी संबंधित माना जा सकता है।
- एक अन्य कारण **लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (Targeted Long Term Repo Operations: TLTROs) भी हो सकता है।**
  - **TLTROs का संदर्भ** लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन से होता है जो विशिष्ट क्षेत्रकों को ऋण देने के लिए **बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।**

2.3.2. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India's Forex Reserves)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2021 में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर लगभग **642 अरब अमेरिकी डॉलर** पर पहुँच गया, जिससे चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत **चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार** वाला देश बन गया।

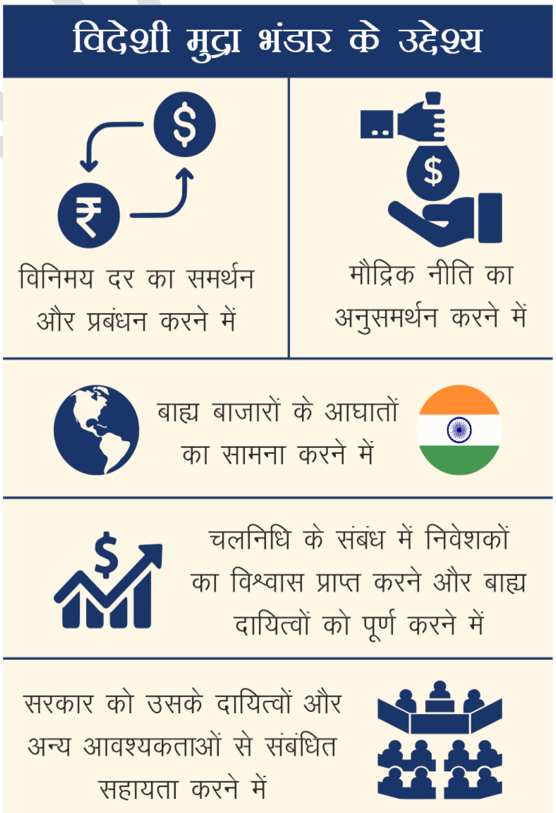

विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में

- **विदेशी मुद्रा भंडार वस्तुतः** केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं, आदि में आरक्षित तौर पर रखी गई परिसंपत्तियां है।
- इसमें अधिकतर **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों** का प्रभुत्व होता है। हालांकि इसमें बॉण्ड, ट्रेजरी बिल, स्वर्ण भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से संबंधित विशेष आहरण अधिकार (SDR) आदि जैसे **अन्य लिखत** भी शामिल हो सकते हैं।
- अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और चीनी युआन कुछ सामान्य मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। इनमें से **अमेरिकी डॉलर मुख्य मुद्रा** है क्योंकि इसका उपयोग सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के समायोजन में किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य** के लिए महत्वपूर्ण, **विदेशी मुद्रा भंडार** द्वारा विभिन्न उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।

भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में हालिया वृद्धि के कारण

- बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment: FPI) के संदर्भ में **उच्च विदेशी पूंजी का अंतर्वाह (inflow)।**
- कोविड-19 के कारण उपभोग में कमी और विदेशों में यात्रा करने पर लगे प्रतिबंध के कारण भारत से **पूंजी बहिर्वाह (Capital outflow) में कमी।**
- विगत दो वर्षों में प्रवासी भारतीयों से **रिकॉर्ड स्तर पर विप्रेषण (remittances)** (80 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक) की प्राप्ति; और

© Vision IAS

- कोविड-19 वैश्विक महामारी के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव से उबरने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक प्रोत्साहन संबंधी उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में **व्यापक पैमाने पर तरलता (चलनिधि) का अंतर्वेशन।**

उच्च विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के पक्ष में तर्क

उच्च विदेशी मुद्रा के लाभ	यह निम्नलिखित स्थितियों में एक समाधान प्रदान करता है:
बाह्य सुभेद्यताओं से जोखिम में कमी	• **तेल के मूल्यों में अस्थिरता से;** • हॉट मनी {जैसे- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) के उच्च बहिर्प्रवाह संबंधी **बाह्य दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने में।**
विनिमय दर प्रबंधन	• वर्ष 1993 के बाद से बाजार द्वारा निर्धारित होते हुए भी, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए **RBI द्वारा सामयिक हस्तक्षेप** को संभव बनाया जाता है। • मुद्रा बाजार के विकास में सहायक।
निवेशकों में विश्वास का सृजन करना	• भारत के **चालू खाता घाटे** के वित्तपोषण में सहायक। • **जंक श्रेणी रेटिंग से थोड़ी बेहतर स्थिति होने पर भी यह निवेश आकर्षित करने में सहायक होता है।** इसके अतिरिक्त, यह नकारात्मक **निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति** के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होता है।
क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता बनने में सहायक	• इससे दूसरों के लिए, विशेष रूप से **सार्क {दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC)} देशों** जैसे हमारे पड़ोसी देशों के लिए मुद्रा अदला-बदली संबंधी भारत की क्षमता का विस्तार होता है। इसके लिए भारत ने वर्ष 2012 में मुद्रा अदला-बदली तंत्र (currency swap mechanism) आरंभ किया था।
आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध चलनिधि	• उच्च **गैर निष्पादित परिसंपत्ति (Non Performing Assets: NPAs),** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) भुगतान चूक के कारण कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार संकट, समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue: AGR) के कारण दूरसंचार क्षेत्रक की चुनौतियों के जोखिमों जैसे **घरेलू वित्तीय प्रणाली संकटों** से उबरने में सहायक। • कोविड-19 से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण **वैश्विक आर्थिक संकट** से उबरने में सहायक।
मौद्रिक प्रोत्साहन वापसी के विरुद्ध सहारा	• वर्ष 2013 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई फेड टेपरिंग की घटना ने 10% से अधिक **मुद्रा उतार-चढ़ाव के साथ बाह्य क्षेत्रक संकट** उत्पन्न किया था और केवल जापान से मुद्रा अदला-बदली के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई थी। • ऐसे में उच्च विदेशी मुद्रा भंडार से **पूंजी बहिर्वाह** के विरुद्ध चलनिधि/तरलता सुनिश्चित की जाती है।

उच्च विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के विपक्ष में तर्क

- 600 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार , **वर्ष 2021-22 के अनुमानित आयात** के संदर्भ में **लगभग 15 महीने** के आयात की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार पर निम्न प्रतिफल:** सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लगभग शून्य ब्याज दरों के कारण इस पर लगभग 1% या उससे कम का प्रतिफल प्राप्त होता है।
- विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने और युवा जनसांख्यिकी का उपयोग करने के लिए भारत की **वृहद अवसंरचनाओं** को वित्तपोषण की आवश्यकता है।
- तरलता की अवरुद्धता से **उच्च अवसर से समझौता और राजकोषीय लागत** अर्थात् विकास की आवश्यकताओं, निर्धनता और विशाल युवा आबादी के बावजूद अप्रयुक्त अत्यधिक नकदी को बनाए रखना।
- यह अर्थव्यवस्था के लचीलेपन, मैक्रोइकोनॉमिक प्रबंधन की मजबूती और पूंजी या निर्यात वृद्धि संबंधी उपायों के संदर्भ में सरकार के **आत्मविश्वास संबंधी अभाव** को दर्शाता है।

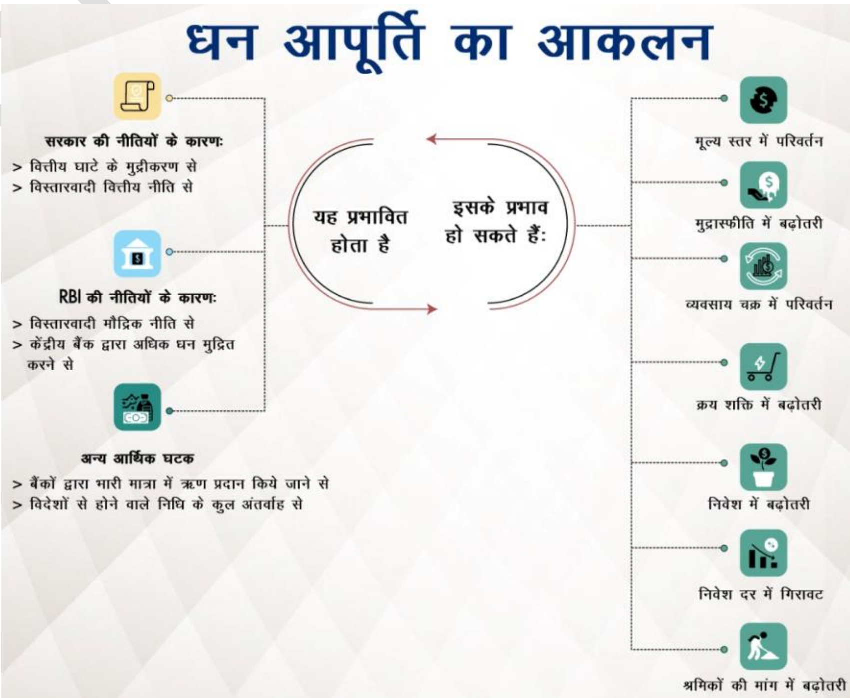

2.4. बैंकिंग और मौद्रिक नीति से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information On Banking And Monetary Policy)

<table>
<tr><td>गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs)</td><td>

जब किसी ऋण का मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों से कम समय के लिए बाकी

<table>
<tr><th>विशेष उल्लेख खाता (SMA)</th><th>मूल/ ब्याज भुगतान तथा आंशिक/ पूर्णतः बकाया</th></tr>
<tr><td>SMA-0</td><td>1–30 दिन</td></tr>
<tr><td>SMA-1</td><td>31–60 दिन</td></tr>
<tr><td>SMA-2</td><td>61–90 दिन</td></tr>
</table>

(overdue) रहता है तो वह विशेष उल्लेख खातों (Special Mention Accounts: SMA) के दायरे में आता है।
NPAs ऐसे ऋण होते हैं, जिनका भुगतान या जिनके ब्याज का भुगतान पिछले 90 दिनों (एक तिमाही) से नहीं किया गया हो।
बैंकों को NPA को वर्गीकृत करना आवश्यक होता है, इन्हें बैंकों द्वारा निम्नलिखित तीन श्रेणियों में {यथा सब-स्टैंडर्ड एसेट्स (Sub-Standard Assets), डाउटफुल एसेट्स (Doubtful Assets), लॉस एसेट्स (Loss Assets)} वर्गीकृत किया जाता है।

सब-स्टैंडर्ड एसेट्स: ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि तक NPA बनी रहती हैं।
डाउटफुल एसेट्स: ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने की अवधि तक सब-स्टैण्डर्ड या घटिया श्रेणी में बनी रहती हैं।
लॉस एसेट्स: इसे असंग्रहयोग्य (uncollectible) और इतने कम मूल्य का माना जाता है कि एक बैंक योग्य संपत्ति के रूप में इसके निरंतरता की कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि, इसका कुछ वसूली मूल्य हो भी सकता है।

</td></tr>
<tr><td>पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR)</td><td>यह वह पूंजी है जिसे एक बैंक को अपनी कुल परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में रखना होता है। CAR को CRAR[56] के रूप में भी जाना जाता है।</td></tr>
<tr><td>लीवरेज अनुपात (Leverage ratio)</td><td>यह दर्शाता है कि एक ऋणदाता ने आय उत्पन्न करने के लिए धन उधार लेने में खुद को कितना अधिक बढ़ाया है या कितनी छूट दी है। जितना अधिक उत्तोलन या लेवरिज होगा, ऋणदाता के लिए उतना ही जोखिम भरी स्थिति होगी।</td></tr>
<tr><td>परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ या रिटर्न ऑन एसेट (RoA)</td><td>यह कुल परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में शुद्ध आय से प्राप्त लाभप्रदता या मुनाफे को मापता है।</td></tr>
<tr><td>हेयरकट (Haircut)</td><td>हेयरकट किसी ऋण के लिए जमानत या संपार्श्विक के रूप में उपयोग की जा रही परिसम्पत्ति का मूल्य बाजार से कम मूल्य लगाने को संदर्भित करता है।</td></tr>
<tr><td>सह-ऋण या को-लेंडिंग (Co-lending)</td><td>को-लेंडिंग या को-ओरिजिनेशन एक प्रणाली है। इसके तहत बैंक और गैर-बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने हेतु ऋण में संयुक्त रूप से योगदान दिया जाता है।</td></tr>
<tr><td>प्रावधान कवरेज अनुपात (Provisioning Coverage Ratio: PCR)</td><td>PCR सकल NPAs की तुलना में बैंक द्वारा की जाने वाली प्रोवीज़निंग का अनुपात है। यह दर्शाता है कि किसी बैंक ने ऋण के डूब जाने की स्थिति से बचने या सुरक्षा के लिए कितनी निधि अलग से रखी है।</td></tr>
<tr><td>एकीकृत पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु विनियमित संस्थाओं के लिए मंच: प्रिज्म (Platform for Regulated Entities for Integrated Supervision and Monitoring: PRISM)</td><td>भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रिज्म की स्थापना की है। यह बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित पर्यवेक्षित संस्थाओं (Supervised Entities: SEs) द्वारा अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए वेब-आधारित शुरू से अंत (end-to-end) तक कार्य प्रगति स्वचालन प्रणाली है।
प्रिज्म में अन्तर्निहित कार्य प्रगति सुधार, समय की निगरानी, नोटिफिकेशन और अलर्ट, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड सम्मिलित होंगे। साथ ही, इसमें विभिन्न प्रकार्य/कार्यक्षमताएं (निरीक्षण; अनुपालन; साइबर सुरक्षा के लिए घटना कार्यात्मकता; शिकायतें; और प्रतिदान कार्यात्मकताएं) शामिल होंगी।</td></tr>
</table>

56 Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio

	• इसका उद्देश्य पर्यवेक्षित संस्थाओं (SEs) की उनकी आंतरिक सुरक्षा, लचीलापन और मूल कारण विश्लेषण[57] पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना है।
विनियामक सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox)	• विनियामक सैंडबॉक्स एक **नियंत्रित / परीक्षण विनियामक परिवेश (test regulatory environment) में नए उत्पादों या सेवाओं के प्रत्यक्ष परीक्षण को संदर्भित करता है।** इसके लिए विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु कुछ विनियामकीय छूट की अनुमति प्रदान कर सकते हैं अथवा नहीं। ◦ विनियामक सैंडबॉक्स सावधानीपूर्वक निगरानी करते हुए और जोखिमों को नियंत्रित करते हुए बाजार सहभागियों को **नए वित्तीय नवाचारों के लाभों एवं जोखिमों पर साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है।** • विनियामक सैंडबॉक्स का उद्देश्य **वित्तीय सेवाओं में उत्तरदायी नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करना, दक्षता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है।**
उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण {Consumer Confidence Survey (CCS)}	• यह **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित** किया जाता है। • CCS **सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर तथा परिवारों की आय एवं व्यय पर परिवारों की संवेदनाओं के संदर्भ में उनसे गुणात्मक प्रतिक्रियाएं** एकत्रित करता है।
मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण {Inflation Expectations Survey of Households (IESH)}	• हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने IESH के आगामी दौर की शुरुआत की घोषणा की है। यह **मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं और उपभोक्ता विश्वास का आकलन** करने पर लक्षित है। यह RBI की मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी आगत प्रदान करता है। • सर्वेक्षण का उद्देश्य **18 शहरों में** लगभग 6,000 परिवारों के **व्यक्तिगत उपभोग बास्केट** के आधार पर **कीमतों में उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति के संबंध में व्यक्तिपरक** आकलन प्रदान करना है। • यह सर्वेक्षण परिवारों से **मात्रात्मक** और साथ ही **गुणात्मक** प्रतिक्रियाओं की मांग करता है।

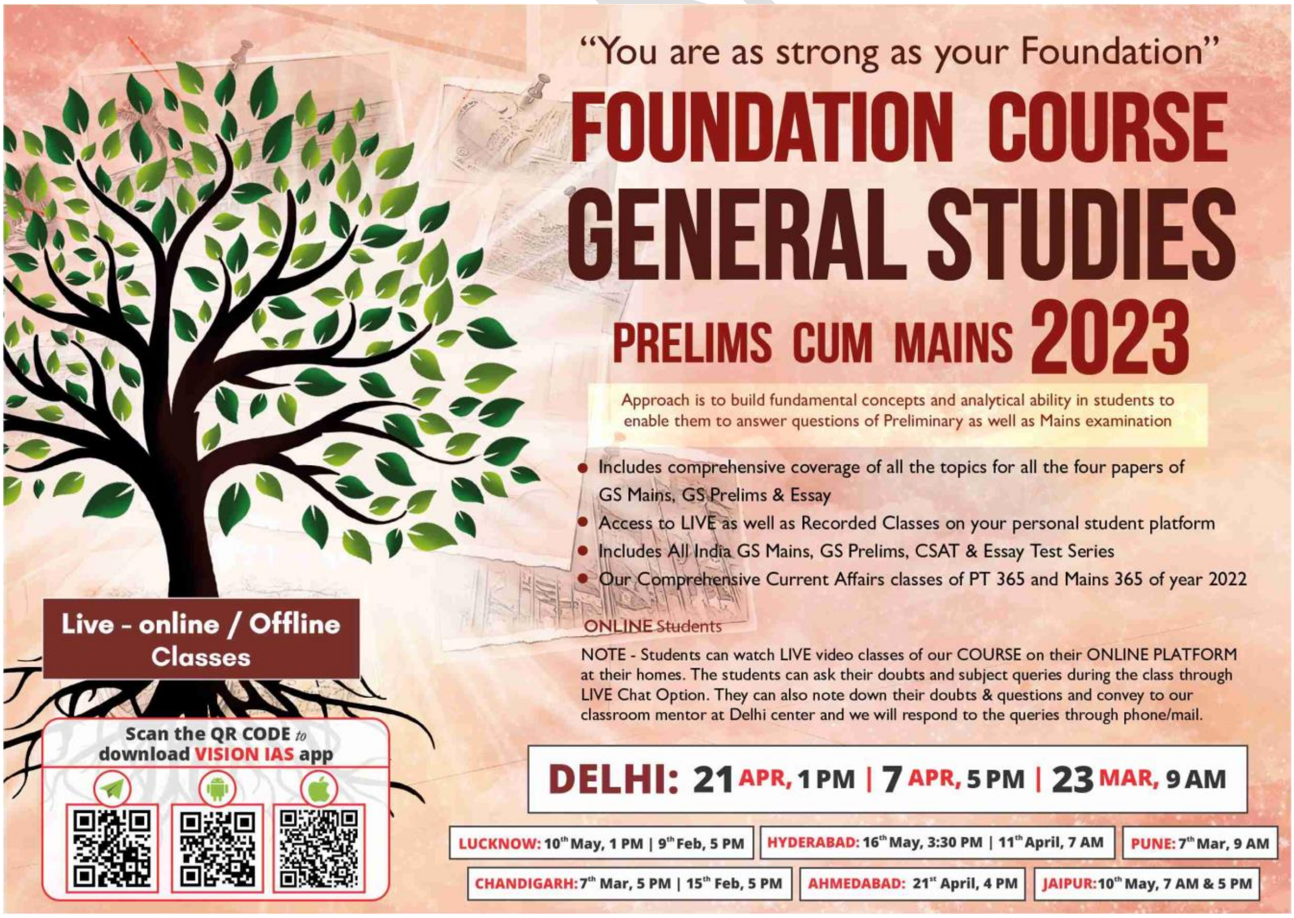

[57] Root Cause Analysis: RCA

3. भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (PAYMENT SYSTEMS AND FINANCIAL MARKETS)

3.1. भुगतान प्रणाली (Payment Systems)

3.1.1. सूक्ष्म-वित्त का विनियमन (Microfinance Regulations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म-वित्त के लिए एक नई विनियामक व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी उधारदाताओं या ऋणदाताओं के लिए दिशा-निर्देशों का एक समान समुच्चय शामिल है।

सूक्ष्म-वित्त के बारे में

सूक्ष्म-वित्त वस्तुतः वित्तीय सेवा का एक रूप है जिसके तहत निर्धन और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उधारकर्ता (अर्थात् ऋणी), आय सृजन गतिविधियों को प्रारंभ कर निर्धनता से मुक्त हो सकें।

- **विशेषताएं:** किसी भी जमानत के बिना और लचीली पुनर्भुगतान व्यवस्था के तहत ऋण दिया जाता है।
- **उत्पत्ति:** इसकी उत्पत्ति वर्ष 1983 में मुख्य रूप से पहली बार बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के साथ सूक्ष्म-वित्त संस्था के रूप में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों के दौरान हुई थी।
- **भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थिति:** अन्य क्षेत्रों में विकास के विपरीत, **भारतीय सूक्ष्म वित्त व्यवस्था का विकास** सार्वजनिक बैंकों के साथ स्वयं-सहायता समूहों (SHGs), गैर-सरकारी संगठनों और बैंकों के बीच लिंकेज के रूप में हुआ।
- **वर्ष 1992 के SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम** से शुरू होकर, भारतीय **सूक्ष्म वित्त** व्यवस्था अब लगभग 102 मिलियन एकाउंट्स और **₹1 लाख करोड़ से अधिक** के बकाया ऋण के साथ विश्व में सबसे बड़ी सूक्ष्म वित्त व्यवस्था है।
- छोटे वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के अलावा, छोटे वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), सहकारी बैंक, NBFCs और NBFC-MFI भी सूक्ष्म वित्त प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने **'NBFC-MFI' को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है:**
  - जमा स्वीकार न करने वाली NBFC;
  - न्यूनतम निवल धारित (net owned) निधि 5 करोड़ रुपये (देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकृत NBFC-MFIs के लिए न्यूनतम निवल धारित निधि 2 करोड रुपये है); तथा
  - इसके निवल परिसंपत्तियों का (नकद, बैंक बेलेंस और मुद्रा बाजार के लिखतों के अलावा अन्य संपत्ति) न्यूनतम 85% भाग "अर्हक परिसंपत्ति (qualifying assets)" के रूप में होना चाहिए।

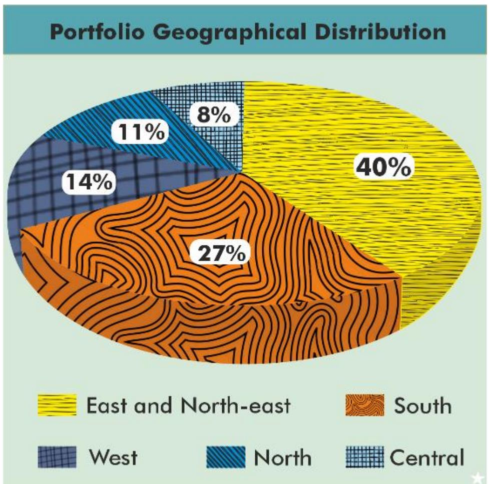

सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) का विनियमन

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अब सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रक में कार्य कर रही सभी **विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities: REs) के लिए विनियमों के एक साझा समुच्चय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।**

© Vision IAS

मानदंड	NBFC-MFIs के लिए मौजूदा विनियामक ढांचा	विनियामक ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तन
सूक्ष्म-वित्त ऋणी या उधारकर्ता (borrower) की परिभाषा	एक सूक्ष्म-वित्त ऋणी या उधारकर्ता की पहचान **वार्षिक घरेलू आय** से की जाती है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,25,000 रुपये और शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए 2,00,000 रुपये से अधिक न हो।	• समान परिभाषा के उद्देश्य से सभी **विनियमित संस्थाओं (REs) पर समान मानदंड लागू किए जाएंगे।** • **घरेलू आय** के आकलन के लिए सभी REs के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए, जिसमें आय आकलन की विधि का उल्लेख हो।
घरेलू ऋणग्रस्तता की सीमा	उधारकर्ता की कुल ऋणग्रस्तता 1,25,000 रुपये (शिक्षा और चिकित्सा व्यय के लिए ऋण को छोड़कर) से अधिक न हो;	• **ऋण-आय अनुपात** के संदर्भ में ऋण राशि को घरेलू आय से संबंधित किया जाएगा। • तदनुसार, सभी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक परिवार द्वारा देय समान मासिक किस्त (Equated Monthly Installment: EMI) उसकी आय के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
ऋणों की प्रकृति	संपार्श्विक (या जमानत) मुक्त ऋण, जहाँ समय से पहले ऋण के भुगतान पर कोई अर्थदंड नहीं हो।	संपार्श्विक मुक्त प्रकृति वाले सूक्ष्म वित्त ऋणों को सभी विनियमित संस्थाओं (REs) तक विस्तारित किया जाएगा।
ऋणों की संख्या, ऋण राशि और अवधि पर सीमा	• **ऋण राशि की सीमा 1,25,000 रुपये** (पहले चक्र में 75,000 रुपये तथा शिक्षा और चिकित्सा व्यय को पूर्ण करने हेतु लिए गए ऋण को ऋण सीमा से बाहर रखा गया है); • 30,000 रुपये से अधिक के ऋण के लिए न्यूनतम **24 महीने की अवधि।** • **एक ही उधारकर्ता को दो से अधिक NBFC-MFIs ऋण प्रदान नहीं किए जाएंगे।** • **ऋण के न्यूनतम 50 प्रतिशत** को आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाना है।	सभी सीमाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।
पुनर्भुगतान की अवधि	NBFC-MFIs के सूक्ष्म-वित्त उधारकर्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किश्तों में ऋण चुकाने की अनुमति प्रदान की गई है।	सूक्ष्म-वित्त उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार **पुनर्भुगतान अवधि** में लचीलापन प्रदान करने के लिए सभी विनियमित संस्थाओं (REs) के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।
सूक्ष्म ऋणों का मूल्य निर्धारण	एक NBFC-MFI द्वारा प्रभारित किया जाने वाला अधिकतम ब्याज निम्नलिखित से कम होगा- • 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के ऋण पोर्टफोलियो वाले MFIs के लिए निधियों की लागत के अलावा 10% मार्जिन कैप तथा अन्य के लिए 12% मार्जिन कैप; • परिसंपत्ति आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों की औसत आधार दर का 2.75 गुणा।	NBFC-MFIs की ब्याज दर के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। • प्रत्येक NBFC-MFI के बोर्ड को प्रासंगिक कारकों जैसे कि निधि की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर मॉडल को अपनाना तथा ऋण और अग्रिम के लिए प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर को निर्धारित करना चाहिए। • NBFC-MFIs, किसी भी अन्य NBFC की तरह, उचित व्यवहार संहिता द्वारा निर्देशित होंगे और ब्याज दरों के प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे।
गैर-लाभकारी कंपनियों को छूट	उन सभी 'गैर-लाभकारी' सूक्ष्म-वित्त कंपनियों {कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत पंजीकृत} को पंजीकरण मानदंडों से छूट प्रदान की गई है, जो- • व्यावसायिक उद्यम के लिए अधिकतम 50,000 रुपये तथा आवास इकाई की लागत को पूर्ण करने के लिए किसी भी निर्धन व्यक्ति को अधिकतम 1,25,000 रुपये ऋण प्रदान करती हैं; और • सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करती हैं।	उन 'गैर-लाभकारी' सूक्ष्म-वित्त कंपनियों को छूट प्रदान की गई है, जो- • ग्रामीण और शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 1,25,000 रुपये तथा 2,00,000 रुपये की वार्षिक घरेलू आय वाले परिवारों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करेंगी; • यह निर्धारित करेंगी कि ऋण की EMIs घरेलू आय के 50 प्रतिशत से अधिक न हो; तथा • जिसकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपये से कम हो।

3.1.2. भारत में फैक्टरिंग (Factoring in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 सुर्ख़ियों में रहा।

फैक्टरिंग के बारे में

- फैक्टरिंग एक ऐसा व्यवसाय है, जहाँ एक संस्था या इकाई तत्काल धन की प्राप्ति के लिए अपनी प्राप्तियों (ग्राहक से बकाया) को तीसरे पक्ष (बैंक या NBFCs) को बेचती है।
- फैक्टरिंग वैश्विक स्तर पर तरलता का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। यह विशेष रूप से, तरलता के मामले में कठिनाई का सामना कर रहे MSMEs के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। **फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011** फैक्टरिंग को एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- यह अधिनियम चार प्रकार की संस्थाओं को फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न होने की अनुमति देता है। इसमें **बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Finance Companies: NBFCs), वैधानिक निगम और कंपनियाँ** शामिल हैं।
- लेकिन केवल 7 NBFCs (जिन्हें **NBFCs-फैक्टर कहा जाता है**) को 'मुख्य व्यवसाय के रूप में फैक्टरिंग' की शर्त के कारण आर.बी.आई. से पंजीकरण प्राप्त हुआ है, अर्थात् NBFCs के लिए आवश्यक है कि-
    - फैक्टरिंग व्यवसाय में इसकी कुल संपत्ति का कम-से-कम 50% हिस्सा वित्तीय संपत्ति के रूप में हो, और
    - फैक्टरिंग व्यवसाय से होने वाली आय, सकल आय के 50% से कम ना हो।
- प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को उदार बनाने एवं मजबूत नियामक तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। आर.बी.आई. ने भी अपने महत्त्वपूर्ण विनियमों को अधिसूचित किया था। गौरतलब है कि इसे **यू.के. सिन्हा समिति** या **MSMEs पर गठित विशेषज्ञ समिति** की सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित किया गया था।

अधिनियम में प्रमुख संशोधन:

- फैक्टरिंग व्यवसाय के लिए पात्र NBFCs की संख्या को बढ़ाने के लिए **फैक्टरिंग को प्रमुख व्यावसायिक मानदंड (Principal Business Criteria) के दायरे से हटाना।**
- दोहरी वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए **फैक्टरिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना** और सरकार को इनवॉइस के पंजीकरण के लिए समय अवधि निर्दिष्ट करने और उस पर प्रभार की संतुष्टि के लिए सशक्त बनाना।
- **ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम[58] प्लेटफॉर्म** का उपयोग करने वाले फैक्टर की ओर से प्लेटफॉर्म को सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट[59] के साथ **प्रभार रजिस्टर करने की अनुमति** देना।
    - यह प्रक्रिया की परिचालन दक्षता में सुधार करेगा, TReDS को बढ़ावा देगा और फैक्टर पर प्रक्रियात्मक बोझ को कम करेगा।
- यह अधिनियम "असाइनमेंट", "फैक्टरिंग बिजनेस" और "रिसीवेबल्स (प्राप्तियों)" की **परिभाषाओं में संशोधन** करता है, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुरूप बनाया जा सके।
- अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने के तरीके एवं धारा 19 के तहत फैक्टर की ओर से TReDS संस्थाओं द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ लेन-देन के विवरण दाखिल करने के तरीके पर **आर.बी.आई. को विनियम बनाने की शक्ति** दी गई है।

3.1.3. भुगतान प्रणाली से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other Developments in the Payment Systems)

3.1.3.1. ऋण प्रदायगी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु खाता संग्राहक प्रणाली आरंभ की गई है (Account Aggregator system launched to bolster lending ecosystem)

- भारत ने एक **डेटा साझाकरण प्रणाली** के रूप में **खाता संग्राहक प्रणाली** का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य निवेश तथा ऋण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है।

[58] Trade Receivable Discounting System: TReDS

[59] Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest: CERSAI

© Vision IAS

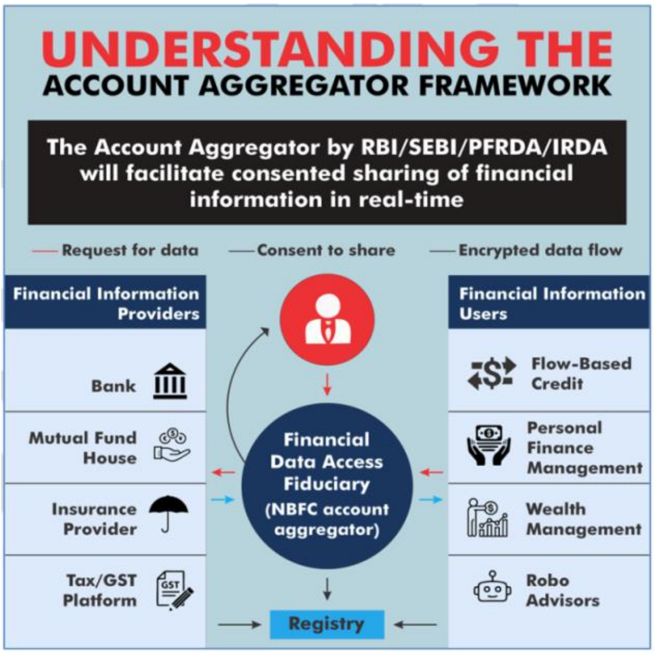

- **खाता संग्राहक** एक वित्तीय इकाई है। इसके द्वारा **किसी व्यक्ति के सभी वित्तीय डेटा को प्राप्त करके समेकित** किया जा सकता है। यह इस डेटा को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक **किसी व्यक्ति की विभिन्न वित्तीय धारिताओं को सरलता से समझकर विश्लेषण** कर सके।
- वर्ष 2016 में, **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934** के तहत RBI ने **"गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- खाता संग्राहक (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016"**[60] जारी किए थे।
  - **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम** की **धारा 45-I** के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के एक विशेष वर्ग के रूप में **खाता संग्राहक** को,
    - वित्तीय डेटा का सुलभ साझाकरण सुनिश्चित करना, तथा
    - उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्व विकसित सहमति ढांचा प्रदान करना होता है।
- **महत्व:** फर्म्स को समय पर मात्रात्मक तथा गुणात्मक डेटा की उपलब्धता होगी। इससे, उन्हें लघु व्यवसायों की उधार पात्रता का आकलन करने, किसी व्यक्ति के लिए धन प्रबंधन उत्पाद की सिफारिश करने या किसी परिवार के लिए बीमा पॉलिसी तैयार करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
  - विश्व के **किसी अन्य देश ने ऐसा विस्तृत डेटा-साझाकरण ढांचा विकसित नहीं** किया है, जिसे 50 मिलियन से अधिक व्यवसायों तथा एक बिलियन से अधिक लोगों को कवर करने के लिए स्थापित किया जा सकता है।

3.1.3.2. गैर-बैंकों के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) भुगतान प्रणाली आरंभ {Real Time Gross Settlement (RTGS) & National Electronic Fund Transfer (NEFT) Payment Systems Opened for Non-Banks}

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकों (जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर आदि) को **अपनी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली** (Centralised Payment Systems: CPS) **में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है।**
- भारत में CPS में **रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट** (RTGS) और **नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर** (NEFT) प्रणाली शामिल हैं। ये दोनों **RBI** के स्वामित्वाधीन और संचालन में हैं।
- अब तक, केवल बैंकों को ही दोनों भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति थी। बैंकों के अतिरिक्त, बहुत कम चयनित गैर-बैंकों को CPS में भाग लेने की मंजूरी दी गई है। इन गैर-बैंकों में स्टॉक एक्सचेंजों के समाशोधन निगम व चयनित वित्तीय संस्थान (NABARD, EXIM बैंक) शामिल हैं।
- **नए नियमों के तहत:**
  - **गैर-बैंकों** को एक पृथक **भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड** (IFSC) आवंटित किया जाएगा;

विवरण	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	वास्तविक समय सकल भुगतान
भुगतान	भुगतान की प्रक्रिया अलग–अलग खेप में प्रत्येक 30 मिनट में संपन्न होती है।	वास्तविक समय आधारित और तात्कालिक
लेन–देन की सीमा	न्यूनतमः 1 रुपये अधिकतमः कोई सीमा नहीं। हालांकि,अलग–अलग बैंक प्रत्येक लेन–देन और प्रति दिन लेन–देन की राशि के संबंध में सीमा निर्धारित कर सकते हैं।	न्यूनतमः 2 लाख रुपये अधिकतमःकोई सीमा नहीं।
प्रभारित शुल्क	ऑनलाइन लेन–देन के लिए शून्य। हालांकि, बैंक की शाखा के माध्यम से किए जाने वाले NEFT के लिए शुल्क प्रभारित किया जा सकता है।	ऑनलाइन लेन–देन के लिए शून्य। हालांकि, बैंक की शाखा के माध्यम से किए जाने वाले लेन–देन पर शुल्क प्रभारित किया जा सकता है।
कब उपयोग में लाया जाता है	विशेष रूप से परिवार और मित्रों के मध्य लेन–देन संबंधी भुगतान करने के लिए छोटी राशि का अंतरण करने के लिए।	बड़ी राशियों के तत्काल अंतरण के लिए। उदाहरण के लिए, व्यवसाय के लिए सामग्री की आपूर्ति करने वाले विक्रेता को भुगतान करने में।

[60] Non-Banking Financial Company - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016

- इनके द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक** की कोर बैंकिंग प्रणाली (ई-कुबेर) में एक चालू खाता खोला जाएगा; और
- इन्हें **RBI** के साथ एक **निपटान खाता** (settlement account) भी बनाए रखना होगा।

3.1.3.3. भुगतान प्रणाली के लिए सरकार द्वारा की गई पहल (Initiatives taken by the Government for Payment Systems)

ई-रुपी (e-RUPI)	• "ई-रुपी" एक **इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित व्यक्ति-विशिष्ट तथा उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल भुगतान** प्रणाली है।
	• इसे **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। **वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** तथा **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण** के सहयोग से विकसित गया है।
	• ई-रुपी, अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में मौजूदा भारतीय रुपये द्वारा समर्थित है। इसके उद्देश्य की विशिष्टता इसे **आभासी मुद्रा से पृथक तथा वाउचर-आधारित भुगतान प्रणाली के समीप** रखती है।
	  ○ ये वाउचर, **ई-गिफ्ट कार्ड** की भांति होते हैं, जो प्रीपेड प्रकृति के होते हैं।
	  ○ इस कार्ड का कोड, एस.एम.एस. या QR कोड के माध्यम से साझा किया जा सकता है।

भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि योजना {Payments Infrastructure Development Fund (PIDF) scheme}	• हाल ही में RBI ने इस योजना के कवरेज का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस विस्तार के तहत **टियर-1 और टियर-2 केंद्रों** में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना) के एक भाग के रूप में अभिनिर्धारित स्ट्रीट वेंडर्स को PIDF योजना के **लाभार्थियों के रूप में** शामिल किया जाएगा।
	• **PIDF योजना के बारे में**
	  ○ PIDF का उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों में **भुगतान स्वीकृति संबंधी अवसंरचना की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना** है। इसमें देश के **पूर्वोत्तर राज्यों** पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
	  ○ इसके अंतर्गत डिजिटल भुगतान के लिए प्रत्येक वर्ष **30 लाख नए टच पॉइंट्स** की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए रूपरेखा (PSOs)	• इस रूपरेखा को **संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम (Payment and Settlement Systems Act), 2007** के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। यह रूपरेखा, **भुगतान और/या निपटान संबंधी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग में व्याप्त जोखिमों के प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक लागू** करती है। • **PSO** का अर्थ है एक अधिकृत भुगतान प्रणाली का संचालन करने वाला/वाली व्यक्ति/संस्था। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (Clearing Corporation of India Ltd), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, वीज़ा (VISA) आदि **भारत में कार्यशील कुछ अधिकृत PSOs** हैं। • इससे पूर्व, **भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को RTGS और NEFT जैसी केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों की प्रत्यक्ष सदस्यता प्राप्त करने की भी अनुमति** प्रदान की थी।
ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा (Framework for Offline Digital Payments)	• यह रूपरेखा **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत जारी की गई है।इस रूपरेखा का **उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।** • इस नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत छोटे मूल्य के भुगतान कार्ड, वॉलेट, मोबाइल डिवाइस आदि का उपयोग करके आमने-सामने (फेस टू फेस मोड) किए जा सकते हैं। इसके तहत **2,000 रुपये की कुल सीमा के साथ प्रति लेनदेन 200 रुपये तक के ऑफ़लाइन भुगतान** की अनुमति प्रदान की गई है। • इस तरह के लेनदेन के लिए **प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA)** की आवश्यकता नहीं होगी। शिकायत निवारण के लिए RBI की **एकीकृत लोकपाल योजना** लागू होगी।

भारत इंटरफेस फॉर मनी- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (BHIM-UPI)	• **भूटान** अपने त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response: QR) कोड के लिए **भारत के UPI मानकों को अपनाने वाला प्रथम देश बन गया है।**
	• ज्ञातव्य है कि **यह व्यापारिक स्थलों पर BHIM-UPI स्वीकार करने वाला सिंगापुर के पश्चात् दूसरा देश** भी है।
	  • **BHIM-UPI के बारे में:**
	    • BHIM-UPI सुरक्षित, आसान और त्वरित डिजिटल भुगतान के लिए भारत की **वास्तविक समय डिजिटल भुगतान** प्रणाली है।

© Vision IAS

	• **भीम (BHIM) एप्लिकेशन (ऐप)** वर्ष 2016 में निर्मित और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित है। यह कई बैंक खातों को **एकल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस** (UPI ID) से संचालित करता है। इसके अंतर्गत अग्रलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं- केवल मोबाइल नंबर या UPI ID के माध्यम से तत्काल बैंक-टू-बैंक भुगतान, बिल भुगतान, स्कैन और भुगतान, रिक्वेस्ट मनी आदि।
हार्बिंजर 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार (HARBINGER 2021 – Innovation for Transformation)	• यह भारतीय रिज़र्व बैंक का **प्रथम वैश्विक हैकथॉन** है। इसका मूल विषय **'स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स'** है। • हैकाथॉन में प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिनमें निम्नलिखित क्षमताएं हों: ○ **डिजिटल भुगतान को वंचित लोगों** के लिए सुलभ बनाना। ○ भुगतान में **आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव** को बढ़ावा देना। ○ डिजिटल भुगतान की **सुरक्षा को मजबूत करना तथा ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देना।**
कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization)	• भुगतान प्रणाली की रक्षा और सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से, आर.बी.आई. ने ऑनलाइन लेनदेन के लिए कार्ड संबंधी **टोकन व्यवस्था के क्रियान्वयन/प्रवर्तन** को छह माह अर्थात् 30 जून 2022 तक के लिए **स्थगित कर दिया है।** • कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा **कार्ड के विवरण को एक विशिष्ट कोड या टोकन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है।** इसके तहत **कार्ड के विवरण को उजागर किए बिना ऑनलाइन खरीदारी** की जा सकती है। • ज्ञातव्य है कि टोकन का उपयोग पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) टर्मिनलों और क्यू.आर. कोड आधारित भुगतान के मामले में संपर्क रहित लेन-देन करने के लिए किया जाता है। • यह भुगतान को सुरक्षित बनाता है, क्योंकि इसके तहत व्यापारियों के साथ कार्ड विवरण के बजाय केवल रेंडम (यादृच्छिक) संख्याएं ही साझा की जाती हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक- डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI)	• समग्र RBI-DPI सूचकांक मार्च 2020 के 207.84 से बढ़कर मार्च 2021 में 270.59 हो गया है। यह **हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने और व्यापक करने का प्रतिनिधित्व करता है।** • RBI-DPI को **01 जनवरी, 2021** को लॉन्च किया गया था। इसका **आधार वर्ष मार्च 2018** निर्धारित किया गया है। • RBI-DPI में **5 व्यापक मापदंड** शामिल हैं **(उप-मापदंडों** की संख्या के साथ): ○ **भुगतान सक्षमकर्ता** (भार 25%), ○ **भुगतान अवसंरचना-मांग-पक्ष कारक** (10%), ○ **भुगतान अवसंरचना – आपूर्ति पक्ष कारक** (15%), ○ **भुगतान निष्पादन** (45%) और ○ **उपभोक्ता केंद्रितता** (5%)। 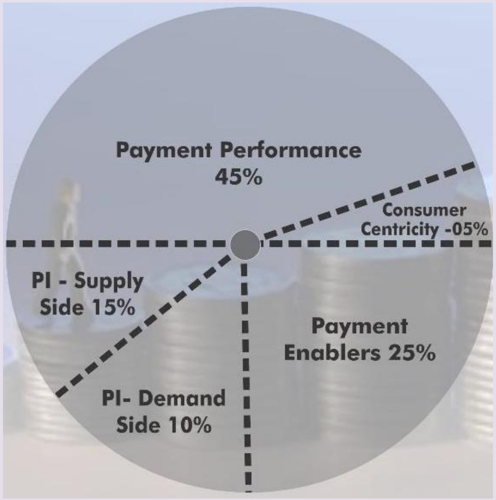

3.2. वित्तीय बाजार (Financial Markets)

3.2.1. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange: SSE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तकनीकी समूह की सिफारिशों के बाद, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के बारे में

- SSE वस्तुतः **एक विनियमित निधीयन प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करता है, जो लाभकारी सामाजिक उद्यमों[61] और गैर-लाभकारी संगठनों[62] को सामाजिक प्रयोजन हेतु निधि जुटाने में सक्षम बनाता है।
    - वर्तमान में, जिन माध्यमों से सामाजिक क्षेत्रक (FPEs और NPO) वित्त-पोषण प्राप्त करते हैं, उनमें निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व[63], सामाजिक/पर्यावरणीय प्रभाव सृजित करने वाले निवेश (impact investing), परोपकारी/सरकारी अनुदान आदि शामिल हैं।
- यह **सामाजिक संगठनों (FPEs और NPOs) और इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स,** विशेष रूप से संस्थागत निवेशकों को एकजुट करता है, जहाँ **इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स या संस्थागत निवेशक** सूचीबद्ध संगठनों से बॉण्ड के रूप में हिस्सेदारी (stake) खरीद सकते हैं।
- यह **संगठनों के सामाजिक और पर्यावरणीय मिशन को संरक्षित** करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जिससे निवेशकों को निवेश के माध्यम से **सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का शमन करने का अवसर** मिलता है। साथ ही, इस निवेश में वित्तीय प्रतिफल प्रदान करने की क्षमता भी होती है।
- **कुछ सर्वाधिक प्रतिष्ठित SSEs हैं:** यूनाइटेड किंगडम (सोशल स्टॉक एक्सचेंज), कनाडा (सोशल वेंचर कनेक्शन), दक्षिण अफ्रीका (साउथ अफ्रीकन सोशल इनवेस्टमेंट एक्सचेंज), सिंगापुर (इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज) आदि।

SSE के लिए फ्रेमवर्क में शामिल हैं:

- SSE मौजूदा स्टॉक एक्सचैंजेस के एक पृथक खंड के रूप में सेबी के विनियामक दायरे अंतर्गत कार्य करेगा।
- सेबी द्वारा अनुमोदित 15 व्यापक पात्र सामाजिक गतिविधियों के आधार पर, उन गतिविधियों में शामिल **गैर-लाभकारी संगठन,** SSE में पंजीकरण के उपरांत **इक्विटी, जीरो-कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉण्ड, म्यूचुअल फंड आदि** के माध्यम से वित्त जुटा सकते हैं।
- सेबी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी/SIDBI) तथा स्टॉक एक्सचैंजेस के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये के कोष के साथ **क्षमता निर्माण निधि** स्थापित करेगा।
- SSE में पंजीकृत/धन जुटाने वाले सामाजिक उद्यमों के लिए **सामाजिक लेखापरीक्षण** अनिवार्य होगा।

हमें SSE की आवश्यकता क्यों है?

- यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करने वाले उद्यमों को **पूंजी जुटाने के लिए बेहतर बाजार पहुंच करता है।**
- इसके तहत सूक्ष्म निगरानी के कारण बेहतर परियोजना कार्यान्वयन के साथ-साथ **बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।**
- यह निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाकर विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में **सरकार की सहायता करता है।**

3.2.2 सेबी की ओर से विनियामकीय प्रगति (Regulatory Developments from SEBI)

सेबी के बारे में

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

- सेबी (मुख्यालय: **मुंबई**) का गठन **वर्ष 1988** में हुआ था। **भारत सरकार के एक संकल्प (resolution)** के माध्यम से इसे गठित किया था।

[61] For-Profit Social Enterprises: FPEs

[62] Not-for-Profit Organisations: NPOs

[63] Corporat Social Responsibility: CSR

VISION IAS

© Vision IAS

- वर्ष 1992 में, यह **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992** के द्वारा यह एक **वैधानिक निकाय** बन गया।
- यह **प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने और विनियमित करने तथा प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक बाजार विनियामक के रूप में** कार्य करता है।
  - ऐसा करने के दौरान सेबी के पास तीन मुख्य शक्तियां, यथा **अर्ध-न्यायिक, अर्ध-कार्यकारी और अर्ध-विधायी शक्तियां होती हैं।**
- वर्ष 2015 में, **फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (FMC)** का सेबी के साथ विलय करके **कमोडिटी मार्केट के विनियमन का कार्य** भी सेबी को सौंप दिया गया था।

विनियामकीय घटनाक्रम

गोल्ड एक्सचेंज	सेबी ने एक गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने के लिए रूपरेखा की घोषणा की है। यह निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) के रूप में प्रतिभूति (security) प्रदान करेगा। • EGR का व्यापार, समाशोधन (क्लियरिंग) और निपटान अन्य प्रतिभूतियों की तरह ही किया जाएगा। **यह स्वर्ण के कुशल और पारदर्शी मूल्य की खोज, निवेश तरलता और गुणवत्ता संबंधी आश्वासन में मदद करेगा।**
एल्गो ट्रेडिंग	सेबी अधिमान्य पहुंच और व्यवस्थित बाजार हेरफेर के मुद्दों के लिए एल्गो ट्रेडिंग दुरुपयोग के कारण इसको विनियमित करने के लिए काम कर रहा है। • **एल्गोरिदम ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से की जाती है** तथा कंप्यूटर के माध्यम से ही शेयरों की खरीद और बिक्री की जाती है। इसके तहत, प्री-प्रोग्राम्ड कंप्यूटर रणनीतियों द्वारा निर्धारित मापदंडों, निर्देशों या बाजार के पैटर्न और स्थिति के आधार पर क्रय-विक्रय किया जाता है। • इसका उपयोग आमतौर पर उच्च गति पर उच्च मात्रा वाले ऑर्डरों के लिए उपयोग किया जाता है। भारतीय शेयर बाजारों में **लगभग 50 प्रतिशत** दैनिक ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग के एक उन्नत रूप के माध्यम से संपन्न होती है।
श्रम-जन्य इक्विटी (Sweat equity)	• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India: SEBI) ने **श्रम-जन्य इक्विटी की मात्रा में शिथिलता** प्रदान की है। इसे **इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म (IGP) पर सूचीबद्ध नए युग की प्रौद्योगिकी कंपनियों** द्वारा जारी किया जा सकता है। • श्रम-जन्य इक्विटी मुख्यतः **किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को गैर-नकद प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयरों** को संदर्भित करती है। स्टार्टअप्स और प्रमोटर विशिष्ट रूप से अपनी कंपनियों को निधि प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
टी+1 (व्यापार + 1 दिन) निपटान चक्र {T+1 (Trade plus 1 day) settlement cycle}	• **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)** ने बाजारों के लिए एक वैकल्पिक **T+1 निपटान चक्र** प्रस्तुत किया है। • यह **1 जनवरी 2022** से लागू होगा। T+1 से यह तात्पर्य है कि वास्तविक लेनदेन होने के एक दिन के भीतर ही निपटान को पूर्ण कर दिया जाएगा। ○ **संभावित लाभ:** इसके द्वारा **बाजार की तरलता** और ट्रेडिंग टर्नओवर में बढ़ोतरी होने तथा निपटान जोखिम एवं ब्रोकर डिफॉल्ट्स/चूक के कम होने से **घरेलू निवेशकों को लाभ पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है।**

3.2.3. सुर्ख़ियों में रहे बंधपत्र या बॉण्ड्स (Bonds in News)

भारत का प्रथम यूरो-मूल्यवर्ग का ग्रीन बॉण्ड (India's first ever Euro-denominated green bonds)	• विद्युत क्षेत्रक में अग्रणी **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC)** द्वारा **300 मिलियन यूरो का 7-वर्षीय यूरो ग्रीन बॉण्ड** जारी किया गया है। • ग्रीन बॉण्ड में, **जारीकर्ता द्वारा जुटाई गई धनराशि को अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन आदि जैसी 'हरित' परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निर्धारित किया जाता है।** • वर्ष 2007 में, यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक जैसे विकास बैंकों द्वारा ग्रीन बॉण्ड आरंभ किए गए थे। भारत के लिए, **यस बैंक** वर्ष 2015 में ग्रीन बॉण्ड जारी करने वाला **प्रथम बैंक था।**
अस्थिर दर वाले फंड्स (Floating Rate Fund)	• अस्थिर दर वाले फंड, **ऐसे बॉन्ड्स का क्रय करते हैं, जिनकी ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में दरों में परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती हैं।** • अस्थिर दर वाले फंड्स में हाल के महीनों में अत्यधिक अंतर्वाह दर्ज किया गया है, क्योंकि निवेशकों को ब्याज दरों में वृद्धि की अपेक्षा है। • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के अनुसार **अस्थिर दर वाले फंड्स के कुल कोष का 65% अस्थिर दर वाले लिखत में निवेश करना अनिवार्य है।**
सामाजिक प्रभाव बंधपत्र (Social Impact Bond: SIB)	• SIB **सार्वजनिक क्षेत्र या शासी प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है।** इसके तहत यह कुछ क्षेत्रों में **बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है** और निवेशकों को प्राप्त बचत का कुछ हिस्सा प्रदान करता है। • **SIB एक बंधपत्र नहीं है,** क्योंकि पुनर्भुगतान और निवेश पर प्रतिफल वांछित सामाजिक परिणामों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। **यदि उद्देश्य प्राप्त नहीं होते हैं, तो निवेशकों को न तो प्रतिफल और न ही मूलधन की वापसी होती है।**

	• **इसे सफलता के लिए भुगतान अनुबंध** के रूप में भी जाना जाता है। • महाराष्ट्र के पुणे जिले में पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (PCMC) ने **भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड (SIB)** के सह-निर्माण (co-create) के लिए UNDP-इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित बॉण्ड (IIB)	• कठोर मुद्रास्फीति के बीच, **RBI ने वित्तीय संस्थानों से IIB की संभावित मांग को समझने के लिए कहा है।** ○ विश्व स्तर पर, IIBs को पहली बार वर्ष 1981 में ब्रिटेन में जारी किया गया था। **भारत में, RBI ने वर्ष 2013 में IIBs** (थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ) **को जारी किया था।** • IIB, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के स्तर के बावजूद **निवेशक को निरंतर रिटर्न/प्रतिलाभ प्रदान करता है।** • मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित बॉण्ड (IIB) का मुख्य **उद्देश्य एक अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना** और निवेशक की रक्षा करना है। ○ IIB में प्रयुक्त मुद्रास्फीति सूचकांक **थोक मूल्य सूचकांक (WPI) या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** हो सकता है।

3.2.4. स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित घटनाक्रम (Developments in relation to Stock Exchanges)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम (NSE Prime)	• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने एक नई कॉरपोरेट अभिशासन पहल "NSE प्राइम" की शुरुआत की है। • यह एक ढांचा है, जो सूचीबद्ध कंपनियों के लिए विनियमों द्वारा आवश्यक किए गए मानकों की बजाय **कॉरपोरेट अभिशासन के उच्च मानकों को निर्धारित करता है।** • NSE में सूचीबद्ध सभी कंपनियां **स्वेच्छा से NSE प्राइम को अपना सकती हैं।** • **लाभ:** ○ यह भारत में **कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों के स्तर में वृद्धि करेगा।** ○ **निवेशकों को उन कंपनियों की पहचान करने में सक्षम करेगा,** जिन्होंने कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्च मानक लागू करने की इच्छा प्रकट की है। ○ सूचीबद्ध कंपनियों में **निवेशकों की गुणवत्ता में वृद्धि करने में सहायक होंगे।**
NSE-शाइन बुलियन ब्लॉकचैन प्लेटफॉर्म (NSE-Shine Bullion Blockchain Platform)	यह **गोल्ड बुलियन** के लिए आरंभ किया गया **एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है।** इसे इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर (IGPC) और इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के समर्थन में चेनफ्लक्स के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा लॉन्च किया गया है। • भारत के लिए यह पहला अवसर है, जहां एनएसई-शाइन प्लेटफॉर्म **गोल्ड डेरिवेटिव** अनुबंधों के निपटान के क्रम में **बुलियन बार एकीकरण** के लिए एक डेटा फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। • यह प्रत्येक बुलियन बार आईडी से संबंधित **डेटा सुरक्षा, डेटा अखंडता** और **डेटा ट्रेसेब्लिटी** को सुनिश्चित करने में भी सदैव मदद करेगा।
गुआरेक्स (GUAREX)	• नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) ने एग्री-इंडेक्स वायदा अनुबंध GUAREX को आरंभ किया है। • GUAREX एक **मूल्य-आधारित सूचकांक है।** यह **'ग्वार सीड** और **ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट्स'** के **वायदा अनुबंधों में मूल्य संबंधी गतिविधियों को वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक करता है।** ○ यह **कृषि-वस्तुओं के बास्केट में भारत का पहला क्षेत्रकीय सूचकांक (sectoral index) है।** • भारत **विश्व का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक देश है।** भारत, **वैश्विक स्तर पर लगभग 80-85 प्रतिशत ग्वार** का उत्पादन करता है (**राजस्थान** देश का **शीर्ष उत्पादक** राज्य है)। • NCDEX, **भारत में एक प्रमुख कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है।**
एंकर निवेशक (Anchor Investor)	• **भारतीय जीवन बीमा निगम** (LIC) **एंकर निवेशकों से 25000 करोड़ रुपये** जुटाने हेतु प्रयासरत है। • एंकर निवेशक **संस्थागत निवेशक होते हैं,** जिन्हें **प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial Public Offers: IPOs) से पूर्व शेयरों को अभिदान (subscribe) करने हेतु** आमंत्रित किया जाता है। ○ प्रत्येक एंकर निवेशक को **न्यूनतम 10 करोड़ रुपये निवेश करने की आवश्यकता होती है।** • एंकर निवेशकों को मुख्य रूप से **निवेशकों के विश्वास में वृद्धि करने और बाजार में IPO की मांग का आकलन करने के लिए** आमंत्रित किया जाता है।

© Vision IAS

	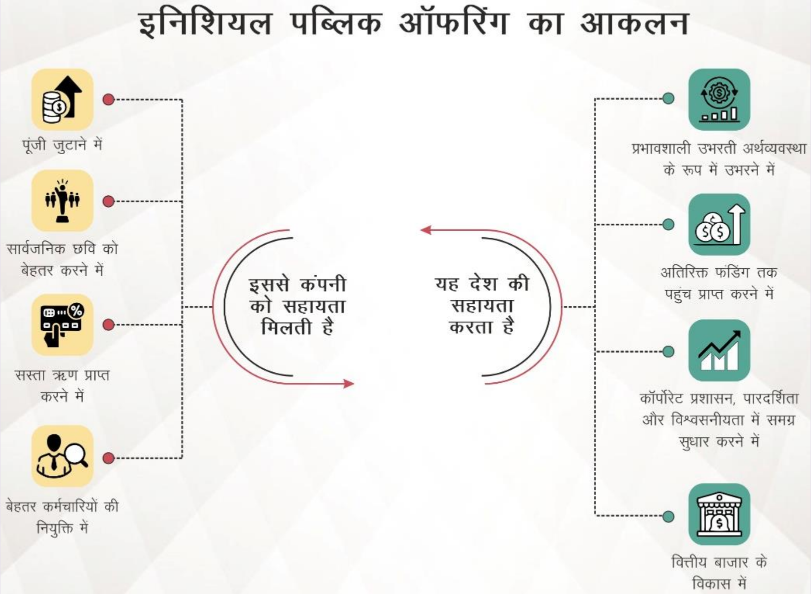
एस्क्रो खाता (Escrow Account)	• हाल ही में, **प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT)** ने **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)** को एक एस्क्रो खाते में इसके द्वारा जमा किए गए 6,085 करोड़ रुपये आहरित (withdraw) करने की अनुमति प्रदान की है। • यह एक ऐसा खाता है, जहां किसी तीसरे पक्ष द्वारा निधियों या आस्तियों को ट्रस्ट में रखा जाता है, जबकि दो या दो से अधिक पक्षों द्वारा लेन-देन प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। • यह दायित्वों की पूर्ति की क्षमता से संबंधित **अनिश्चितता को नियंत्रित करने** एवं लेनदेन के प्रकार के आधार पर **नकदी, प्रतिभूतियों और अन्य संपार्श्विक की अभिरक्षा (custody) की सुविधा** जैसे लाभ प्रदान करता है।

3.3. भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजारों से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and information on Payment Systems and Financial Markets)

स्टैगफ्लेशन(Stagflation)	• मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन) एक आर्थिक स्थिति है, जिसमें **मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है, आर्थिक संवृद्धि दर धीमी होती है और बेरोजगारी निरंतर उच्च बनी रहती है।** • यह सरकार के लिए एक दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न करती है, क्योंकि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किये गये अधिकांश प्रयास बेरोजगारी के स्तर को बढ़ा सकते हैं और बेरोजगारी को कम करने के लिए निर्मित नीतियां मुद्रास्फीति की स्थिति को और अधिक प्रतिकूल कर सकती हैं।
विधिक इकाई पहचानकर्ता (Legal Entity Identifier: LEI)	• हाल ही में, RBI ने 50 करोड़ या उससे अधिक के पूंजी या चालू खाते के **सीमा पार लेन-देन** के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता (LEI) को अनिवार्य कर दिया है। • **LEI एक 20-वर्ण का अल्फा-न्यूमेरिक कोड होता है।** यह अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) के **ISO 17442** मानक पर आधारित है। • इसका उपयोग **विश्व भर में वित्तीय लेनदेन के लिए पक्षकारों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है।** यह बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा रिपोर्टिंग प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करता है। • इसे **ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (GLEIF)** द्वारा जारी किया जाता है। GLEIF द्वारा ही इसके उपयोग को विनियमित किया जाता है। GLEIF को वर्ष 2014 में **वित्तीय स्थिरता बोर्ड** द्वारा स्थापित किया गया था।
समकारी लेवी (Equalization Levy)	• यह **किसी निवासी ई-कॉमर्स कंपनी के साथ-साथ एक अनिवासी ई-कॉमर्स कंपनी के कर संबंधी घटक को बराबर करने वाला शुल्क है।** • भारत ने 1 अप्रैल 2020 से समकारी लेवी या **इक्विलाइजेशन लेवी 2.0 (EL 2.0)** की शुरुआत की है (वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से)।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report: FSR)	• यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की जाने वाली एक अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट है। FSR, वित्तीय क्षेत्र के विकास तथा विनियमन से संबंधित समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में **वित्तीय स्थिरता के समक्ष जोखिम और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन** को दर्शाती है।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI)	• इसे **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** के **आर्थिक सलाहकार कार्यालय** द्वारा जारी किया जाता है। यह **लेन-देन के प्रारंभिक चरण** के स्तर पर **थोक बिक्री के लिए वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता** है। • WPI में 3 प्रमुख समूहों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि **प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन तथा विद्युत् और विनिर्मित उत्पाद।** • **विनिर्मित उत्पादों के लिए फैक्ट्री मूल्य, कृषि उत्पादों के लिए कृषि-बाजार (मंडी) मूल्य** तथा **खनिजों के लिए खान मूल्य** को ट्रैक किया जाता है। • WPI में शामिल प्रत्येक वस्तु को दिया गया भारांश **शुद्ध आयात के लिए समायोजित उत्पादन के मूल्य पर आधारित** होता है। WPI में **सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता** है। • अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का **आधार वर्ष** 2004-05 से संशोधित कर **2011-12** कर दिया गया है।
नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (Network for Greening the Financial System)	• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) **'नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम'** में एक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। • इस व्यवस्था को दिसंबर 2017 में **'पेरिस वन प्लैनेट समिट'** के दौरान प्रारंभ किया गया था। NGFS उन केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है, जो वित्तीय क्षेत्र में **सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने** तथा **पर्यावरण एवं जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान** करने हेतु प्रयासरत हैं। एक सतत अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का समर्थन करने के लिए मुख्यधारा के वित्त को संघटित करना भी इसका उद्देश्य है।
स्कोर्स (SCORES) पोर्टल	• **स्कोर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।** इसे निवेशकों को सूचीबद्ध कंपनियों और बिचौलियों के विरुद्ध सेबी में अपनी शिकायतें दर्ज कराने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
परिवर्तनीय पूंजी कंपनी {Variable Capital Company (VCC)}	• हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों** में निधि प्रबंधन के लिए **परिवर्तनीय पूंजी कंपनी (VCC)** की व्यवहार्यता पर गठित **के.पी. कृष्णन विशेषज्ञ समिति** ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा अपने VCC को प्रयोज्य वाहन के रूप में अपनाने की अनुशंसा की है। • VCC कंपनियों, यूनिट ट्रस्टों और सीमित देता भागीदारी (LLPs) फर्मों से **कॉर्पोरेट वाहन का एक वैकल्पिक रूप** है। इसे एक **स्टैंडअलोन फंड** या **कई उप-निधि के साथ एक अम्ब्रेला फंड** के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

	• यह **समग्र वित्तीय सेवा पारितंत्र के** निर्माण में मदद कर सकती है, क्योंकि यह ट्रस्ट पर लागू होने वाले विनियामकीय मानकों की तुलना में कंपनियों और LLPs पर लागू होने वाले उच्च विनियामक मानकों की कुछ प्रमुख सीमाओं के बिना कार्य करती है।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority: PFRDA)	• **PFRDA** ने अपनी दो प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत अप्रैल 2021 के अंत तक ग्राहक आधार (subscriber base) में 23% से अधिक की वृद्धि हासिल की है। इन दोनों पेंशन योजनाओं के तहत इसके ग्राहकों की संख्या 4.27 करोड़ हो गयी है। **PFRDA के बारे में** • इसे वर्ष 2003 में भारत में पेंशन क्षेत्र को बढ़ावा देने, विकसित करने और विनियमित करने के लिए **केंद्र सरकार के एक संकल्प के माध्यम से स्थापित** किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। • इसे **पेंशन निधि विनियामक** और **विकास प्राधिकरण अधिनियम** के माध्यम से एक **वैधानिक निकाय** बनाया गया। इस अधिनियम को **वर्ष 2013** में पारित किया गया और **वर्ष 2014** में अधिसूचित किया गया था। • यह **NPS** और **अन्य पेंशन योजना** को **विनियमित** करता है, जो किसी अन्य अधिनियमन द्वारा विनियमित नहीं है।

4. बाह्य क्षेत्र (EXTERNAL SECTOR)

4.1. भारत का निर्यात (India's Exports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत का **त्रैमासिक निर्यात** पहली बार कोविड संकट के दौरान सरकार द्वारा किए गए क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप **100 अरब डॉलर** का आंकड़ा पार कर गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए **400 बिलियन डॉलर के पण्य या वस्तु निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।** वर्ष 2027 तक **1 ट्रिलियन डॉलर** के कुल निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की चार सूत्रीय रणनीति:

भारत के कुल व्यापार का रुझान

- भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं दोनों) वर्ष 2019-20 में 526.6 बिलियन डॉलर था, जबकि यह वर्ष 2018-19 में 538.1 बिलियन डॉलर था।
- **वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी** वर्ष 1991 के 0.6% से बढ़कर **वर्ष 2018 में 1.7%** हो गई। यह चीन की 13% और अमेरिका की 9% हिस्सेदारी के मुकाबले बहुत कम है।
  - वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देशों की सूची में **भारत 18वें स्थान** पर था।

- GDP के प्रतिशत के रूप में **भारत का निर्यात अपनी GDP का लगभग 18 प्रतिशत है।**
- भारत के सेवा व्यापार की उच्च वृद्धि **निर्यात के लिए महत्वपूर्ण रही है।** भारत के पण्य/वस्तु व्यापार घाटे के लगभग 50% की वित्तीय भरपाई सेवा व्यापार के अधिशेष द्वारा की जाती है।

© Vision IAS

कोविड-19 के दौरान और वर्तमान समय में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा उठाए गए कदम

- **निर्यातकों के लिए राहत:** एडवांस ऑथोराईजेशन (अग्रिम प्राधिकार) के लिए आयात वैधता अवधि[64] और निर्यात दायित्व अवधि[65] को बढ़ाया गया है।
- **विश्व को दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों का निर्यात,** जैसे कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन और पैरासिटामोल, N95 मास्क, 2/3 स्तरीय सर्जिकल मास्क, अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र, PPE कीट आदि।
- **इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और व्यापार सुविधा (ट्रेड फैसिलिटेशन) के माध्यम से ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में वृद्धि:** विदेशी व्यापार को सुगम बनाने के लिए तकनीक आधारित कई समाधान अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, तरजीही उद्गम प्रमाण-पत्र[66] के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म आरंभ किया गया है।
- **तकनीकी विनियमों (Technical Regulations: TRs) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (Quality Control Orders: QCOs) को अपनाया गया है।**
- **व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र:** घरेलू उद्योग के लिए पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा दिया गया है। उन्हें शीघ्र राहत देने के प्रयासों के तहत एंटी डंपिंग की जाँच हेतु ई-फाइलिंग आदि की सुविधा प्रदान की गई है।
- **निर्यात केंद्र के रूप में ज़िलों का विकास करना:** इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
  - सभी राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र अपने यहाँ राज्य निर्यात रणनीति/नीति तैयार करेंगे,
  - प्रत्येक जिले में उत्पादों/सेवाओं की पहचान की जाएगी,
  - विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा ज़िला निर्यात कार्य योजना (District Export Action Plans: DEAPs) तैयार की जाएगी, आदि।

निर्यात में भारत के ख़राब प्रदर्शन के कारण

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains: GVCs) में कम भागीदारी:** पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े निर्यातक राष्ट्रों की तुलना में भारत की GVCs में भागीदारी बहुत कम है।
- **भारत से निर्यातित वस्तुओं/सेवाओं में सीमित विविधता:** देश से निर्यात होने वाली कुल वस्तुओं में लगभग 78 प्रतिशत का योगदान शीर्ष 10 प्रमुख निर्यात होने वाली वस्तुओं का है।
- **भारतीय उत्पादों का कम प्रतिस्पर्धी होना:** कई घरेलू कारक जैसे कमजोर बुनियादी ढांचा, जटिल भूमि और श्रम कानून, खंडित और अनियमित लॉजिस्टिक क्षेत्र आदि।
- **क्षेत्रीय असमानता:** भारत के कुल निर्यात के 70 प्रतिशत में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का प्रभुत्व है।
- **निर्यात को बढ़ावा देने के मामले में भारत को मुख्य तौर पर तीन बुनियादी चुनौतियों** का सामना करना पड़ता है:
  - निर्यात संवर्धन पार्क और हब विकसित करने में तटीय राज्यों ने देश के स्थलरुद्ध राज्यों (landlocked states) के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे **निर्यात संबंधी अवसंरचना में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति बनी हुई है।**
  - **राज्यों में व्यापार संबंधी सहायता और विकास हेतु अकुशल नीतियों का होना एक और चुनौती है।**
  - **जटिल और विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अनुसंधान और विकास अवसंरचना का अभाव है।**
- **भारत कम कुशल और श्रम प्रधान निर्यात में तुलनात्मक लाभ उठाने में विफल रहा है।**

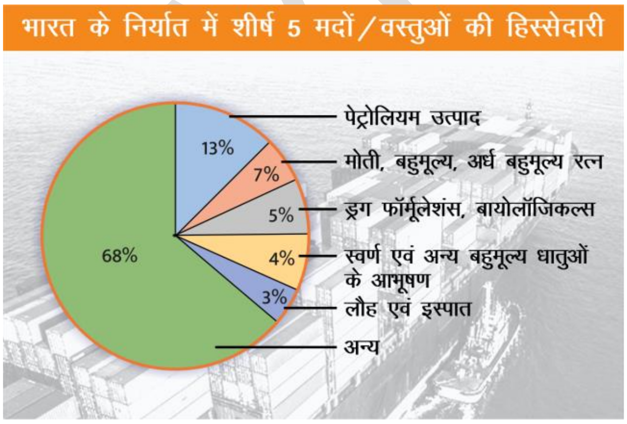

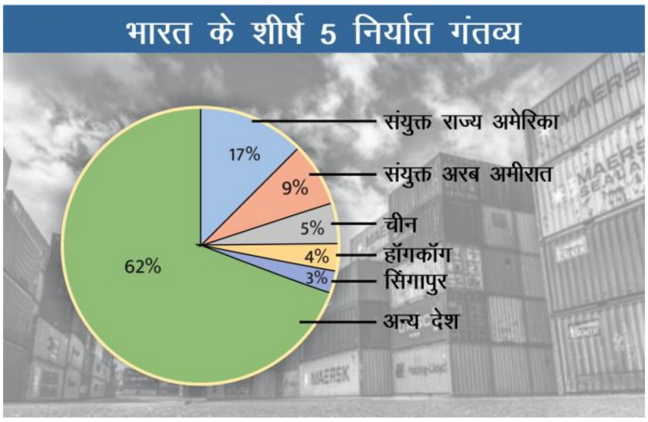

[64] Import Validity period

[65] Export Obligation period

[66] Preferential Certificate of Origin

भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **इंडियाएक्सपोर्ट (IndiaXports) पहल:** इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक MSMEs द्वारा किए जाने वाले निर्यात में 50% की वृद्धि करना है। इसके तहत एक इन्फ़ो पोर्टल होगा जो भारतीय MSMEs द्वारा किए जाने वाले निर्यातों के लिए ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करेगा।
    - MSMEs भारत के कुल निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं।
- **निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (Export Credit Guarantee Corporation: ECGC) में पूंजी निवेश:** इस निगम का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इसका उद्देश्य निर्यात के लिए ऋण जोखिम बीमा और संबंधित सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देना था।
    - ECGC ने **निर्विक (NIRVIC)** योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य उच्च बीमा कवर, छोटे निर्यातकों के लिए कम प्रीमियम और एक सरलीकृत दावा निपटान प्रक्रिया प्रदान करना है।
- 13 उच्च क्षमता वाले क्षेत्रकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)** प्रदान किया जाता है। इनमें ऑटोमोबाइल, बैटरी सेल, फ़ार्मा, टेलिकॉम नेटवर्किंग, खाद्य और वस्त्र क्षेत्रक आदि शामिल हैं।
- हाल ही में, नीति आयोग ने **निर्यात तत्परता सूचकांक (Export Preparedness Index: EPI: EPI)** जारी किया है। इसमें प्रत्येक राज्य की निर्यात क्षमता और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में क्षेत्रीय स्तर की अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका पर चर्चा की गई है।
- **हाल ही में, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति** का मसौदा प्रस्तुत किया गया। इसमें सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत GDP के 13-14% से घटकर 10% हो जाएगी।
- **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (National Export Insurance Account: NEIA) को जारी रखना** और इसमें अगले पांच वर्षों (2021-2022 से 2025-2026) के दौरान **1,650 करोड़ रुपये का निवेश करना।**
    - यह निर्यातकों को निर्धारित बाजार में प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स (परियोजना निर्यात) की क्षमता का दोहन करने में मदद करेगा और भारत में विनिर्माण को बढ़ाएगा।
    - **NEIA ट्रस्ट का गठन वर्ष 2006 किया गया था।** इसका उद्देश्य निर्यात करने वाली भारत की सामरिक और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।
- **भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर (IMSC):** गुजरात मेरीटाइम बोर्ड गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT City) में प्रथम IMSC स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी भारत का एकमात्र स्वीकृत IFSC (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) है, जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है।
- IMSC को एक समर्पित पारितंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें बंदरगाह, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता और समुचित सरकारी विनियामक शामिल होंगे, जो सभी GIFT सिटी के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हैं।
- **निर्यातकों के लिए ब्याज इक्वलाईजेशन योजना :** सरकार ने 30 सितंबर, 2021 तक **समान दायरे और कवरेज के साथ 'ढुलाई पूर्व एवं उपरांत रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकरण योजना'** (Interest Equalization Scheme for Pre and Post Shipment Rupee Export Credit) **के विस्तार** को स्वीकृति प्रदान की है।
- निर्यातकों को ब्याज पर 3 फीसदी से 5 फीसदी के बीच सब्सिडी प्राप्त होती है।
    - बैंक **निर्यातकों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं और जिनकी बाद में सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।**
    - योजना **सभी वस्तुओं के MSME निर्यातकों के लिए उपलब्ध** है। अन्य निर्यातक इसे 416 चिन्हित उत्पादों के लिए प्राप्त करते हैं।

4.2. विश्व व्यापार संगठन से संबंधित घटनाक्रम (WTO Related Developments)

4.2.1. कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि **विश्व व्यापार संगठन** (WTO) का **"कृषि पर समझौता (AoA)** विकासशील देशों के पक्ष में नहीं है।

कृषि पर समझौते (AoA) के बारे में

- इसका लक्ष्य कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कम विकृत (distorted) बाजार का मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए यह **कृषि उत्पादों के व्यापार और घरेलू नीतियों में दीर्घकालिक सुधार हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है।**
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप देने के बाद **AoA वर्ष 1995 में लागू हुआ। इस समझौते में निम्नलिखित शामिल है:**
    - **बाजार तक पहुंच:** कृषि वस्तुओं के व्यापार में विद्यमान प्रतिबंधों को समाप्त कर आयात पर कर या शुल्क का उपयोग करना।

- **घरेलू समर्थन:** सब्सिडी और अन्य सहायता कार्यक्रमों के उपयोग को सीमित या बंद करना, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रोत्साहित और व्यापार को विकृत करते हैं।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धा:** निर्यात संबंधी सब्सिडी और अन्य सरकारी सहायता कार्यक्रमों के उपयोग को सीमित या बंद करना, जो निर्यात को प्रतिस्पर्धा रहित बनाते हैं।

- इस समझौते के तहत **WTO के सदस्य "कृषि वस्तुओं की एक सूची" पर सहमत हुए हैं और उन्होंने कुछ प्रतिबद्धता भी व्यक्त** की है। इससे कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ (प्रशुल्क) की सीमा निर्धारित की गयी है और साथ ही घरेलू समर्थन एवं निर्यात संबंधी सब्सिडी के स्तर को भी निर्धारित या सीमित किया गया है।

ग्रीन बॉक्स

- ग्रीनबॉक्स के अंतर्गत किए जाने वाले उपायों में कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ तक कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य इसमें और अधिक वृद्धि कर सकते हैं।
- यह विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के सदस्य देशों पर लागू होता है। हालांकि, विकासशील देशों के मामले में खाद्य सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों तथा शहरी और ग्रामीण निर्धनों के लिए सब्सिडी युक्त खाद्य पदार्थों के संबंध में सरकार द्वारा रखे गए स्टॉक से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में विशेष सुविधा (स्पेशल ट्रीटमेंट) प्रदान की जाती है।

(भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रीनबॉक्स के अंतर्गत नहीं आती है)

अंबर बॉक्स

- कृषि उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले सभी घरेलू समर्थन उपायों (कुछ अपवादों सहित) को अंबर बॉक्स के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- उदाहरण के लिए– न्यूनतम समर्थन मूल्य; सरकारी खरीद मूल्य; उर्वरक, सिंचाई के लिए जल, ऋण तथा विद्युत आदि पर दी जाने वाली सभी सब्सिडियों का कुल योग इसमें शामिल है।

ब्लू बॉक्स

- ब्लू बॉक्स के अंतर्गत शामिल चीजें मूल रूप से अंबर बॉक्स सब्सिडी के ही समान होती हैं लेकिन इनकी प्रवृत्ति उत्पादन को सीमित करने की होती है। सामान्य रूप से अंबर बॉक्स के तहत दी जा सकने वाली कोई भी ऐसी सहायता जिसके कारण किसानों को अपना उत्पादन भी सीमित करना पड़ता है तो उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है।
- इन उपायों को कमी करने से संबंधित प्रतिबद्धताओं से भी छूट दी जाती है।

विशेष एवं विभेदित उपाय बॉक्स

- इसमें किसानों को ट्रैक्टरों और पंपसेटों, कृषि से संबंधित इनपुट सेवाओं जैसे उर्वरकों आदि के लिए दी जाने वाली निवेश सब्सिडी शामिल होती हैं।
- इस बॉक्स में शामिल सब्सिडी केवल विकासशील और निम्न आय वाले देशों द्वारा दी जा सकती हैं।

कृषि पर समझौता (AoA): समझौता वार्ता का क्रमविकास

दौर (Round) या मंत्रीस्तरीय सम्मेलन	मुख्य प्रावधान
उरुग्वे दौर (1986-94)	**AoA पर WTO के सदस्यों द्वारा उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान हस्ताक्षर किए गए।** • सदस्य देशों ने घरेलू समर्थन और निर्यात संबंधी सब्सिडी को कम या समाप्त करने और बाजार पहुंच प्रदान करने के बारे में प्रतिबद्धता व्यक्त की। • यह खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता सहित **गैर-व्यापारिक मुद्दों को भी शामिल** करता है। इसमें विकासशील देशों के लिए **विशेष और विभेदक (special and differential) उपाय** प्रदान किए गए हैं। • इसके तहत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को **कृषि संबंधी विशेष सुरक्षोपाय (Special Agricultural Safeguard)** प्रदान किये गए हैं। इसके चलते ये देश आयात में अत्यधिक वृद्धि (मात्रा में) या आयात मूल्य में एक निश्चित सीमा से अधिक गिरावट की स्थिति में अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं। **उरुग्वे दौर के दौरान घरेलू समर्थन की कुछ निश्चित श्रेणियां बनाईं गईं:**

	• **डी मिनिमिस (De Minimis):** एम्बर बॉक्स में शामिल सब्सिडी के लिए एक सीमा तय की गयी है जिसे 'डी मिनिमिस' कहते हैं। इस प्रकार, AoA के तहत घरेलू समर्थन की एक न्यूनतम मात्रा की अनुमति दी है, भले ही उससे व्यापार में बाधा आए। यह विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 5% और विकासशील के लिए 10% तक है।
	• **पीस क्लॉज (Peace Clause):** यह WTO के किसी सदस्य द्वारा अनुमत सीमा से अधिक दिए गए घरेलू समर्थन और निर्यात संबंधी सब्सिडी को WTO के अन्य सदस्यों द्वारा चुनौती दिए जाने से संरक्षण प्रदान करता है।
	  ○ हालांकि, यह क्लॉज या शांति उपबंध 1 जनवरी 2004 को समाप्त हो गया था। इसके बाद दिसंबर 2013 में WTO के बाली सम्मेलन में चार वर्ष की अवधि (वर्ष 2017 तक) के लिए एक अन्य अस्थायी पीस क्लॉज का प्रावधान किया गया था।
	  ○ इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी सदस्य देश को उसकी आबादी के लिए चलाये जा रहे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, भले ही उसके द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी से WTO के AoA में निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन होता हो।

दोहा दौर (नवंबर 2001)	दोहा दौर में गैर-कृषि बाजार पहुंच (Non-Agricultural Market Access: NAMA), सेवाओं, विवाद निपटान, डंपिंग रोधी शुल्क, सब्सिडी, कृषि से जुड़े मुद्दों आदि पर वार्ता की गयी थी।

वर्ष 2013 में बाली में मंत्रीस्तरीय सम्मेलन	• खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए **सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण के संबंध में स्थायी समाधान** हेतु वार्ता करने के लिए एक समझौता किया गया। • **"सामान्य सेवाओं" की ग्रीन बॉक्स सूची के विस्तार का प्रस्ताव दिया गया।** • **सभी प्रकार की निर्यात संबंधी सब्सिडी को कम करने** तथा पारदर्शिता एवं निगरानी में सुधार **हेतु एक घोषणा-पत्र जारी किया गया।** • बाली में एक **अस्थायी शांति उपबंध** शामिल किया गया।
वर्ष 2015 का नैरोबी पैकेज	• **कृषि निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने** और निर्यात उपायों पर एकसमान प्रभाव वाले अनुशासन को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। • WTO के सदस्य विकासशील देशों के सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रमों के उपयोग के संबंध में एक **स्थायी समाधान** तक पहुंचने के लिए पर सहमत हुए थे। • मंत्रियों द्वारा **विशेष सुरक्षा तंत्र के संबंध में समझौता वार्ता को** जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई।

AoA पर विकासशील देशों (भारत सहित) की चिंताएं

- खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्नों की सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग पर विवाद के **स्थायी और व्यावहारिक समाधान की तत्काल आवश्यकता** है, जिसमें किसी भी सीमा का उल्लंघन करने के लिए कोई दंड न हो।
- **निर्यात सब्सिडी में सभी प्रकार के निर्यात सब्सिडी को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि** विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च कृषि सब्सिडी में से कई को **निर्यात सब्सिडी के दायरे से बाहर रखा गया है।**
- **विकसित देशों द्वारा व्यापार के लिए सैनेटरी एंड फाइटोसैनेटरी (SPS) उपायों और तकनीकी बाधाओं का उपयोग** चुनिंदा रूप से विकासशील देशों से आयात को रोकने या उनकी बाजार पहुंच को बाधित करने के लिए किया जाता है।

4.2.2. सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशंस (Services Domestic Regulations: SDR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 67 सदस्य देशों** ने **सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशन (SDR)** पर अपनी वार्ता संपन्न की।

सेवाओं में व्यापार और जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज़ (GATS)

- सेवा क्षेत्रक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम, **गैट्स (GATS)** द्वारा शासित होते हैं। गैट्स, **उरुग्वे दौर** की वार्ता का एक परिणाम है।
- यह सभी प्रकार की सेवाओं के मामले में **सेवा व्यापार** को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक ढांचा प्रदान करता है। इसके केवल दो अपवाद हैं। ये हैं:
  - सरकारी प्राधिकरण के प्रयोग के लिए आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं, और
  - हवाई यातायात तथा हवाई परिवहन सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी सेवाएं।
- गैट्स, सेवाओं की आपूर्ति के **चार मोड** पर लागू होता है (जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है)। यह सेवाओं में व्यापार को उदार बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों (अलग-अलग मात्रा में) के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।
- यह समझौता देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है।

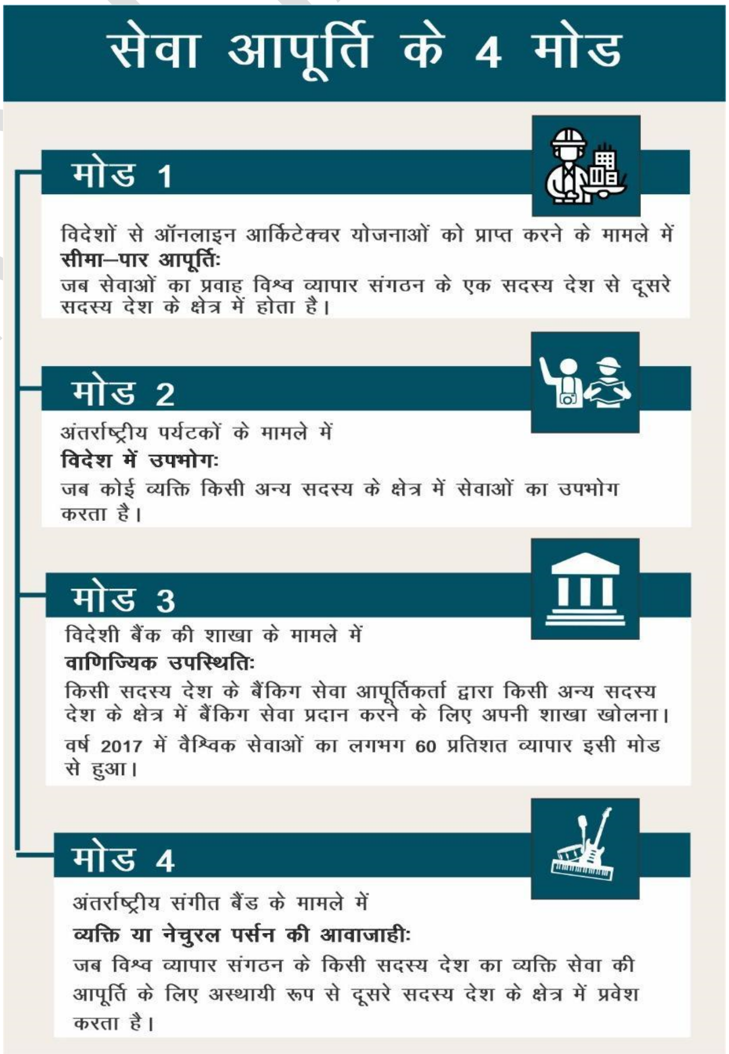

सर्विसेज़ डोमेस्टिक रेगुलेशन (SDR) और इसके संभावित लाभ

इसे वर्ष 2017 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित **11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** के दौरान पेश किया गया था। यह नया **बहुपक्षीय समझौता** WTO के पिछले 26 वर्षों के इतिहास में **सेवाओं पर नियमों का पहला सेट** है।

- ये सदस्य देश विश्व व्यापार के 90% से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ (EU), ब्राजील इत्यादि।
- इसके अंतर्गत सदस्यों के लिए नए विषयों को **अतिरिक्त प्रतिबद्धता (additional commitments)** के रूप में शामिल किया जाएगा। यह **GATS अनुसूचियों (GATS अनुच्छेद XVIII)** के तहत सेवाओं संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
    - इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने अन्य देशों को भी इसमें शामिल करने पर सहमति दी है। हालाँकि, इसके लिए शर्त यह है कि नए देशों को **"मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)"** की शर्त का पालन कर इसके लिए आवेदन करना होगा।
- **संभावित लाभ:**
    - SDR का मुख्य ध्यान सेवा व्यापार की लागत को कम करने पर है। इसके लिए बेतुके और अपारदर्शी नियमों को समाप्त करने पर जोर दिया जाना है। यह अपने उद्देश्यों, साधनों आदि के माध्यम से बेतुके व बोझिल प्रक्रियाओं की समस्या का भी समाधान करेगा।
- इस समझौते की एक अनूठी विशेषता यह है कि, इन नियमों में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव के प्रावधान शामिल नहीं हैं। यह **महिला सशक्तीकरण** का समर्थन करेगा और **सेवा व्यापार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा।**

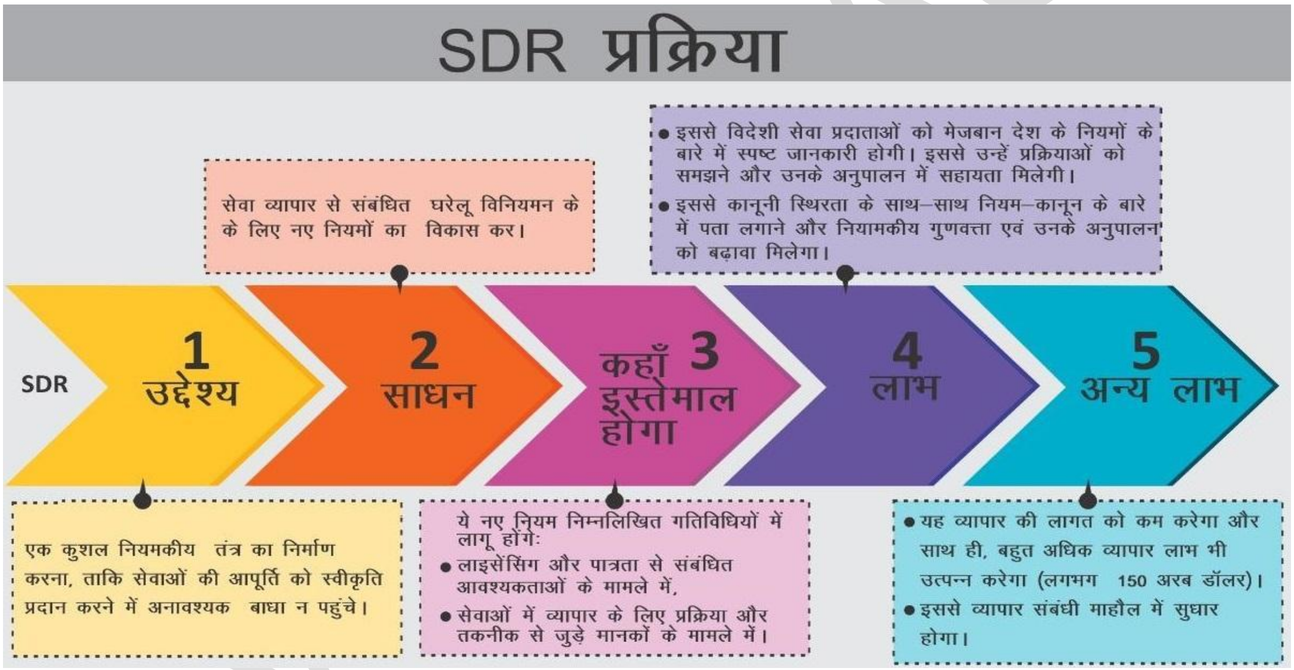

भारत जैसे देशों ने SDR पर क्या चिंता जाहिर की है?

- यह **विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों की सहमति के बिना** समान उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी और समानांतर तंत्र स्थापित करने का एक प्रयास है।
- **गैट्स,** सदस्य देशों को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि वे विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कितनी बाजार पहुंच प्रदान करेंगे और किस हद तक विदेशी सेवा प्रदाताओं के साथ अलग व्यवहार करेंगे।
- अब SDR के जरिये योग्यता और लाइसेंसिंग शर्तों के साथ-साथ तकनीकी मानकों को लागू करना संभव हो सकेगा। इससे **सेवा व्यापार** और **पेशेवरों की सीमा-पार मुक्त आवाजाही को बाधित** किया जा सकता है।
- घरेलू नियमों (जैसे कि योग्यता संबंधी शर्तें और प्रक्रियाओं, तकनीकी मानकों, और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं) द्वारा व्यापार में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने से सदस्य देशों रोकने के लिए वर्ष 1999 में **वर्किंग पार्टी ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशंस (WPDR)** की स्थापना (GATS के **अनुच्छेद VI:4** के तहत) की गई थी।

4.2.3. कोविड-19 का टीका और बौद्धिक संपदा अधित्याग (Covid-19 Vaccine and IP Waiver)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कोविड-19 के टीकों के लिए बौद्धिक संपदा (Intellectual Property: IP) संरक्षण का अधित्याग करने हेतु समर्थन की घोषणा की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अभियान **भारत और दक्षिण अफ्रीका** द्वारा आरंभ किया गया था। इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization: WHO) और यू.एन.एड्स (UNAIDS) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित, 100 से अधिक देशों द्वारा समर्थन किया जा रहा है।
  - UNAIDS (यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एच.आई.वी./एड्स) वस्तुतः सतत विकास लक्ष्यों के भाग के रूप में **वर्ष 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे के रूप में समाप्त करने** वाले वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।
- इनके द्वारा विश्व व्यापार संगठन (World Trade organization: WTO) से **"ट्रिप्स" या बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS)** पर हुए समझौते की कुछ शर्तों, जो कोविड-19 का सामना करने के लिए वहनीय चिकित्सीय उत्पादों तक समय पर पहुँच को बाधित कर सकते हैं, का अधित्याग करने का आग्रह किया गया था।
- इसका लक्ष्य **अपना स्वयं का टीका बनाने वाले देशों,** विशेष रूप से निम्नतम आय वाले देशों के लिए **बाधाओं को कम करना है।**

कोविड-19 टीके तक वैश्विक पहुंच: कोवैक्स (COVID-19 Vaccines Global Access: COVAX)

- यह एक विश्वव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य **कोविड-19 टीकों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना** है। इसका निर्देशन **GAVI, वैक्सीन एलायंस, द कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन** और **विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया जा रहा है।**
- कोवैक्स (COVAX) वस्तुतः कोविड-19 टूल्स (ACT) एक्सेलेरेटर तक पहुंच के तीन स्तंभों में से एक है, जिसे इस वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए WHO, यूरोपीय संघ और फ्रांस द्वारा आरंभ किया गया था।

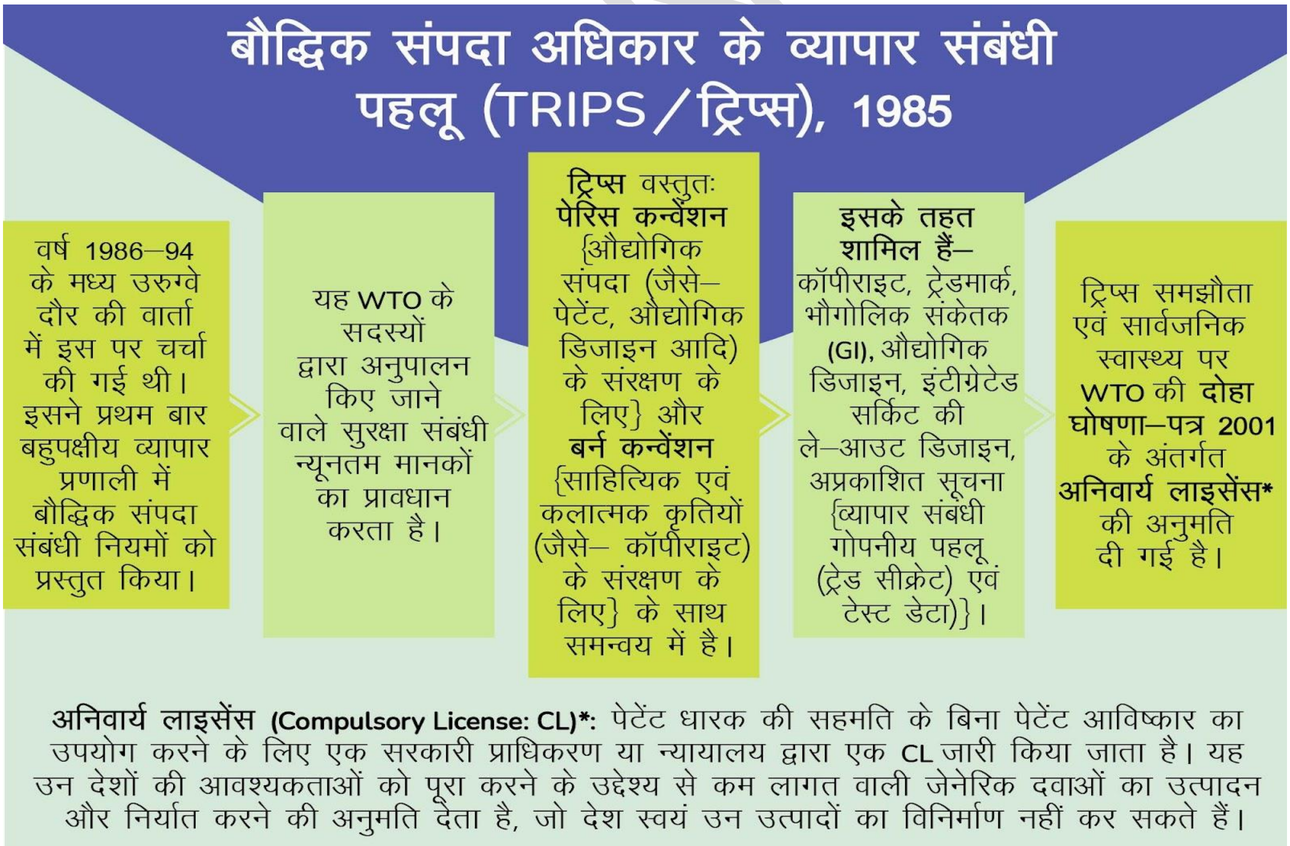

4.2.4. चाय निर्यात (Tea Exports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा **एन्थ्राक्विनोन (Anthraquinone) को कीटनाशक (चाय में पाए जाने वाले)** के रूप में वर्गीकृत करने और इसे गैर-टैरिफ बाधा के रूप में नामांकित करने के निर्णय के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में अपनी चिंता व्यक्त की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने तर्क दिया कि **एन्थ्राक्विनोन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक हाइड्रोकार्बन या प्रदूषक है, न कि कीटनाशक।**
- इसके अलावा, रूस ने चाय को "फलों और सब्जियों" के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके कारण चाय के लिए एक **उच्च-स्तरीय गुणवत्ता-जांच पैरामीटर** लागू किया गया था।

एंथ्राक्विनोन के बारे में:

- **एन्थ्राक्विनोन, पर्यावरण में हर जगह,** जैसे- हवा, पानी, मिट्टी, पौधों, मछली/समुद्री भोजन और जानवरों के ऊतकों में स्वाभाविक रूप से पाये जाते हैं।
- इसका उपयोग पेंट, टेक्सटाइल और पेपर उद्योगों में किया जाता है तथा इसे **पक्षी प्रतिकर्षी (Bird Repellent)** के रूप में जाना जाता है।

भारत के चाय संबंधी आँकड़े

- भारत **विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** देश है और केन्या, चीन तथा श्रीलंका के बाद दुनिया में चाय का **चौथा सबसे बड़ा निर्यातक** देश है।
    - भारत का कुल चाय निर्यात वित्त वर्ष 2019 में 830.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2020 में 826.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- भारत **उच्च गुणवत्ता वाली विशेष किस्म की चाय** का निर्यात करता है, जिसमें एक विशिष्ट सुगंध, रंग और स्वाद होता है, जैसे- **दार्जिलिंग चाय (जीआई टैग), असम ऑर्थोडॉक्स चाय और उच्च श्रेणी की नीलगिरी चाय** आदि।
- भारत क्रश-टियर-कर्ल (Crush-Tear-Curl: CTC) और ऑर्थोडॉक्स दोनों किस्म की चाय का उत्पादन करता है।

चाय निर्यात में बाधाएँ:

- क्रश-टियर-कर्ल (CTC) किस्म की चाय के लिए निर्यात बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव है।
- **विदेशों में बेची जा रही दार्जिलिंग चाय की प्रमाणिकता जांचने के लिए समुचित तंत्र का अभाव** है। उदाहरण के लिए, नेपाल की चाय को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दार्जिलिंग चाय के रूप में बेचा जा रहा है जो कि जी.आई. टैग का उल्लंघन है।

4.3. वैश्विक वित्तीय एकीकरण (Global Financial Integration)

4.3.1. पूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility: CAC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर ने हाल ही में भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता कार्यढांचे में मूलभूत बदलाव के संकेत दिए हैं, जिससे फिर से पूंजी खाता उदारीकरण (Capital account liberalization) से संबंधित बहस शुरू हो गई है।

पूंजी खाता परिवर्तनीयता या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (CAC) का अर्थ क्या है?

- परिवर्तनीयता या कन्वर्टिबिलिटी का आशय BoP (भुगतान संतुलन) से जुड़े लेन-देन के भुगतान के लिए **घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में और विदेशी मुद्राओं को घरेलू मुद्रा में बदलने या विनमय की क्षमता** से है।
- इस प्रकार, CAC पूंजी खाता लेनदेन के लिए घरेलू मुद्रा को परिवर्तित करने की क्षमता या स्वतंत्रता है।

CAC का विनियमन:

- भारत ने 1990 के दशक की शुरुआत में अपने पूंजी खाते को सावधानीपूर्वक खोलना शुरू किया और वर्तमान में **भारत में आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता** मौजूद है।
- पूर्ण CAC की दिशा में एक मार्ग की सिफारिश करने के लिए RBI द्वारा पहले कई समितियां गठित की जा चुकी हैं, इनमें शामिल हैं-
    - **कमेटी ऑन CAC, 1997 (तारापोर समिति, 1997)** ने राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) आदि से संबंधित कुछ बेंचमार्क की पूर्ति के बाद 1999-2000 से पूर्ण CAC की सिफारिश की थी।

© Vision IAS

- पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता (CAC) पर कमेटी, 2006 (तारापोर समिति, 2006) ने क्रमिक रूप से पूंजी खाते का उदारीकरण करने के उपायों पर सुझाव दिया था।

पूर्ण CAC की तरफ बढ़ने के लिए उठाए गए कदम

- **पूर्ण या फुली एक्सेसिबल रूट (FAR)** को लाया गया, जो विशिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में अनिवासी निवेश (non-resident investment) पर कोई सीमा नहीं लगाता है।
- **नॉन-कन्वर्टेबल फॉरवर्ड (NDF) रुपी (Rupee) मार्केट में व्यापार या ट्रेड की अनुमति:** RBI ने भारत में उन बैंकों को NDF बाजार या मार्केट में भाग लेने के लिए अनुमति दी है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट (IBU) का संचालन करते हैं।
    - NDF एक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध है, जो परिवर्तनीय मुद्रा में अनुबंध व्यवस्था के साथ निवेशकों को गैर-परिवर्तनीय मुद्राओं में व्यापार करने की अनुमति देता है।
- **उदारीकृत विप्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme)** नाबालिग सहित सभी निवासी व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2,50,000 अमेरिकी डॉलर बाहर भेजने अर्थात् मुक्त रूप से विप्रेषित (remit) करने की अनुमति देती है। यह चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन में संभव है।
- **बाह्य वाणिज्यिक उधारी (External Commercial Borrowing: ECB) को युक्तिसंगत बनाना:** RBI द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं-
    - **क्षेत्रवार सीमाओं की प्रणाली को बदलना:** दिशा-निर्देश में निर्धारित कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, FDI प्राप्त करने के पात्र सभी संस्थाओं को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर ECB जुटाने की अनुमति दी गई है।
    - **ECB से जुड़े अंतिम-उपयोग प्रतिबंधों में ढील:** कॉरपोरेट्स और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए ECB जुटाने की अनुमति देना।

CAC से जुड़े लाभ

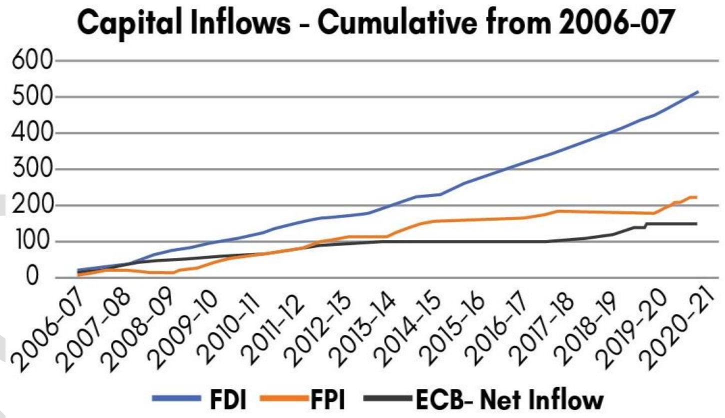

- **आर्थिक संवृद्धि को सुगम बनाता है:** CAC निवेशकों, व्यवसायों और व्यापार भागीदारों सहित वैश्विक अभिकर्ताओं के लिए बाजार खोलता है, जिससे निवेश प्रवाह में वृद्धि होती है।
- यह एक स्थिर और परिपक्व बाजार के रूप में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर अवसंरचना, विषयों और नीतियों आदि के लिए **सरकार पर दबाव** निर्मित करता है।
- यह प्रतिस्पर्धा, तरलता आदि में वृद्धि कर **वित्तीय क्षेत्र की दक्षता में सुधार** करता है।
- **यह अपतटीय (ऑफशोर) रुपया बाजार के विकास में मदद करता है।** साथ ही, यह घरेलू निवेशकों को कम लागत पर विदेशी परिसंपत्तियों में निवेश करने का अवसर भी प्रदान करता है।
- यह बेहतर रोजगार और व्यवसाय के अवसर प्रदान करता है, आदि।

पूर्ण CAC या मुक्त पूंजी परिवर्तनीयता से जुड़े जोखिम

- **विनिमिय दर की अस्थिरता:** पूर्ण CAC से बड़ी संख्या में वैश्विक बाजार की कंपनियां भारत के साथ जुड़ सकती हैं जिससे पूंजी अचानक बाहर जा सकती है। यह विदेशी मुद्रा में अस्थिरता, अवमूल्यन या मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है।
- **असंधारणीय विदेशी ऋण (Unsustainable Foreign Debts):** यदि विनिमय दरें प्रतिकूल हो जाती हैं, तो विदेशी ऋण के मामले में व्यवसायों पर उच्च पुनर्भुगतान का जोखिम आ सकता है।
- **क्रेडिट एंड एसेट बबल्स (Credit and asset bubbles):** उभरते देशों में विदेशी निवेशक इक्विटी बाजारों का उपयोग, मुद्रा का मूल्य बढ़ने पर सट्टा लगाने के लिए कर सकते हैं, जिससे परिसंपत्ति मूल्यों में विकृति आती है और सट्टेबाजी का जोखिम बढ़ जाता है।
- **वैश्विक समष्टि-आर्थिक जोखिमों का खतरा।**
- **व्यापार संतुलन एवं निर्यात पर प्रभाव:** पर्याप्त अंतर्वाह (घरेलू बाजार में अधिक विदेशी मुद्रा आने) से विनिमय दर अधिक हो सकती है जो भारतीय निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम प्रतिस्पर्धी बना सकती है।
- **संवृद्धि या ग्रोथ को सृजित करने में प्रभावशीलता का अभाव:** विदेशियों द्वारा विदेशी पूंजी के अंतर्वाह से विकास या संवृद्धि पर केवल अस्थायी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दीर्घकालिक विकास का मुख्य निर्धारक उत्पादकता वृद्धि है जिसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे, व्यापार में आसानी, तकनीकी प्रगति आदि की आवश्यकता होती है।

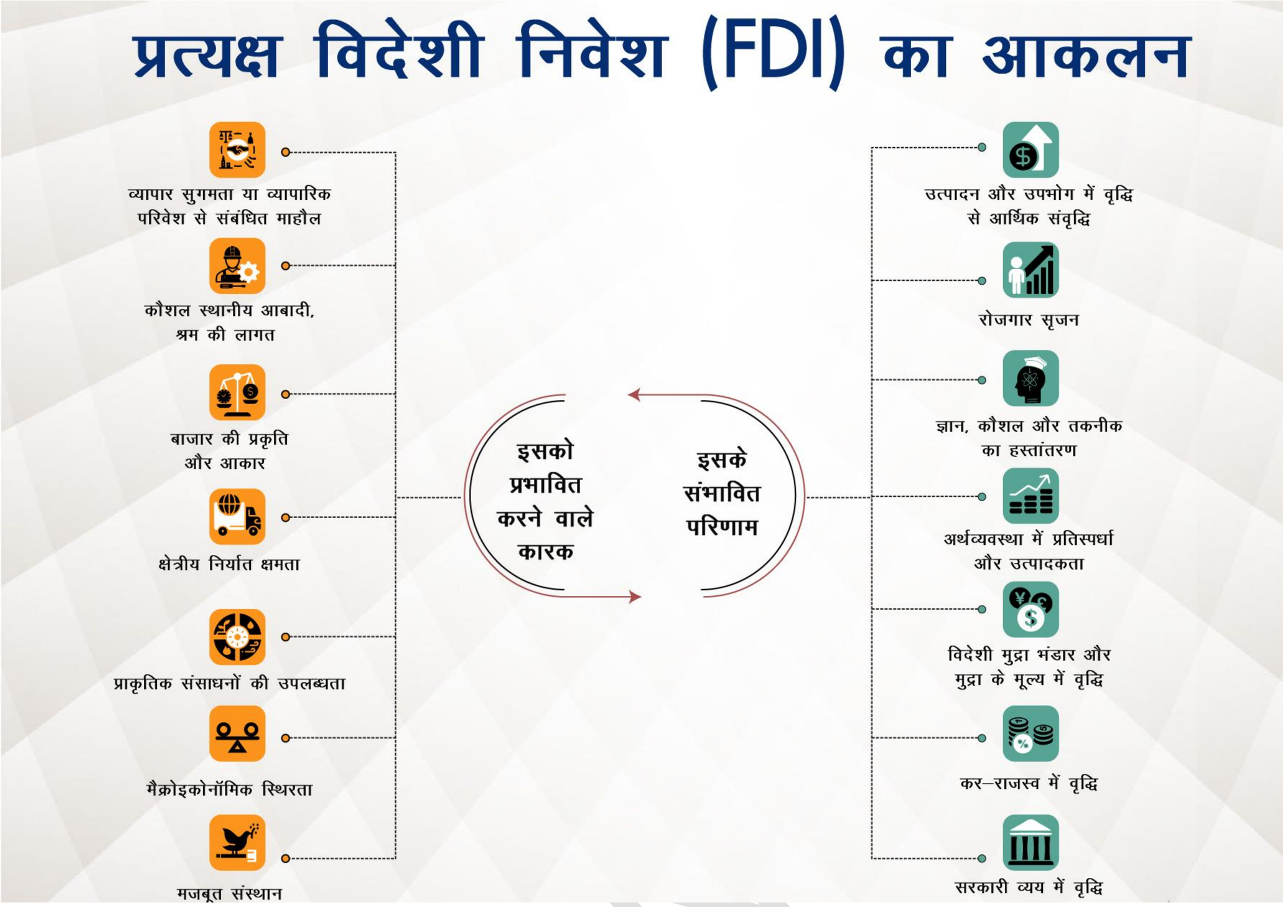

4.3.2. विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सूचकांक को बंद किया (World Bank discontinue Ease of Doing Business: EoDB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक समूह ने देशों के कारोबारी माहौल पर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सूचकांक' रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है।

ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (EoDB) रैंकिंग के बारे में

- व्यापार/कारोबार सुगमता परियोजना को वर्ष 2002 में आरंभ किया गया था। यह 191 अर्थव्यवस्थाओं और उप-राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर चुनिंदा शहरों की **कारोबार से जुड़े नियम-कानून और उनके प्रवर्तन की स्थितियों का मापन प्रदान करता है।**
  - इसके तहत **घरेलू स्तर की छोटी और मध्य आकार की कंपनियों** का अध्ययन किया जाता है और उस कंपनी के जीवन चक्र के दौरान उन पर लागू होने वाले नियम-कानूनों का मापन किया जाता है। (इंफ़ोग्राफ़िक देखें)
- EoDB सूचकांक वस्तुतः विश्व बैंक समूह द्वारा आरंभ की गई एक रैंकिंग प्रणाली है। इसके अंतर्गत उच्चतर रैंकिंग (अर्थात् न्यूनतम संख्यात्मक मान) **एक बेहतर स्थिति** को संदर्भित करती है। यह संबंधित देश की व्यवसाय संबंधी नियमों की सरलता और संपत्ति अधिकारों के मजबूत संरक्षण की स्थिति को दर्शाता है।

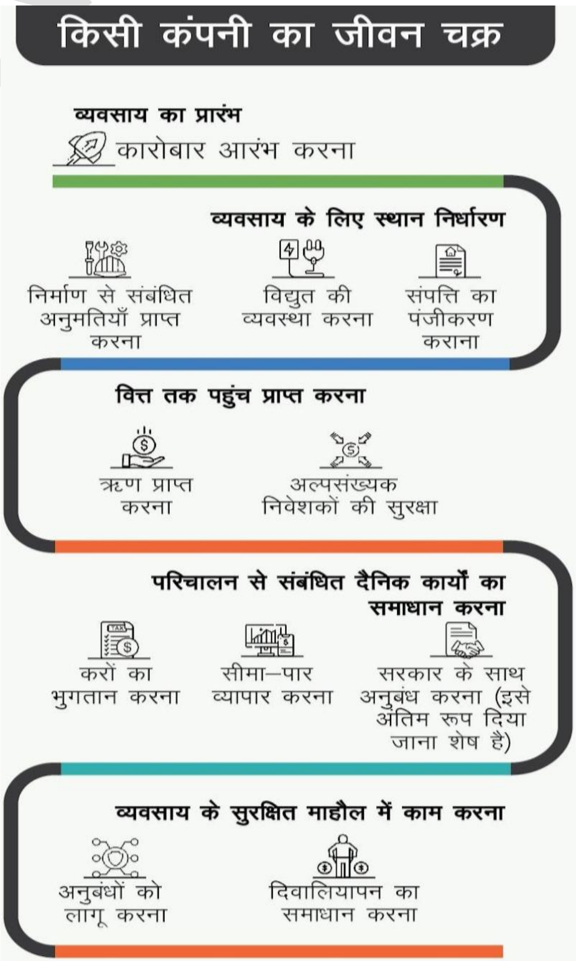

© Vision IAS

- **EoDB रैंकिंग 2020 में भारत अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 63वें स्थान पर पहुंच गया है।** वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था।

EoDB रैंकिंग से संबंधित चुनौतियाँ

- **रैंकिंग में अनियमितताएं: वर्ष 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा से जुड़ी अनियमितताओं की समीक्षा के बाद** इस रैंकिंग को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
    - रैंकिंग से संबंधित अनियमितताओं के कारण चार देश, यथा- चीन, सऊदी अरब, यू.ए.ई., और अज़रबैजान प्रभावित हुए थे।
- **उदारवादी पक्षपात:** यह पाया गया है कि इसमें उदारवादी पक्षपात के कारण आर्थिक गतिविधियों की जटिलता को कम करके कुछ मात्रात्मक मैट्रिक्स (quantifiable metrics) तक ही सीमित कर दिया है। **इसके चलते उन देशों को प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है जिनकी आर्थिक नीतियां विश्व बैंक के आर्थिक विकास के दर्शन के अनुरूप हैं।** विश्व बैंक के आर्थिक विकास के दर्शन में निवेश के लिए नियम-कानूनों और बाधाओं को समाप्त करना, बाज़ार अनुकूल सुधार को बढ़ावा देना, श्रम संरक्षणवाद को कम करना आदि शामिल हैं।
- देशों को उच्च रैंकिंग प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक **संरचनात्मक सुधार** पर बल देने के बजाय **सिस्टम में व्याप्त कमियों का उपयोग** किया जाना।
- **सभी के लिए एक दृष्टिकोण:** यह मुख्य रूप से संस्थानों और हितधारकों की वैचारिक प्राथमिकता पर आधारित है। इस तरह के तरीकों को अपनाए जाने से हमेशा कुछ अहम खामियों के रह जाने की संभावना बनी रहती है।

4.3.3. मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements: FTAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत **यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और कनाडा** जैसे कुछ देशों के साथ **मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)** से संबंधित वार्ताओं में तेजी लाने के लिए प्रयासरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत इनमें से कुछ देशों के साथ **"अर्ली हार्वेस्ट" ट्रेड डील** संपन्न करने हेतु उत्सुक है।

अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS), मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से कैसे भिन्न है?

- अर्ली हार्वेस्ट स्कीम वस्तुतः व्यापार करने वाले दो भागीदार देशों के मध्य **FTA से पूर्व किए जाने वाला एक अनुबंध** है। यह योजना **FTA** वार्ताओं के समापन से पूर्व व्यापार करने वाले दो देशों के **प्रशुल्क उदारीकरण के लिए कुछ उत्पादों की पहचान** करने में मदद करती है। यह मुख्य रूप से विश्वास उत्पन्न करने की दिशा में अपनाया जाने वाला एक कदम है।
- **भारत और थाईलैंड** द्वारा अक्टूबर 2003 में EHS पर किए गए **हस्ताक्षर**, इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। इसमें कई उत्पादों की पहचान की गई थी, जिन पर प्रशुल्क को चरणबद्ध तरीके से कम करके शून्य करना था।

FTAs और अन्य प्रकार के व्यापार समझौतों के मध्य अंतर

- FTA दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक गुटों के मध्य स्थापित किया जाने वाला एक व्यापारिक समझौता है। इसे मुख्य रूप से **व्यापार की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर आरोपित सीमा शुल्कों और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने** के लिए संपन्न किया जाता है।
- FTA में आम तौर पर **वस्तुओं** (जैसे कि कृषि या औद्योगिक उत्पाद) या **सेवाओं** (जैसे कि बैंकिंग, निर्माण, ट्रेडिंग आदि) **का व्यापार** शामिल होता है। साथ ही, इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), निवेश, सरकारी खरीद आदि **जैसे अन्य क्षेत्र भी शामिल** किए जा सकते हैं।

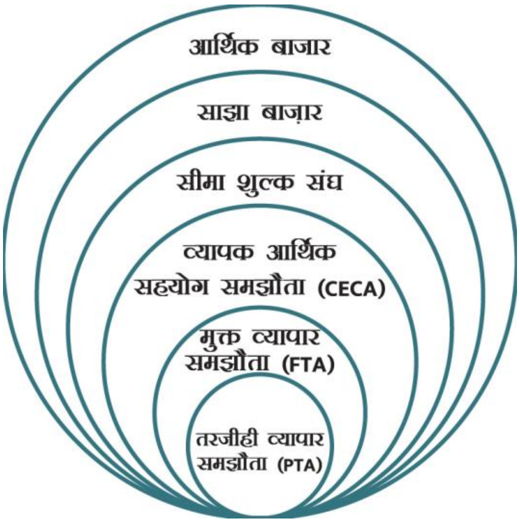

इस प्रकार के अन्य व्यापार समझौते (इन्फोग्राफिक देखें)

- **अधिमान्य व्यापार समझौता (Preferential Trade Agreement: PTA):** इसमें दो या दो से अधिक भागीदार देश **टैरिफ लाइनों की स्वीकृत संख्या पर प्रशुल्क कम करने** पर सहमत होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत-मर्कोसुर-PTA या तरजीही व्यापार समझौता।
- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA):** इनमें IPR, प्रतिस्पर्धा आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ **वस्तुओं, सेवाओं और निवेश पर एकीकृत पैकेज** इत्यादि पर किए जाने वाले समझौतों को शामिल किया जाता है। **भारत-दक्षिण कोरिया CEPA** एक इसका उदाहरण है।

- **सीमा शुल्क संघ (Custom Union):** सीमा शुल्क संघ के तहत, भागीदार देश एक दूसरे के साथ **शून्य शुल्क पर व्यापार** कर सकते हैं। हालांकि, वे अन्य देशों के साथ **सामान्य प्रशुल्क** बनाए रख सकते हैं। इसका एक उदाहरण दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) है।
- **साझा बाजार (Common Market):** साझा बाजार मुख्य रूप से सीमा शुल्क संघ का ही एक रूप है। इसमें सदस्यों के बीच **श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही** को सुविधाजनक बनाने**, तकनीकी मानकों में सामंजस्य स्थापित करने** आदि के लिए कुछ प्रावधानों को शामिल किया जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण यूरोपीय साझा बाजार है।
- **आर्थिक संघ (Economic Union):** आर्थिक संघ वह साझा बाजार है, जिसका भावी **राजकोषीय/मौद्रिक नीतियों में सामंजस्य स्थापित कर** और **साझा कार्यकारी, न्यायिक एवं विधायी संस्थानों** के माध्यम से विस्तार किया जा सकता है। यूरोपीय संघ (EU) इस प्रकार के साझा बाजार का एक उपयुक्त उदाहरण है।

4.3.4. प्रमुख वैश्विक संस्थान (Key Global Institutions)

संस्थान	महत्वपूर्ण जानकारी
विश्व व्यापार संगठन (WTO)	• विश्व व्यापार संगठन (मुख्यालय: **जिनेवा, स्विटजरलैंड**) की स्थापना **गैट यानी प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता**[67] के स्थान पर की गई है। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों (rules of trade) से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। • इसकी स्थापना **1 जनवरी 1995** को **उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-94)** के सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात की गई थी। • इसके **सदस्यों की संख्या 164** है (जुलाई 2016)। यह विश्व व्यापार के 98 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके वर्तमान महानिदेशक **नगोजी ओकोंजो इवेला** (Ngozi Okonjo-Iweala) हैं। ○ **इवेला** विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली **पहली महिला** होने के साथ-साथ **पहली अफ्रीकी** भी है। • **लक्ष्य:** इसका लक्ष्य व्यापार का यथासंभव सुचारू, प्रिडिक्टेबल और स्वतंत्र प्रवाह सुनिश्चित करना है। • **विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख प्रकाशन:** विश्व व्यापार रिपोर्ट (World Trade Report), विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा (World Trade Statistical Review)।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	• IMF (मुख्यालय: **वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका):** यह एक **विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है**। इसकी स्थापना **वर्ष 1944** में **संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान** 44 देशों के साथ की गई थी। • यह अपने **190 सदस्य देशों** की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है। साथ ही, यह **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता** और **मौद्रिक सहयोग** को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्य देशों को नीतिगत सलाह भी प्रदान करता है। • यह **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सतत आर्थिक विकास, रोजगार अवसरों में वृद्धि** तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए **वैश्विक निर्धनता में कमी** करने में सहयोग प्रदान करता है। • **IMF के प्रमुख प्रकाशन:** विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook), वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report), राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट (Fiscal Monitor), बाह्य क्षेत्रक रिपोर्ट (External Sector Report)।

विश्व बैंक (World Bank)	• विश्व बैंक (मुख्यालय: **वाशिंगटन डी.सी, संयुक्त राज्य अमेरिका):** यह IMF के साथ स्थापित की गई **एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी** है। IMF और वर्ल्ड बैंक को **'ब्रेटन वुड्स ट्विन्स'** के रूप में भी जाना जाता है।
	• इसमें **पांच संगठन** शामिल हैं:
	  ○ **पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (The International Bank for Reconstruction and Development: IBRD):** इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गयी थी। यह मध्यम आय और ऋण चुकाने में सक्षम (creditworthy) कम आय वाले देशों को ऋण प्रदान करता है।
	  ○ **अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (The International Development Association: IDA)** : इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। यह अत्यंत गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
	    ▪ इन **दोनों को सामूहिक रूप** से **'विश्व बैंक'** के रूप में जाना जाता है।
	• उपर्युक्त दोनों के अलावा, **विश्व बैंक समूह में निम्नलिखित शामिल हैं:**

[67] General Agreement on Tariffs and Trade: GATT

© Vision IAS

	○ **अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (The International Finance Corporation: IFC):** इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। यह निजी क्षेत्रक पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। ○ **बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (The Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA):** इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी । इसका उद्देश्य आर्थिक संवृद्धि, गरीबी में कमी आदि के लिए विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। ○ **निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (The International Centre for Settlement of Investment Disputes: ICSID):** इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गयी थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सुलह और निवेश विवादों की मध्यस्थता करने के लिए की गयी थी। • विश्व बैंक के **प्रमुख प्रकाशन:** वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट (Global Financial Development Reports), विश्व विकास रिपोर्ट (World • Development Reports), वैश्विक आर्थिक संभावना (Global Economic Prospects) रिपोर्ट। ○ हाल ही में, विश्व बैंक ने **'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'** सूचकांक के प्रकाशन को बंद कर दिया है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)	• NDB (मुख्यालय: **शंघाई, चीन):** यह एक **बहुपक्षीय विकास संस्थान** है। इसे वर्ष **2014 में फोर्टालेजा** में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। • यह वर्ष **2015** से परिचालन कर रहा है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में **बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को एकत्र करना है।** • इसकी **अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) $ 100 बिलियन** और **अभिदत्त पूंजी (Subscribed Capital) US $ 50 बिलियन** है। • वर्ष 2021 में इसके दायरे को ब्रिक्स से आगे बढ़ गया और नए सदस्यों के रूप में **संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश** एवं **मिस्र** को शामिल किया गया। ○ बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात ने आधिकारिक सदस्य बनने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जमा कर दिए हैं जबकि मिस्र और उरुग्वे अभी भी संभावित सदस्य (prospective members) ही हैं।
एशियाई विकास बैंक (ADB)	• ADB (मुख्यालय: **मंडलुयोंग, मेट्रो मनीला, फिलीपींस):** यह वर्ष **1966** में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। • **आरंभ में 31 सदस्यों** के साथ, ADB के सदस्यों की वर्तमान संख्या में **68** (एशिया और प्रशांत से 49 और बाहर से 19) हो गई है। • यह चरम निर्धनता के उन्मूलन के प्रयासों के साथ-साथ एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। • यह सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए **ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान** और **इक्विटी निवेश** के माध्यम से अपने सदस्यों और भागीदारों की मदद करता है। • **जापान** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** इसके सबसे बड़े शेयरधारक हैं, इसके बाद **चीन** और **भारत** का स्थान आता है। • **भारत, 52 बिलियन** अमरीकी डॉलर से अधिक के ऋण के साथ ADB का **सबसे बड़ा लाभार्थी है।** • ADB प्रमुख प्रकाशन: **एशियाई विकास परिदृश्य (Asian Development Outlook)।**
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)	• AIIB (मुख्यालय: **बीजिंग, चीन**): यह एशिया और उसके बाहर सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक **बहुपक्षीय विकास बैंक** है। • यह वर्ष **2015** में आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद, वर्ष **2016** से परिचालन कर रहा है। इसकी सदस्य संख्या **57 संस्थापक सदस्यों से बढ़कर 105 हो गई है।** • यह सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, परिसंपत्ति का निर्माण करने और बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी में सुधार करने के उद्देश्य से **भविष्य के लिए अवसंरचना (i4t)** को वित्तपोषित करता है। ○ इसमें **AIIB की चार विषयगत प्राथमिकताएं शामिल हैं:** ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर; कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग; प्रौद्योगिकी सक्षम अवसंरचना; और निजी पूंजी को जुटाना। • चीन, **इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है,** इसके बाद **भारत** और **रूस** का स्थान आता है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)	• OECD (मुख्यालय: **पेरिस, फ्रांस):** यह एक **अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है।** इसे वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना है। • OECD की स्थापना **यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन** (OEEC) के स्थान पर की गई है। OEEC की स्थापना यूरोपीय पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना को प्रशासित करने में मदद करने के लिए वर्ष **1948** में की गई थी।

	• **इस संगठन का आदर्श वाक्य:** 'बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां (Better Policies for Better Lives)'; इसमें 38 सदस्य हैं जो मुख्य रूप से उच्च HDI या विकसित देश है। ○ **भारत OECD का सदस्य नहीं है।** बल्कि ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ एक प्रमुख आर्थिक साझेदार देश है। • **OECD के प्रमुख प्रकाशन/सूचकांक:** अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन परिदृश्य (International Migration Outlook), ओ.ई.सी.डी. बेहतर जीवन सूचकांक (OECD Better Life Index)।
विश्व आर्थिक मंच (WEF)	• **WEF** (मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड): यह एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसे वर्ष 1971 में **सार्वजनिक-निजी सहयोग** के लिए 'क्लाउस श्वाब (Klaus Schwab)' द्वारा स्थापित किया गया था। • इसका मिशन विश्व की स्थिति में सुधार करना है। इसलिए यह वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को एकजुट करता है। • **संगठन का आदर्श वाक्य:** वैश्विक जनहित में उद्यमिता (Entrepreneurship in the Global Public Interest) • **WEF के प्रमुख प्रकाशन:** वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report), वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report), वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risks Report) और हाल ही में वैश्विक साइबर सुरक्षा परिदृश्य (Global Cybersecurity Outlook) के प्रकाशन को आरंभ किया गया गया है।

4.3.5. अन्य वैश्विक वित्तीय घटनाक्रम (Other Global Financial Developments)

कॉर्नवाल सर्वसम्मति (Cornwall Consensus)	• एक रिपोर्ट में, **G7 के आर्थिक लचीलेपन हेतु पैनल (इकोनॉमिक रिज़िलीअन्स पैनल) ने** संधारणीय, न्यायसंगत और लचीली अर्थव्यवस्था निर्मित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच **मौलिक रूप से नए तरीके के संबंध स्थापित करने की मांग की है।** • **1989 से, वाशिंगटन सर्वसम्मति (WC) ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संचालन के नियम परिभाषित किए हैं।** हाल ही में प्रस्तावित **"कॉर्नवाल सर्वसम्मति"** पुराने नियमों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गई है। ○ यद्यपि **वाशिंगटन सर्वसम्मति** ने अर्थव्यवस्था में **राज्य की भूमिका को कम कर** दिया और विनियमन, निजीकरण और व्यापार उदारीकरण के आक्रामक मुक्त-बाजार एजेंडे को प्रोत्साहित किया। ○ **तथापि,** दो बार (पहले 2008 में और फिर 2020 में कोविड-19 संकट में) वैश्विक आर्थिक संकट को बाल-बाल टालने के बाद, **वाशिंगटन सर्वसम्मति** आर्थिक, पारिस्थितिक और महामारी विज्ञान से जुड़े जोखिमों से उबरने के लिए **प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने में असमर्थ साबित हुई है।** • **कॉर्नवाल सर्वसम्मति की प्रमुख विशेषताएं:** ○ साझा हित को बढ़ावा देने के लिए **वैश्विक आर्थिक शासन के सुधार में तेजी लाना।** ○ आकस्मिक आर्थिक, पर्यावरणीय या भू-राजनीतिक जोखिमों को संबोधित करने की प्रक्रिया में **निगरानी, मूल्यांकन और निवेश हेतु सामूहिक तंत्र स्थापित करना।** ○ **संधारणीय विकास लक्ष्यों में निवेश में तेजी लाना,** डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना, कर चोरी को खत्म करना और विकासशील देशों के लिए वैश्विक बाजारों की पूर्ण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना।
डिजिटल बर्लिन वाल	• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के निदेशक ने चेतावनी दी है कि जिस प्रकार **अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन सभी असंगत प्रौद्योगिकी मानकों** को अपना रहे हैं, उसे देखते हुए विश्व को **शीघ्र ही एक "डिजिटल बर्लिन वाल" का सामना करना पड़ सकता है।** ○ IMF निदेशक के अनुसार **गरीब देश "पक्ष चुनने" के लिए विवश हो सकते हैं।** इसके परिणामस्वरूप डिजिटल अर्थव्यवस्था का विखंडन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, **इसके कारण वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% की हानि संभावित** है।
निवल स्थिर निधीयन अनुपात {Net Stable Funding Ratio (NSFR)}	• ये नियम बैंकों को अधिक स्थिर बनाने और वित्त वर्ष 2008-09 के वित्तीय संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अभिकल्पित किए गए **बेसल III विनियमन का हिस्सा हैं।** • ये नियम **भौतिक रूप से कारोबार किए गए स्वर्ण को** किसी भी अन्य पण्य **वस्तु की तरह ही मानते हैं।** इसके कारण बैंकों को अपने स्वर्ण एक्सपोज़र को प्रतिकूल कीमत उपायों के विरुद्ध एक बफर के रूप में सुमेलन के लिए अधिक नकदी रखने की आवश्यकता होती है। ○ इन नियमों से स्वर्ण रखने के लिए बैंक के तुलन पत्र की लागत बढ़ जाएगी। • भारत में, NSFR 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा।

© Vision IAS

दीर्घायु वित्त (Longevity Finance)	• **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने दीर्घायु वित्तीय हब** (Longevity Finance Hub) के विकास के लिए एक दृष्टिकोण की अनुशंसा करने हेतु **एक विशेषज्ञ समिति** का गठन किया है। • **दीर्घायु वित्त (Longevity Finance) की आवश्यकता:** ○ वैश्विक अनुमानों के अनुसार, **विश्व में एक अरब लोग अब वृद्धावस्था (रजत पीढ़ी)** में हैं (अर्थात 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का एक वैश्विक समूह)। इनकी **संयुक्त व्यय क्षमता इस समय 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** है। ○ **औषधीय विज्ञान** तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास से वृद्ध हो चुके लोगों के जीवन काल तथा दीर्घायु को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। • यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन विशेष रूप से **धन प्रबंधन, स्वास्थ्य, बीमा और अन्य निवेश उत्पादों** के क्षेत्रों में नई चुनौतियों एवं अवसरों को उत्पन्न करेगा।

4.4. बाह्य क्षेत्र से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी (Key Concepts and Information on External Sector)

लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (LIBOR)	• **लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (LIBOR)** एक **मानक ब्याज दर है, जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक** अल्पकालिक ऋण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर-बैंक बाजार में **एक दूसरे को उधार देते हैं।** • LIBOR **को 30 जून, 2023 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त** कर दिया जाएगा क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को एक परामर्श जारी किया है कि वे दिसंबर 2021 तक लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (LIBOR) के स्थान पर** किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर (AAR) का उपयोग आरंभ कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियाई इंटरबैंक ओवरनाइट कैश रेट (AONIA) या स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट (SARON)।
कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल का प्रवर्तन (Enforcing Contracts Portal)	• न्याय विभाग द्वारा आरंभ किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य देश में **व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना है।** • पोर्टल के **"अनुबंध प्रवर्तन" मापदंडों** के संबंध में भारत वर्ष 2019 की रैंकिंग में 163वें स्थान पर था। पोर्टल इसे बेहतर बनाने का कार्य करेगा- ○ **विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित सूचना** का समग्र स्रोत प्रदान करेगा। ○ यह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के **समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों पर नवीनतम जानकारी तक सुगम पहुंच** प्रदान करेगा। ○ पोर्टल तत्काल **संदर्भ के लिए वाणिज्यिक कानूनों के भंडार तक पहुंच** प्रदान करता है।
अमेरिका कम्पेटेस एक्ट (America Competes Act)	• संयुक्त राज्य अमेरिका ने **अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्री-एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक्ट 2022, या अमेरिका कम्पेटेस एक्ट 2022** प्रस्तुत किया। • यह एक **स्टार्टअप इकाई में स्वामित्व** हित रखने वाले **विदेशी नागरिकों के लिए** प्रक्रियाओं का प्रस्ताव करता है। इसके अंतर्गत वे W-1 गैर-आप्रवासी के रूप में वर्गीकरण के लिए स्व-याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। • इससे भारतीय प्रतिभाओं एवं कुशल कामगारों के लिए अमेरिका में और अधिक अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights: SDRs)	• SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। इसे वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के अनुपूरण हेतु निर्मित किया गया था। • इसका मूल्य पांच मुद्राओं की एक बास्केट पर आधारित है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल हैं। • यह **न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर एक दावा है।** ○ यह IMF के सदस्यों की स्वतंत्र रूप से उपयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। ○ इन मुद्राओं के लिए **SDRs का आदान-प्रदान किया जा सकता है।** • IMF के सदस्य देशों की **मतदान शक्ति सीधे उनके कोटा से संबंधित है।**

टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (TIWB) कार्यक्रम	• TIWB, **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम**[68] तथा **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन**[69] की एक **संयुक्त पहल** है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में कर प्रशासन के साथ कर लेखा परीक्षा ज्ञान एवं कौशल को साझा करना है। ○ TIWB कार्यक्रमों में **लेखापरीक्षा-पूर्व जोखिम मूल्यांकन, जांच तकनीक, मूल्य निर्धारण के हस्तांतरण संबंधी मुद्दों से जुड़े लेखा परीक्षा मामले, परिहार-रोधी नियम या क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दे (जैसे प्राकृतिक संसाधन, ई-कॉमर्स आदि)** शामिल हो सकते हैं। ○ **TIWB में सीमा शुल्क मामलों से संबंधित सहायता को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही, यह नीतिगत समर्थन और विधायी परिवर्तनों पर परामर्श भी प्रदान नहीं करता है।** ○ TIWB कार्यक्रम **लचीले होते हैं और उन्हें देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित** किया जाता है।

[68] United Nations Development Programme: UNDP

[69] Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD

© Vision IAS

5. श्रम, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता (LABOUR, EMPLOYMENT, SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP)

5.1. श्रम और रोजगार (Labour and Employment)

5.1.1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey: PLFS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

PLFS के आँकड़ों पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर में गिरावट के बावजूद बेरोजगारी दर (UR) कम होकर वर्ष 2019-20 में 4.8% हो गई।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के बारे में

- अपेक्षाकृत अधिक नियमित और निश्चित समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा अप्रैल 2017 में **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** आरंभ किया गया था।
- प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2017-जून 2018 के लिए) **मई 2019 में और दूसरी जून 2020 में जारी की गई थी।**
- **तीसरी वार्षिक रिपोर्ट** को जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आधार पर जारी किया गया है।

1. श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):

$$\frac{\text{नियोजित व्यक्तियों की संख्या + बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या}}{\text{कुल जनसंख्या X 100}} \text{ X 100}$$

2. श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):

$$\frac{\text{नियोजित व्यक्तियों की संख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}} \text{ X 100}$$

3. आनुपातिक बेरोजगार (PU):

$$\frac{\text{बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}} \text{ X 100}$$

4. बेरोजगारी दर (UR):

$$\frac{\text{बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या}}{\text{नियोजित व्यक्तियों की संख्या + बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या}} \text{ X 100}$$

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं:

- 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (Current Weekly Status: CWS) के आधार पर केवल शहरी क्षेत्रों हेतु तीन माह के अल्पकालिक अंतराल में **प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों** {जैसे कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio: WPR), श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate: LFPR), बेरोजगारी दर (Unemployment Rate: UR)} का अनुमान लगाना।
    - वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में **'सामान्य स्थिति (Usual Status)'** (प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति + सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति) तथा **'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) दोनों के आधार पर रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।**

PLFS द्वारा निर्धारित कार्यबल की श्रेणियाँ

- **स्व-नियोजित** (जिसमें स्व-नियोजित श्रमिक, नियोक्ता और पारिवारिक उद्यमों में अवैतनिक सहायक शामिल हैं।)
  - **स्व-नियोजित कामगारों द्वारा किसी श्रमिक को कार्य पर रखे बिना लघु उद्यमों का संचालन किया जाता है,** परन्तु वे परिवार के सदस्यों से सहायता ले सकते हैं, जबकि नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को कार्य पर रखा जाता है।
- **नियमित वेतन वाले या वेतनभोगी कर्मचारी, और**
- **अनियमित मजदूर** (Casual Labourers)।

कार्यकलाप की स्थिति- निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सामान्य स्थिति:** जब कार्यकलाप की स्थिति सर्वेक्षण की तिथि से पूर्व विगत 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति:** सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित कार्यकलाप की स्थिति।
- **प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति:** जब सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, तो इसे उस व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के रूप में जाना जाता है।
- **सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति:** ऐसे कार्यकलाप की स्थिति, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने सामान्य प्रमुख कार्यकलाप के अतिरिक्त सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान 30 दिन या उससे अधिक समय तक कुछ आर्थिक कार्यकलाप किया था। उसे उस व्यक्ति के सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति माना गया है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) संबंधी डेटा क्या इंगित करता है?

- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS),** वर्ष 2017-18 और 2019-2020 के मध्य श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate: LFPR) में वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगारी दर में गिरावट को दर्शाता है, जबकि समान अवधि में अर्थव्यवस्था की वास्तविक संवृद्धि दर में गिरावट (7% से कम होकर 4.2%) आई है।
  - वर्ष 2019-20 में **बेरोजगारी दर (UR) घटकर 4.8% हो** गई थी। वर्ष 2018-19 में यह 5.8% और वर्ष 2017-18 में 6.1% थी।
  - **15-29 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर (UR) 15% है।** इस आयु वर्ग में शहरी पुरुष और महिला बेरोजगारी दर क्रमशः **18.2% और 24.9%** के साथ और भी अधिक है।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)** वर्ष 2017-18 के 34.7% और वर्ष 2018-19 के 35.3% की तुलना में वर्ष 2019-20 में **बढ़कर 38.2%** हो गया।
  - **कृषि में संलग्न कार्यबल में वृद्धि:** कृषि में संलग्न कार्यबल का हिस्सा वर्ष 2018-19 के 42.5% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 45.6% हो गया।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), **महिला श्रम बल भागीदारी दर में 5.5 प्रतिशत बिंदु** (वर्ष 2018-19 से) **की तीव्र वृद्धि** दर्शाता है। इस तीव्र वृद्धि में अधिकांश हिस्सेदारी **ग्रामीण महिलाओं की बढ़ी हुई श्रम बल भागीदारी दर से प्रेरित है।**
- **लॉकडाउन का प्रभाव:** अप्रैल-जून 2020 में पुरुषों और महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) घटकर क्रमश: **55.5% और 15.5%** रह गई है। यह **जनवरी-मार्च 2020 में क्रमशः 56.7% और 17.3%** थी।

संबंधित सुर्खियाँ

"विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण: रुझान 2022 (World Employment and Social Outlook: Trends 2022 Report)" रिपोर्ट

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित यह रिपोर्ट** कार्यशील विश्व पर कोविड-19 संकट के प्रभावों का विवरण देती है।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - **वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 20.7 करोड़ रहने का अनुमान है,** जो वर्ष 2019 के स्तर से लगभग 2.1 करोड़ अधिक है।
  - वर्ष 2020 में, अतिरिक्त **3.0 करोड़ वयस्क अत्यधिक गरीबी से ग्रस्त हो गए** (प्रतिदिन 1.90 डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले)।

ग्रेट रेज़िग्नेशन (Great Resignation)

- **ग्रेट रेज़िग्नेशन** एक विचार है जो भविष्यवाणी करता है कि कोविड महामारी के समाप्त होने और जीवन सामान्य होने के बाद **बड़ी संख्या में लोग** अपनी नौकरियां छोड़ देंगे।
- **कारण:** कम वेतन, अक्रियाशीलता, सीमित अवसर, अपर्याप्त कर्मचारी लाभ, दूषित कॉर्पोरेट संस्कृति, अस्थिरता आदि।

© Vision IAS

5.2. कौशल विकास (Skill Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रधान मंत्री ने **"विश्व युवा कौशल दिवस 2021"** अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया।

विश्व युवा कौशल दिवस

- वर्ष 2014 में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।** इसका उद्देश्य युवाओं को **रोजगार, अच्छे कार्य और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल** प्रदान करना है।
- इस वर्ष की थीम: **'महामारी के पश्चात् युवा कौशल की पुनर्कल्पना'**[70] है।
- **इस दिवस का महत्त्व**:
    - इसका उद्देश्य **"इंचियोन घोषणा: शिक्षा 2030 (Incheon Declaration: Education 2030)"** के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जो तकनीकी और व्यावसायिक कौशल का विकास करने एवं समाज में लैंगिक असमानता को समाप्त करने तथा वंचित वर्ग के लोगों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
    - इसने युवा लोगों, **तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण**[71] **संस्थानों**, फर्मों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों, नीति निर्माताओं एवं विकास में भागीदारों के बीच संवाद का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है।
- **TVET की भूमिका (Role of TVET):**
    - **युवाओं को काम की दुनिया तक पहुँचने के लिए आवश्यक कौशल** से लैस करना, जिसमें स्वरोजगार के लिए कौशल भी शामिल है।
    - कंपनियों और समुदायों द्वारा बदलती कौशल-मांगों के प्रति **अनुकूलन में सुधार**, उत्पादकता में वृद्धि और वेतन स्तर में वृद्धि।
    - **कार्य की दुनिया तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को कम करना,** उदाहरण के लिए, कार्य-आधारित शिक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि प्राप्त किए गए कौशलों को मान्यता प्राप्त है और उन्हें प्रमाणित किया गया है।
    - कम-कुशल लोगों के लिए कौशल विकास के अवसर प्रदान करना जो अल्परोजगार में हैं या बेरोजगार हैं तथा वे न तो शिक्षा ले रहे हैं, न ही उनके पास रोजगार है और न ही प्रशिक्षण ले रहे[72] हैं।

आयोजन की मुख्य विशेषताएँ (Key Highlights of Event):

- **जन शिक्षण संस्थान (Jan Shikshan Sansthans: JSSs)** कई लाभार्थियों को न्यूनतम लागत और बुनियादी ढांचे पर व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में मदद करते हैं।
    - 75 नए **JSSs** स्वीकृत किए गए हैं और विशेष रूप से **JSSs** के लिए बनाए गए एक पोर्टल की घोषणा की गई है।
- उद्योग संबंधी 57 नए पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम शुरू किये गए हैं।
- **'गोइंग ऑनलाइन एज़ लीडर्स'** (Going Online As Leaders: GOAL) आदिवासियों को कला एवं संस्कृति, हस्तशिल्प, कपड़ा और डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों में मदद कर रहा है, जिससे जनजातीय आबादी के बीच उद्यमिता का विकास हो रहा है।
- **वन धन योजना** आदिवासी समाज को नए अवसरों से प्रभावी ढंग से जोड़ रही है।

युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाती है, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिलेगी।
- **स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission)** का उद्देश्य भारतीय युवाओं को समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र प्रदान करना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

---

[70] Reimagining Youth Skills Post-Pandemic

[71] Technical and Vocational Education and Training: TVET

[72] Not in Education, Employment or Training: NEET

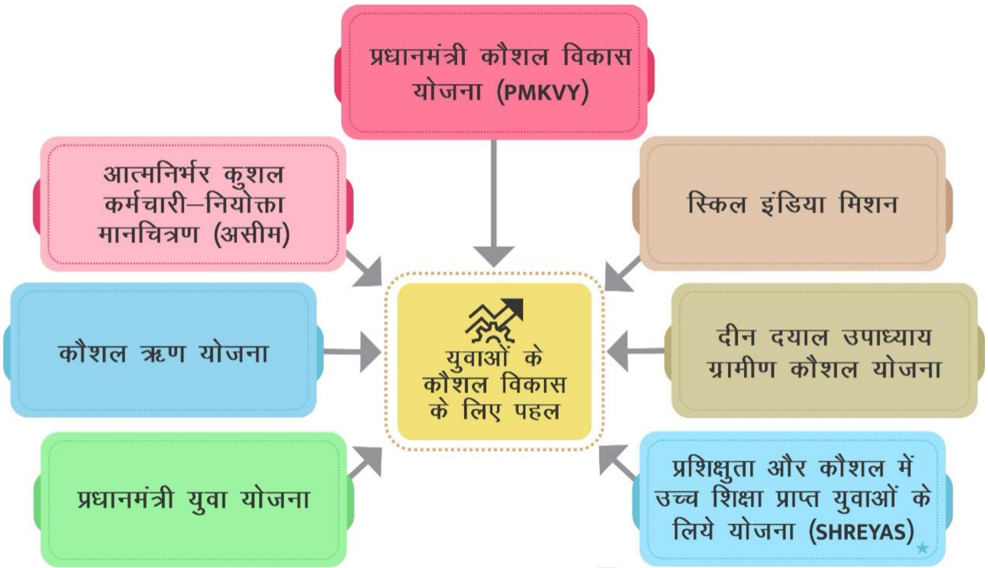

- **कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्यायन (Skill Management and Accreditation of Training Centre: SMART)** सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य कौशल पारितंत्र में सभी हितधारकों के प्रयासों में तालमेल बिठाना और कौशल विकास पहल को कारगर बनाना है।
- **आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood: SANKALP)** का उद्देश्य संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने, बाजार-प्रासंगिक प्रशिक्षण तक पहुँच बढ़ाने और समाज के वंचित वर्ग के लोगों को शामिल करने के माध्यम से गुणात्मक और मात्रात्मक (**Qualitatively And Quantitatively**) रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना है।
- **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement: STRIVE)** यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और शिक्षुओं (Apprenticeship) के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है।
- **असीम पोर्टल (ASEEM Portal)** कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए।
- **नई रोशनी**, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- अल्पसंख्यक युवाओं के उद्यमशीलता कौशल विकास के लिए **मानस**[73] कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है।

कौशल विकास के लिए हाल ही में की गई पहलें

डिजी सक्षम (DigiSaksham)	• इसे **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** द्वारा **माइक्रोसॉफ्ट इंडिया** के सहयोग से एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया है, ताकि युवाओं को प्रौद्योगिकी संचालित युग में आवश्यक **डिजिटल कौशल प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया** जा सके। • यह पहले वर्ष में तीन लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ-साथ **एडवांस कंप्यूटिंग सहित** डिजिटल कौशल में **मुफ्त प्रशिक्षण** प्रदान करेगा। • यह **अर्ध-शहरी क्षेत्रों** के नौकरी चाहने वाले वंचित समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिकता देता है और वे राष्ट्रीय करियर सेवा (**National Career Service**) पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड (Skill Impact Bond: SIB)	• भारत में **कौशल विकास के लिए** यह **अपनी तरह का पहला** और सबसे बड़ा 'इम्पैक्ट बॉण्ड' है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा वैश्विक-निजी भागीदारों के साथ लॉन्च किया गया है। • इन दोनों ने मिलकर **चार वर्षों में** भारत में **50,000 युवाओं** को लाभान्वित करने के लिए **14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड** एकत्र किया है।
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship	• NATS (शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत) **एक वर्षीय कार्यक्रम है, जो तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उनके कार्यक्षेत्र में आवश्यक कौशल एवं व्यावहारिक ज्ञान** से युक्त बनाता है। • यह कार्यक्रम **वर्ष 2021-22** से **2025-26** तक जारी रहेगा, जिसमें **संगठन** अपने कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिसमें भारत सरकार द्वारा नियोक्ताओं को **50% वजीफा राशि (Stipend Amount)** का पुनर्भुगतान किया जाएगा।

[73] Maulana Azad National academy for Skills

© Vision IAS

Training Scheme: NATS)	• **5 वर्षों** में, लगभग **7 लाख युवाओं** को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है और लगभग **9 लाख अपरेंटिसों** को प्रशिक्षित किया जाएगा।
रेल कौशल विकास योजना (Rail Kaushal Vikas Yojana: RKVY)	• **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में** रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई RKVY का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल में गुणात्मक सुधार लाना है। ○ **10वीं पास और 18-35 साल** के बीच के उम्मीदवार ही इस योजना में आवेदन करने के लिए **पात्र** होंगे। • यह **50000 उम्मीदवारों** को **तीन साल की अवधि में चार ट्रेडों** अर्थात् इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में प्रशिक्षण प्रदान करेगा एवं साथ ही इसमें 100 घंटे का प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण भी शामिल होगा।

5.3. नवाचार और उद्यमिता (Innovation and Entrepreneurship)

5.3.1. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए (Ministry of Heavy Industries Launched Six Technology Innovation Platforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारी उद्योग मंत्रालय ने 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। इन्हें भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु लॉन्च किया गया है।

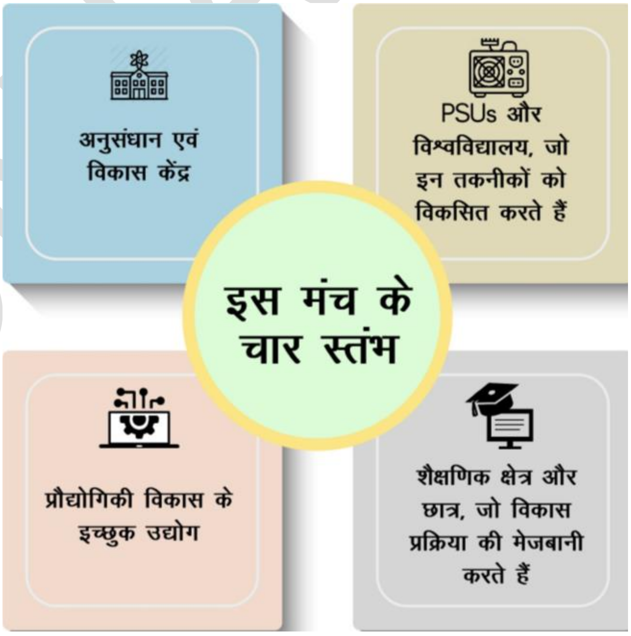

मंच	द्वारा विकसित	केंद्रबिंदु
दृष्टि	सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (CMTI), बेंगलुरु	मशीन उपकरण क्षेत्र पर
प्रौद्योगिकी और नवाचार मंच	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के सहयोग से हिंदुस्तान मशीन टूल्स (HMT)	आयात को कम करने पर
संरचना (SanRachna), एक डिजिटल रूप से सक्षम प्लेटफॉर्म	• भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)	नवीकरणीय ऊर्जा और पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर
काइट {kite (प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए ज्ञान एकीकरण)}	• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	आभासी वास्तविकता, स्वचालन, उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों और रोबोटिक्स पर
एस्पायर {ASPIRE (ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन)}	इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (iCAT)	ऑटोमोटिव तकनीक पर
टेकनोवुस (TechNovuus)	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI)	सतत गतिशीलता पर

5.3.2. भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र (Startup Ecosystem in India)

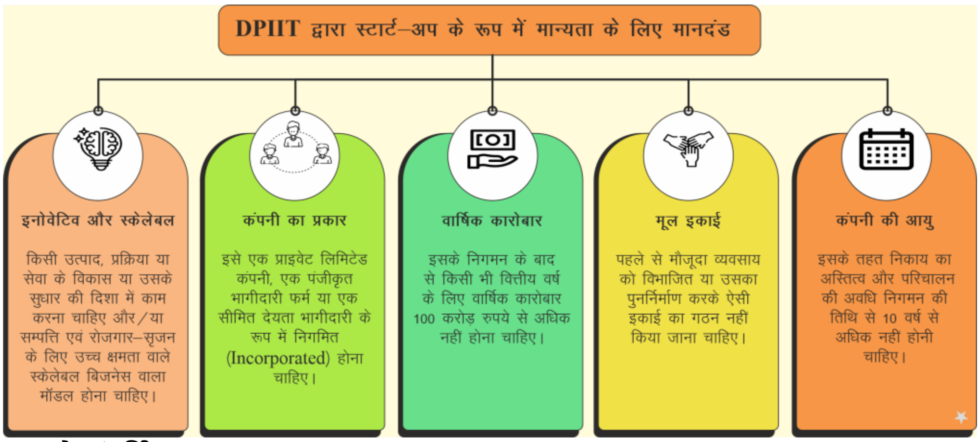

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न अर्थात् **1 बिलियन डॉलर** से अधिक कीमत वाले स्टार्टअप के साथ बढ़ते स्टार्टअप पारितंत्र का उल्लेख किया है।

स्टार्ट-अप क्या है?

- स्टार्टअप किसी **कंपनी के संचालन की प्रारंभिक अवस्था** को संदर्भित करता है, जो **विचारों और नवाचारों**, जोखिम लेने एवं कुछ नया कर सकने की भावना से प्रेरित होता है।
- स्टार्टअप इंडिया (2016 में लॉन्च) के तहत, **स्टार्टअप्स को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade: DPIIT)** द्वारा चित्र में दिए गए मानदंडों के आधार पर मान्यता दी जाती है।

भारत का स्टार्ट-अप पारितंत्र

- विश्व स्तर पर, भारत में दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र** है, जिसमें **58,000** से अधिक DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिनमें **70+ यूनिकॉर्न** शामिल हैं, जिनका संचयी मूल्यांकन (cumulative valuation) **200 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक है।
- इनमें से लगभग **40% टियर- II और टियर- III शहरों में** हैं। साथ ही **630 जिलों में कम से कम एक स्टार्टअप एवं उनमें से 46% में कम से कम एक महिला निदेशक** है।
- भारत **टेक स्टार्टअप के लिए** दूसरा सबसे बड़ा पारितंत्र है, जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी केंद्रित स्टार्टअप की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ये स्टार्टअप **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** आदि जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

स्टार्ट-अप और उसके पारितंत्र को मजबूत करने के लिए उठाये गए महत्त्वपूर्ण कदम:

- **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (Startup India Seed Fund Scheme: SISFS)**: अगले 4 साल (2021-22 से शुरू) के लिए 300 इन्क्यूबेटरों के माध्यम से 3,600 उद्यमियों को प्रारंभिक चरण की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **₹945 करोड़ का फंड** उपलब्ध कराया गया है।
- **स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना (FFS)**: स्टार्टअप्स को शुरुआती अवस्था में एवं विकास की

MeitY स्टार्ट-अप हब (MSH) के बारे में

- यह प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्ट-अप्स और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने वाले **MeitY के दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने** के लिए MeitY के तहत एक स्थापित **नोडल इकाई है।**
- यह MeitY के सभी ऊष्मायन केंद्रों (incubation centres), स्टार्ट-अप्स और नवाचार संबंधी गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक **राष्ट्रीय समन्वय तथा सुविधा और निगरानी केंद्र** के रूप में कार्य करता है।
- यह **भारत में स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित** करने के लिए समृद्ध कार्यक्रम को भी लागू कर रहा है।

© Vision IAS

अवस्था में सहायता देने के लिए **₹10,000 करोड़** के फण्ड का निर्माण किया गया है। DPIIT इस **FFS** के लिए निगरानी एजेंसी तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) संचालन एजेंसी है।

- **खरीद में सुगमता:** स्टार्टअप के लिए **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM पोर्टल)** पर पहुँच प्रदान करने हेतु सार्वजनिक खरीद में पूर्व टर्नओवर और अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान की गई है।
- **स्टार्टअप इंडिया हब:** भारत में उद्यमशीलता पारितंत्र के सभी हितधारकों के लिए एक-दूसरे को खोजने, संपर्क करने और मिलकर आपस में कार्य करने हेतु एक वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (वर्ष 2017 में) लॉन्च किया गया।
- विभिन्न देशों के सरकारों के मध्य सहयोग के माध्यम से **भारतीय स्टार्टअप्स तक अंतर्राष्ट्रीय पहुँच** आसान हुई है।
- स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) के माध्यम फास्ट-ट्रैक पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के लिए केवल वैधानिक शुल्क का भुगतान करके **बौद्धिक संपदा का पता लगाने के लिए समर्थन**।
- **स्टार्टअप्स के लिए तेज़ निकास** (अन्य कंपनियों के लिए 180 दिनों की तुलना में स्टार्ट-अप के लिए केवल 90 दिनों के भीतर)।

5.4. श्रम, रोजगार और उद्यमिता पर प्रमुख अवधारणाएँ और सूचना (Key Concepts and Information on Labour, Employment, and Entrepreneurship)

श्रम और रोजगार (Labour and Employment)	

अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (AQEES)	• AQEES, **सभी प्रतिष्ठानों से तिमाही आधार पर रोजगार डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से** प्रारंभ किया गया है। इसे एक **स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण के रूप में डिजाइन किया गया है**, जो **श्रम बाजार की मांग पक्ष स्थितियों के लिए अनुमान** प्रदान करेगा।
	• AQEES के दो भाग हैं, एक है तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (Quarterly Employment Survey: QES) और दूसरा है क्षेत्र आधारित प्रतिष्ठान सर्वेक्षण (Area Frame Establishment Survey: AFES)।
	  ○ AQEES के तहत तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (QES) **10 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों** के लिए रोजगार संबंधी अनुमान प्रदान करेगा।
	  ○ **क्षेत्र आधारित प्रतिष्ठान सर्वेक्षण** (AFES) **9 या उससे कम कामगारों की भर्ती करने वाले प्रतिष्ठानों** के लिए रोजगार संबंधी अनुमान प्रदान करेगा।

AIM-iLEAP (उद्यमिता संबंधी तेजी और लाभ के लिए अभिनव नेतृत्व) पहल {AIM-iLEAP (Innovative Leadership For Entrepreneurial Agility And Profitability) Initiative}	• AIM (नीति आयोग द्वारा) देश में **नवोन्मेष और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है।** • अटल नवप्रवर्तन मिशन (AIM) ने **संपूर्ण देश में टेक स्टार्टअप्स में तेजी लाने के लिए** प्रमुख कदम के रूप में 'AIM-iLEAP' के प्रथम **फिनटेक समूह सम्मेलन** का आयोजन किया। • **AIM-iLEAP के उद्देश्य:** AIM-iLEAP कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यों की विस्तृत श्रृंखला में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को आमंत्रित करना है और उन्हें बाजार तक पहुंच तथा उद्योग भागीदारी में सक्षम बनाने के लिए कॉरपोरेट नेतृत्व एवं नवाचार टीम के सामने अपना समाधान प्रस्तुत करना है।
'संभव' (SAMBHAV)	• यह एक **राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम** है। इसे **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा आयोजित** किया जा रहा है। • यह **एक महीने की लंबी पहल** होगी। इसमें MSME मंत्रालय के 130 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा **विभिन्न कॉलेजों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के छात्रों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।** इस अभियान के दौरान **कॉलेज के छात्रों को MSME मंत्रालय द्वारा** कार्यान्वित की जा रही **विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा।**
ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal)	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने **असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस–ई-श्रम पोर्टल (NDUW)** का शुभारंभ किया है। • **प्रमुख विशेषताएँ:** ○ सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना) का लाभ प्रदान करने के लिए **सभी पंजीकृत कामगारों** को **सार्वभौमिक खाता संख्या (Universal Account Number: UAN)** के साथ एक **ई-श्रम कार्ड** जारी किया जाएगा।

	○ **मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये** और **आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये** की दुर्घटना-क्षतिपूर्ति राशि का प्रावधान किया गया है। ○ यह डेटाबेस असंगठित क्षेत्र के कामगारों की **पहचान करने एवं उन तक पहुंचने तथा संकट के समय में उन्हें राहत प्रदान करने हेतु अधिकारियों के लिए एक संदर्भ बिंदु** के रूप में कार्य करेगा। 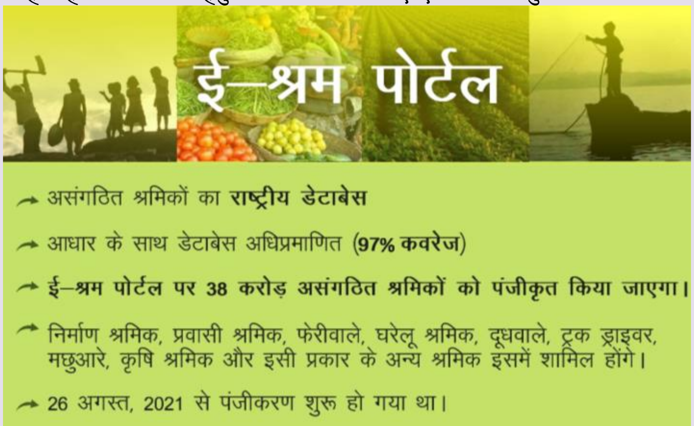
घरेलू कामगारों पर प्रथम अखिल भारतीय सर्वेक्षण (All India Survey on Domestic workers: AISDWs)	• इस सर्वेक्षण का उद्देश्य **राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या तथा अनुपात,** लिव-इन/लिव-आउट (रोजगार पाने वाले/खोने वाले), औपचारिक/अनौपचारिक रोजगार एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के आधार पर घरेलू कामगारों के प्रतिशत वितरण का आकलन करना है। • AISDWs **श्रम ब्यूरो द्वारा किए जा रहे 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों का हिस्सा है।** वर्तमान में जारी अन्य चार अखिल भारतीय सर्वेक्षण, निम्नलिखित से संबंधित हैं: ○ प्रवासी मजदूर; ○ परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार; ○ पेशेवरों द्वारा उत्पन्न रोजगार और ○ अखिल भारतीय त्रैमासिक प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (AQEES)।
नवाचार और उद्यमिता (Innovation and Entrepreneurship)	
चिप्स टू स्टार्ट-अप कार्यक्रम {Chips To Startup (C2S) Programme}	• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन C2S कार्यक्रम की स्थापना **वेरी लार्ज-स्केल इंटीग्रेशन** और **एंबेडेड सिस्टम डिज़ाइन** के क्षेत्र में **लगभग 85,000 योग्य और उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरों को प्रशिक्षण** देने के उद्देश्य से की गई है। • C2S कार्यक्रम के अंतर्गत **ऊर्जा एवं पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, आपदा प्रबंधन आदि सहित कुछ प्रमुख क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।** • यह कार्यक्रम IITs, NITs और IIITs सहित देश भर में **लगभग 100 शैक्षणिक संस्थानों** में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्टार्ट-अप और MSMEs भी भाग ले सकते हैं। **इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी सी-डैक (C-DAC)** होगी। • हाल ही में, सरकार ने प्रतिवर्ष **16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्ट-अप दिवस** के रूप में मनाये जाने घोषणा की है।
स्माइल- वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता योजना {SMILE- Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise Scheme}	• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने **एक छत्र योजना 'स्माइल' को तैयार किया है।** इसे शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। • इस योजना में **भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपायों** सहित विभिन्न व्यापक उपाय शामिल हैं। ○ योजना की प्राथमिकताएं **पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास** आदि निर्धारित की गई हैं। • **'स्माइल' में दो उप-योजनाएं शामिल हैं:** ○ **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास** के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ○ **भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास** के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
उभरते सितारे फंड	• इस कोष का उद्देश्य **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME)** के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु वित्त की व्यवस्था करना है। • इस कोष को **भारतीय निर्यात-आयात बैंक** (Export Import Bank of India: EXIM Bank) और **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक** (Small Industries Development Bank of India: SIDBI) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।

© Vision IAS

	○ यह कोष, वित्तीय और परामर्शी सेवाओं के, संरचित सहयोग का मिश्रण है। यह सहयोग भारतीय कंपनियों को एक्विटी या एक्विटी जैसे उपकरणों में निवेश, ऋण (फण्ड और नॉन-फण्ड), तथा तकनीकी सहायता (परामर्श, सेवाएं, अनुदान और उदार ऋण) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यह समर्थन भारतीय कंपनियों को इक्विटी या लिखतों जैसी इक्विटी में निवेश, ऋण (निधिक एवं गैर-निधिक) तथा तकनीकी सहायता (परामर्श सेवाएं, अनुदान व उदार ऋण) के माध्यम से **वित्तीय एवं सलाहकार सेवाओं, दोनों** का संयोजन है।
वैश्विक नवाचार सूचकांक-2021	• यह सूचकांक **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन** (World Intellectual Property Organisation: WIPO), **कॉर्नेल विश्वविद्यालय** और **इनसीड (INSEAD)** द्वारा सह-प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट विश्व के 131 देशों तथा अर्थव्यवस्थाओं की नवाचार क्षमता एवं निष्पादन के संबंध में उनकी वार्षिक रैंकिंग प्रदान करती है। ○ इसके **80+ संकेतक** राजनीतिक परिवेश, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यापार माहौल / परिवेश सहित नवाचार के व्यापक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। ○ वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index: GII:) 2021 का विषय **'ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस'** है।
भारत नवाचार सूचकांक-13 (India Innovation Index-I3)	• इसे **नीति आयोग** द्वारा **इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस** के सहयोग से जारी किया गया है। • **भारत के नवाचार परिवेश के निरंतर मूल्यांकन हेतु एक व्यापक तंत्र का निर्माण** करने के लक्ष्य के साथ **भारत नवाचार सूचकांक** नवाचार आगत को **'सक्षमकर्ता' (Enablers)** तथा **इनोवेशन निर्गत का निष्पादन (Performance)** के रूप में मापन करता है। ○ **सक्षमकारी संकेतक:** मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यावसायिक परिवेश, सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था। ○ **निष्पादन संकेतक:** ज्ञान सृजन व ज्ञान प्रसार। • **यह, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर** के आधार पर अवसरों और चुनौतियों को चिन्हित करता है और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को तैयार करने में सहायता करता है।

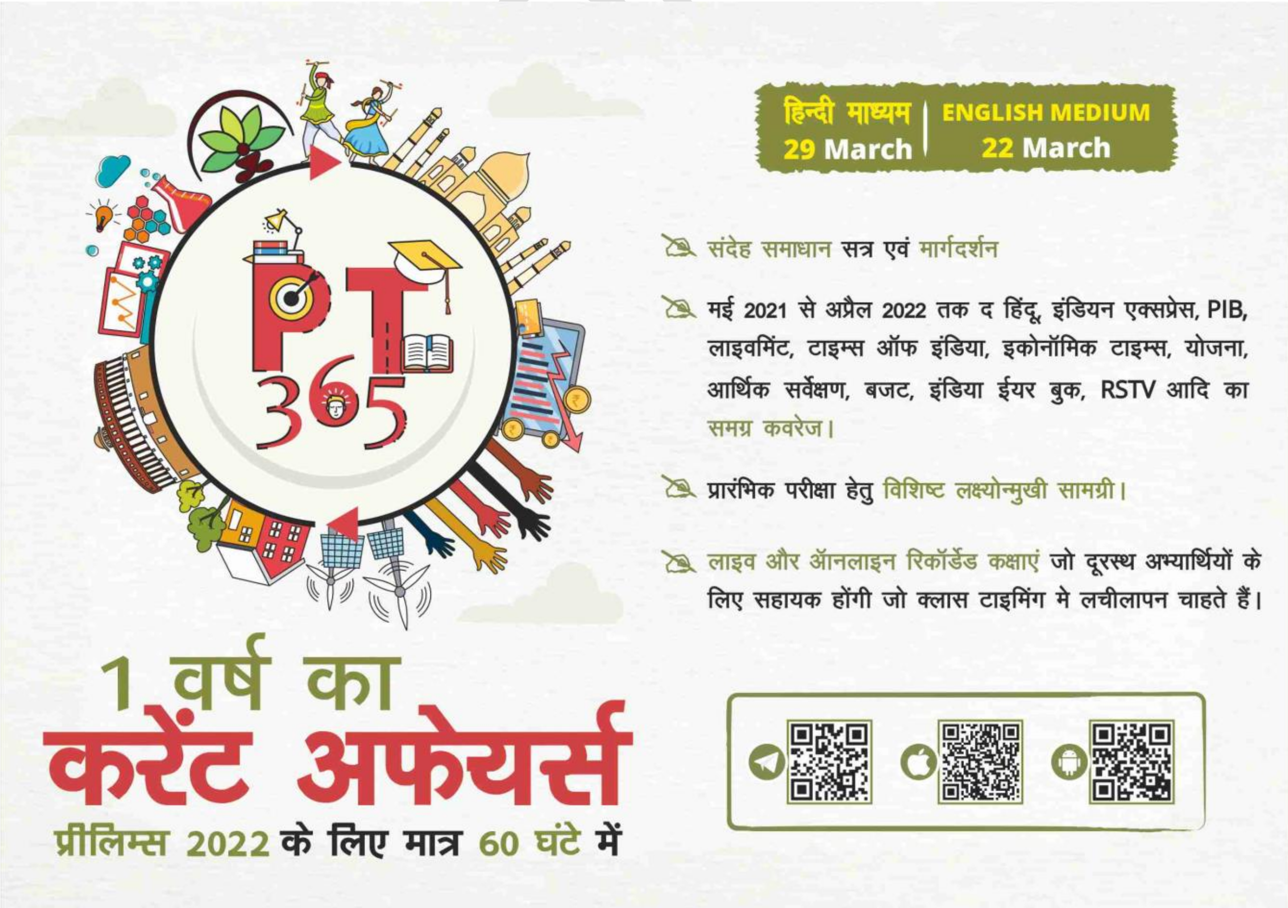

6. कृषि (AGRICULTURE)

6.1. किसानों की आय (Farmer's Income)

6.1.1. भारत में कृषि ऋणग्रस्तता (Agricultural Indebtedness in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय** ने एक सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के मध्य कृषि से जुड़े प्रत्येक परिवार के औसत बकाया ऋण में 57.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण का शीर्षक **"ग्रामीण भारत में कृषि से जुड़े परिवारों और परिवारों की भूमि जोत की स्थिति का आकलन, 2019"**[74] है।

इस सर्वेक्षण या रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **कृषि से जुड़े परिवारों की औसत आय** और **कृषि आय में वृद्धि** हुई है।
- आंध्र प्रदेश में प्रति कृषक परिवार औसत बकाया ऋण सर्वाधिक (2.45 लाख रुपये) है। साथ ही, इस राज्य में ऋणग्रस्त कृषक परिवारों का उच्चतम अनुपात (93.2 प्रतिशत) भी है। इसके बाद तेलंगाना (91.7 प्रतिशत) और केरल (69.9 प्रतिशत) का स्थान आता है।

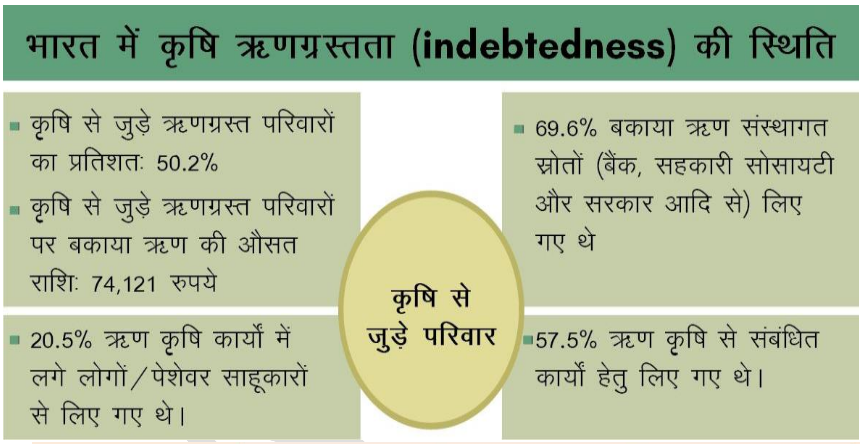

बढ़ती ऋणग्रस्तता के कारण

- **सरकारी प्रयासों के कारण संस्थागत वित्त तक पहुंच में वृद्धि हुई है।**
- **कृषि उत्पादकता एवं आय में अपर्याप्त वृद्धि:** इसके लिए **खेती की बढ़ती लागत, मूल्य अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, छोटी जोतों वाली निर्वाह कृषि आदि** कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- **जोखिम से बचाने के लिए निम्नस्तरीय तंत्र,** जैसे- फसल बीमा कवरेज।
- लघु और सीमांत किसानों, काश्तकारों आदि की **अनौपचारिक ऋणों की उच्च लागत** पर अत्यधिक निर्भरता।
- **पैतृक ऋण का चक्र:** ऋण, गैर-उत्पादक उद्देश्यों जैसे कि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने और सामाजिक कार्यों (जैसे- विवाह, जन्म, मृत्यु से संबंधित) आदि के लिए लिया जाता है।
- **कृषि ऋण माफी:** सरकार द्वारा अधिक मात्रा में कृषि ऋण को माफ करने के कारण कर्ज माफी की उम्मीद में किसानों द्वारा ऋण लेने में वृद्धि हुई।

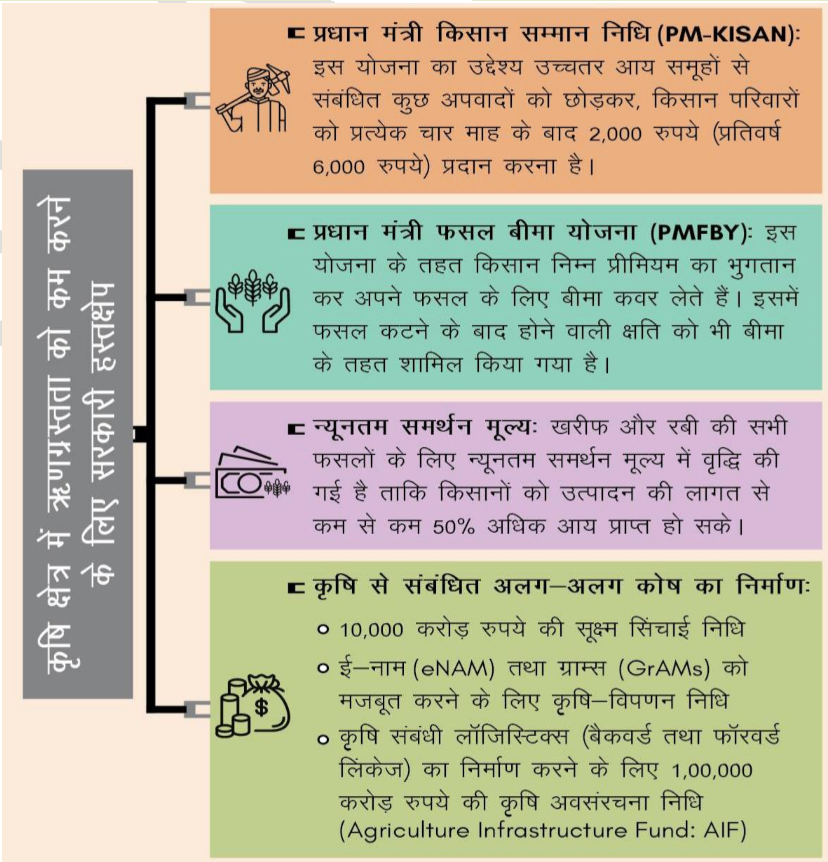

[74] Situation Assessment of Agricultural Households and Land Holdings of Households in Rural India, 2019

6.2. उर्वरक सब्सिडी (Fertilizer Subsidy)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, डाईअमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक के लिए सब्सिडी को 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बोरी कर दिया गया। इससे खरीफ सीजन में 140% की वृद्धि के साथ 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी बोझ बढ़ गया।

Categories of Fertilizers	
Nitrogenous Fertilizers	Urea Calcium Ammonium Nitrate (CAN) Ammonium Nitrate Ammonium Sulfate Anhydrous Ammonia Other Nitrogenous Fertilizers
Phosphatic Fertilizers	Mono-Ammonium Phosphate (MAP) Di-Ammonium Phosphate (DAP) Triple Superphosphate (TSP)
Potash Fertilizers	Muriate of Potash (MOP) Other Potash Fertilizers

भारत में उर्वरकों की स्थिति

- भारतीय उर्वरक उद्योग **उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरा और उपभोग के मामले में दूसरा सबसे बड़ा** उर्वरक उद्योग है।
- पोषक तत्वों के संघटन के आधार पर भारतीय उर्वरक उद्योग को मोटे तौर पर **दो श्रेणियों** में विभाजित किया जा सकता है: **(i) नाइट्रोजन युक्त उर्वरक;** तथा **(ii) फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरक।**
- पूर्वानुमान अवधि (वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2026 तक) के दौरान भारतीय उर्वरक बाजार की **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर**[75] में **11.9%** की वृद्धि होने की संभावना है।

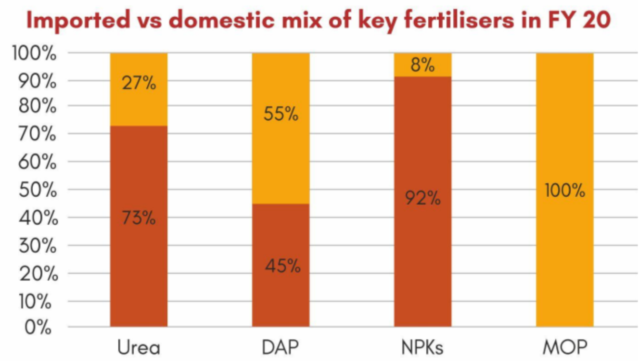

उर्वरक सब्सिडी से संबंधित चिंताएं

- **उच्च राजकोषीय बोझ:** खाद्य सब्सिडी के बाद उर्वरकों की राजकोषीय सब्सिडी में हिस्सेदारी **(लगभग 0.73 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत)** सार्वाधिक (दूसरे स्थान पर) है।
- **उर्वरक क्षेत्रक की आयात पर बढ़ती निर्भरता:** भारत में वार्षिक आधार पर लगभग 55 मिलियन मीट्रिक टन उर्वरकों की खपत होती है, इसमें से 28% का आयात किया जाता है (वित्त वर्ष 2020 में प्रमुख उर्वरकों के आयात तथा घरेलू उत्पादन अनुपात के संबंध में जानकारी हेतु ग्राफ का संदर्भ ले सकते हैं)।
    - यूरिया के अत्यधिक उपयोग के कारण इस पर सब्सिडी की सबसे अधिक खपत (कुल उर्वरक सब्सिडी का 70%) होती है।

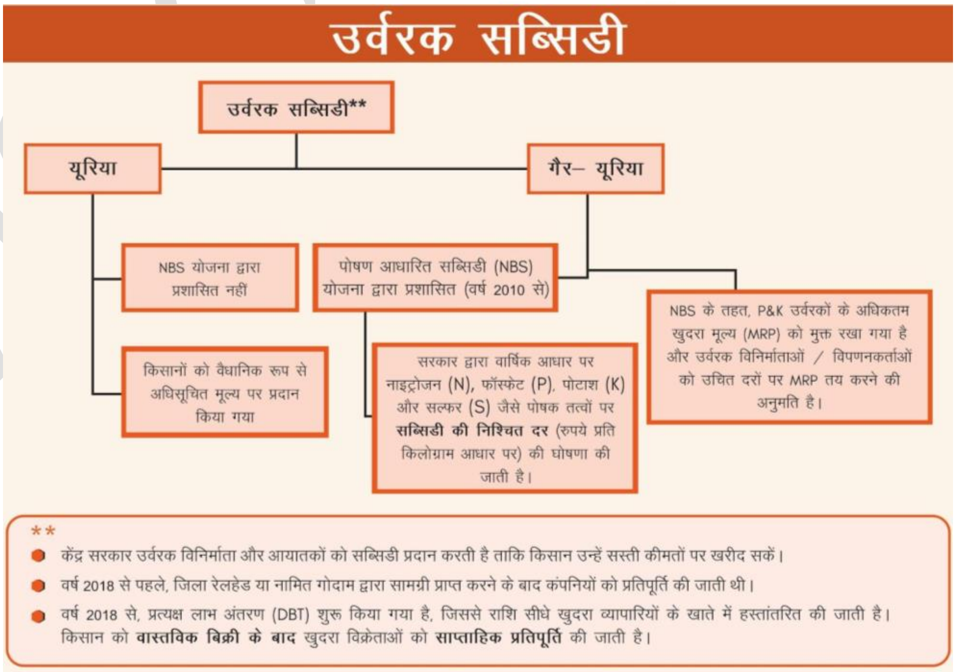

- **सब्सिडी व्यवस्था के कारण उर्वरकों के असंतुलित उपयोग में वृद्धि:** जहाँ, आदर्श **NPK अनुपात 4:2:1** है, वहीं पंजाब और हरियाणा में वर्तमान में **25:5:1** के अनुपात में उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। उर्वरक के असंतुलित उपयोग के परिणामस्वरूप फसल की

[75] Compound Annual Growth Rate: CAGR

पैदावार भी प्रभावित होती है। साथ ही, यह मृदा स्वास्थ्य में गिरावट लाने के साथ-साथ पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से भी प्रभावित करता है।

- नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करना कभी-कभी कीटों से जुड़ी समस्याओं जैसे कि **कुछ कृषि संबंधी कीटों की जन्म दर, आयु और उनकी सुदृढ़ता में वृद्धि** को बढ़ावा दे सकता है।
- **अत्यधिक उर्वरक का उपयोग करने से फर्टिलाईजर बर्न (Fertilizer burn)** की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप **पौधे की पत्तियाँ सूख जाती हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है या वे नष्ट भी हो सकते हैं।**

* **अत्यधिक उर्वरक उपयोग का पारिस्थितिकीय प्रभाव:** उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। कई औद्योगिकीकृत देशों में, उर्वरकों के अति उपयोग से सतही जल और भूजल का संदूषण हुआ है।
  - पोषक तत्वों से युक्त उर्वरक अपवाह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता को उत्प्रेरित कर सकता है, जिससे **हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन** की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो **मछलियों की मृत्यु** का कारण बन सकती है।

आगे की राह

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार को निम्नलिखित मुद्दों पर काम करना चाहिए-

* किसानों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकद अंतरण, प्रति किसान उर्वरक बोरियों की संख्या की सीमा, विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुसार संतुलित उर्वरक उपयोग पर किसानों के बीच जागरूकता, और रासायनिक उर्वरकों के हरित विकल्पों को बढ़ावा देना, जैसे-
  - जैव उर्वरक (शैवाल, कवक और जीवाणु) फसल उपज को 15-25% तक बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
  - धीमी गति से निकलने वाले प्राकृतिक उत्पाद, जैसे- मिलोर्गेनाइट, जो पौधे को धीरे-धीरे पोषक तत्व प्रदान करता है और मृदा हेतु आवश्यक कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध कराता है।

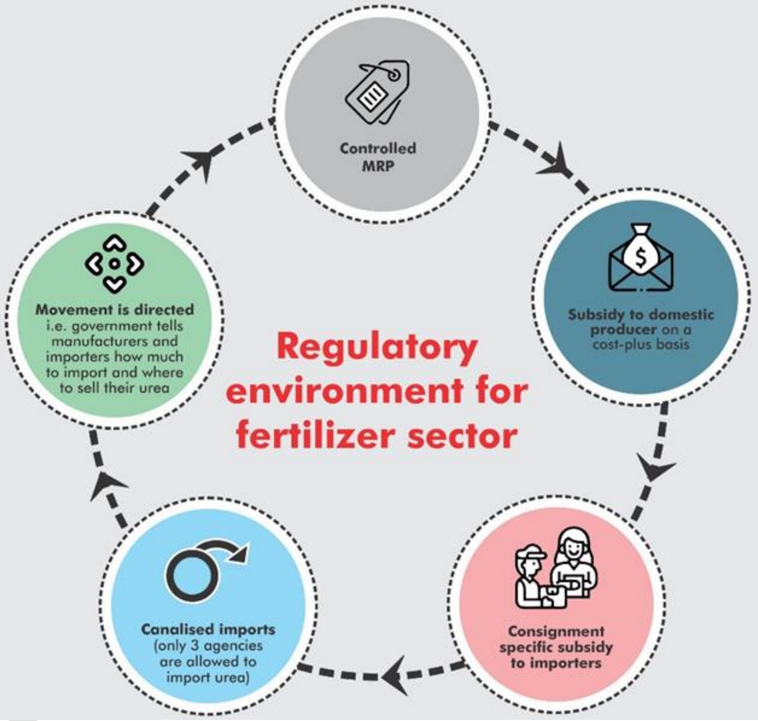

उर्वरक के क्षेत्र में सरकार के कदम

* **स्वदेशी स्तर पर यूरिया के उत्पादन को अधिकतम करने,** यूरिया उत्पादन में **ऊर्जा दक्षता** को बढ़ावा देने और सरकार पर **सब्सिडी के बोझ को युक्तिसंगत करने** के उद्देश्य से **नई यूरिया नीति, 2015 {New Urea Policy (NUP), 2015}** को लागू किया गया है।
* **नीम लेपित यूरिया (Neem Coated Urea: NCU):** संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सभी घरेलू यूरिया उत्पादकों के लिए 100% NCU के उत्पादन को अनिवार्य कर दिया गया है।
* **गैस पूलिंग:** सभी प्राकृतिक गैस ग्रिड से जुड़े यूरिया विनिर्माण संयंत्रों को एक समान मूल्य पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए घरेलू गैस के साथ पुन: गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस की पूलिंग को प्रोत्साहित किया गया है।
* **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card: SHC):** इस कार्ड में 12 मापदंडों के आधार पर मृदा स्वास्थ्य की स्थिति को संबोधित किया गया है, अर्थात् N, P, K (वृहद-पोषक तत्व); S (द्वितियक-पोषक तत्व); Zn, Fe, Cu, Mn, Bo (सूक्ष्म-पोषक तत्व); और pH, विद्युत चालकता (Electrical Conductivity: EC), जैविक कार्बन (Organic Carbon: OC) (भौतिक मापदंड)।
  - यह दीर्घावधि तक मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक **उर्वरकों की मात्रा और अन्य मृदा संबंधी संशोधनों को इंगित करता है।**
* फॉस्फेटिक रॉक और पोटाश के स्वदेशी भंडार की खोज करना और DAP (Diammonium Phosphate) और SSP (सिंगल सुपर फॉस्फेट), एनपीके (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम) और MOP (म्यूरेट ऑफ पोटाश) का उत्पादन करने के लिए स्वदेशी उद्योगों को उपलब्ध कराना।
  - इसमें राजस्थान, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग, हीरापुर (MP), ललितपुर (UP), मसूरी सिंकलाइन, कडप्पा बेसिन (आंध्र प्रदेश) के भंडार शामिल हैं।

6.3. फसलों का क्षेत्रवार विश्लेषण (Sectoral Analysis of Crops)

6.3.1. दलहन (Pulses)

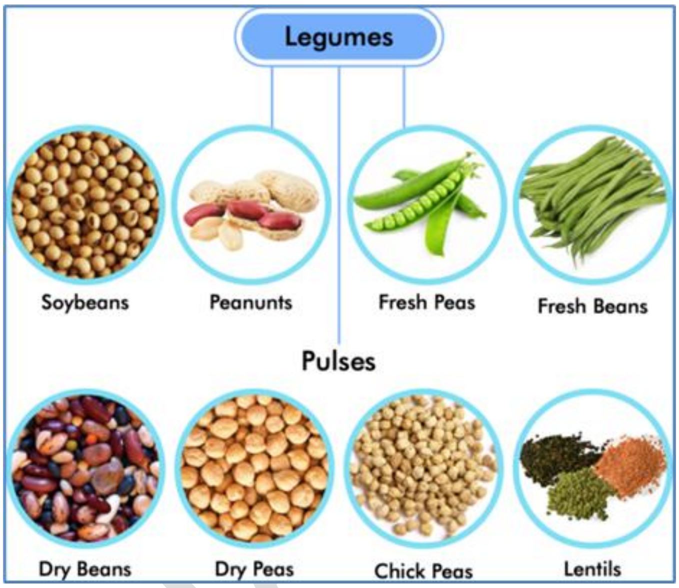

सुर्ख़ियों में क्यों?

दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संघ सरकार ने **खरीफ सीजन - 2021** के लिए एक रणनीति तैयार की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **तूअर, मूंग और उड़द दाल** के अंतर्गत फसली **क्षेत्र का विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि दोनों** के लिए भी एक विस्तृत योजना तैयार की गई है।
- साथ ही, अंतर फसली और एकल फसली माध्यम से इनके बुवाई क्षेत्र के विस्तार करने हेतु उच्च उपज वाली किस्मों (High Yielding Varieties: HYV) के **प्रमाणित बीजों** को **नि:शुल्क** वितरित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त 82.01 करोड़ रुपये की लागत के **20 लाख** से अधिक बीजों के **मिनी-किट** (विगत वर्ष की तुलना में दस गुना अधिक) वितरित किए जाएंगे।

भारत में दलहन

- दलहन वस्तुतः **फलीदार/लेग्युम समूह (legume family)** के पौधों के खाद्य योग्य सूखे बीज होते हैं जिन्हें सुपरफूड (उच्च पोषण युक्त खाद्य पदार्थ) की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें चना, मसूर, सूखी मटर, बीन्स आदि शामिल हैं।
- दलहन वस्तुतः **रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं** में उगाई जाने वाली फसल है। हालांकि, **दलहनों के कुल उत्पादन में रबी ऋतु में उत्पादित दलहन की हिस्सेदारी सर्वाधिक (60 प्रतिशत से अधिक) है।**
- **चना एक सबसे मुख्य दलहनी फसल है** और यह कुल दलहन उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। इसके बाद तूअर/अरहर और उड़द/काली उड़द का स्थान आता है।
- **मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक** शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य हैं।
- देश में **खाद्यान्न संबंधी फसली क्षेत्र** के अंतर्गत दलहन की हिस्सेदारी **लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र पर** है तथा **कुल खाद्यान्न उत्पादन में यह लगभग 7-10 प्रतिशत** का योगदानकर्ता है।
- **भारत:**
  - दलहन का **सबसे बड़ा उत्पादक** (वैश्विक उत्पादन का लगभग 24 प्रतिशत) देश है।
  - **सबसे बड़ा उपभोक्ता** (वैश्विक उपभोग का लगभग 27 प्रतिशत) देश है।
  - दलहन के मामले में विश्व का **सबसे बड़ा आयातक** (लगभग 14 प्रतिशत) देश है।

सरकारी योजनाएं

- **तिलहन, दलहन, ऑयल पॉम और मक्का के लिए एकीकृत योजना (Integrated Schemes of Oilseeds, Pulses, Oilpalm and Maize: ISOPOM):** इसके तहत बाजार अन्वेषण और प्रभावी मूल्य नीति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रित और एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
- **NFSM-दलहन:** चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission: NFSM) पर आधारित एक केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की गई है।
- **NFSM + विशेष प्रोत्साहन:** यह एक केंद्र प्रायोजित **त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (Accelerated Pulses Production Programme: A3P) और दलहन विकास योजना है।** इसके तहत प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, जल का कुशल उपयोग करने वाले उपकरणों इत्यादि जैसी पहलों को आरंभ किया गया है।
- **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS):** यह **प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) नामक छत्रक योजना का एक घटक है,** जिसे किसानों के लिए MSP सुनिश्चित करने हेतु आरंभ किया गया था।

- राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन और कोपरा की भौतिक खरीद की जाती है।
- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम (FCI) भी PSS के अंतर्गत फसलों की खरीद करता है। खरीद में होने वाला व्यय और हानि दोनों का वहन केंद्र द्वारा किया जाता है।

6.3.2. बागवानी (Horticulture)

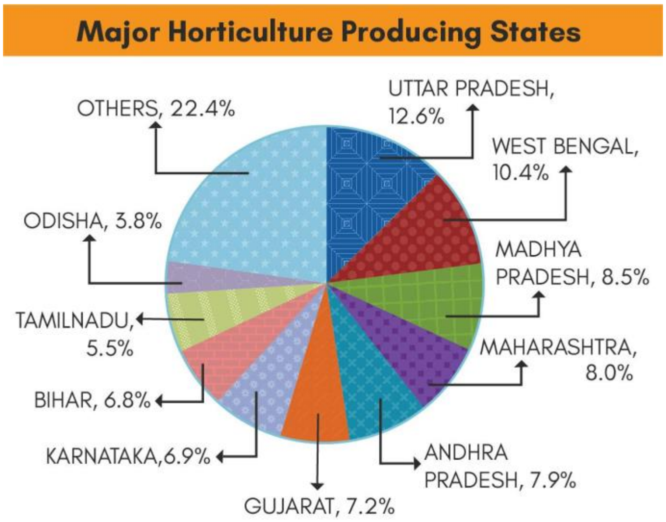

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने **बागवानी** की समग्र वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए **बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Horticulture Cluster Development Programme)** का शुभारंभ किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **केंद्रीय क्षेत्रक का एक कार्यक्रम है**, जिसे **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड** द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसे प्रायोगिक चरण के तहत **12 बागवानी क्लस्टरों** (कुल चयनित 53 क्लस्टरों में से) में आरंभ किया जाएगा, जिसमें **11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों** के लगभग **10 लाख किसान** शामिल होंगे।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाना** और **एकीकृत एवं बाजार की अगुवाई वाले विकास** को बढ़ावा देते हुए भारतीय बागवानी क्लस्टरों (या समूहों) को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा **'एकीकृत बागवानी विकास मिशन'** हेतु **वर्ष 2021-22 के लिए 2,250 करोड़ रुपये का आवंटन (पहले की तुलना में अधिक) किया गया है।**

बागवानी के बारे में

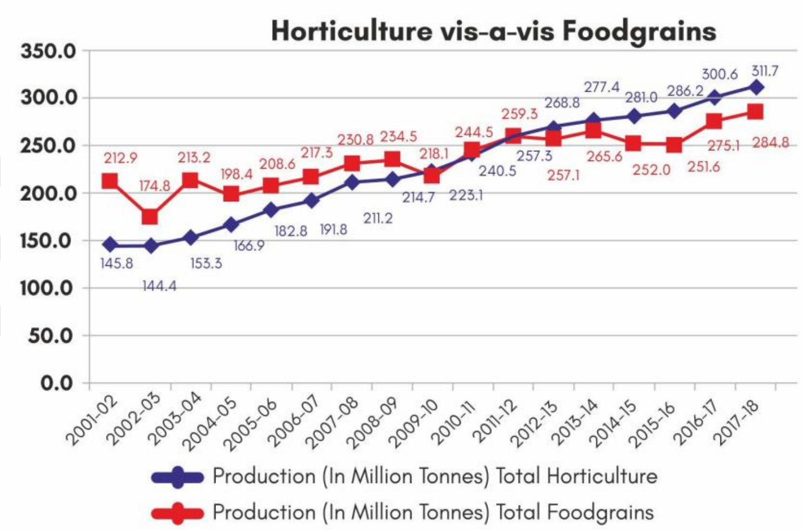

- व्यापक रूप से बागवानी में **फल और सब्जियां, मसाले और चटनी (condiments), सजावटी फूल व रोपाई, औषधीय और सुगंधित पादप** जैसी बागवानी फसलों का उत्पादन, उपयोग और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है।
- **उच्च मूल्य वाली फसलें,** प्रति इकाई क्षेत्रफल में **उच्चतर उत्पादकता** और सिंचाई तथा आदान लागत की कम आवश्यकता बागवानी फसलों की प्रमुख विशेषताएं हैं।
- भारत में **विविध कृषि-जलवायविक दशाओं और फसलों एवं आनुवंशिक संसाधनों की समृद्ध विविधता** के कारण वर्षपर्यंत विविध प्रकार की बागवानी फसलों का उत्पादन होता है।
- भारत की फलों के वैश्विक उत्पादन में 21% और सब्जी उत्पादन में 13% की भागीदारी है। इस प्रकार यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। केला, आम, लाईम (चकोतरा) और नींबू, पपीता और भिंडी के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है।
    - देश के कुल बागवानी उत्पादन में फलों और सब्जियों की लगभग 90% भागीदारी है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture: MIDH)

- यह **बागवानी क्षेत्रक के समग्र विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- MIDH के तहत, भारत सरकार द्वारा **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 60% योगदान किया जाता है।** पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामले में भारत सरकार द्वारा **90% योगदान किया जाता है।**

© Vision IAS

- MIDH राज्य सरकारों / राज्य बागवानी मिशनों को केसर मिशन और अन्य बागवानी संबंधी गतिविधियों, जैसे- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) / संधारणीय कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (Nationa Mission on Sustainable Agriculture: NMSA) के लिए **तकनीकी सलाह और प्रशासनिक सहायता** भी प्रदान करता है।
- MIDH के तहत, बागवानी उपज में सुधार के लिए कई उप-योजनाएँ और रणनीतियाँ हैं।
- **MIDH के तहत** सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली और क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से बेहतर बागवानी आकलन और विकास के लिए वर्ष 2014 में **चमन (CHAMAN) कार्यक्रम (अर्थात् भू-सूचना विज्ञान का उपयोग कर बागवानी आकलन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम**[76] का शुभारंभ किया गया था।

MIDH के अंतर्गत योजनाएं

उप–योजनाएं	लक्षित समूह / परिचालन का क्षेत्र
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (National Horticulture Mission: NHM)	पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन (Horticulture Mission for North East and Himalayan States: HMNEH)	पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों के सभी राज्य
राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission: NBM)	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (National Horticulture Board: NHB)	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में वाणिज्यिक बागवानी पर केंद्रित
नारियल विकास बोर्ड (Central Development Board: CDB)	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र जहां नारियल उगाया जाता है
केंद्रीय बागवानी संस्थान (Central Institute for Horticulture: CIH)	पूर्वोत्तर के राज्य, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रण

6.3.3. कपास की कृषि (Cotton Cultivation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कॉटन 2040 इनिशिएटिव** द्वारा "वैश्विक कपास उत्पादन के लिए भौतिक जलवायु जोखिम आकलन"[77] तथा "भारत के लिए भौतिक जलवायु जोखिम और सुभेद्यता आकलन"[78] नामक शीर्षक से दो रिपोर्ट्स जारी की गई हैं।

भारत के लिए भौतिक जलवायु जोखिम और सुभेद्यता आकलन

यह रिपोर्ट भारत की कपास मूल्य श्रृंखला के लिए प्रथम बार किए गए **विस्तृत भौतिक जलवायु जोखिम और सुभेद्यता मूल्यांकन पर आधारित है।**

रिपोर्ट के वैश्विक प्रमुख निष्कर्ष

- विश्व के सभी कपास उत्पादक क्षेत्र, **जलवायु संबंधी कम से कम एक जोखिम से प्रभावित होंगे।**
- सर्वाधिक कपास उत्पादक छह देश, यथा- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, पाकिस्तान और तुर्की- **विशेष रूप से वनाग्नि, सूखे व अतिवृष्टि जैसे बढ़ते जलवायु जोखिमों के प्रति सुभेद्य हैं।**

कॉटन 2040

- **कॉटन 2040**, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स और खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों, किसानों एवं मूल्य श्रृंखला के अन्य हितधारकों को एक साथ लाकर **संधारणीय वैश्विक कपास उद्योग** की परिकल्पना करता है।
- इस कार्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधारणीयता के लिए कार्य करने वाली एक अग्रणी एवं गैर-लाभकारी संस्था **"फोरम फॉर फ्यूचर"** द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है।

प्रमुख निष्कर्ष

- जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2040 तक **भारत के कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक तिहाई क्षेत्र,** तापमान में वृद्धि, वर्षण प्रतिरूप में परिवर्तन होने और चरम मौसमी घटनाओं **जैसे उच्च जोखिम के प्रति सुभेद्य हो सकते हैं।**
- 2040 के दशक में संपूर्ण भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र वर्तमान परिस्थितियों की तुलना में **अधिक उष्मीय दबाव** का सामना कर रहे होंगे।
- कुछ क्षेत्रों में, तापमान में वृद्धि के साथ ही जल उपलब्धता की कमी का दबाव भी परिलक्षित होने का अनुमान है।
- सभी जिलों में **श्रम उत्पादकता में अत्यधिक गिरावट वाले दिनों की संख्या में बढ़ोतरी होने** का भी अनुमान है।
- अध्ययन में शामिल कपास उत्पादक सभी जिलों में **बहुआयामी निर्धनता, कार्य में महिलाओं की भागीदारी की अल्प दर, पुरुष और महिला साक्षरता की निम्न दर, बैंकिंग सेवाओं, प्रौद्योगिकी और सूचना तक सीमित पहुंच** आदि सुभेद्यताओं के होने की संभावना व्यक्त की गयी है।

[76] Coordinated programme on Horticulture Assessment & Management using geoiNformatics

[77] Physical Climate risk assessment for global cotton production

[78] Physical Climate Risk and vulnerability Assessment for India

भारत में कपास की कृषि

- कपास एक **खरीफ फसल** है और दक्कन के पठार की **काली कपास मृदा (उच्च जल धारण क्षमता से युक्त) में भलीभांति वृद्धि करती है।**
- इसके लिए **20-28 डिग्री सेल्सियस के मध्य वार्षिक तापमान** की आवश्यकता होती है और **55-110 से.मी. की वर्षा** आदर्श है। इसके लिए **न्यूनतम 180 पाला रहित दिनों की आवश्यकता** होती है।
- कपास की अधिकांश कृषि **दस प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में की जाती है,** जिन्हें तीन विविध कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है (तालिका देखें)।

उत्तरी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र
• पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। • कपास के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 16.8% भाग।	• गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। • कपास के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 54.6% भाग।	• तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। • कपास के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 26.9% भाग।

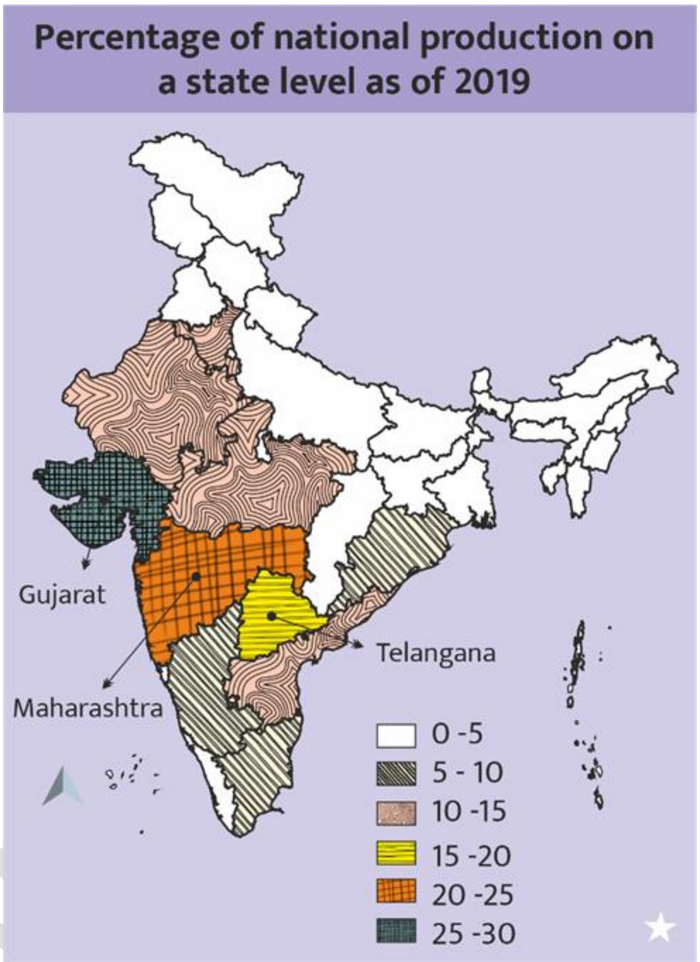

भारत में कपास की कृषि से संबंधित मुख्य तथ्य

सबसे बड़ा उत्पादक
- भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक (वर्ष 2020) देश है और कपास की कृषि के अंतर्गत भू–क्षेत्र के संदर्भ में भारत का पहला स्थान है (विश्व का 38% कपास क्षेत्र)।
- भारत, चीन के बाद कच्चे कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोगकर्ता देश है।

कपास की प्रजातियां
- भारतीय किसान कपास की चार प्रजातियों की खेती करते हैं। उनके नाम हैः गॉसिपियम अर्बोरियम (देसी कपास) और हर्बेसियम (एशियाई कपास), गॉसिपियम बारबडेंस (मिस्र की कपास) और गॉसिपियम हिर्सुटम (अमेरिकी अपलैंड कपास)।
- वर्तमान समय में भारत में उगाई जाने वाली 80% कपास, Bt कपास है और ये गॉसिपियम हिर्सुटम (अमेरिकी उच्च भूमि/अपलैंड कपास) प्रजाति की संकर किस्म है।

आजीविका
- मोटे तौर पर 6 करोड़ लोग कपास मूल्य श्रृंखला से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। लगभग 4–5 करोड़ लोग कपास के व्यापार और इसके प्रसंस्करण में नियोजित हैं।
- कृषि के बाद कपास वस्त्र उद्योग ऐसा दूसरा बड़ा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह देश की GDP में 4% योगदान देता है।

निर्यात
- वर्ष 2018–19 में, भारत के कुल निर्यात में कपडे और वस्त्र का योगदान 12% था, जिसमें से वृहद हिस्सा कपास से बने सूत का था।
- वर्ष 2019–20 में, भारत ने 6,000 मीट्रिक टन कपास की रूई का उत्पादन किया, जिसमें से 900 मीट्रिक टन निर्यात किया गया।

6.3.4. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (National Mission on Edible Oils – Oil Palm: NMEO-OP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने आगामी पांच वर्षों में पाम ऑयल की घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, NMEO-OP को स्वीकृति प्रदान की है।

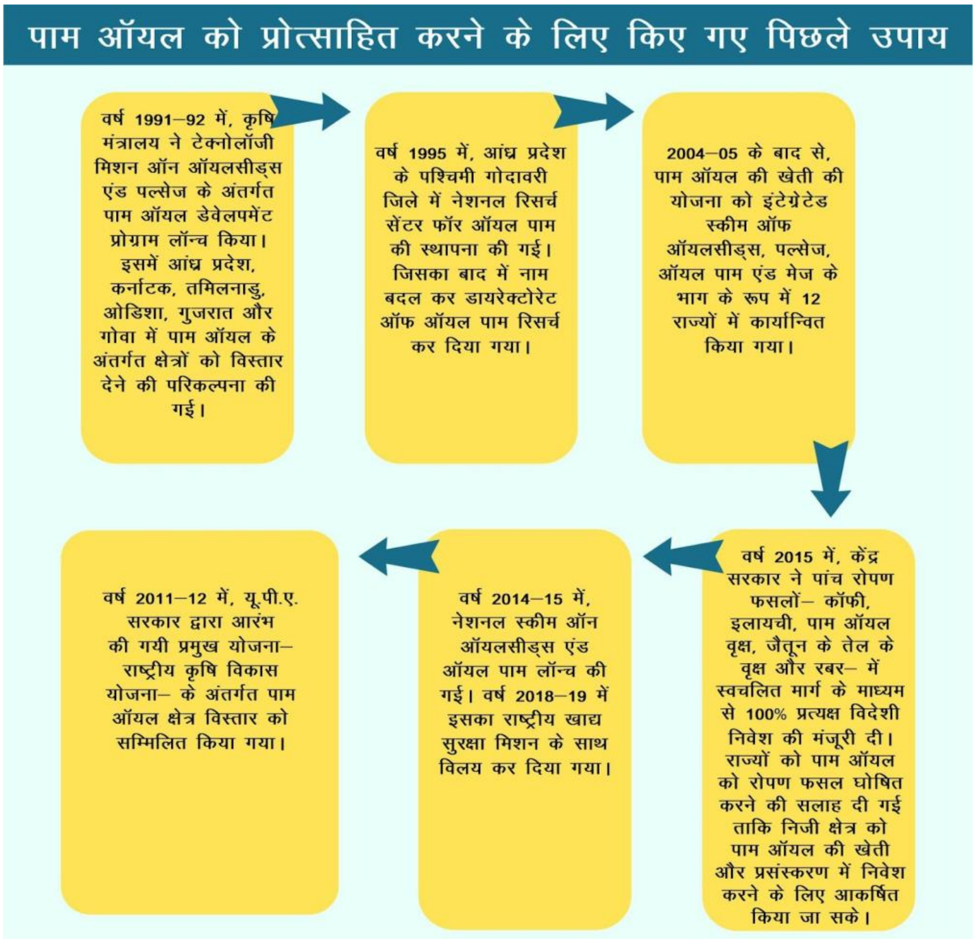

NMEO-OP के बारे में

- इसमें वर्तमान **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-ऑयल पाम कार्यक्रम** को समाविष्ट किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक **पाम ऑयल की कृषि के लिए निर्धारित क्षेत्र में अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करने** और अंततः 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रस्ताव है।

पाम ऑयल के बारे में

- ऑयलपाम (या पाम ऑयल) का उत्पादन **एलेस गिनेंसिस** (अफ्रीकी ऑयल पाम) या **एलेस ओलीफेरा** (दक्षिण और मध्य अमेरिका का स्थानिक) के **पाम फल** से किया जाता है।
- एक वनस्पति तेल के रूप में, यह ट्रांस फैटी एसिड के बिना विटामिन A और E से भरपूर होता है। इसका खाद्य उत्पादों और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं:

- इसमें **पूर्वोत्तर क्षेत्र** तथा **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- ताजे फल के गुच्छों (Fresh Fruit Bunches: FFB), जिनसे उद्योग द्वारा तेल निष्कर्षण किया जाता है, के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) की भांति **पाम ऑयल के किसानों को मूल्य आश्वासन** प्रदान किया जाएगा। इसे व्यवहार्यता मूल्य (Viability Price: VP) के रूप में जाना जाएगा।
    - किसानों को यह मूल्य आश्वासन, **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding: VGF)** के रूप में प्रदान किया जाएगा और **उद्योगों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे CPO मूल्य {कच्चे पाम ऑयल (Crude Palm Oil: CPO)} का 14.3% भुगतान करें, जो अंततः 15.3% तक जाएगा।**
        - ✓ इस योजना में एक सूर्यास्त खंड (Sunset Clause) है, जो 1 नवंबर 2037 है।
        - ✓ पाम ऑयल किसानों को कीमत में अंतर का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किया जाएगा।
    - पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार 2% अतिरिक्त CPO की कीमत वहन करेगी।
    - यह **CPO की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव और अस्थिरता** से किसानों की रक्षा करेगा।

- **रोपण सामग्री के लिए किसानों को 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाएगी,** जो पूर्ववर्ती 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की तुलना में तीव्र वृद्धि दर्शाता है।
    - रख-रखाव और अंत: फसली (inter-cropping) हस्तक्षेपों के लिए आगे और अधिक वृद्धि की गई है। पुराने बागानों के जीर्णोद्धार के लिए या उनके पुनः रोपण के लिए 250 रुपये प्रति पौधे की दर से विशेष सहायता प्रदान की जा रही है।
- **पूर्वोत्तर और अंडमान क्षेत्र के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी** जिसमें एकीकृत कृषि के साथ-साथ अर्धचंद्राकार सीढ़ीदार कृषि, जैव बाड़बंदी और भूमि साफ करने के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं।
- **देश में रोपण सामग्री की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए बीज उद्यानों** को पूर्वोत्तर और अंडमान क्षेत्र में 15 हेक्टेयर के लिए 100 लाख रुपये और शेष भारत में 15 हेक्टेयर के लिए 80 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- **इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है,** जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 8,844 करोड़ रुपये है और राज्यों की हिस्सेदारी 2,196 करोड़ रुपये है। इसमें व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) भी शामिल है।

इस योजना का महत्व

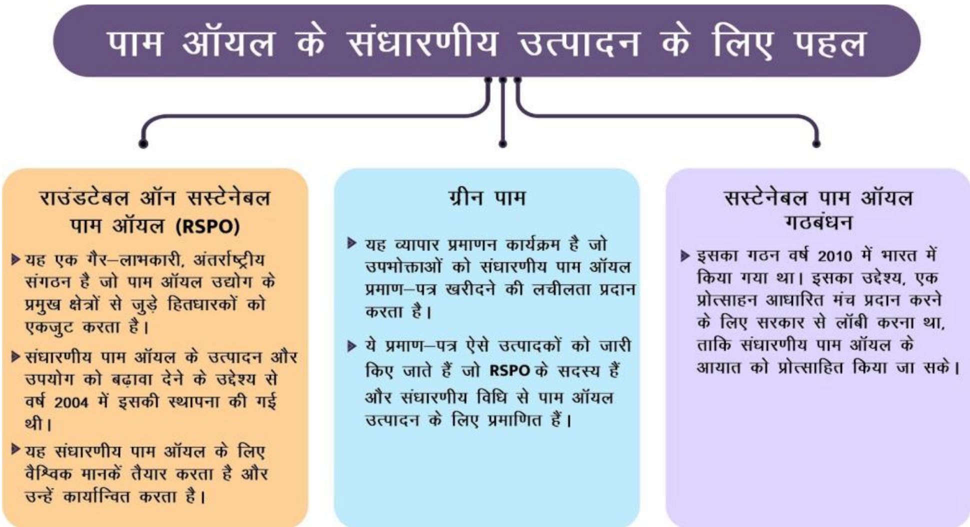

- **आयात पर निर्भरता में कमी:** देश में खाद्य तेल की वार्षिक माँग लगभग 2.5 करोड़ टन है, जिसमें से 1.3 करोड़ टन की मांग की पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है। इस आयात में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 55% से अधिक है, जिससे भारत विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक बन जाता है।
    - इस योजना के अंतर्गत **कच्चे पाम ऑयल (CPO) का घरेलू उत्पादन वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन और वर्ष 2029-30 तक 28 लाख टन** तक पहुँच जाने की अपेक्षा की जा रही है।
- **अन्य वनस्पति तेलों और पशु वसा की तुलना में लागत प्रतिस्पर्धात्मकता:** अन्य तिलहनों की तुलना में, पाम ऑयल उच्च पैदावार प्रदान करता है, इसकी कृषि करना आसान है और यह वर्षभर फल देता है।
    - ऑयल पाम अन्य तिलहनी फसलों की तुलना में प्रति हेक्टेयर **10 से 46 गुना** अधिक तेल का उत्पादन करता है और **प्रति हेक्टेयर लगभग 4 टन तेल** का उत्पादन करता है।
- **असीम संभावनाओं से युक्त:** भारतीय पाम ऑयल अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Oil Palm Research: IIOPR) के आकलन के अनुसार, भारत में **28 लाख हेक्टेयर** पाम ऑयल उत्पादन क्षमता है, जिसमें से 9 लाख हेक्टेयर से अधिक पूर्वोत्तर क्षेत्र में निहित है। वर्तमान में केवल 3.70 लाख हेक्टेयर में ही पाम ऑयल की कृषि की जाती है।
- पाम ऑयल की कीमतों को घरेलू नियंत्रण में लाकर भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को कम करना।
- **आर्थिक लाभ:** इससे पूंजी निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- **जलवायु परिवर्तन प्रबंधन:** इस फसल की कार्बन संचय क्षमता[79] का स्तर प्रशंसनीय है, जो इस फसल को जलवायु परिवर्तन प्रबंधन के संदर्भ में आकर्षक फसल बना देता है।
- **वैश्विक मांग की पूर्ति करने में सहायक:** अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में **पर्याप्त उपलब्धता, बहुमुखी उपयोग और कम लागत के कारण** पाम ऑयल **वनस्पति तेल के मुख्य वैश्विक स्रोत** के रूप में उभरा है।
    - वनस्पति तेलों की वैश्विक मांग **वर्ष 2050 तक 46% तक बढ़ने** का अनुमान है।
    - ट्रांस-फैटी एसिड (TFA) और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों[80] से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंताओं ने भी पाम ऑयल की मांग में वृद्धि की है, क्योंकि **पाम ऑयल GMO से प्राप्त नहीं होता है और न ही इसमें TFA होता है।**

---

[79] carbon sequestration potential

[80] Genetically Modified Organism: GMO

6.3.5. जूट उद्योग (Jute Industry)

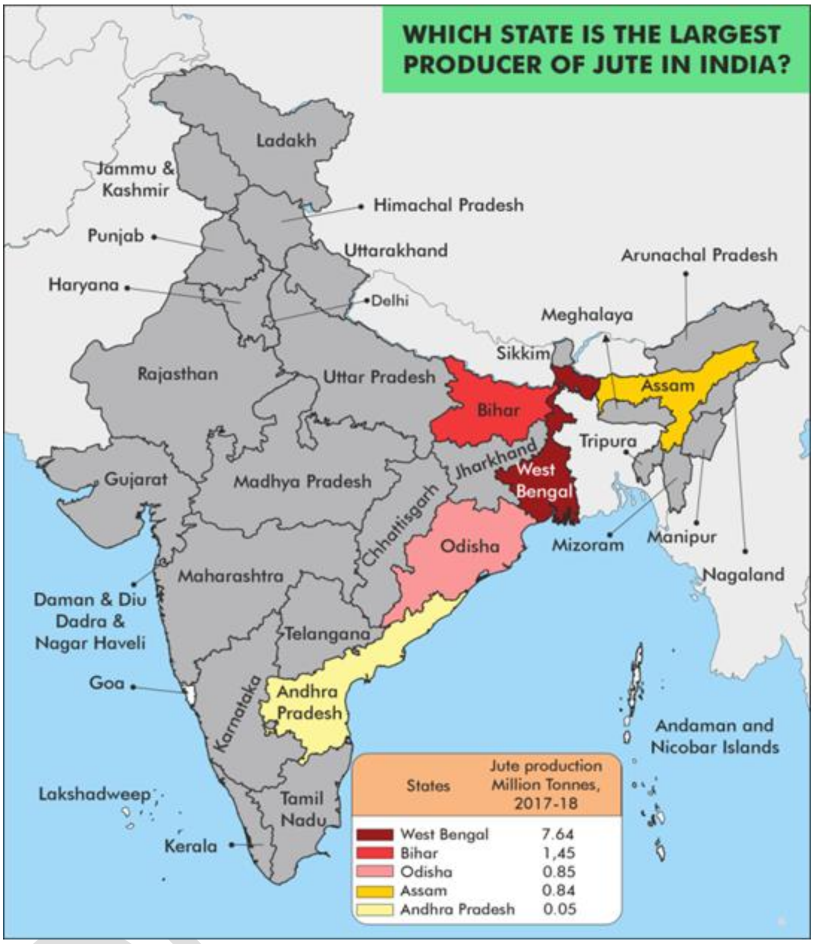

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इस वर्ष पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण नियमों को मंजूरी प्रदान की है। इसमें **यह निर्धारित किया गया है कि शत-प्रतिशत खाद्यान्न और 20% चीनी अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक की जानी चाहिए।**

- यह कार्यवाही **जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987** के तहत की गई है।
- यह अधिनियम कुछ वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण में **जूट पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग का प्रावधान करता है।**
- **महत्व:**
    - इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि जूट एक प्राकृतिक, बायोडिग्रेडेबल, नवीकरणीय और पुन: उपयोग किए जाने वाला फाइबर है।
    - वर्तमान प्रस्ताव में आरक्षण नियम भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन के हितों की रक्षा करेंगे।
    - ये 40 लाख जूट किसानों की उपज के लिए **एक गारंटीकृत बाजार सुनिश्चित करते हैं।**
- **जूट के बारे में:**
    - जूट को **जलोढ़ मिट्टी और अत्यधिक वर्षा** एवं 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।
    - जूट की फसल हेतु मानसून के मौसम में **उष्ण और उच्च आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है।**
    - भारत विश्व में जूट का **सबसे बड़ा उत्पादक देश है।**
- **जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न पहलें**
    - कच्चे जूट की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए **जुट-इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रेटिंग एक्सरसाइज।**
    - **जूट स्मार्ट (SMART)** जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक ई-सरकार पहल है।
    - जूट **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था में सम्मिलित** है।

6.3.6. चीनी मिल (Sugar Mills)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने **शर्करा विकास निधि[81] नियम, 1983** की पुनर्संरचना के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **SDF** नियमों की पुनर्संरचना का उद्देश्य **आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन वित्तीय रूप से व्यवहार्य ऐसी चीनी मिलों** के पुनरूद्धार की सुविधा प्रदान करना है, जिन्होंने चीनी विकास निधि अधिनियम[82], 1982 के तहत ऋण प्राप्त किया है।

---

[81] Sugar Development Fund: SDF

[82] Sugar Development Fund (SDF) Act

- वर्तमान में SDF का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए चीनी मिलों को ऋण देने हेतु किया जा रहा है:
  - **चीनी मिलों का पुनर्वास और आधुनिकीकरण**
  - खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत् परियोजनाएँ
  - ऐल्कोहल से निर्जल ऐल्कोहल या इथेनॉल का उत्पादन
  - मौजूदा इथेनॉल संयंत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) संयंत्र से प्रतिस्थापित करना
  - गन्ने की खेती का विकास
- ऋण, **प्रचलित बैंक दर से 2% कम की रियायती दर** पर प्रदान किये जाते हैं।
- 30 नवंबर, 2021 तक **SDF ऋणों की बकाया राशि 3068.31 करोड़ रुपये** थी।

नए दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ:

- ये दिशा-निर्देश सहकारी समितियों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों सहित **सभी प्रकार की कंपनियों द्वारा लिए गए SDF ऋणों पर समान रूप से लागू होते हैं।**
- **पात्रता:**
  - ऐसी चीनी मिल जिसे पिछले 3 वित्तीय वर्षों से लगातार नकद घाटा हो रहा है; या
  - चीनी मिल का निवल मूल्य नकारात्मक हो, और वर्तमान चीनी-सत्र को छोड़कर 2 से अधिक चीनी-सत्र में गन्ने की पेराई बंद नहीं हुई है, तो वह पुनर्संरचना के लिए आवेदन हेतु पात्र है।
- **लाभ:**
  - **दो साल के लिए शुल्क से छूट** और फिर पाँच साल तक ऋण चुकाने की सुविधा।
  - पात्र चीनी मिलों को **अतिरिक्त ब्याज से पूरी छूट** दी जाएगी।
  - SDF नियम 26 (9) (a) के अनुसार, ऋण की ब्याज दर को पुनर्वास पैकेज के अनुमोदन की तिथि पर प्रचलित बैंक दर के मुताबिक **ब्याज दर में बदल दिया जाएगा।**

गन्ना मूल्य नीति (Sugarcane pricing policy)

- **उचित और लाभकारी मूल्य (FRP):** वर्ष 2009 में **गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966** में संशोधन के साथ, गन्ने के वैधानिक न्यूनतम मूल्य[83] की अवधारणा को उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price: FRP) से बदल दिया गया था।
  - FRP वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को **गन्ना किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए** चुकाना पड़ता है।
  - FRP **चीनी की मूल प्राप्ति दर** से जुड़ा हुआ है। इसके तहत, अगर गन्ने से चीनी की अधिक प्राप्ति होती है तो किसानों को एक प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।
  - इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ निकाय, **कृषि लागत और मूल्य आयोग[84] द्वारा दिए गए सुझावों** और राज्य सरकारों के परामर्श के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- **राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य (State-Advised Prices: SAPs):** उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्य उत्पादन की लागत और उत्पादकता स्तरों को देखते हुए गन्ने के लिए SAP की घोषणा करते हैं। SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है।
- **न्यूनतम बिक्री मूल्य (Minimum Selling Price: MSP):** आवश्यक वस्तु अधिनियम[85], 1955 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र ने **शर्करा मूल्य (नियंत्रण) आदेश[86], 2018** को अधिसूचित किया है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा गन्ने की FRP और सबसे कुशल मिलों के न्यूनतम रूपांतरण लागत को ध्यान में रखते हुए MSP तय किया जाता है।
  - MSP की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि **कारखानों को चीनी के उत्पादन की कम-से-कम न्यूनतम लागत मिल सके,** ताकि वे किसानों के गन्ने का बकाया चुका सकें।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत 2.5 करोड़ परिवारों को 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर से चीनी वितरित की जाती है।
- **निर्यात नीति:** भारत की निर्यात सब्सिडी में उत्पादन सहायता योजना, बफर स्टॉक योजना और विपणन व परिवहन योजना शामिल है।

---

[83] Statutory Minimum Price: SMP

[84] Commission for Agricultural Costs and Prices: CACP

[85] Essential Commodities Act

[86] Sugar Price (Control) Order

© Vision IAS

चीनी मिलों को बार-बार तरलता संकट का सामना क्यों करना पड़ता है?

- **निम्नलिखित कारणों से उच्च गन्ना उत्पादन होना:**
  - **गन्ने के लिए निश्चित मूल्य:** सरकार ने किसानों की आय में सहायता के लिए गन्ने की कीमतें तय की हैं। मौजूदा कीमत वैकल्पिक फसलों की कीमत से काफी अधिक है।
  - **चीनी के लिए नियंत्रित घरेलू कीमतें:** इस तरह की कीमतें चीनी की कीमतों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अधिक हैं। इसका मतलब है कि गन्ने की खेती का रकबा अधिक रहेगा और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कीमत से सुरक्षित रहेगा। यह भी गन्ना उत्पादकों के लिए गन्ना उगाने हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है।
- **गन्ना आरक्षित क्षेत्र और बाध्यता:** प्रत्येक निर्दिष्ट मिल गन्ना आरक्षित क्षेत्र के गन्ना किसानों से खरीद करने के लिए बाध्य है और इसी तरह किसान अपने क्षेत्र की मिल को बिक्री करने के लिए बाध्य हैं।
  - हालाँकि, यह व्यवस्था उस **किसान की मोलभाव शक्ति को कम कर देती है,** जो गन्ने का पैसा बकाया होने पर भी मिल को बेचने के लिए मजबूर होता है।
  - वहीं **मिलों** के पास भी गन्ने की आपूर्ति बढ़ाने की **सुविधा नहीं रह जाती।**

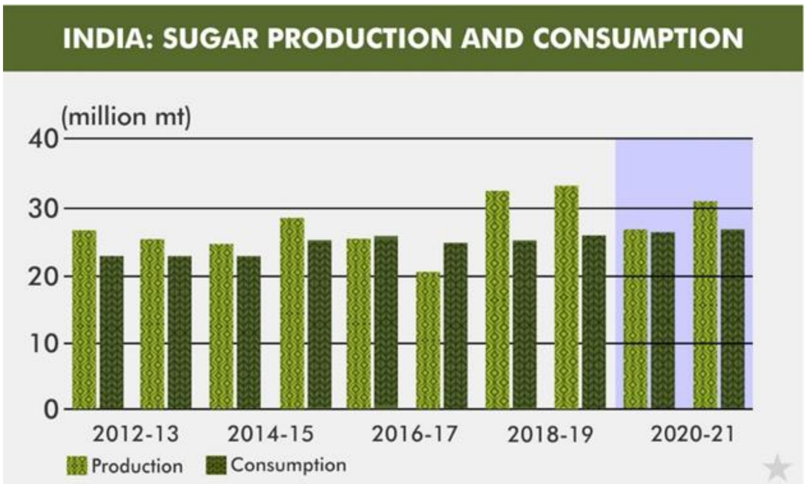

- **न्यूनतम दूरी की शर्त:** गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत, केंद्र सरकार ने किन्हीं दो चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी को 15 कि.मी. निर्धारित किया है। हालाँकि, इस शर्त के कारण अक्सर **बाजार में गड़बड़ी पैदा होती है।**
- **चीनी के लिए व्यापार नीति:** सरकार ने निर्यात और आयात दोनों पर नियंत्रण स्थापित किया है।

चीनी मिलों के तरलता संकट को दूर करने के लिए उठाए गए कदम:

- **राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018:** इस नीति में **वर्ष 2030 (अब बदलकर 2025 कर दिया गया है) तक इथेनॉल के लिए 20% की लक्षित सम्मिश्रण दर** का प्रस्ताव रखा गया।
- **एक त्रिपक्षीय समझौता:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त इथेनॉल उपलब्ध हो, यह चीनी कंपनियों, बैंकों और तेल विपणन कंपनियों[87] के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है।
- **भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु चीनी के लिए निर्यात सब्सिडी:** विश्व व्यापार संगठन में अन्य देशों द्वारा इसका विरोध किया गया। भारत को दिसंबर 2023 तक सब्सिडी जारी रखने की अनुमति दी गई है।

प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में नीति आयोग की सिफारिशें:

- नीति आयोग ने अपने एक सदस्य, प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका उद्देश्य चीनी उद्योग और गन्ना किसानों के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजना था। **टास्क फोर्स की कुछ प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:**
  - राजस्व बंटवारे के सूत्र को अपनाना;
  - कम जल-गहन फसलों की ओर **विविधीकरण;**
  - इथेनॉल सम्मिश्रण में वृद्धि;
  - **चीनी के** न्यूनतम बिक्री मूल्य में संशोधन;
  - **निर्यात प्रोत्साहनों को** विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप बनाने के लिए **नया स्वरूप देना;**
  - **बफर स्टॉक को बंद करना,** गुड़ को बढ़ावा देना आदि।

[87] Oil Marketing Companies: OMCs

© Vision IAS

6.4. संधारणीय कृषि (Sustainable Agriculture)

6.4.1. वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना {Large Area Certification (LAC) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंडमान तथा निकोबार में लगभग 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को भारतीय सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली[88] प्रमाणीकरण कार्यक्रम के वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण[89] योजना के अंतर्गत जैविक (organic) के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह इस प्रकार से प्रमाणित होने वाला पहला वृहद सन्निहित क्षेत्र (contiguous territory) है।

वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण (LAC) के बारे में

- यह भारत में जैविक कृषि (ऑर्गेनिक फार्मिंग) के संभावित क्षेत्रों का दोहन करने वाला एक विशिष्ट प्रमाणीकरण कार्यक्रम है।
- इसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अपनी प्रमुख योजना **"परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)"** के अंतर्गत आरंभ किया गया था।
- LAC के तहत **किसी क्षेत्र के प्रत्येक गांव को एक क्लस्टर या संकुल के रूप में माना गया है** तथा ग्राम-वार सरल दस्तावेजीकरण किया गया है।
- सभी किसानों को उनकी खेती की भूमि तथा मवेशियों के साथ **मानक संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा करना होता है।** सत्यापित होने पर रूपांतरण अवधि के अंतर्गत आए बिना उन्हें **सामूहिक रूप से प्रमाणित** होना चाहिए।
- PSG-इंडिया की मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार **वार्षिक आधार पर प्रमाणन का नवीनीकरण** किया जाता है।

[88] Participatory Guarantee System (PGS)-India

[89] Large Area Certification: LAC

© Vision IAS

6.4.2. शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (Zero-budget Natural Farming: ZBNF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की एक समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि **शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) को अपनाने से कृषि संबंधी फसलों के उत्पादन के स्तर में व्यापक कमी आएगी। इस प्रकार यह भारत की खाद्य सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।**

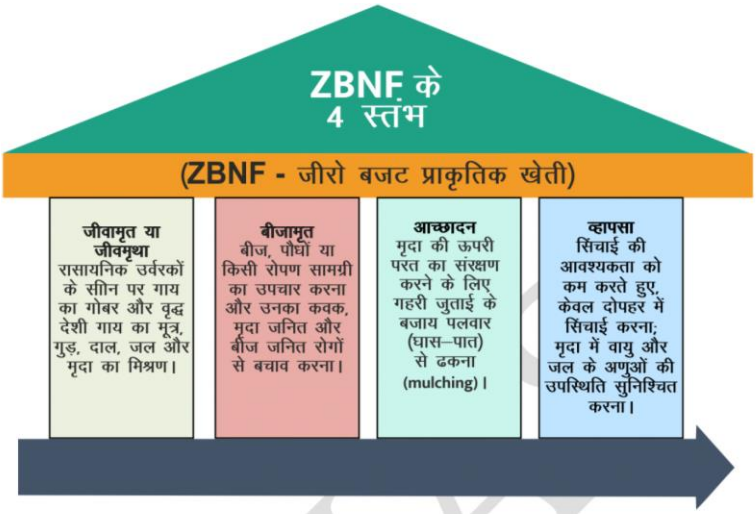

शून्य-बजट प्राकृतिक खेती के बारे में

- यह **रसायन-मुक्त** कृषि की एक पद्धति है। यह **पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों पर आधारित** है।
    - शून्य-बजट में 'बजट' शब्द क्रेडिट (ऋण) और व्यय को संदर्भित करता है। **इस प्रकार 'शून्य बजट' का आशय किसी भी प्रकार के ऋण** का उपयोग नहीं करने, और न ही किसी इनपुट की खरीदारी पर कोई धन खर्च करने से है। 'प्राकृतिक खेती' का आशय **किसी रसायन के उपयोग के बिना प्राकृतिक रूप से** खेती करने से है।
- इसे मूल रूप से महाराष्ट्र के कृषक और पद्मश्री से सम्मानित **सुभाष पालेकर** द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने इसे **1990 के दशक के मध्य में हरित क्रांति के विकल्प के रूप में** विकसित किया था।
- **यह एक प्राकृतिक कृषि तकनीक है। इसके तहत रसायनों के उपयोग के बिना और किसी प्रकार का ऋण** लिए बिना या कृषि संबंधी किसी इनपुट पर कोई धन खर्च किये बिना कृषि की जाती है।
- ZBNF का उल्लेख केंद्र सरकार के **दो बजट भाषणों यथा वर्ष 2019-20** और **वर्ष 2020-21** में किया गया था।

6.4.3. संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 का पूर्व-सत्र {Pre-Summit of United Nations (UN) Food Systems Summit 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सितंबर 2021 में **न्यूयॉर्क** में प्रस्तावित, **संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन** (UN Food Systems Summit) से पहले, संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली 2021 के पूर्व सत्र का आयोजन **रोम** में हुआ। इसे **संयुक्त राष्ट्र और इटली** द्वारा आयोजित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का उद्देश्य **सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर प्रगति प्राप्त करने के लिए नए साहसिक उपाय लागू करना है।** इनमें से प्रत्येक उपाय स्वस्थ, अधिक संधारणीय और न्यायसंगत खाद्य प्रणालियों पर निर्भर करता है।
- **"खाद्य प्रणाली"** शब्द का तात्पर्य भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन और उपभोग में शामिल गतिविधियों के समूह से है।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021, 5 एक्शन ट्रैक से दिशा–निर्देशित होगा:

एक्शन ट्रैक #1
सभी तक सुरक्षित व पोषक भोजन की पहुंच सुनिश्चित करना।

एक्शन ट्रैक #2
संधारणीय उपभोग प्रतिरूप का अंगीकरण।

एक्शन ट्रैक #3
प्रकृति–सम्मत उत्पादन को बढ़ावा देना।

एक्शन ट्रैक #4
उन्नत न्यायसंगत आजीविका का विकास।

एक्शन ट्रैक #5
सुभेद्यताओं, आघात व तनाव के प्रति लचीलेपन का सृजन।

6.4.4. कृषि में अन्य संधारणीय प्रथाएँ/योजनाएँ (Other Sustainable Practices/Schemes in Agriculture)

जैव ऊर्जा फसलें (Bioenergy crops)	• **नए अध्ययन के अनुसार:** ○ वार्षिक फसलों को बारहमासी जैव ऊर्जा फसलों में परिवर्तित करने से उन क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव पैदा हो सकता है, जहां उन फसलों की खेती की जाती है। • जैव ऊर्जा फसलों को जैव ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली पादप सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। • जैव ऊर्जा, जैविक स्रोतों जैसे **लकड़ी व फसलों या पशु अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा है।**
केज एक्वाकल्चर (CA)	• हाल ही में, **"केज एक्वाकल्चर"** पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसमें मत्स्यन क्षेत्र के विकास के लिए जलाशयों और पिंजरों में मत्स्य पालन (cage aquaculture) के महत्व को रेखांकित किया गया था। • केज एक्वाकल्चर **में मौजूदा जल संसाधनों का प्रयोग करते हुए मछलियों का विकास किया जाता है।** इसके अंतर्गत एक जाल पिंजरे से जुड़ा होता है। इससे जल का मुक्त प्रवाह होता है। • केज एक्वाकल्चर को मत्स्यन क्षेत्र की प्रमुख योजना **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत प्रोत्साहित** किया गया है। • PMMSY का उद्देश्य **मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, मछुआरों की आय को दोगुना करना, मत्स्य उत्पादन के बाद की हानि को कम करना** तथा **मत्स्य पालन क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों में रोजगार के अवसर** पैदा करना है।
जल-संवर्धन और एरोपोनिक्स (Hydroponics and Aeroponics)	• **जल-संवर्धन तकनीक में, पौधे को सामान्यतः एक अधःस्तर** {जैसे शैल-ऊर्ण (rock wool), ज्वालामुखी राख, दलदली काई (peat moss), कोको कॉयर या मृत्तिका कंकड़} पर रखा जाता है। **इन्हें पोषक तत्वों से भरपूर जल आवधिक रूप से दिया जाता है।** ○ कई बार, पौधे मात्र एक **प्रवाह के अंतर्गत ही होते हैं,** जिसमें निरंतर रूप से जल प्रवाहित होता रहता है। • **एरोपोनिक में पौधों को एक नियंत्रित वायु परिवेश में उगाया जाता है** तथा इन्हें अधःस्तर (substrate) या जल में नहीं रखा जाता है। ○ पौधों की वृद्धि के लिए बाहर निकली हुई जड़ों पर समय-समय पर पोषक तत्वों के घोल का छिड़काव किया जाता है। 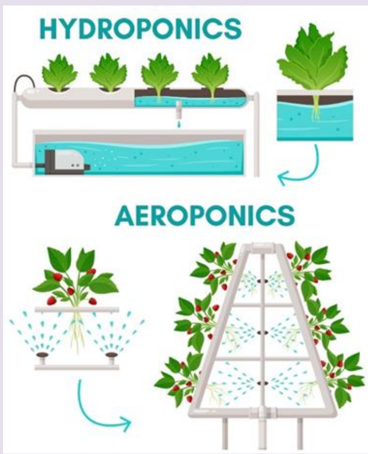

© Vision IAS

	• इनके अंतर्गत फसलों को **मृदा या कीटनाशकों के उपयोग के बिना स्वच्छ और नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है।** इस प्रकार, किसी भी तरह के संदूषण की बहुत सीमित संभावना शेष रह जाती है।
कृषि फोटोवोल्टिक (Agri-PV)	• कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) ने **बड़े पैमाने पर एग्री-वोल्टिक कृषि पद्धति** विकसित की है। • एग्री-वोल्टिक, **फसल और सौर ऊर्जा उत्पादन की एक मिश्रित प्रणाली है।** इसमें एक ही भूमि क्षेत्र पर एक ही समय में सौर पैनलों के नीचे फसलों का उत्पादन किया जाता है। • यह **सतत विकास प्राप्त करने के प्रयासों में एक उभरती हुई प्रणाली है,** जो भोजन और ऊर्जा उत्पादन को जोड़ती है। • **एग्री-वोल्टिक प्रणाली (AVS) में PV-मॉड्यूल** को एक झुकाव कोण पर संस्थापित किया जाता है। यह कोण संस्थापन स्थल की ऊंचाई के बराबर होता है। • एग्री-वोल्टिक पद्धति, **विद्युत उत्पादन और कृषि उपज दोनों को प्राप्त करके** वर्तमान एकल उपयोग की स्थिति से उबरने में सहायक हो सकती है।
नैनो यूरिया लिक्विड (Nano Urea Liquid)	• इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने विश्व भर के किसानों के लिए **विश्व का प्रथम नैनो यूरिया लिक्विड** प्रस्तुत किया है। • नैनो यूरिया लिक्विड को **पारंपरिक यूरिया को प्रतिस्थापित करने के लिए** विकसित किया गया है। यह इसकी **आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम कर सकता** है। • इसका उपयोग मृदा में **यूरिया के अत्यधिक प्रयोग को कम कर संतुलित पोषण कार्यक्रम** को प्रोत्साहित करेगा तथा फसलों को मजबूत, स्वस्थ बनाएगा और उन्हें **अस्थायी ठहराव के प्रभाव (lodging effect) (तने का खंडित होना)** से बचाएगा।
हरित धारा (Harit Dhara)	• यह **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** द्वारा विकसित एक **एंटी-मेथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट** है। • यह जब गायों और भेड़ों को दिया जाता है, तो यह उनके **मीथेन उत्सर्जन को 17-20% तक कम कर देता है और दुग्ध उत्पादन को बढ़ा देता है।**
फसल उत्पादन पूर्वानुमान के लिए परियोजनाएं (Projects for Crop Production Forecasting)	• निम्नलिखित 9 फसलों के लिए **फसल (FASAL) (अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकनों का उपयोग कर कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान) योजना:** चावल, गेहूं, तूर, रबी दलहन, रेपसीड और सरसों, रबी ज्वार, कपास, जूट और गन्ना। • आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, आम, केला और खट्टे फलों के लिए **चमन {(भू-सूचना विज्ञान का उपयोग करके समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन)** (Coordinated Horticulture Assessment and Management using geo-iNformatics: CHAMAN)} **योजना।** • फसलों के अनुमान में उपग्रह प्रौद्योगिकी की भूमिका के मूल्यांकन के लिए **किसान परियोजना (KISAN project)।**
तटीय मात्स्यिकी पहल- चैलेंज फंड वैश्विक ज्ञान स्पर्धा {Coastal Fisheries Initiative-Challenge Fund (CFI-CF) Global Knowledge Competition}	• इसे **विश्व बैंक ने** लॉन्च किया है। • यह 4 देशों- **काबो वर्डे, इक्वाडोर, इंडोनेशिया और पेरू** में तटीय मात्स्यिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, **अति-मत्स्यन की समस्या के लिए नवीन समाधान प्रदान करना चाहता है।** • इसका उद्देश्य तटीय मात्स्यिकी में **अति-मत्स्यन** की समस्या के समाधान को लागू करने के लिए **मात्स्यिकी और समुद्री खाद्य हितधारकों** को एकजुट करना है। • **CFI वैश्विक पर्यावरण सुविधा की एक पहल है।** यह तटीय मत्स्यन के पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक रूप से संधारणीय उपयोग एवं प्रबंधन का समर्थन करती है।
मोबाइल ऐप 'मत्स्य सेतु' (Mobile app 'Matsya Setu')	• इसका उद्देश्य **देश के जलीय कृषि करने वाले किसानों तक मीठे जल की जलीय कृषि संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों** का प्रसार करना है। ○ जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) **से तात्पर्य मत्स्य, शेलफिश और जलीय पादपों के प्रजनन, पालन एवं शस्यकर्तन से है।** • ऐप किसानों को मृदा और जल की गुणवत्ता बनाए रखने में **प्रौद्योगिकियों के संवर्धन एवं बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को सीखने में मदद करेगा।** • **ऐप की मुख्य विशेषताएं:** ○ प्रजाति-वार / विषय-वार **स्व-शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल।** ○ जलकृषि में **आहार और स्वास्थ्य प्रबंधन** के बारे में जानकारी।

	○ प्रत्येक पाठ्यक्रम **मॉड्यूल के सफल समापन पर ई-प्रमाण पत्र।**
नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (NICRA)	• हाल ही के एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि **दक्षिण एशिया में मानसूनी वर्षा सिंचाई पद्धतियों के विकल्प के प्रति संवेदनशील है।** ज्ञातव्य है कि दक्षिण एशिया विश्व के सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रों में से एक है। ○ उत्तर भारत में **अत्यधिक सिंचाई और परिणामस्वरूप वाष्पीकरण में वृद्धि** (भूमि की सतह से वाष्पीकरण और पौधों से वाष्पोत्सर्जन का योग) सितंबर माह की **मानसूनी वर्षा को उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग की ओर स्थानांतरित** कर देती है और मध्य भारत में **व्यापक स्तर पर चरम मौसमी दशाओं को बढ़ा** देती है। ○ वर्षण की चरमावस्था से संबंधित ये **जल-जलवायु संबंधी खतरे फसलों के समक्ष जोखिम को बढ़ा रहे** हैं। • NICRA, **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से **भारतीय कृषि की जलवायु परिवर्तन और जलवायु सुभेद्यता के प्रति प्रत्यास्थता में वृद्धि** करना है। • यह **जलवायु तनाव और चरम घटनाओं, विशेष रूप से वर्षा की अंतर मौसमी परिवर्तनशीलता** के प्रति सुभेद्यताओं के संदर्भ में देश में विभिन्न फसलों/क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है।
नदी तटीय कार्यक्रम (River Ranching Programme)	• **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत** विशेष गतिविधि के रूप में **"नदी तटीय कार्यक्रम"** आरंभ किया गया है। **कार्यक्रम के बारे में** • इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि और जल के विस्तार, गहनता, विविधीकरण एवं उत्पादक उपयोग के माध्यम से **मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देना तथा उसका और अधिक संवर्धन करना है।** • यह कार्यक्रम **संधारणीय मत्स्य पालन** का लक्ष्य प्राप्त करने, पर्यावास क्षरण को कम करने, जैव विविधता के संरक्षण, सामाजिक-आर्थिक लाभों को अधिकतम करने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आकलन करने में मदद करेगा। • इस कार्यक्रम हेतु **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board: NFDB) को नोडल एजेंसी** के रूप में नामित किया गया है। • कार्यक्रम के चरण-I के तहत **NFDB ने वर्ष 2020-21 के दौरान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों यथा- गंगा और उसकी सहायक नदियों, ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदी की सहायक नदियों** तथा **महानदी व अन्य नदियों को लक्षित किया है।** • इसके परिणामस्वरूप, **उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड और बिहार** का नदी पट्टी की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करने वाले छह प्रमुख अंतर्देशीय राज्यों के रूप में चयन किया गया है। • PMMSY देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के **केंद्रित और सतत विकास के लिए** एक प्रमुख योजना है। इसके कार्यान्वयन के लिए **आत्मनिर्भर भारत पैकेज** के एक हिस्से के रूप में सभी राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में **वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रूपये का अनुमानित निवेश किया जाएगा।**

6.5. भारत का पशुधन क्षेत्रक (Livestock Sector of India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने भारत में पशुधन क्षेत्रक के विकास में मौजूदा अनेक बाधाओं पर चिंता व्यक्त की है।

भारत में पशुधन क्षेत्रक की स्थिति

- भारत में पशुधन क्षेत्रक वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2019-20 तक **8.15%** की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate: CAGR) से वृद्धिशील बना रहा।
- पशुधन क्षेत्रक भारत में **लगभग 8.8% आबादी को रोजगार** प्रदान करता है।
- यह **दो-तिहाई ग्रामीण समुदाय को भी आजीविका** संबंधी विकल्प प्रदान करता है।
- यह सभी ग्रामीण परिवारों की आय में औसतन 14% तक सहयोग की तुलना में **लघु जोत वाले कृषक परिवारों की आय अर्जन में 16% तक का सहयोग करता है।**
- **कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद (2019-20) में** पशुधन क्षेत्रक का योगदान **लगभग 34%** है।
- पशुपालन क्षेत्रक **राज्य सूची** का एक विषय है।
- **20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत-**
  - **विश्व में सबसे बड़ा पशुधन वाला देश है।** विश्व में **भैंसों** की कुल आबादी के मामले में भारत का **प्रथम** स्थान है। इसके अतिरिक्त, **बकरी** की आबादी के मामले में भारत का स्थान **दूसरा** और **भेड़ों** की आबादी के मामले में **तीसरा** है।
  - भारत विश्व में **मत्स्य का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि वाला देश है।
  - भारत विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा कुक्कुट बाजार** वाला देश है।

© Vision IAS

भारत में पशुधन क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएं

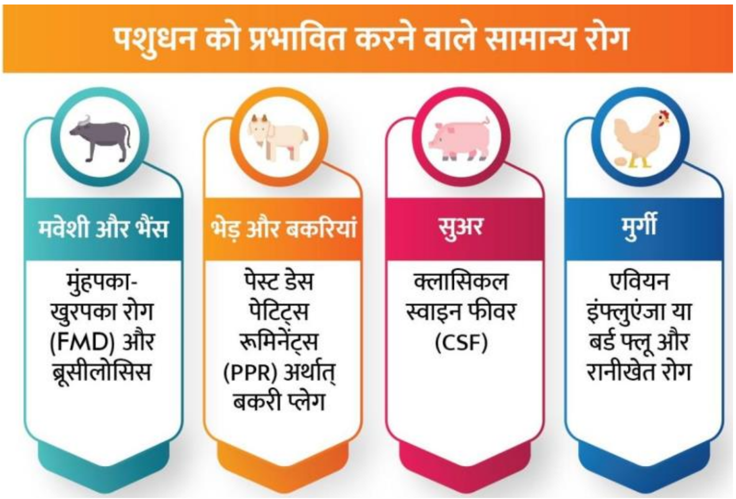

- **घरेलू पशुधन की निम्न उत्पादकता।**
- **अपर्याप्त पशु चिकित्सा अवसंरचना तथा निम्न गुणवत्ता।**
- **टीकों और टीकाकरण व्यवस्था का अभाव:** टीकों और शीत भंडारण सुविधाओं की कमी, सीमित विनिर्माण क्षमता और टीकों की निम्नस्तरीय गुणवत्ता।
- **पोषक चारे की कमी:** भारत में मात्र 5 प्रतिशत फसली क्षेत्र का ही उपयोग चारा उगाने के लिए किया जाता है। भारत में सूखे चारे में 11 प्रतिशत, हरे चारे में 35 प्रतिशत और कंस्ट्रेट (सकेंद्रित) चारे में 28 प्रतिशत की कमी हुई है।
- **पशु चिकित्सा सेवाओं में समावेशिता का अभाव।**
- कुछ हद तक कुक्कुट उत्पादों और कुछ सीमा तक दुग्ध को छोड़कर **बाजार तक पहुंच का अभाव।**
- **उभरती बाजार शक्तियों पर समायोजन का दबाव:** कठोर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंड भारतीय पशुधन क्षेत्रक में संभावित निर्यात वृद्धि की दिशा में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **पशुओं को जोखिम से बचाने हेतु बीमा के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र का असमर्थ होना।**
- प्रौद्योगिकी आदि का अंगीकरण सुनिश्चित करने के लिए **क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर विस्तार सेवाओं** के साथ **अपर्याप्त** संस्थागत ऋण।

पशुधन क्षेत्रक के विकास हेतु संचालित प्रमुख सरकारी योजनाएं	
विकास कार्यक्रम	• **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** इसका उद्देश्य संधारणीय, सुरक्षित और न्यायसंगत पशुधन विकास के माध्यम से पशुपालकों एवं किसानों, विशेष रूप से लघु जोत धारकों के पोषण स्तर तथा जीवन स्तर का संवर्धन करना है। ○ इसमें **चारा और आहार विकास, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार आदि पर उप-मिशन** को शामिल किया गया है। • **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** इसे साधारण (nondescript) गोजातीय आबादी के प्रजनन पथ में चयनात्मक प्रजनन और आनुवंशिक उन्नयन के माध्यम से देशज नस्लों के विकास एवं संरक्षण के लिए आरंभ किया गया है। • **इस मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलों में शामिल हैं:** ○ किसानों/प्रजनक समितियों को देशज गोजातीय नस्लों के पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **गोपाल रत्न पुरस्कार** और **कामधेनु पुरस्कार** आरंभ किए गए हैं। ○ **एकीकृत पशु विकास केंद्र के रूप में 'गोकुल ग्राम'** और राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केन्द्रों की स्थापना की गई है। ○ प्रजनकों और किसानों को जोड़ने के लिए **ई-पशु हाट पोर्टल** लॉन्च किया गया है। ○ **पशु संजीवनी:** यह एक पशु कल्याण कार्यक्रम है। इसके तहत प्रत्येक दुधारू पशु को UID (विशिष्ट पहचान संख्या) के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान और एक स्वास्थ्य कार्ड (नकुल स्वास्थ्य पत्र) प्रदान किया जाता है। • **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा संगठित दुग्ध खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।
रोग नियंत्रण कार्यक्रम	**केंद्रीय क्षेत्र की कई योजनाएँ, जैसे:** • **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना**[90]। ○ **राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली**[91]: यह LH&DC का एक उप-घटक है। यह वास्तविक समय आधार पर ब्लॉक पशु चिकित्सा संस्थान के स्तर से पशु रोग की सूचना के लिए एक वेब आधारित मंच के रूप में कार्य करता है। • **खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम**[92] केंद्रीय क्षेत्रक की इस योजना के अंतर्गत टीकाकरण के माध्यम से वर्ष 2025 तक FMD और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने तथा वर्ष 2030 तक उन्हें समाप्त करने की परिकल्पना की गई है।

[90] Scheme on Livestock Health & Disease Control: LH&DC

[91] National Animal Disease Reporting System: NADRS

[92] National Animal Disease Control Programme for Foot & Mouth Diseases (FMD) and Brucellosis (NADCP)

अवसंरचना विकास निधियाँ	• व्यक्तिगत उद्यमियों; निजी कंपनियों; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों; किसान उत्पादक संगठनों आदि द्वारा निवेश (डेयरी, मांस प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन अवसंरचना और पशु चारा संयंत्रों की स्थापना हेतु) को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ **पशुपालन अवसंरचना विकास**[93] जैसी पहल आरंभ की गई है। • 8,004 करोड़ रूपये के कोष के साथ डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष का भी प्रावधान किया गया है। यह राज्य डेयरी संघों, जिला दुग्ध संघों आदि जैसे पात्र अंतिम उधारकर्ताओं[94] को दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण करने तथा अधिक दुग्ध प्रसंस्करण के लिए अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण करने हेतु ऋण सहायता प्रदान करने के लिए अधिदेशित है।
अन्य पहलें	• **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड[95] द्वारा विकसित ई-गोपाल एप्लिकेशन:** यह किसानों को पशुधन प्रबंधन में सहयोग करता है। • **दुग्ध सहकारिताओं और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के सभी डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा विशेष अभियान भी संचालित किए गए हैं।

6.6. भारत में मत्स्य पालन क्षेत्रक (Fisheries Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2024-25 तक मत्स्य पालन क्षेत्रक से **1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य** निर्धारित किया है।

भारत में मत्स्य पालन के बारे में

- भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि** (aquaculture) **करने वाला** देश है।
    - एक्वाकल्चर अर्थात जलीय कृषि के तहत जलीय जंतुओं का पालन-पोषण अथवा संवर्धन किया जाता है। इनका पालन-पोषण ताजे जल, समुद्री जल, पश्चजल क्षेत्र और अंतर्देशीय खारे/ लवणीय जल क्षेत्र में किया जाता है। इसके तहत फिनफिश, कड़े खोल वाले जलीय जीव (crustaceans), घोंगा आदि सहित जलीय पादपों मुख्यतः शैवाल की खेती की जाती है।
- मत्स्य और शेलफिश प्रजातियों के संदर्भ में वैश्विक जैव विविधता का 10% से अधिक भारत में मौजूद है।
- **वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 7.7%** है। साथ ही, **मत्स्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत का चौथा स्थान** है।
- मात्स्यिकी, **राज्य सूची का विषय है। इसलिए मात्स्यिकी से जुड़े विनियमन में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।**
    - **केंद्र सरकार की भूमिका,** सहकारी संघवाद के मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत इस संबंध में **राज्य के प्रयासों को सहायता करने की है।**
    - **अंतर्देशीय मात्स्यिकी** को पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, वहीं **समुद्री मात्स्यिकी** के तहत उत्तरदायित्व केंद्र और संबंधित तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के मध्य साझा किया जाता है।

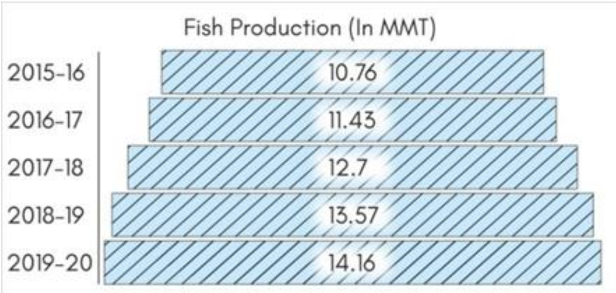

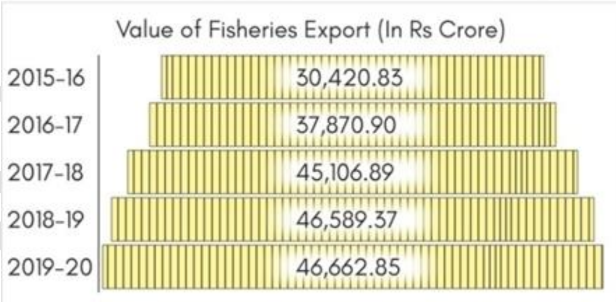

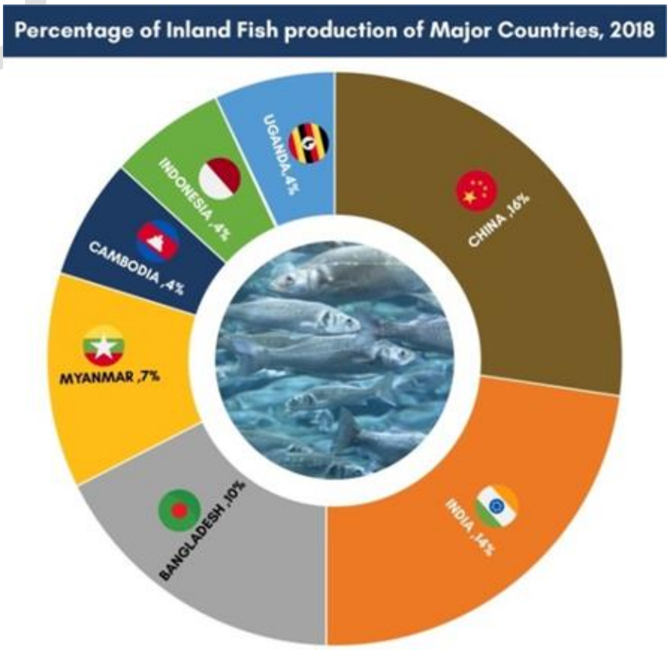

93 Animal Husbandry Infrastructure Development: AHIDF

94 Eligible End Borrowers: EEB

95 National Dairy Development Board: NDDB

© Vision IAS

सरकार द्वारा की गई पहल

Percentage of Marine Fish production of Major Countries, 2018

- **वर्ष 2019 में,** सरकार ने निम्नलिखित दो अलग-अलग विभागों के साथ एक नया **मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** का निर्माण किया:
  - मत्स्य पालन विभाग; तथा
  - पशुपालन और डेयरी विभाग।
- **नीली क्रांति:** इसे 3,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ लागू किया गया है। इसका उद्देश्य मछुआरों और मछली का पालन करने वाले किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एकीकृत तथा क्षेत्र के समग्र विकास और मत्स्य पालन के प्रबंधन के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है।
- **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के **केंद्रित और सतत विकास के लिए** एक प्रमुख योजना है। इसके कार्यान्वयन के लिए **आत्मनिर्भर भारत पैकेज** के एक हिस्से के रूप में सभी राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में **वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रूपये का अनुमानित निवेश किया जाएगा।**
- वर्ष 2018-19 के दौरान 7,522 करोड़ रुपये की **मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि[96] की स्थापना की गई।**
- **राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2020:** इसका उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यिकी क्षेत्रक विकसित करना है, ताकि मछुआरों एवं मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आर्थिक समृद्धि तथा कल्याण में योगदान दिया जा सके। साथ ही, देश को एक संधारणीय एवं जिम्मेदार तरीके से खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- हाल ही में, सरकार ने **मछुआरों और महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** देने की घोषणा की है।

राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम (Nationwide River Ranching Programme)

- **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत** विशेष गतिविधि के रूप में **"नदी तटीय कार्यक्रम"** आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि और जल के विस्तार, गहनता, विविधीकरण एवं उत्पादक उपयोग के माध्यम से **मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देना तथा उसका और अधिक संवर्धन करना है।**
  - यह कार्यक्रम **संधारणीय मत्स्य पालन** का लक्ष्य प्राप्त करने, पर्यावास क्षरण को कम करने, जैव विविधता के संरक्षण, सामाजिक-आर्थिक लाभों को अधिकतम करने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आकलन करने में मदद करेगा।इस कार्यक्रम हेतु **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board: NFDB) को नोडल एजेंसी** के रूप में नामित किया गया है।
- कार्यक्रम के चरण-I के तहत **NFDB ने वर्ष 2020-21 के दौरान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों यथा- गंगा और उसकी सहायक नदियों, ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदी की सहायक नदियों** तथा **महानदी व अन्य नदियों को लक्षित किया है।**
  - इसके परिणामस्वरूप, **उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड और बिहार** का नदी पट्टी की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करने वाले छह प्रमुख अंतर्देशीय राज्यों के रूप में चयन किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

विश्व व्यापार संगठन (WTO) में मत्स्य पालन सब्सिडी

- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य '**हानिकारक, मत्स्य पालन सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने** हेतु एक समझौते पर सहमति का प्रयास कर रहे हैं। हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी दुनिया भर में अत्यधिक मछली पकड़ने और मछली के भंडार में कमी का कारण है।
  - इसके तहत पहली बार वार्ता वर्ष 2001 में दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आरंभ की गई थी।
- वैश्विक मत्स्य पालन सब्सिडी को कम करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक मसौदा प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत **तट के करीब मछली पकड़ने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के लिए समयबद्ध छूट का प्रस्ताव** किया गया है।
  - विकसित देशों का दावा है कि **मत्स्य पालन सब्सिडी से वैश्विक मछली बाजारों में महत्वपूर्ण विकृतियां उत्पन्न होती हैं।** साथ ही, यह अत्यधिक मछली पकड़ने (अतिमत्स्यन) और क्षमता से अधिक मछली पकड़ने और मछलियों की कमी में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है।
- **भारत की चिंता:**

[96] Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund: FIDF

- ○ इससे विकासशील देशों को प्रदत्त **विशेष और विभेदक व्यवहार**[97] का अधिकार कमजोर हो सकते है।
    - **S&DT विशेष प्रावधान होते हैं, जो विकासशील देशों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं।** इसके तहत समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए लंबी अवधि, प्रतिबद्धता के निम्न स्तर और व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के उपाय शामिल होते हैं।
- **इन सब्सिडियों को समाप्त करने से** कम आय और कम संसाधन वाले **मछुआरों के लिए आजीविका के साधन महंगे हो जाएंगे।**
- यह राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सीमित कर देगा।
- **तटीय देशों के** अपने समुद्री अधिकार क्षेत्र (अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में निहित) के भीतर जीवित संसाधनों का अन्वेषण, दोहन और प्रबंधन करने के **संप्रभु अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए और यह विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान तंत्र के अधीन नहीं होना चाहिए।**
- किसी भी समझौते के तहत इस तथ्य को मान्यता प्रदान करना चाहिए कि विभिन्न देश विकास के विभिन्न चरणों में हैं और मछली पकड़ने की वर्तमान व्यवस्था में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए।

6.7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry: FPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने **'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना'**[98] हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया है।

PLISFPI के बारे में

- यह **10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय** के साथ **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है।
- यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक **छह वर्ष की अवधि के लिए** लागू की जाएगी।
- **उद्देश्य:** भारत की प्राकृतिक संसाधन अक्षयनिधि के अनुरूप **वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों** को सृजित करने का समर्थन करना और **अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों** का सहयोग करना।

PLISFPI के प्रमुख घटक:

- चार मुख्य खाद्य उत्पाद खंडों, यथा- मोटा अनाज आधारित उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद व मोजरेला चीज के **विनिर्माण को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना है।**
- विदेशों में **ब्रांडिंग और विपणन** हेतु समर्थन से संबंधित है।
    - ○ इन खंडों में विभिन्न खाद्य पदार्थों, यथा- अंडे, कुक्कुट मांस, अंडा आधारित उत्पाद सहित लघु एवं माध्यम उद्यमों[99] के अभिनव/जैविक उत्पाद शामिल हैं।

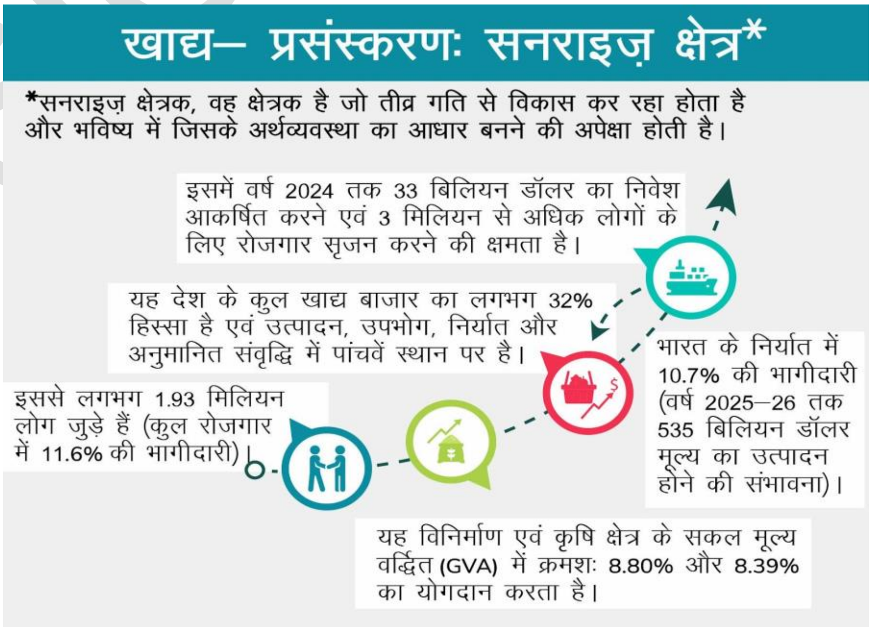

---

97 Special and Differential Treatment: S&DT

98 Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry: PLISFPI

99 Small and Medium-sized Enterprises: SMEs

यह योजना निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है:

- स्वामित्व वाली फर्म या साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी[100] या भारत में पंजीकृत कंपनी।
- सहकारी समितियां।
- SME और इस योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले।
- इस उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के अंतर्गत कवरेज से **किसी अन्य योजना के अंतर्गत पात्रता प्रभावित नहीं होगी तथा किसी अन्य योजना के अंतर्गत कवरेज से इस योजना के अंतर्गत पात्रता प्रभावित नहीं होगी।**

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI) के बारे में

- MoFPI के अनुसार, यदि **कृषि, पशुपालन या मत्स्य पालन के किसी भी कच्चे उत्पाद को इस तरह से रूपांतरित किया जाता है** कि-
  - उसके **मूल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है;**
  - **रूपांतरित उत्पाद खाद्य योग्य है;** और
  - उसका **वाणिज्यिक मूल्य** है; तो वह **FPI के क्षेत्र के अंतर्गत** आता है।
- यदि **महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन** (बढ़ी हुई शेल्फ लाइफ, आवरण युक्त और उपभोग के लिए तैयार आदि) भी होता है तो ऐसे उत्पाद भी **खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं,** भले ही वे विनिर्माण प्रक्रियाओं से नहीं गुजरते हों।
- भारत में FPI के प्रमुख **उप-खंडों** में डेयरी, फल एवं सब्जियां, कुक्कुट और मांस प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, खुदरा खाद्य आदि शामिल हैं।

संपदा (SAMPADA) योजना के अंतर्गत योजनाएं

- मेगा फूड पार्क (खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए)
  - फरवरी 2021 तक देश भर में स्वीकृत 37 में से लगभग 22 मेगा फूड पार्क संचालित हैं।
- एकीकृत प्रशीतित श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना
- खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन/विस्तार (यूनिट स्कीम)
- कृषि–प्रसंस्करण संकुलों के लिए आधारभूत संरचना
- पश्च (बैकवर्ड) और अग्र (फॉरवर्ड) लिंकेज का निर्माण
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना

सरसों तेल के समिश्रण पर प्रतिबंध

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 2021 से किसी भी प्रकार के खाद्य तेल के साथ सरसों के तेल के सम्मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- 1990 में एक अधिसूचना में खाद्य वनस्पति तेल में सम्मिश्रण की अनुमति दी गई थी।
- **1998 में**, उत्तर भारत में **ड्रॉप्सी महामारी** देखी गई थी। ड्रॉप्सी एक बीमारी थी, जो ऊतकों में द्रव के निर्माण के कारण शरीर में सूजन का कारण बनती थी।
- **आर्गेमोन मेक्सिकाना (Argemone Mexicana) सीड ऑयल के साथ सरसों तेल के समिश्रण** को बीमारी के कारण के रूप में चिन्हित किया गया, जिसके पश्चात् FSSAI ने 2006 में खाद्य वनस्पति तेल के सम्मिश्रण के लिए नियम बनाए-
  - सम्मिश्रण में शामिल उत्पादकों और कंपनियों को **कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम (AGMARK)** के माध्यम से नियमित किया गया।
- इसने पैकेट पर समिश्रण के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले तेल के प्रकार को लिखना भी अनिवार्य कर दिया।
- हालाँकि, इस सम्मिश्रण से खाद्य तेल के आयात पर भारत की निर्भरता में वृद्धि हुई और पिछले 25 वर्षों में सरसों की खेती के तहत भूमि का ठहराव भी हुआ।

सम्मिश्रण पर प्रतिबंध के अपेक्षित लाभ

- यह सरसों उत्पादकों को **सरसों की फसल के तहत बुवाई क्षेत्र बढ़ाने** के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे सरसों तेल का **घरेलू उत्पादन अधिक** होगा और लंबे समय में **खाद्य तेल के आयात में गिरावट** आएगी।
- मानव उपभोग के लिए स्वस्थ तेल उपलब्ध कराने के लिए पारंपरिक रेपसीड-सरसों के तेल की किस्मों को कैनोला रेपसीड-सरसों से प्रतिस्थापन।

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI)

- यह **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
- यह **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** के प्रशासनिक पर्यवेक्षण के तहत काम करता है और उपभोग के लिए **सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता** सुनिश्चित करने के लिए **विज्ञान आधारित मानकों** को निर्धारित करता है।

[100] Limited Liability Partnership: LLP

तेल उद्योग और व्यापार के लिए केंद्रीय संगठन (COOIT)

- इसे **वर्ष 1952** में भारत में **संपूर्ण वनस्पति तेल और तिलहन क्षेत्र के शीर्ष संगठन** के रूप में निगमित किया गया था। इसका उद्देश्य तिलहन, वनस्पति तेल, खली (Oilcakes) आदि के **व्यापार को बढ़ावा देना** है।
- यह तेल और तिलहन उद्योग में **वैज्ञानिक और तकनीकी विकास और अनुसंधान का आयोजन** करता है।
- यह क्षेत्र से संबंधित नीतियाँ बनाते समय घरेलू खाद्य तेल की स्थिति में सुधार के लिए **सरकार को उपचारात्मक उपायों की सिफारिश** करता है।

6.8. भारत का कृषि निर्यात (India's Agricultural Export)

सुर्ख़ियों में क्यों

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में "पहली बार" देश का **कृषि निर्यात 50 बिलियन डॉलर से अधिक** होने का अनुमान है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस वर्ष **चावल का निर्यात 21-22 मिलियन टन** तक पहुँचने की आशा है। गैर-बासमती चावल, गेहूं, चीनी और अन्य अनाज के निर्यात में भी अच्छी वृद्धि देखी गयी है।
- इस वित्तीय वर्ष में "पहली बार" **समुद्री उत्पाद का निर्यात 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की आशा है।**
- **कॉफ़ी के निर्यात में 35%** की वृद्धि दर्ज की गयी है;
- **सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं, जैसे-**
    - विभिन्न प्रमाण-पत्रों / प्रमाणन को उनकी समाप्ति की तिथियों से **आगे बढ़ाना;**
    - कृषि निर्यात से संबंधित समस्याओं को देखने के लिए **नियंत्रण कक्षों** की स्थापना करना;
    - निर्यात के लिए **ऑनलाइन प्रमाण-पत्र** जारी करना; तथा
    - **और अधिक परीक्षण केंद्रों (testing facilities)** को खोलना।

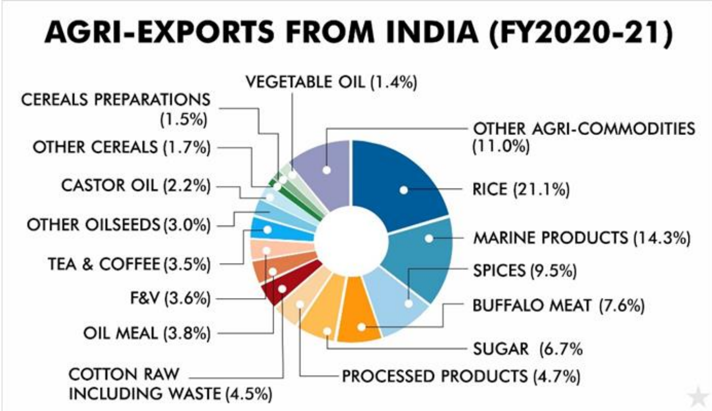

कृषि निर्यात सुविधा केंद्र (Agriculture Export Facilitation Centre: AFEC), पुणे

- यह भारत का प्रथम AFEC है, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD) के सहयोग से **मराठा चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (MCCIA)** द्वारा स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य आवश्यकता आधारित सूचनाओं का प्रसार कर, समय पर मार्गदर्शन प्रदान कर और सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन कर **महाराष्ट्र के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना** है।
- यह निर्यातकों को हर संभव सहायता प्रदान करने हेतु वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करेगा।

भारत के कृषि निर्यात के बारे में अन्य तथ्य

- भारत **कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक** रहा है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार, वर्ष 2017 में **विश्व कृषि व्यापार** में भारत के कृषि निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमशः **2.27% और 1.90%** था।
- भारत के कुल निर्यात में **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का 11 प्रतिशत योगदान है।**
- **निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं:** भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख कृषि वस्तुओं में **समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर-बासमती चावल, कच्चा कपास, खली, चीनी, अरंडी का तेल और चाय** सम्मिलित हैं।
- **प्रमुख गंतव्य:** भारतीय कृषि / बागवानी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ 100 से अधिक देशों / क्षेत्रों को निर्यात किए जाते हैं। कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था। चीन दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था। अन्य प्रमुख निर्यात गंतव्य **बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, और सऊदी अरब** थे।
- **GDP के प्रतिशत के रूप में निर्यात:** भारत के **कृषि GDP के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात** वर्ष 2017-18 के 9.4% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 9.9% हो गया।

© Vision IAS

- हालांकि, इसकी **संपूर्ण कृषि निर्यात बास्केट की विश्व कृषि व्यापार में हिस्सेदारी 2.5% से कुछ अधिक** ही है।

कृषि निर्यात नीति

भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के भीतर कृषि निर्यात के लिए उत्पादन, निर्यात प्रोत्साहन और समन्वय पर ध्यान देने के लिए **वर्ष 2018** में एक व्यापक कृषि निर्यात नीति लाई गई।

उद्देश्य:

- निर्यात बास्केट व गंतव्यों में विविधता लाना और जल्दी ख़राब होने वाले उत्पादों पर ध्यान देना। उच्च मूल्य वाले और मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- नवीन, स्वदेशी, जैविक, एथनिक, पारम्परिक और गैर-पारम्परिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
- बाजार पहुँच को विस्तार देने, बाधाओं से निपटने और सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण करके विश्व कृषि निर्यात में भारत की भागीदारी को दोगुना करने का प्रयास करना।
- विदेशी बाजार में निर्यात के अवसरों का लाभ पाने के लिए किसानों को सक्षम बनाना।

पहल (Initiatives)	
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण {Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)}	• यह दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम** के तहत स्थापित किया गया था। • APEDA को अनुसूचित उत्पादों जैसे फल, सब्जी व उनके उत्पाद, मांस, कुक्कुट उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी, बिस्कुट, बेकरी उत्पाद, शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद, कोको उत्पाद, चॉकलेट, पुष्प कृषि उत्पाद, अचार, पापड़ व चटनी आदि के **निर्यात संवर्धन तथा विकास के उत्तरदायित्व के साथ अधिदेशित** किया गया है। ○ यह **अनुसूचित उत्पादों के विकास** के लिए **वित्तीय सहायता, सूचना एवं दिशा-निर्देश** भी प्रदान करता है।
स्कीम फॉर मेगा फूड पार्क	• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। • यह एक **"क्लस्टर" आधारित दृष्टिकोण** है, जिसके तहत सरकार **प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना 50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता** प्रदान करती है। • **मेगा फूड पार्क की योजना का उद्देश्य** ○ किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर **कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र** प्रदान करना, ताकि अधिकतम मूल्यवर्धन (Value addition) की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। ○ अपव्यय को कम करना। ○ किसानों की आय में वृद्धि।

6.9. एग्रीस्टैक (AgriStack)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, किसानों के अधिकारों और डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने सरकार द्वारा 'एग्रीस्टैक' सृजित करने संबंधी योजना पर चिंता व्यक्त की है।

एग्रीस्टैक (AgriStack) के बारे में

- एग्रीस्टैक वस्तुतः केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित **प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है,** जिसका उद्देश्य किसानों और कृषि क्षेत्रक पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **एग्रीस्टैक** में एकल प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म पर **किसान स्टैक, फार्म स्टैक** और **फसल स्टैक** एकीकृत रूप में हो सकते हैं। यह प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म मौजूदा डिजिटल भूमि अभिलेखों, खेतों के भूसंपत्ति मानचित्रों (cadastral maps) और अन्य जानकारी या डेटा को आपस में लिंक करता या जोड़ता है। यहाँ **स्टैक** का आशय डेटा के ढेर या भंडार से है।

- **किसान स्टैक** में विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में आधार (Aadhaar) सहित किसान से जुड़े डेटा शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार, **फार्म स्टैक** में भूसंपत्ति मानचित्र सहित किसान के स्वामित्व वाले प्रत्येक खेत (खेत की पहचान के साथ) से जुड़ी भू-स्थानिक जानकारी हो सकती है और **फसल स्टैक** में खेतों से संबंधित फसल डेटा शामिल हो सकता है।
- इस डेटा को राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक निकायों के **भूमि पंजीकरण, भू-संपत्ति मानचित्रों और उपग्रह चित्रों से परस्पर जोड़ा जाएगा।**
- समय के साथ, सरकार की योजनाओं जैसे कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), पी.एम.-किसान और मृदा स्वास्थ्य कार्ड को भूमि अभिलेखों के विवरण के साथ एक साझा/सामान्य डेटाबेस के माध्यम से एकीकृत किया जाएगा।

नीति आयोग का प्रस्ताव: 'एग्रीस्टैक' का विकास

सरकार द्वारा साझा डेटा अवसंरचना के निर्माण से इस क्षेत्र में अनेक स्टार्ट–अप्स और शोधकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के दोहराव में कमी आएगी। इससे कृषि प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रवेश की बाधा कम हो सकती है।

डेटा स्रोतों की पहचान और डेटा संग्रह	वांछित प्रारूप में डेटा सृजन के लिए डेटा का प्रसंस्करण	डेटा तक निरंतर पहुँच के लिए चैनलों का निर्माण	सेवा प्रदायगी के लिए डेटा का उपयोग करने वाले एप्लीकेशन का उपयोग

प्रस्तावित स्टैक (Stack) कृषि क्षेत्रक के लिए व्यवहार्य समाधान विकसित करने की प्रक्रिया सुगम बनाएगा और अनुसंधान एवं विश्लेषण में वृद्धि को संभव बनाएगा।

- हाल ही में **कृषि विभाग, सहकारिता एवं किसान कल्याण (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)** ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के माध्यम से 'एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस' (Unified Farmer Service Interface) निर्मित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है।
  - यह एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 100 गांवों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ किया जाएगा।
- साथ ही, एग्रीस्टैक के अंतर्गत विभिन्न परिचालन गतिविधियों जैसे कि फसल कटाई के पूर्व और पश्चात् सलाह जारी करना, राष्ट्रीय कृषि जिओ-हब का निर्माण करना आदि के लिए अग्रलिखित के साथ चार अन्य MoU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं- स्टार एग्रीबाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कृषि प्रबंधन और सेवाओं के लिए पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न वेब सर्विसेज इंडिया और ईसरी (ESRI) इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
- इसके अलावा सरकार, कृषि के लिए डिजिटल पारितंत्र बनाने हेतु **केंद्रीकृत किसान डेटाबेस (centralised farmers database) तैयार कर रही है** और इसके आधार पर विभिन्न सेवाओं का निष्पादन कर रही है।
  - इस डेटाबेस को देश भर के किसानों के भूमि-अभिलेखों (land records) के साथ जोड़ा जाएगा और **विशिष्ट किसान पहचान-पत्रों (unique farmer IDs) को सृजित किया जाएगा।**
  - विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले समस्त लाभों और सहायता से संबंधित जानकारियों को **किसानों के लिए एकीकृत डेटाबेस (integrated database for farmers)** के तहत एक ही स्थान पर रखा जा सकता है।

एग्रीस्टैक से संबद्ध चिंताएं

डेटा की सुरक्षा

यह ऐसी स्थिति में लागू किया जा रहा है, जब इसे विनियमित करने के लिए कोई डेटा सुरक्षा कानून उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा उपायों के अभाव में, निजी संस्थाएं अपनी इच्छानुसार किसानों के डेटा का दोहन करेंगी।

वित्तीय शोषण

जब फिनटेक (वित्त–प्रौद्योगिकी) कंपनियां किसानों के कामकाज से संबंधित सूक्ष्म डेटा एकत्रित कर लेंगी, उसके बाद वे किसानों से अपनी इच्छानुसार ब्याज दर वसूलेंगी।

बहिष्करण का जोखिम

- किसानों का प्रस्तावित डेटाबेस उन भू–अभिलेखों पर आधारित होगा, जिन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया है। इस डेटाबेस में कई कमियां हैं। इसमें भूमिहीन किसानों की सभी श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया है। यहां तक कि अनेक भू–स्वामी किसानों को भी इस डेटाबेस से बाहर कर दिया गया है।
- भू–अभिलेख को किसान डेटाबेस का आधार बनाने पर केंद्रीय डेटाबेस में काश्तकारों, बंटाईदारों और कृषि मजदूरों को शामिल नहीं किए जाने की संभावना है।

डिजिटल सुलभता

देश में डिजिटल सुलभता और साक्षरता में व्यापक अंतराल है, जिससे इस प्रकार की परियोजनाएं अलाभकारी हो जाएंगी।

© Vision IAS

एग्रीस्टैक के लाभ

- छोटे और सीमांत किसानों को शामिल करते हुए **औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुँच** और सटीक लक्ष्यीकरण के साथ **सहायता के रिसाव (Leakages of Aid)** को रोकना।
- **फसल बीमा उत्पादों और वितरण में सुधार:** यह सुधार विशेष रूप से भौगोलिक सूचना प्रणाली[101] और सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किया जा सकता है।
- **विपणन और मूल्य संबंधी अन्वेषण हेतु निर्बाध तंत्र:** यह जिंसों (commodity) के मूल्यों में उतार-चढ़ाव में जोखिम को समाप्त करने तथा मांग-आपूर्ति पूर्वानुमान और मौसम सलाह के लिए बाजार आसूचना (market intelligence) के प्रावधान को सक्षम कर सकता है।
    - इसके तहत एक ऐसा बाजार स्थान सृजित किया जा सकता है जहाँ **विभिन्न उद्यमी और उत्पादों एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ता मिल सकते हैं।**
- **आदान (इनपुट) की बेहतर गुणवत्ता:** एग्रीस्टैक वस्तुतः किसानों और उनकी खेती के बारे में प्रासंगिक हितधारकों (जैसे- बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, मशीनों से संबंधित कंपनियां या फिनटेक कंपनियां) के संदर्भ में आसानी से समस्त जानकारी प्रदान करके सूचना प्रवाह में व्याप्त विषमता को दूर कर सकता है।
- **हितधारकों को फीडबैक देने के लिए GIS और IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।**

कृषि में डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयास

- **IndEA डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (IDEA),** कृषि दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक **राष्ट्रीय डिजिटल कृषि पारितंत्र** है। इसमें शामिल हैं-
    - **डिजिटल कृषि पर राष्ट्रीय मिशन**[102], NMDA का मार्गदर्शन करने के लिए बहु-हितधारक IDEA सलाहकार परिषद, प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट **किसान ID (UFID)** प्रदान करना, आदि।
- 'मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय' द्वारा **मत्स्य सेतु ऐप।** इसका उद्देश्य **मीठे जल की नवीनतम जलीय कृषि प्रौद्योगिकियाँ देश के एक्वा किसानों को प्रदान करना** है।
- MeitY द्वारा **किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म।** इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाने और **कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों** से सीधे **कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह** देने के लिए सही समय पर सही जानकारी और तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करना है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता-बुवाई ऐप (AI-Sowing App):** माइक्रोसॉफ्ट ने अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान[103] के सहयोग से यह ऐप विकसित किया है। यह ऐप किसानों को बीज की बुवाई करने की इष्टतम तिथि के संबंध में परामर्श प्रेषित करता है।
- नीति आयोग ने वास्तविक समय आधारित आंकड़े प्रदान करने और किसानों को आवश्यक परामर्श देने के लिए AI द्वारा समर्थित **फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल**[104] विकसित करने के लिए **आई.बी.एम.** के साथ भागीदारी की है।
- **किसान सुविधा:** यह एक सर्वव्यापी स्मार्टफोन ऐप है जो किसानों को मौसम, डीलरों, बाजार मूल्यों, पादप संरक्षण, कृषि संबंधी परामर्श, एकीकृत पीड़क प्रबंधन से संबंधित पद्धतियों आदि के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके सहायता करता है।
- **एम. किसान (MKisan) एप्लीकेशन:** यह ऐप किसानों और हितधारकों को एम. किसान पोर्टल पर पंजीकरण किए बिना पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रेषित सलाह और अन्य जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **फसल बीमा ऐप:** इस ऐप का उपयोग क्षेत्र, बीमा सुरक्षा की राशि और ऋण राशि के आधार पर अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की गणना करने के लिए किया जाता है।
- **फार्म-ओ-पीडिया (Farm-o-pedia):** CDAC मुंबई द्वारा विकसित। यह एक बहुभाषी एंड्रॉइड ऐप है, जो ग्रामीण गुजरात के किसानों को लक्षित करता है। इस ऐप की प्रमुख विशेषताएँ हैं-
    - यह किसानों को मृदा और मौसम के अनुसार उपयुक्त फसल प्राप्त करने, किसानों को फसल-वार जानकारी, मौसम की निगरानी और पशु प्रबंधन में मदद करता है।

[101] Geographic Information System: GIS

[102] National Mission on Digital Agriculture: NMDA

[103] International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics: ICRISAT

[104] crop yield prediction model

अन्य संबंधित सुर्ख़ियाँ

SDGs पर एग्रीस्टैक अनुप्रयोगों का प्रभाव

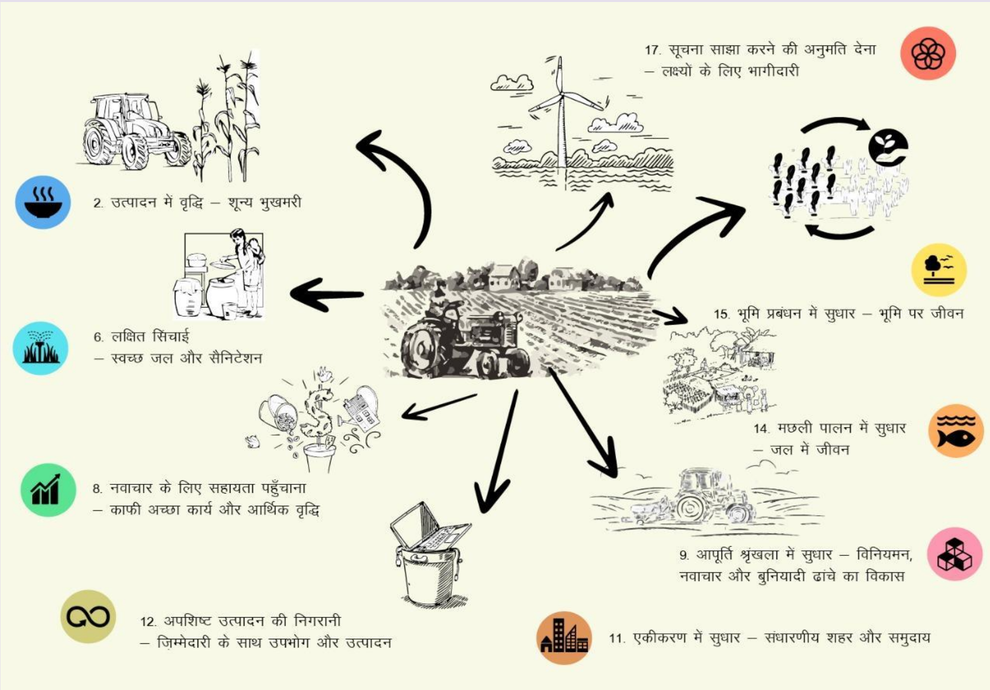

केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष दिसंबर माह तक किसानों के डेटाबेस को 5.5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया जाएगा

- कृषि को **डिजिटल प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा ज्ञान** से जोड़ने के लिए **कृषि मंत्रालय** द्वारा एक **राष्ट्रीय किसान डेटाबेस** निर्मित किया गया है।
    - **पी.एम.-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड** तथा **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** जैसी मौजूदा योजनाओं से डेटा प्राप्त करके एक **राष्ट्रीय किसान डेटाबेस** निर्मित किया जा रहा है।
    - इस डेटाबेस को राज्यों की सहायता से दिसंबर 2021 तक **5.5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़** कर दिया जाएगा। इसे **राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटा** (जैसा कि **कर्नाटक** द्वारा किया गया है) से **संबद्ध** करने की अनुमति भी प्रदान की जाएगी।
- यह डेटाबेस एग्री-स्टैक के प्रमुख भाग के रूप में कार्य करेगा, जो **कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों** का एक संग्रह है। यह उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर नवोन्मेषी कृषि-केंद्रित समाधान निर्मित करने के लिए **संघीय किसान डेटाबेस** का उपयोग करेगा।

6.10. कृषि से संबंधित प्रमुख अवधारणाएँ और जानकारियाँ (Key Concepts and Information on Agriculture)

ट्रेंच फार्मिंग (Trench Farming)	• हाल ही में, **भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल** (ASSOCHAM) द्वारा लद्दाख में जड़ी-बूटियों व सब्जियों को उगाने के लिए **'ट्रेंच फार्मिंग'** को अपनाने का सुझाव दिया गया है।
	• **अत्यधिक सर्दियों के दौरान सब्जियां उगाने के लिए** ट्रेंच एक सरल संरचना है। पालक, मेथी, धनिया, आदि पत्तेदार सब्जियों के विकास के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए ट्रेंच फार्मिंग **मृदा और सौर ताप का उपयोग** करती है।
	• तकनीक के रूप में 30' x 10' x 3' के उपयुक्त आकार की पारदर्शी यू.वी. स्थिर 200 माइक्रोन की पॉलीथीन की चादरों का उपयोग किया जाता है, जिनकी लागत कम होती है और यह सुवाह्य (पोर्टेबल) होते हैं।
	• किसान ट्रेंच टनल को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं।
	• **महत्व:**
	  ○ ऐसे **प्रतिकूल क्षेत्रों में स्थानीय मांग को पूरा करने** के लिए बड़े **ग्रीनहाउस में भारतीय और विदेशी सब्जियों और फूलों की व्यावसायिक खेती** की जा सकती है।
	  ○ उपज की आपूर्ति देश के शेष भागों में प्रीमियम पर की जा सकती है क्योंकि भारत इनमें से कुछ सब्जियों को दूसरे देशों से आयात करता है।

परिवहन एवं विपणन सहायता योजना {Transport and Marketing Assistance (TMA) scheme}	• सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कृषि उत्पादों के लिए TMA योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। इसके तहत **डेयरी उत्पादों** को इस योजना में शामिल कर और सहायता की दरों में वृद्धि की गई है।

© Vision IAS

	• इस योजना को कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली उच्चतर मालभाड़ा लागत हानि **को कम करने के लिए** आरंभ किया गया था। यह योजना **मालभाड़े के अंतर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।** • इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। • इस योजना के तहत सहायता की दरों में वृद्धि की गई है। **समुद्री मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 50 प्रतिशत** और **हवाई मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 100 प्रतिशत** की बढ़ोत्तरी की गई है।
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021 **(National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2021)**	• इस विधेयक ने **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** के तहत **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM)** कुंडली (हरियाणा) तथा **भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (IIFPT)** तंजावुर (तमिलनाडु) को **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान**[105] के रूप में घोषित किया है। • **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI)** को एक ऐसे संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो देश/राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर **अत्यधिक कुशल कर्मियों को तैयार करने वाले एक अग्रणी संस्था** के रूप में कार्य करता है। • किसी संस्थान को **INI घोषित करने के लिए संसद में एक विशेष अधिनियम पारित** किया जाता है, जो किसी संस्थान को यह दर्जा प्रदान करता है। ○ इसके अतिरिक्त संस्थानों द्वारा कुछ अन्य मानदंडों की पूर्ति करना भी आवश्यक है।

[105] Institutions of National Importance: INI

7. उद्योग और संबद्ध मुद्दे (INDUSTRY AND ASSOCIATED ISSUES)

7.1 खनन (Mining)

7.1.1. खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 {Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules (MCDR), 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

खान मंत्रालय ने **खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 में संशोधन** करने के लिए खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

पृष्ठभूमि

- **MMDR या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957**[106] भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करता है। यह कानून खनन कार्यों के लिए पट्टे (लीज) देने संबंधी अनिवार्यताओं को भी अधिदेशित करता है।
- MMDR कानून, 1957 की **धारा 18 केंद्र सरकार को खनिजों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास तथा खनन कार्यों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार** देता है।
- इसी के चलते, **खनिज संरक्षण और विकास नियमों (2017)** को तैयार किया गया था, जिसमें समय-समय पर संशोधन भी किए गए हैं।

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 के बारे में-

किए गए मुख्य संशोधन हैं:

- **डिजिटल योजना पेश करना: भारतीय खान ब्यूरो**[107] द्वारा निर्दिष्ट कुछ या सभी पट्टों के लिए खदान से संबंधित सभी योजनाएं **डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS)** या **टोटल स्टेशन** (सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक/ऑप्टिकल उपकरण) या **ड्रोन सर्वेक्षण** के संयोजन से तैयार की जाएंगी।
- **अनिवार्य ड्रोन सर्वेक्षण: 1 मिलियन टन या उससे अधिक की वार्षिक उत्खनन योजना** अथवा 50 हेक्टेयर या उससे अधिक के पट्टे वाले खनन क्षेत्र के पट्टाधारक को प्रत्येक वर्ष पट्टे पर दिए गए क्षेत्र और पट्टे की सीमा के बाहर 100 मीटर तक ड्रोन सर्वेक्षण कर फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  - अन्य पट्टाधारक **उच्च रिजोल्यूशन वाले उपग्रह चित्र प्रस्तुत करेंगे।**
- **खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी वाले सक्षमता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ माइनिंग इंजीनियर, खान और खनन सर्वेक्षण में डिप्लोमा डिग्री प्राप्त** कर सकते हैं।
- **अनुपालन के भार में कमी:** अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए दैनिक रिटर्न/विवरणी के प्रावधान को हटा दिया गया है।
  - राज्य सरकार के अलावा, भारतीय खान ब्यूरो (IBM) को भी मासिक या वार्षिक विवरणी में गलत जानकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है।
  - **श्रेणी 'A' वाले खदानों (25** हेक्टेयर से कम पट्टा क्षेत्र) के लिए अंशकालिक / पार्ट-टाइम खनन इंजीनियर या पार्ट-टाइम भूविज्ञानी को शामिल किया जा सकता है। इससे छोटे खनिकों पर नियमों के पालन का बोझ कम होगा।
- **वित्तीय आश्वासन:** यदि पट्टाधारक निर्दिष्ट समय सीमा में अंतिम खान को बंद करने की योजना प्रस्तुत नहीं करता है, तो वह **वित्तीय आश्वासन** या **निष्पादन सुरक्षा (performance security) का अधिकार खो देगा।**
- **दंड नियमों का युक्तिकरण:**
  - पहले, **नियमों के उल्लंघन की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक नियम के उल्लंघन पर सजा** (कारावास या जुर्माना या दोनों) का प्रावधान था।
  - वर्ष 2021 के इन संशोधन नियमों में निम्नलिखित प्रमुख शीर्षकों के तहत नियमों के उल्लंघन को वर्गीकृत किया गया हैं:
    - ✓ **बड़े उल्लंघन:** कारावास की सजा, जुर्माना या दोनों।
    - ✓ **मामूली उल्लंघन:** केवल जुर्माने, न कि दंड।
    - ✓ नियमों के उल्लंघन के अन्य मामलों को अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है।

[106] Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957

[107] Indian Bureau of Mines: IBM

© Vision IAS

भारत में खान और खनिज का संक्षिप्त विवरण

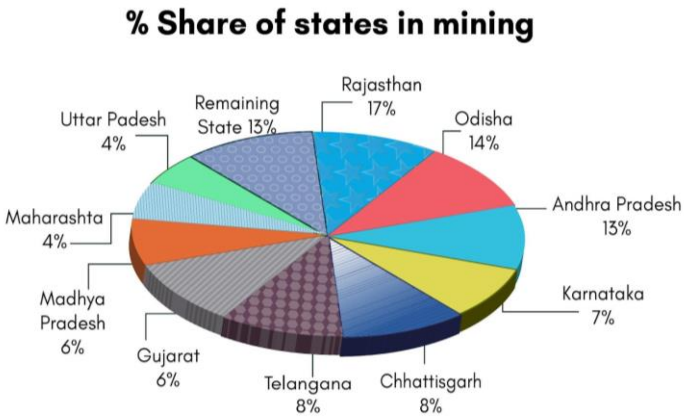

India's ranking in 2018 in world production was
- 2nd in Crude Steel, Coal
- 3rd in Zinc
- 4th in Aluminium, Chromite, Iron Ore, and Lead
- 5th in Bauxite
- 7th in Manganese Ore
- 11th in Copper
- 15th in Magnesite
- 16th in Apatite & Rock Phosphate

- **खनिज:**
    - भारत खनिजों के मामले में **काफी हद तक आत्मनिर्भर** बना हुआ है। इसमें **लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी-आधारित सिरेमिक, कांच** आदि जैसे उद्योगों को आपूर्ति की जाने वाली **प्राथमिक कच्ची सामग्री** शामिल हैं।
    - भारत में **कायनाइट, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट, मैंगनीज अयस्क** आदि की कमी है। इनकी मांग को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।
    - वर्ष 2020-21 के दौरान **खनिज उत्पादन (परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर) के कुल मूल्य में** कोविड-19 वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में **लगभग 11.35% की गिरावट** हुई है।
- **खान या खदान:**
    - भारतीय खनन उद्योग में बड़ी संख्या में **छोटी क्रियाशील खदानें शामिल** हैं।
    - **खनिज उत्पादन के मूल्य** के संदर्भ में लगभग **87 प्रतिशत, 10 राज्यों में सीमित** है।

- **पर्यावरणीय चुनौतियां:**
    - **वायु**
        - ✓ सतही खदानों (surface mines) में **ब्लास्टिंग प्रक्रिया** से **अत्यधिक मात्रा में धूल** उत्पन्न होती है।
        - ✓ कई कोयला खदानों से **मीथेन** गैस निकलती है जो कि एक प्रबल ग्रीनहाउस गैस है।
        - ✓ प्रगलन (Smelting) की प्रक्रिया के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य भारी धातु निर्मुक्त होते हैं।
    - **जल**
        - ✓ भारी धातु और जहरीले तत्व जैसे कि **पारा, सीसा, आर्सेनिक** आदि खदानों से रिसकर **भूजल को प्रदूषित कर सकते** हैं।
        - ✓ खनन कार्यों में अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग होता है, जिससे जलीय निकायों पर दबाव पड़ सकता है।
    - **स्थल**
        - ✓ ब्लास्टिंग और सतही खनन से उप-सतही चट्टानों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे **खनिज निक्षेप के ऊपर स्थित परत धराशायी** हो सकती है और साथ ही ये **भूकंप** का कारण भी बन सकते हैं।
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां:**
    - खनन कार्य, विशेष रूप से भूमिगत खनन, जोखिम युक्त एक अत्यंत खतरनाक कार्य है क्योंकि खदान में काम करने वालों को **खराब वायु-संचालन/ वेंटिलेशन, कम दृश्यता और खदान के ढहने** संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है।
    - पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसी दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप खदान में काम करने वालों की मौत हो गई है।

चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए अन्य कदम

- **MMDR अधिनियम, 1957 में सुधार:** वर्ष 2015 में इस अधिनियम में कई सुधार करने के लिए व्यापक रूप से संशोधन किया गया था।
    - पारदर्शिता में सुधार हेतु खनिज रियायतों की **ऑनलाइन नीलामी को अनिवार्य** करना।
    - **जिला खनिज प्रतिष्ठान**[108] और **राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास**[109] की स्थापना करना।
    - अवैध खनन के लिए कठोर दंड के प्रावधान करना।
    - इस अधिनियम में वर्ष 2016 और वर्ष 2020 में **गैर-नीलामी वाले कैप्टिव खानों (किसी कंपनी के स्वामित्व वाली खदानों) के लिए पट्टों के हस्तांतरण की अनुमति देने** और **पट्टों की अवधि समाप्त होने से संबंधित अनपेक्षित मुद्दे** से निपटने के लिए संशोधन किया गया था।
- **राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019:** इसमें खनन क्षेत्रक को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान शामिल हैं:
    - निजी क्षेत्र को **अन्वेषण / खोज** के लिए प्रोत्साहित करना।
    - खनन संस्थाओं के **विलय और अधिग्रहण** को प्रोत्साहित करना।

[108] District Mineral Foundation

[109] National Mineral Exploration Trust

- निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खनन पट्टों के हस्तांतरण को सक्षम बनाना और **समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण करना।**
- निजी क्षेत्र के लिए खनन में वित्तपोषण को बढ़ावा देने हेतु **खनन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा** देने का प्रस्ताव करना।

- **अवैध खनन को रोकने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति बनाई गई है-**
  - राज्य और जिला स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा टास्क फोर्स का गठन करना,
  - MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 23C के तहत नियमों का निर्माण करना, और
  - केंद्र सरकार को समीक्षा के लिए अवैध खनन पर तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना।

7.1.2. महत्त्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्तमान समय में भारत के लिए पर्याप्त अनुप्रवाह निवेश (Downstream Investments) के माध्यम से अन्वेषण, उत्खनन और महत्त्वपूर्ण पदार्थ (Critical Material) हेतु मूल्य श्रृंखला स्थापित करना अनिवार्य हो गया है।

महत्त्वपूर्ण खनिज के बारे में

- महत्त्वपूर्ण खनिज ऐसी धातुएँ और अधातुएँ होती हैं, जिन्हें **दुनिया की प्रमुख और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता** है। दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति भूगर्भीय अभाव, भू-राजनीतिक मुद्दों, व्यापार नीति या अन्य कारकों के कारण जोखिम पूर्ण हो सकती है। दुर्लभ पदार्थों का **कोई सार्वभौमिक वर्गीकरण नहीं** है।
- इन खनिज पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे- **दुर्लभ-मृदा तत्व (REE), लिथियम, कोबाल्ट,** टंगस्टन, प्लैटिनम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, एंटीमनी, वैनेडियम, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज आदि।
- विविधता होने के बावजूद, ये खनिज प्रकाशिकी, दवाओं, परमाणु प्रौद्योगिकी, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसी **विशिष्ट तकनीकों की एक श्रृंखला में उनके उपयोग से एकजुट** हैं।

महत्त्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals)	सामरिक खनिज (Strategic Minerals)
1. बेरीलियम (Beryllium)	1. एंटीमनी(Antimony)
2. जर्मेनियम (Germanium)	2. मोलिब्डेनम (Molybdenum)
3. दुर्लभ मृदा (भारी और हल्का)	3. बोरेट्स (Borates)
4. रेनीयम (Rhenium)	4. निकल (Nickel)
5. टैंटलम (Tantalum)	5. क्रोमियम (Chromium)
6. ग्रैफाइट (Graphite)	6. कोबाल्ट (Cobalt)
7. ज़र्कोनियम (Zirconium)	7. सिल्वर (Silver)
8. क्रोमियम (Chromium)	8. कॉपर (Copper)
9. चूना पत्थर (Limestone)	9. टाइटेनियम (Titanium)
10. नायोबियम (Niobium)	10. हीरा (Diamond)
11. सिलिकॉन (Silicon)	11. टंगस्टन (Tungsten)
12. स्ट्रोन्शियम (Strontium)	12. जर्मेनियम (Germanium)
	13. वैनेडियम (Vanadium)
	14. लिथियम (Lithium)
	15. जिंक (Zinc)
	16. दुर्लभ मृदा (Rare Earths)

भारत में दुर्लभ-मृदा तत्व: Rare Earth Elements (REE) in India

- दुर्लभ मृदा तत्व (REE) **17 धातु तत्वों** का एक समूह है। इनमें आवर्त सारणी के पंद्रह लैंथेनाइड्स और स्कैंडियम एवं येट्रियम शामिल हैं।
- इनकी विशेषता है- **उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, उच्च चालकता और उच्च तापीय चालकता।**
- इन्हें **'दुर्लभ' इसलिए माना जाता** है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी पर छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए हैं। ये अन्य खनिजों की तरह एक साथ नहीं पाये जाते हैं।
- दुर्लभ मृदा धातुओं और मिश्र धातुओं का उपयोग कई उपकरणों में किया जाता है, जिनका **उपयोग लोग दैनिक रूप से करते हैं, जैसे- कंप्यूटर मेमोरी, डीवीडी, रिचार्जेबल बैटरी,** सेल फोन, उत्प्रेरक कन्वर्टर्स (Catalytic Converters), मैग्नेट, फ्लोरोसेंट लाइटिंग आदि।
- चीन, दुनिया की 85 प्रतिशत से अधिक दुर्लभ मृदा धातु को उपलब्ध कराता है। दुर्लभ धातुओं की वैश्विक आपूर्ति की लगभग दो-तिहाई मात्रा चीन में पाई जाती है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों से जुड़े जोखिम

- **उच्च भौगोलिक संकेंद्रण:** महत्त्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन अत्यधिक केंद्रित है। उदाहरण के लिए, लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों के संदर्भ में **विश्व के शीर्ष तीन उत्पादक देश वैश्विक उत्पादन के तीन-चौथाई हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं।** अकेले चीन दुनिया के 63 प्रतिशत दुर्लभ मृदा तत्वों का उत्पादन करता है, जिसमें 45 प्रतिशत मोलिब्डेनम शामिल है।
  - उच्च स्तर का संकेद्रण और जटिल आपूर्ति श्रृंखलाएँ संयुक्त रूप से प्रमुख उत्पादक देशों में उत्पन्न होने वाले जोखिम को बढ़ाती हैं।

© Vision IAS

* **सरकारी नीतियों के कारण बाजार की विकृति:** सरकार विकृत नीतियों के माध्यम से मूल्य के अधिक-से-अधिक हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास करती है। इन नीतियों में **निर्यात प्रतिबंध, कुछ विशेष कर और अन्य लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ** शामिल हैं।
* **दीर्घावधिक परियोजना विकास:** अन्वेषण से लेकर प्रथम उत्पादन तक खनन परियोजनाओं में औसतन 16.5 वर्ष लगते हैं। इससे मांग बढ़ने पर आपूर्ति में तेजी लाने का जोखिम रहता है।
* **'कूटनीतिक हथियार' के रूप में संसाधन का उपयोग:** यह **आर्थिक प्रतिबंध** का एक रूप है। इसके तहत **सरकार** किसी देश से किसी प्रकार की रियायत लेने के लिए **या तो प्राकृतिक संसाधन की आपूर्ति रोक देती है या रोकने की धमकी देती** है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2010 में, दुर्लभ मृदा खनिज **चीन और जापान के बीच व्यापार संघर्ष** के केंद्र थे, जो मूल रूप से विवादित **सेनकाकू/ डियाओयू द्वीपों** के संदर्भ में शुरू हुआ था।

चित्र 1: महत्त्वपूर्ण (क्रिटिकल) सामग्री को परिभाषित करने के लिए महत्त्वपूर्ण (क्रिटिकल) मैट्रिक्स

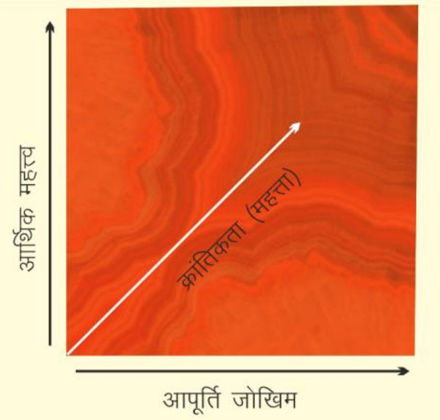

* **पर्यावरणीय जोखिम:** खनिज संसाधनों के उत्पादन और प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप उत्पन्न **जहरीले और रेडियोधर्मी उपोत्पाद पर्यावरण में डंप** किये जाते हैं। ये उपोत्पाद वनस्पति-जीवों और स्थानीय समुदायों को नुकसान पहुँचाते हैं।
* **संसाधन गुणवत्ता में ह्रास:** हाल के वर्षों में वस्तुओं की एक व्यापक श्रृंखला में अयस्क की गुणवत्ता में गिरावट हो रही है। निम्न-श्रेणी के अयस्कों से धातु निकालने के लिए **अधिक ऊर्जा की आवश्यकता** होती है। इससे **उच्च उत्पादन लागत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और अपशिष्ट में वृद्धि** होती है।
  * **सामाजिक चुनौतियाँ:** वर्तमान में अधिकांश महत्वपूर्ण पदार्थ खराब राजनीतिक दशाओं और कमजोर शासन संस्थानों वाले देशों से आते हैं। **निम्न-स्तरीय श्रम मानक, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय, संधारणीय जल प्रबंधन और बलात श्रम/बाल श्रम** इस उद्योग में मौजूद सामाजिक चुनौतियाँ हैं।

महत्त्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिजों के अनुप्रयोग

* वैज्ञानिक अनुप्रयोग, जैसे कि ऑप्टिक्स, चिकित्सा और परमाणु प्रौद्योगिकियाँ
* उपभोक्ता और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ
* औद्योगिक अनुप्रयोग
* अक्षय ऊर्जा, साथ में बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर
* रक्षा उपकरण, जैसे निर्देशन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां

  * **बाजार में भागीदारों की सीमित संख्या:** मूल्य श्रृंखलाओं की जटिलता, प्रसंस्करण के लिए उच्च निवेश व्यय और छोटे बाजारों के कारण केवल कुछ मुट्ठी भर व्यवसाय या देश महत्त्वपूर्ण सामग्री बाजार (Critical Materials Market) में भाग लेते हैं।

7.1.3. जिला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation: DMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF)** की निधि पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। इससे खनन पट्टा धारकों के अनिवार्य योगदान से उपार्जित निधियों में से किसी भी व्यय को स्वीकृति देने या अनुमोदित करने संबंधी राज्यों का अधिकार समाप्त हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

* खान मंत्रालय की और से निर्दिष्ट किया गया है कि इस कदम की **आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि "इस प्रकार के दृष्टांत सामने आए जहां DMF की निधि के हिस्से को राज्य या राज्य स्तर की निधि/संचित निधि में स्थानांतरित किया जा रहा था"** जो कि DMF के गठन के "मूल उद्देश्य के विरुद्ध" था।

- केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि DMF की निधि के किसी भी हिस्से को किसी भी राज्य स्तरीय इकाई द्वारा अपने उपयोग के लिए अंतरित (या हस्तांतरण) करना **अधिनियम की धारा 9b के प्रावधान का उल्लंघन** है।

जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधि के बारे में

- इसे खनन से प्रभावित समुदायों के साथ **लाभ साझा करने वाले तंत्र** के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसके तहत इन समुदायों को प्राकृतिक-संसाधन आधारित विकास में भागीदार के रूप में माना जाता है।
- इसे **भारत के सभी खनन जिलों में एक गैर-लाभकारी न्यास के रूप में** स्थापित किया गया है, जिसका नियत उद्देश्य सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से 'खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करना' है।
- यह **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 {Mines and Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, (MMDRA) 2015}** के द्वारा अधिदेशित है और खननकर्ताओं के अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित होता है।
- वर्ष 2015 में, सरकार द्वारा DMF को **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** के साथ संरेखित किया गया, ताकि DMF निधियों का उपयोग करके खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा सके।
- पेयजल/पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण/स्वास्थ्य देखभाल/शिक्षा/कौशल विकास/महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और विकलांग लोगों का कल्याण/स्वच्छता
- शेष 40% धनराशि का उपयोग अन्य प्राथमिकताओं, जैसे- सड़कों और भौतिक बुनियादी ढांचे/सिंचाई/वाटरशेड विकास के लिए किया जाएगा।

7.2. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (Electronics Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) ने **"भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) में हिस्सेदारी में वृद्धि"**[110] पर अपना विज़न दस्तावेज (दृष्टिपत्र) जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **MeitY के विजन 1,000 दिन** का एक हिस्सा है। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- यह विज़न दस्तावेज, **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC)** में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अवसरों और ध्यान देने वाले मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। साथ ही, यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर विनिर्माण क्षमताओं का निर्माण करने पर भी जोर देता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का अवलोकन

- **सकल घरेलू उत्पाद के तहत हिस्सेदारी में वृद्धि करना:** भारत निकट भविष्य में अपने सकल घरेलू उत्पाद में **इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 10% करने** का लक्ष्य बना रहा है।
- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE), 2019** के तहत वर्ष 2025 तक 400 बिलियन अमरीकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है।
- **प्रमुख कार्यक्रम:** डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत **भारत सरकार द्वारा निर्धारित विज़न से** इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है।
- **अवसंरचना पर मुख्य ध्यान:** भारत में विश्व-स्तरीय लॉजिस्टिक तथा अवसंरचना के साथ 200 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर[111] स्थापित किए जाने हैं।
- **निवेश हेतु आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत:** चीन में विनिर्माण और श्रम की तेजी से बढ़ती लागत के कारण भारत को निवेश हेतु आकर्षक गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है।

---

[110] Increasing India's Electronics Exports and Share in Global Value Chains

[111] Electronic Manufacturing Clusters: EMCs

VISION IAS

- **निर्यात के उभरते नए गंतव्य:** भारत द्वारा उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि जैसे विशाल संभावनाओं वाले नए बाजारों को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं हेतु निर्यात गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है।

7.3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small & Medium Enterprises: MSMEs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने **थोक एवं खुदरा व्यापारों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के रूप में सम्मिलित करने के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा** की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन नए दिशा-निर्देशों के तहत **थोक और खुदरा उद्यम, उद्यम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करने के लिए पात्र** होंगे।
    - इस पोर्टल का उद्देश्य MSME श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले उद्यमों को एकल पेज पंजीकरण, कम समय में पंजीकरण और पंजीकरण की सरल प्रक्रिया जैसी सुविधाएं प्रदान करना है।
- थोक और खुदरा व्यापारी अब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा वर्गीकृत **प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत वित्त के लिए पात्र** होंगे।
    - हालांकि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वित्त के लिए पात्र होने के चलते **थोक और खुदरा उद्यम,** लघु व्यवसाय, सरकार द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य **लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।**
- पहले भी थोक और खुदरा व्यापार गतिविधियों को MSMEs की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, **लेकिन इसे वर्ष 2017 में इस श्रेणी में बाहर कर दिया गया था क्योंकि वे विनिर्माण गतिविधि को पूरा नहीं कर पाते थे।**

MSME हेतु पूर्व में प्रचलित वर्गीकरण

संयंत्र और मशीनरी उपकरण में निवेश हेतु मानदंड			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण उद्यम	निवेश < 25 लाख रुपये	निवेश < 5 करोड़ रुपये	निवेश < 10 करोड़ रुपये
सेवा उद्यम	निवेश < 10 लाख रुपय	निवेश < 2 करोड़ रुपये	निवेश < 5 करोड़ रुपये

MSME हेतु संशोधित नवीन वर्गीकरण

समग्र मानदंड: निवेश और वार्षिक कारोबार (टर्नओवर)			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण और सेवा उद्यम	निवेश < 1 करोड़ रुपये और; टर्नओवर < 5 करोड़ रुपये	निवेश < 10 करोड़ रुपये और; टर्नओवर < 50 करोड़ रुपये	निवेश < 20 करोड़ रुपये और; टर्नओवर <100 करोड़ रुपये

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए MSME मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम

- ऋण से संबद्ध पूंजी सब्सिडी–प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (Credit Linked Capital Subsidy – Technology Upgradation Scheme: CLCS–TUS)
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Micro–Small Enterprises – Cluster Development Programme: MSE–CDP) के लिए ऋण गारंटी योजना
- MSMEs को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना
- नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना (A Scheme for Promotion of Innovation] Rural Industries and Entrepreneurship: ASPIRE)
- परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए पुनरुद्धारित निधि योजना (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries: SFURTI)
- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Programme: PMEGP)

भारत में MSMEs का महत्व

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास[112] अधिनियम, 2006** के पश्चात् सरकार ने अलग-अलग गतिविधियों में निवेश के आधार पर MSMEs को औपचारिक तौर पर परिभाषित किया था। (इन्फोग्राफिक देखें)
- ये देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 30%; विनिर्माण उत्पादन का 45% और कुल निर्यात में लगभग 40%** का योगदान करते हैं।
- भारत में लगभग **6.3 करोड़ MSMEs हैं, जिनमें 110 मिलियन लोग नियोजित हैं।**

112 Micro, Small & Medium Enterprises Development: MSMED

MSMEs को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा हालिया प्रयास

- **MSMEs की नई परिभाषा:** वर्ष 2020 में, **सरकार ने MSMEs की परिभाषा को संशोधित किया-**
  - **विनिर्माण और सेवा उद्यमों के मध्य का अंतर समाप्त** कर दिया गया है।
  - ऐसे उद्यमों के लिए **निवेश संबंधी सीमा को संशोधित कर बढ़ा दिया गया** है, हालांकि **टर्नओवर का एक अतिरिक्त मानदंड शमिल किया गया** है।
    - ✓ यह MSMEs को **आगे बढ़ने में आत्मविश्वास** प्रदान करेगा और MSMEs के आकार में बढ़ने पर MSMEs के लाभों को खोने के डर को दूर करेगा।
- **ऋण उपलब्धता में सुधार:** वित्त मंत्रालय ने **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना[113] को तीन महीने के लिए सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।** इससे कोविड-प्रभावित MSMEs पूर्ण रूप से गारंटीकृत और संपार्श्विक-रहित अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे।
  - **ECLGS का विस्तार 1.5 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया गया है, जिससे स्वीकार्य गारंटी (admissible guarantee) की कुल सीमा 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.5 लाख करोड़ रुपये हो गई है।**
- **विलंबित भुगतानों का समाधान करना:** हाल ही में, **संसद ने फैक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक[114] पारित किया है, जिसके द्वारा MSMEs को,** विशेष रूप से ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के माध्यम से, **ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने में सहायता प्रदान की जाएगी।**
  - **TReDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है,** जहां खरीदारों {बड़े कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), सरकारी विभागों} पर आहरित MSMEs के प्राप्तत्व (ऋणप्रदाता द्वारा वापस ली जाने वाली राशि) को प्रतिस्पर्धी दरों पर विभिन्न वित्तदाताओं के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।
  - यह **MSME समाधान पोर्टल** के अतिरिक्त है। **MSME समाधान पोर्टल के माध्यम से संपूर्ण देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों / केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों [115]/ राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान से संबंधित अपने मामले प्रत्यक्ष रूप से दर्ज कराने हेतु सशक्त किया जाता है।**
- **शिकायत निवारण और MSMEs की सहायता** सहित ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिए **"चैंपियंस"** नामक एक **पोर्टल** आरंभ किया गया है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से **MSMEs के लिए वैश्विक स्तर का बाजार।** मंत्रालय द्वारा अपने MSME-विकास संस्थानों (Development Institutes: DIs) के माध्यम से MSMEs को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (Domestic Tariff Area) और विशेष आर्थिक क्षेत्र[116] से **निर्यात करने की सुविधा प्रदान की जाती है।**
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना[117]** को वैश्विक बाजार में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों,** व्यापार मेलों आदि **में MSMEs की भागीदारी को सुविधा प्रदान करने के लिए** कार्यान्वित किया गया है।

7.4. भारत में अर्धचालकों का विनिर्माण (Semiconductors Manufacturing in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने अपनी **डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना** के तहत घरेलू कंपनियों, स्टार्ट-अप और MSMEs से आवेदन आमंत्रित किये।

अर्धचालक/सेमीकंडक्टर्स उद्योग के बारे में

113 Emergency Credit Line Guarantee Scheme: ECLGS

114 Factoring Regulation (Amendment) Bill

115 Central Public Sector Enterprises: CPSEs

116 Special Economic Zone

117 International Cooperation Scheme

© Vision IAS

- अर्धचालक एक **भौतिक पदार्थ है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उपकरणों में विद्युत धारा के प्रवाह को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**
- अर्धचालक **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक अनिवार्य घटक है।** यह संचार, कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य देखभाल, सैन्य प्रणालियों, परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य अनुप्रयोगों को उन्नत करने में सक्षम बनाता है।
- **सेमीकंडक्टर्स** वस्तुतः इंटीग्रेटेड सर्किट (IC), माइक्रोचिप्स या सिर्फ चिप्स का **मूल भाग होते हैं** और वे **आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मस्तिष्क की भूमिका निभाते हैं।** ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, या अन्य शुद्ध तत्वों का उपयोग करके बनाए जाते हैं।

मूर का नियम (Moore's Law)

- यह **चिप पर स्थित ट्रांजिस्टरों की संख्या में चरघातांकी वृद्धि** होने के **गॉर्डन मूर के पूर्वानुमान** को व्यक्त करता है। सापेक्ष लागत में कमी के साथ ट्रांजिस्टरों की संख्या के प्रति दो वर्ष में दोगुनी होने की संभावना है।
- हालांकि, हाल ही में गति धीमी हुई है, लेकिन तेज़, छोटे और किफायती चिप्स आधुनिक समय के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को तेज़ी से बदल रहे हैं।

- तत्व में अशुद्धियों को मिलाकर अर्धचालक बनाए जाते हैं, जिसमें तत्व का चालकत्त्व या प्रेरकत्व, जोड़ी गईं अशुद्धियों के प्रकार और उनकी तीव्रता पर निर्भर करता है।
- अर्धचालक के **दो मूलभूत प्रकार** होते हैं:
  - **N-प्रकार के अर्धचालक:** इनका उपयोग तब किया जाता है, जब इनकी चालकता अधिक होती है, या बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
  - **P-प्रकार के अर्धचालक:** इनका उपयोग तब किया जाता है, जब इनका प्रेरकत्व (inductance) अधिक होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन कम संख्या में होते हैं।

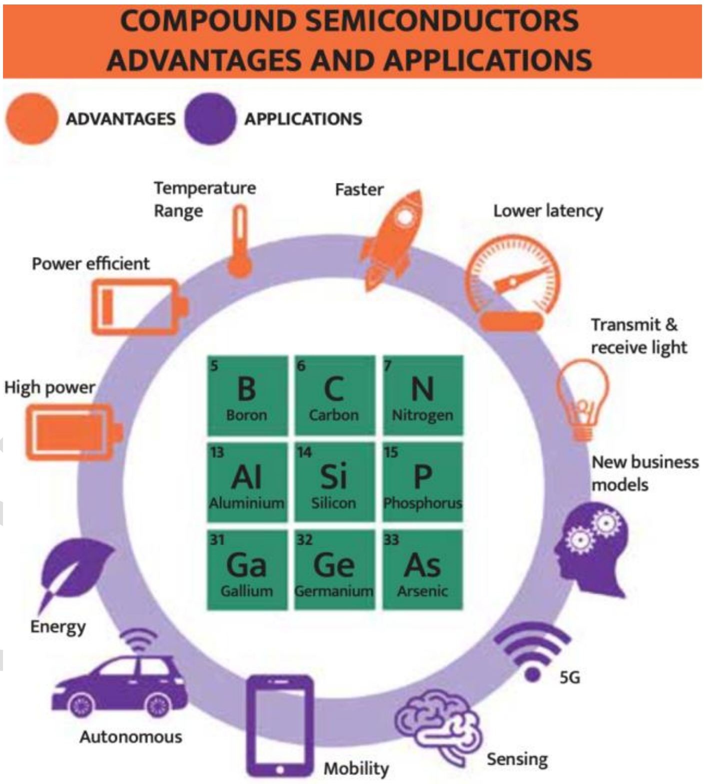

- **उपयोग:** ये **उद्योग 4.0** के अंतर्गत **डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण के लिए आवश्यक घटक** हैं। चिकित्सा उपकरणों, संचार प्रणालियों, कंप्यूटिंग, रक्षा, परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत वायरलेस नेटवर्क जैसी भविष्य की तकनीकों के लिए सेमीकंडक्टरों की आवश्यकता होती है।
- **बाजार के मध्य वितरण:** यह एक **अत्यधिक जटिल और बड़ी मात्रा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला क्षेत्रक** है। इसमें केवल कुछ कंपनियों और राष्ट्रों का ही दबदबा अधिक है। इसमें **अमेरिका** का वर्चस्व है, इसके बाद **दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ, ताइवान** और **चीन** का स्थान है।
- **मुद्दे:** इस क्षेत्र में व्याप्त मांग और आपूर्ति असंतुलन, प्रतिभा की कमी आदि के बावजूद उनकी भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आपूर्ति श्रृंखला की कमी से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए **सेमीकंडक्टर उद्योग को स्थानीय** स्तर पर संचालित किए जाने के प्रयास तेज हो गए हैं।

भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के निर्माण के लिए सरकार की पहल

- सरकार ने **सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये** के प्रावधानों के साथ भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग पारितंत्र के विकास हेतु कार्यक्रम को मंजूरी दी है।

- यह सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन में लगी कंपनियों के लिए **पूंजी समर्थन और तकनीकी सहयोग** की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह देश में **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत करने** के लिए रणनीतिक महत्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्रों में **भारत के तकनीकी नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करेगा।**
- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):** यह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक विशिष्ट और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है।
  - मिशन को सेमीकंडक्टर फैब योजना और डिस्प्ले फैब योजना के तहत आवेदकों के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया है।
  - इस मिशन को उपयुक्त प्रौद्योगिकी मिश्रण, अनुप्रयोगों, नोड उत्पादन, क्षमता, इत्यादि पर निर्णय लेने की स्वायत्तता दी गई है। साथ ही, इसे चयनित आवेदकों के लिए वित्तीय सहायता की संरचना और मात्रा का प्रस्ताव करने की स्वायत्तता दी गई है।

डिस्प्ले डिवाइस प्रौद्योगिकियाँ

- डिस्प्ले डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग टेक्स्ट, सचित्र या ग्राफिक्स रूप में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। टीवी, PC मॉनिटर और नोटबुक, स्मार्टफोन और टैबलेट आदि जैसे उपकरणों में इसका उपयोग होता है।
- इनका उपयोग फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले और माइक्रो-डिस्प्ले सहित विभिन्न रूपों में किया जाता है। ये LED-बैकलिट LCD, OLED, क्वांटम डॉट, डायरेक्ट-व्यू LED, ई-पेपर (EPD), लिक्विड क्रिस्टल ऑन सिलिकॉन (LCoS), डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग (DLP), आदि जैसी डिस्प्ले तकनीकों पर काम करती हैं।

अन्य संबंधित सुर्ख़ियाँ

डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

- **DLI योजना पिछले वर्ष घोषित भारतीय अर्धचालक स्थानीयकरण कदम का हिस्सा** है। इसे **भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग पारितंत्र के विकास** के लिए **₹76,000 करोड़** ($10 बिलियन) कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।

- **DLI** का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल कम-से-कम 20 घरेलू कंपनियों का पोषण करना और उन्हें अगले 5 वर्षों में ₹1500 करोड़ से अधिक का कारोबार हासिल करने में सुविधा प्रदान करना है।
- **नोडल एजेंसी: C-DAC** (उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र)।

घटक	सहायक तंत्र
चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट	अत्याधुनिक डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने तथा समर्थित कंपनियों को इसकी उपलब्धता सुलभ कराने के लिए **सी-डैक** द्वारा **इंडिया चिप सेंटर** को स्थापित किया जाएगा।
उत्पाद के डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन	उत्पाद डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन घटक के तहत, अर्धचालक डिजाइन में लगे अनुमोदित आवेदकों को, वित्तीय सहायता के रूप में, प्रति आवेदन ₹15 करोड़ की सीमा के अधीन पात्र व्यय के 50 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति या सहायता प्रदान की जाएगी।
डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव	5 वर्षों के शुद्ध बिक्री और टर्नओवर के 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन (प्रति आवेदन ₹30 करोड़ की उच्चतम सीमा के अधीन) प्रदान किया जाएगा। यह ऐसे अनुमोदित आवेदकों को प्रदान किया जाएगा जिनके इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) के लिए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (SoCs), सिस्टम और आई.पी. कोर और सेमीकंडक्टर संबद्ध डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में लगाए गए हैं।

 © Vision IAS

7.5. वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Textiles}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने मानव निर्मित फाइबर (MMF) के परिधानों एवं MMF वस्त्रों और तकनीकी वस्त्र के 10 खंडों/उत्पादों के लिए PLI योजना को मंजूरी प्रदान की है।

इस क्षेत्रक से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां/पदों की परिभाषा

- **मानव निर्मित फाइबर/रेशे (Man-Made Fibre: MMF):** संश्लेषित और सेलुलोस युक्त रेशे/फाइबर द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए वस्त्रों को MMF कहा जाता है।
  - कच्चे तेल से संश्लेषित फाइबर का उत्पादन किया जाता है जबकि सेलुलोस युक्त फाइबर लकड़ी के लुगदी से निर्मित किए जाते हैं। संश्लेषित स्टेपल फाइबर की मुख्य किस्मों में पॉलिएस्टर, ऐक्रेलिक और पॉलीप्रोपाइलीन शामिल हैं।
  - विस्कोस फाइबर, मोडाल आदि सेलुलोस युक्त फाइबर हैं।
- **तकनीकी टेक्सटाइल/वस्त्र:** तकनीकी वस्त्र ऐसे उत्पाद हैं जो सौंदर्य विशेषताओं की बजाय मुख्य रूप से **तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित** किए जाते हैं। इनका उपयोग ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि सहित अलग-अलग उद्योगों में किया जाता है।

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं

- **बजटीय परिव्यय (Budgetary outlay):** इस योजना के लिए 10,683 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था की गयी है।
- **योजना की अवधि:** यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए है।
- अधिसूचित श्रेणी (MMF वस्त्र, परिधान) के उत्पादों और तकनीकी वस्त्र के उत्पादन के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों (भूमि और प्रशासनिक निर्माण की लागत को छोड़कर) में **निवेश के आधार पर अलग-अलग प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।**
  - इस योजना के तहत न्यूनतम 300 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति / कंपनी / फर्म के लिए **15% प्रोत्साहन राशि** की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए शर्त यह है कि वे इस योजना के तहत अधिसूचित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री द्वारा न्यूनतम 600 करोड़ रुपये के कारोबार (टर्नओवर) के लक्ष्य को प्राप्त कर लें।
  - साथ ही, इस योजना के तहत न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति / कंपनी / फर्म के लिए **15% प्रोत्साहन राशि** की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए शर्त यह है कि वे इस योजना के तहत अधिसूचित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री द्वारा न्यूनतम 200 करोड़ रुपये के कारोबार (टर्नओवर) के लक्ष्य को प्राप्त कर लें।
- इस योजना के तहत केवल भारत में पंजीकृत विनिर्माण कंपनियां ही भाग लेने के लिए पात्र होंगी।
- **आकांक्षी जिलों, टियर 3, टियर 4 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।**

भारतीय वस्त्र उद्योग पर एक नज़र

- वस्त्र क्षेत्र का भारतीय GDP में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 7%, तथा भारत की निर्यात आय में 12% योगदान है।
- भारत **विश्व में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक,** रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- विश्व स्तर पर **हाथ से बुने हुए कपड़ों का 95% हिस्सा** अकेले भारत से आयात किया जाता है।
- वस्त्र और परिधान (textiles and apparel) के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 5% है।
- चीन के बाद भारत MMF फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- यह क्षेत्रक **45 मिलियन से अधिक लोगों (कुल रोजगार का 21%)** को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। साथ ही, यह 100 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का अप्रत्यक्ष स्रोत भी है।

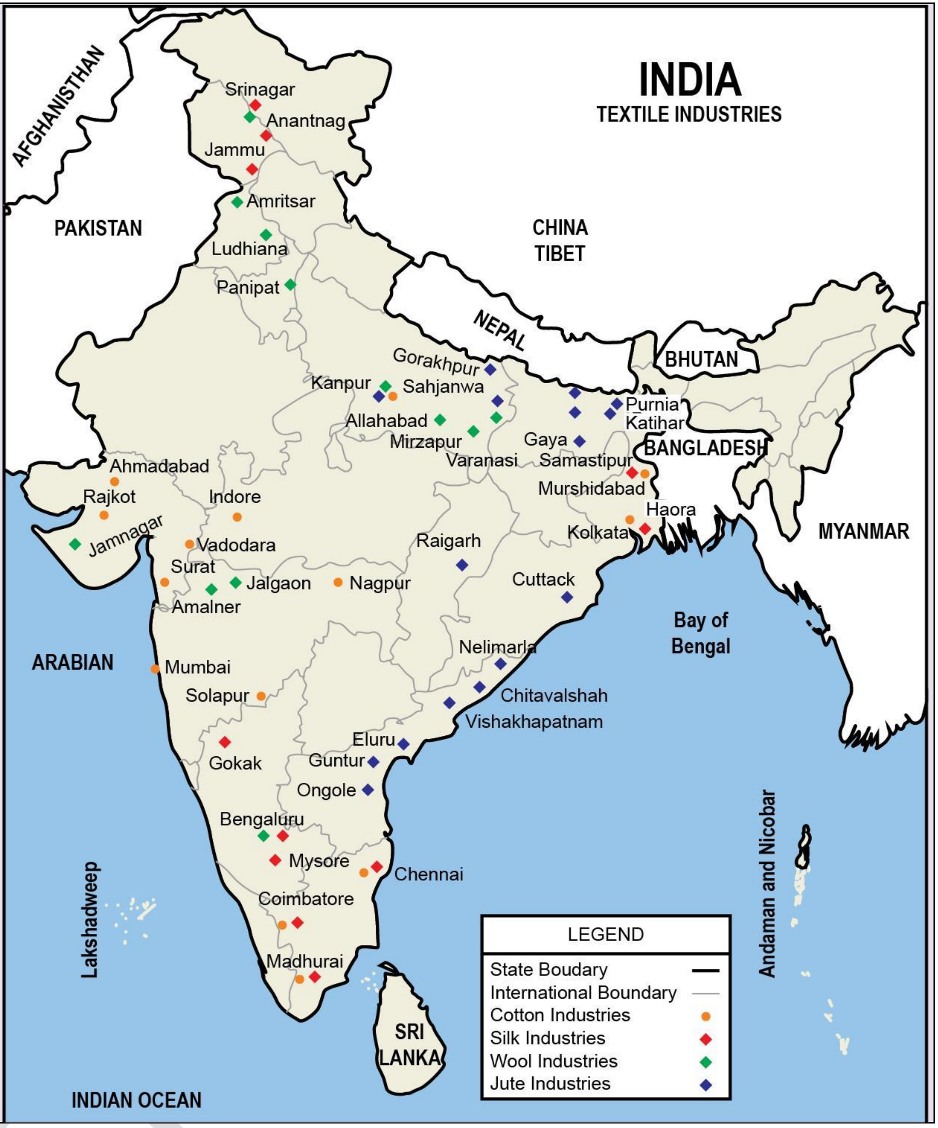

वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम	
अवसंरचनात्मक विकास	• एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए **7 व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्रक और परिधान पार्कों (पी.एम. मित्रा) की स्थापना की गयी है।**
प्रौद्योगिकी में सुधार	• वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रौद्योगिकी/मशीनरी में सुधार के लिए **संशोधित प्रौद्योगिकी सुधार निधि योजना** की शुरुआत की गई है।
क्षेत्रक विशेष मिशन	• आधारभूत निवेश, करघे और सहायक उपकरण, डिजाइन और विकास, अवसंरचना का विकास, हथकरघा उत्पादों के विपणन आदि हेतु **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम** का आरंभ किया गया है। • 1,480 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ और चार वर्ष की कार्यान्वयन अवधि (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक) के लिए **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन** को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
क्षमता निर्माण और सामाजिक सुरक्षा	• संगठित क्षेत्रक में कताई और बुनाई को छोड़कर, वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास हेतु **समर्थ (स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर) योजना** की शुरुआत की गयी है। • परिधान निर्माण क्षेत्र में नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए **स्कीम फॉर इंक्यूबेशन इन अपैरल मनुफॅक्चरिंग (SIAM)** का भी आरंभ किया गया है। • वस्त्र और परिधान उद्योग के श्रमिकों के लिए इन उद्योगों के निकट सुरक्षित, उपयुक्त और सुविधाजनक आवास प्रदान करने हेतु **वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना**[118] का भी शुभारंभ किया गया है।
अन्य उपाय	• **निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्कों और करों से छूट (RoDTEP) योजना:** इस योजना के तहत सभी प्रकार के अदृश्य या छुपे हुए करों को रिफ़ंड कर दिया जाता है। ऐसे करों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के परिवहन हेतु

[118] Scheme for Textile Industry Workers' Accommodation: STIWA

© Vision IAS

	उपयोग होने वाले ईंधन पर आरोपित वैट, विनिर्माण के लिए उपयोग होने वाली बिजली पर शुल्क, मंडी कर के साथ-साथ GST और आयात/सीमा शुल्क आदि शामिल हैं। • भारत में **वस्त्र और परिधान क्षेत्र में 100% FDI (स्वचालित मार्ग के माध्यम से) की अनुमति है।** • MMF क्षेत्रक में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए MMF फाइबर और सूती धागों के विनिर्माण के लिए एक प्रमुख कच्चे माल **प्यूरिफाइड टेरेफ्टेलिक एसिड (PTA)** पर डंपिंग रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

वस्त्र मंत्रालय ने पी.एम. मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए

- पी.एम. मित्र का उद्देश्य वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए **व्यापक पैमाने पर एवं आधुनिक औद्योगिक एकीकृत बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास करना है।**
- यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर स्थापित करके **लॉजिस्टिक लागत को कम** करता है। इसकी परिकल्पना **सतत विकास लक्ष्य-9** को प्राप्त करने में भारत की सहायता करने के लिए की गई है।
    - **सतत विकास लक्ष्य 9:** इसके तहत लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण, सतत औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर है।
    - **राज्य सरकार** स्पेशल पर्पज व्हीकल (राज्य की 51% और केंद्र की 49% हिस्सेदारी) को **भूमि हस्तांतरित करेगी।**
    - विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए **प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये का प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन समर्थन (CIS)** का प्रावधान किया गया है।
- **दिशा-निर्देशों के अनुसार- पार्कों के लिए स्थलों का चयन पांच मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा-**
    - स्थल से **कनेक्टिविटी** (25% भारांश),
    - टेक्सटाइल्स के लिए **वर्तमान इकोसिस्टम** (25% भारांश),
    - स्थल पर **उपयोगिता सेवाओं** की उपलब्धता (20% भारांश),
    - राज्य की औद्योगिक/वस्त्र नीति तथा
    - पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव।

7.6. औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित अन्य घटनाक्रम (Other developments in the Industrial Sector)

7.6.1. विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Specialty Steel}

- **विशेष इस्पात** मूल्य वर्धित इस्पात है। इसमें सामान्य तौर पर निर्मित इस्पात पर कोटिंग, प्लेटिंग, उष्मीय उपचार आदि के माध्यम से गुण संवर्धन किया जाता है, ताकि इसे **उच्च मूल्य वर्धित इस्पात में परिवर्तित** किया जा सके। विशेष इस्पात का **रक्षा, अंतरिक्ष आदि जैसे विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों** में उपयोग किया जा सकता है।
    - वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में 102 मिलियन टन इस्पात उत्पादन में से, देश में **केवल 18 मिलियन टन मूल्य वर्धित इस्पात/ विशेष इस्पात का उत्पादन** किया गया था।
- PLI योजना **आयात बिलों को कम करने** और **स्थानीय वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार** पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अतिरिक्त यह **कंपनियों को अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित** भी करती है।

लाभ:

- इससे निर्यात में वृद्धि होगी और उन्नत स्टील के लिए आयात पर निर्भरता में कमी आएगी।
- इससे लगभग 40,000 करोड़ डॉलर का निवेश संभव होगा।
- इसमें लगभग 5.25 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है।
- इससे 25 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि होगी।
- यह वैश्विक इस्पात में योगदान देने के लिए तकनीकी क्षमता निर्माण में निवेश करने हेतु इस्पात क्षेत्रक को प्रोत्साहित करेगा।

- **विशेषताएं:**
  - **अवधि:** वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक पांच वर्ष।
  - **बजटीय परिव्यय:** 6,322 करोड़ रुपये।
  - **प्रोत्साहन के तीन स्लैब:** सबसे कम **4 प्रतिशत** और उच्चतम **12 प्रतिशत,** जो इलेक्ट्रिकल स्टील (कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील-CRGO) के लिए प्रदान किया गया है।
  - विशेष इस्पात की लेपित, उच्च शक्ति युक्त, मिश्र धातु आदि सहित **पांच श्रेणियों को** PLI के तहत कवर किया गया है।

7.6.2. राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति (National Automobile Scrappage Policy)

- इस नीति का **गुजरात में निवेशकों के शिखर सम्मेलन** के दौरान **प्रधान मंत्री द्वारा शुभारंभ** किया गया। इसका उद्देश्य **वाहन क्षेत्रक और आधुनिक भारत की गतिशीलता को एक नई पहचान प्रदान** करना है।
- यह नीति एक **चक्रीय अर्थव्यवस्था** (पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग) स्थापित करने पर केंद्रित है। इस हेतु पर्यावरण की अनुकूलता के अनुसार **अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा व चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाया** जाएगा।
  - वाहनों की स्क्रैपिंग (Vehicle scrapping) वह प्रक्रिया है, जिसमें **वाहनों की उपयोग-अवधि पूर्ण होने के उपरांत उनका निपटान** किया जाता है तथा उनके **पुर्जों का पुनर्चक्रण** किया जाता है।
  - भारत में वर्तमान में ऐसे 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं, जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा 34 लाख ऐसे वाहन हैं, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- **मुख्य बिंदु**
  - **वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाना (De-registration)**
  - ✓ इस नीति के अनुसार **यदि वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष की अवधि के उपरांत उपयुक्तता (फिटनेस)** में विफल हो जाते हैं, तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
  - ✓ **निजी वाहनों को 20 वर्ष पश्चात्** अनुपयुक्त पाए जाने पर या पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण में विफलता के मामले में अपंजीकृत कर दिया जाएगा।
  - ✓ **सभी सरकारी वाहनों** को पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् अपंजीकृत या स्क्रैप किया जा सकता है।
  - यह नीति **पुराने वाहनों के स्वामियों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से अपने अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप** हेतु प्रोत्साहित करती है।
  - संपूर्ण भारत में विशेषीकृत **पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (Registered Vehicle Scrapping Facilities: RVSFs)** स्थापित की जाएंगी।

7.7. उद्योग से संबंधित प्रमुख अवधारणाएँ तथा जानकारी और अन्य मुद्दे (Key Concepts And Information On Industry And Associated Issues)

सरकार द्वारा श्वेत वस्तुओं के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया (Govt revises PLI scheme guidelines for white goods)	• व्हाईट गुड्स (white goods) के लिए PLI योजना के तहत एयर कंडीशनर और एल.ई.डी. लाइट के निर्माण में संलग्न कंपनियों को **भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 4%-6% तक का प्रोत्साहन** प्रदान किया जाता है। • इसे प्रथम बार अप्रैल माह में **6,238 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय** के साथ अनुमोदित किया गया था। • **प्रमुख संशोधन:** ○ **इस संशोधन के तहत निकास संबंधी प्रावधान को शामिल किया गया है-** यदि लाभ प्राप्त करने वाली कोई कंपनी निर्दिष्ट कार्य को करने से पीछे हटती है, तो उसे ब्याज सहित लिया गया प्रोत्साहन वापस करना होगा। ○ यह **और अधिक एल.ई.डी. घटकों** जैसे प्रतिरोधक, फ्यूज़र, एल.ई.डी. ट्रांसफार्मर आदि को शामिल करने की अनुमति प्रदान करता है।
IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI) {Production Linked Incentive Scheme (PLI) for IT hardware}	• इस योजना के तहत, **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने हाल ही में 14 पात्र आवेदकों को मंजूरी प्रदान की है। ○ यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित लक्षित खंड के तहत वस्तुओं की **शुद्ध वृद्धिशील**

	बिक्री (वित्त वर्ष 2019-20 के आधार वर्ष से अधिक) पर 4% से 2% / 1% का प्रोत्साहन प्रदान करती है। • लक्षित खंडों में **लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर (PCs) और सर्वर** शामिल हैं। • इससे **कुल 1.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन** हो सकता है।
क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers' Index: PMI)	• **भारत के मैन्युफैक्चरिंग PMI** का लगातार चौथे महीने विस्तार हुआ। • PMI एक **सर्वेक्षण-आधारित माप** है। इसमें प्रत्यर्थियों से एक माह पूर्व से कुछ प्रमुख व्यावसायिक चरों के संबंध में उनकी मौजूदा धारणाओं में होने वाले परिवर्तन को लेकर प्रश्न किए जाते हैं। ○ इसकी **गणना, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक की जाती** है और तत्पश्चात एक संयुक्त सूचकांक का निर्माण किया जाता है। ○ PMI में **0 से 100** तक संख्याएं होती हैं। 50 से ऊपर PMI **विस्तार** को प्रदर्शित करता है, 50 से नीचे PMI **संकुचन** को दर्शाता है तथा 50 पर **स्थिरता (कोई परिवर्तन नहीं)** को प्रदर्शित करता है। ○ PMI आंकड़ों को **जापानी संस्था निक्केई (Nikkei) द्वारा प्रकाशित** तथा **मार्किट इकोनॉमिक्स द्वारा संकलित एवं निर्मित** किया जाता है।
वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक (Global Manufacturing Risk Index)	• **कुशमैन एंड वेकफील्ड** के वर्ष 2021 के वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में **भारत,** संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए **विश्व स्तर पर दूसरा सर्वाधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य** बन गया है। ○ **चीन** प्रथम स्थान पर बना हुआ है। • **वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक के बारे में:** ○ इस सूचकांक में **यूरोप, अमेरिका और एशिया-प्रशांत** के 47 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सर्वाधिक लाभप्रद स्थलों का आकलन किया गया है। ○ इस रिपोर्ट में प्रदान की गई रैंकिंग विभिन्न कारकों पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं: ✓ जोखिम और लागत कारक; ✓ राजनीतिक और आर्थिक जोखिम; ✓ बाजार की स्थिति और श्रम लागत तथा ✓ बाजार पहुंच।
स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग (Mandatory Hallmarking of Gold Jewellery)	• इसे **16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और स्वर्णकारों को केवल 14, 18 और 22 कैरेट के स्वर्ण आभूषण विक्रय** करने की अनुमति होगी। (हालांकि यह प्रतिबंध व्यक्तिगत खरीदारों पर लागू नहीं होता।) ○ सरकार ने घड़ियों, फाउंटेन पेन और कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ जैसे विशेष प्रकार के आभूषणों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से बाहर रखा है। • स्वर्ण की हॉलमार्किंग एक **शुद्धता प्रमाणीकरण की प्रक्रिया** है और इसका उपयोग अब तक स्वैच्छिक रहा है। ○ भारतीय मानक ब्यूरो वर्ष 2000 से स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना संचालित कर रहा है। वर्तमान में लगभग **40% स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा रही है।** • **हॉलमार्किंग के लाभ:** इससे आभूषणों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी और निम्न कैरेट (सोने की शुद्धता) स्वर्ण से जनता के उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा होगी।
कोर उद्योगों का सूचकांक (Index Of Core Industries)	• **आठ कोर क्षेत्रों** (महत्त्व के क्रम में उच्चतम से निम्नतम तक) **में शामिल हैं: रिफाइनरी उत्पाद,** विद्युत्, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट तथा **उर्वरक।** • **आठ कोर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में हिस्सा शामिल मदों के कुल भारांश का 40.27% है।** इसे CSO द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। • चूँकि ये आठ उद्योग व्यापक अर्थव्यवस्था के कामकाज में आवश्यक बुनियादी और/या मध्यवर्ती घटक हैं, इसलिए **उनके स्वास्थ्य का मानचित्रण अर्थव्यवस्था की स्थिति की एक मौलिक समझ** प्रदान करता है।

स्वर्ण अयस्क भंडार (Gold Ore Reserves)	• भारतीय खान ब्यूरो के तहत राष्ट्रीय खनिज सूची के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2015 तक भारत में **501.83 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क भंडार मौजूद है।** • स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार **बिहार** (44 प्रतिशत) में स्थित है। इसके पश्चात **राजस्थान** (25 प्रतिशत), **कर्नाटक** (21 प्रतिशत), **पश्चिम बंगाल** (3 प्रतिशत), **आंध्र प्रदेश** (3 प्रतिशत) और **झारखंड** (2 प्रतिशत) का स्थान है।
केंद्र ने विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं), नियम 2011 में संशोधन किया (Centre Amended Legal Metrology (Packaged Commodities), Rules 2011)	• ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे। • पहले से पैक किए गए उत्पादों पर सभी करों सहित **भारतीय मुद्रा में MRP** की अनिवार्य घोषणा। • पहले से पैक किए गए उत्पादों पर **निर्माण की तिथि** की अनिवार्य घोषणा। • **खुदरा बिक्री के लिए** बने सभी पूर्व पैक उत्पादों हेतु **यूनिट बिक्री मूल्य** प्रस्तुत किया गया है, ताकि कीमतों की आसानी से तुलना की जा सके।

8. सेवा क्षेत्रक (SERVICES SECTOR)

8.1 ई-कॉमर्स (E-Commerce)

8.1.1. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 {Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन** हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पूर्व, सरकार द्वारा 23 जुलाई, 2020 से प्रभावी **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020** को अधिसूचित किया गया था।
- इन नियमों को **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत तैयार किया गया था। इनका उद्देश्य सभी ई-कॉमर्स गतिविधियों एवं लेन-देन को विनियमित करते हुए इन्हें उक्त अधिनियम का पूरक बनाना है।

मसौदा संशोधन में शामिल प्रमुख प्रावधान

प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
ई-कॉमर्स इकाई की परिभाषा	• इसके तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाली किसी इकाई को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही "ऐसी इकाइयों द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर किसी उपयोगकर्ता के ऑर्डर को पूरा करने के उद्देश्य से संचालित अन्य इकाइयों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत परिभाषित किसी भी 'संबंधित पक्ष' (Any 'related Party') को भी इसमें शामिल किया जाएगा। • हालाँकि, इसमें ई-कॉमर्स इकाई के प्लेटफ़ॉर्म पर विक्रय हेतु अपनी वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तावित करने वाले विक्रेता शामिल नहीं हैं।
ई-कॉमर्स इकाई का पंजीकरण	• प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई, जो भारत में व्यापार-वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल होने की इच्छुक है, उसे **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade: DPIIT)** के पास अपना पंजीकरण कराना होगा।
ई-कॉमर्स इकाई के दायित्व	• यह ई-कॉमर्स इकाइयों (या प्लेटफ़ॉर्म) पर **आयातकों के नाम और विवरण** का उल्लेख करने, वस्तुओं के उद्गम देश (Country Of Origin) का नाम उल्लिखित करने, अपनी वेबसाइट पर एक फिल्टर तंत्र प्रदान करने संबंधी शर्तों को लागू करता है। इसके साथ ही यह विक्रय की जाने वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध करते समय अर्थात् पूर्व-खरीद चरण में वस्तुओं की उत्पत्ति के बारे में सूचना संबंधी शर्तों को लागू करता है।
शिकायत निवारण	• **प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई निम्नलिखित की नियुक्ति करेगी:** ○ **मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer)**, जो अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा। ○ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चौबीसों घंटे समन्वय के लिए एक **नोडल संपर्क कार्मिक (Nodal Contact Person)**। ○ उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए **स्थायी शिकायत अधिकारी (Resident Grievance Officer)**।
भ्रामक/त्रुटिपूर्ण विक्रय गतिविधियों पर नियंत्रण	• "भ्रामक/त्रुटिपूर्ण विक्रय" का आशय किसी ई-कॉमर्स इकाई द्वारा की जाने वाली ऐसी बिक्री से है, जिसमें जानबूझकर वस्तुओं या सेवाओं के बारे में गलत/भ्रामक सूचना प्रदान की जाती है। इसके तहत इन इकाइयों द्वारा वस्तुओं के बारे में ऐसी सूचनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं, जो खरीदार को उपयुक्त प्रतीत हों।
क्रॉस-सेलिंग (परस्पर बिक्री) का विनियमन	• 'क्रॉस-सेलिंग' वस्तुतः ई-कॉमर्स इकाई के राजस्व को अधिकतम करने के उद्देश्य से की जाने वाली **संबंधित, निकटवर्ती और पूरक उत्पादों/सेवाओं की बिक्री** को संदर्भित करती है।
फ्लैश सेल (सीमित समय के लिए अत्यंत कम कीमतों पर वस्तुओं का विक्रय) का विनियमन	• इसके तहत फ्लैश सेल को ई-कॉमर्स इकाई द्वारा बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं को अत्यधिक छूट के साथ कम कीमत पर विक्रय करने के रूप में परिभाषित किया गया है। यह पूर्व-निर्धारित अवधि (अत्यधिक छूट या आकर्षक ऑफर के साथ) पर संपन्न होता है।

संबंधित पक्षकारों द्वारा प्लेटफॉर्म पर विक्रय करने पर पूर्ण प्रतिबंध	• **यह ई-कॉमर्स इकाई से संबंधित पक्षकारों और संबद्ध उद्यमों को प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के रूप में सूचीबद्ध होने से प्रतिबंधित करता है।** साथ ही, यह संबंधित पक्षों और संबद्ध उद्यमों को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी के साझाकरण को भी प्रतिबंधित करता है।

8.1.2. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce: ONDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT)** ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) का निर्माण कर रहा है।

ओपन सोर्स का क्या मतलब है?

- किसी सॉफ्टवेयर या प्रक्रिया को ओपन-सोर्स बनाने का अर्थ यह है कि उस सॉफ्टवेयर **कोड या प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाए,** ताकि अन्य **लोग उपयोग, पुनर्वितरण और संशोधन कर सकें।**
- उदाहरण के लिए, जहाँ Apple के iPhones का ऑपरेटिंग सिस्टम (iOS) बंद स्रोत है, जिसका अर्थ है कि इसे कानूनी रूप से संशोधित या रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता है।
- वहीं, **Google का Android ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन-सोर्स है।** इसलिए सैमसंग, शाओमी, वनप्लस आदि जैसे स्मार्टफोन विनिर्माता अपने हार्डवेयर के लिए इसे संशोधित कर सकते हैं।

ONDC के बारे में

- **ONDC को एक तटस्थ मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है,** जो एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) की तर्ज पर ओपन सोर्स में कैटलॉगिंग (सूचीबद्ध करना), वेंडर मैच (विक्रेता मिलान) और प्राइस डिस्कवरी (मूल्य निर्धारण) के लिए प्रोटोकॉल तय करेगा।
  - यह खरीदारों और विक्रेताओं को डिजिटल रूप से दिखाई देने और एक खुले नेटवर्क के माध्यम से लेन-देन में सक्षम बनाएगा, चाहे वे किसी भी प्लेटफॉर्म/ एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हों।
- **उद्देश्य: डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना** तथा अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से एक खुले नेटवर्क को अपनाना।
- ONDC के डिजाइन, कार्यान्वयन और इसे राष्ट्रव्यापी बनाने हेतु एक मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए केंद्र द्वारा **ONDC पर एक सलाहकार परिषद** का गठन किया गया है।
  - इसके अनावरण को फास्ट ट्रैक करने के लिए **एक निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली गैर-लाभकारी इकाई** भी स्थापित की जाएगी।

प्रस्तावित ONDC की मुख्य विशेषताएँ

- **नेटवर्क में डेटा की निजता और गोपनीयता सुनिश्चित करने संबंधी उपाय,** जिसमें नेटवर्क के प्रदर्शन से संबंधित गुप्त समग्र मीट्रिक का प्रकाशन और IT अधिनियम, 2000 का अनुपालन शामिल हैं।
- प्रतिभागियों के लिए एक सुविकसित **सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की योजना।**
- शुरुआत में **छोटे और मझोले प्रतिनिधियों की मदद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।**
- **यह समय के साथ एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित हो सकता है,** जो अपने संचालन के लिए आय उत्पन्न कर सकेगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और नेटवर्क विकास में निरंतर निवेश के लिए अधिशेष भी प्राप्त होगा।

8.2. बीमा क्षेत्रक से संबंधित घटनाक्रम (Developments Related to Insurance Sector)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India: IRDAI) के बारे में

- IRDAI की स्थापना वर्ष 1999 में IRDAI अधिनियम, 1999 के माध्यम से एक स्वायत्त विनियामकीय निकाय के रूप में हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों को संरक्षित करना है।
  - **मुख्यालय:** 2001 से **हैदराबाद** में, पहले दिल्ली में।
- इसकी स्थापना **मल्होत्रा समिति रिपोर्ट** की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- यह बीमा, पुनर्बीमा कंपनियों और मध्यस्थों को पंजीकृत करने और/या लाइसेंस देने के साथ-साथ **भारत के बीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रक को प्रबंधित तथा विनियमित** करता है।

© Vision IAS

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने LIC, GIC तथा न्यू इंडिया को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता के रूप में बरक़रार रखा है।	• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) और न्यू इंडिया को **वर्ष 2020-21 के समान ही वर्ष 2021-22 के लिए भी D-SIIs के रूप में बनाए रखा गया है।** ○ भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) **वार्षिक आधार पर D-SIIs को निर्धारित करता है।** • D-SIIs ऐसे आकार, बाजार महत्व और घरेलू एवं वैश्विक रूप से परस्पर जुड़े बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है, **जिनके संकटग्रस्त या विफल होने से घरेलू वित्तीय प्रणाली में व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी।** ○ इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए **बीमा संबंधी सेवाओं की बाधा रहित उपलब्धता** हेतु इनका निरंतर कार्यशील रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ○ ये बीमाकर्ता के रूप में **इतने विशाल या महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता।** • प्रणालीबद्ध जोखिमों और नैतिक जोखिम मामलों से निपटने के लिए D-SIIs अतिरिक्त विनियामक उपायों के अधीन हैं। D-SIIs के महत्त्व के कारण, इनके लिए प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक खतरों के मुद्दों से निपटने के लिए **अतिरिक्त विनियामक उपाय किये गए हैं।** • **D-SII के निर्धारण हेतु मानदंड:** ○ **सकल राजस्व के संबंध में परिचालन का आकार;** प्रीमियम अधिग्रहण (Premium Underwritten); और प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति का मूल्य। ○ एक से अधिक क्षेत्राधिकार में **वैश्विक गतिविधियाँ।**
बैंक द्वारा संचालित बीमाकर्ताओं में FDI के लिए RBI और IRDAI का अनुमोदन आवश्यक	• **विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम, 2019 में संशोधन करने वाले नए विदेशी मुद्रा (द्वितीय संशोधन) प्रबंधन नियम, 2021** को **अधिसूचित** किया गया है। • भारत में विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित के प्रशासन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। **प्रमुख बिंदु** • किसी निजी बैंक द्वारा प्रमोट की गई किसी बीमा कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आवेदनों को RBI और IRDAI द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन देते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि **विदेशी निवेश की 74% सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।** ○ पहले, वर्ष **2019 के नियमों के तहत यह सीमा 49%** थी। • विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली घरेलू बीमा कंपनी के अधिकतर निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए। • इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के तीन प्रमुख व्यक्तियों, यथा- चेयरपर्सन, प्रबंधन निदेशक या प्रमुख कार्यकारी में से कम-से-कम एक निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए। • इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2020 में **3.76% के बीमा अंतर्वेशन** के साथ **(2.82% जीवन बीमा और 0.94% पर गैर-जीवन बीमा),** संशोधित नियम इस प्रकार मदद कर सकते हैं: ○ बीमा क्षेत्रक में **अधिक FDI** लाने में, ○ बीमा अंतर्वेशन में वृद्धि के लिए नए उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में
मॉडल बीमा गाँव (Model insurance villages)	• RDAI ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD) जैसे विभिन्न संस्थानों एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधियों के वित्तीय समर्थन के साथ संपूर्ण ग्रामीण आबादी को शामिल करने के लिए मॉडल बीमा गाँवों की अवधारणा प्रस्तुत की है। • **इस अवधारणा का उद्देश्य** ग्रामीणों को उनके समक्ष उत्पन्न होने वाले सभी प्रमुख बीमा योग्य जोखिमों (Insurable Risks) के लिए व्यापक बीमा सुरक्षा **प्रदान करना है व रियायती लागत पर बीमा कवर उपलब्ध कराना है।** • IRDAI ने इसे प्रथम वर्ष में न्यूनतम 500 गाँवों में लागू करने और इसके बाद के वर्षों में 1,000 गाँवों तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। • इसके अनुसार चयनित गांवों में कम-से-कम 3 से 5 वर्ष तक प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है, ताकि बीमा लाभों को समुदाय के लिए दृश्यमान (Visible) बनाया जा सके। • आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वर्णित किया गया है कि भारत में बीमा संबंधी सेवाओं की पहुँच लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2019 में 3.76% (वर्ष 2001 में 2.71%) तक हो गई है, परंतु यह वैश्विक औसत 7.23% से काफी कम है। • **बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा** बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को वर्तमान 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। • **इसके अतिरिक्त, हाल ही में,** IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को डिजीलॉकर के माध्यम से डिजिटल बीमा पॉलिसी जारी करने की **सलाह दी है।**

8.3. सेवा क्षेत्रक की प्रमुख अवधारणाएँ और संबद्ध जानकारी (Key Concepts and Information on Services Sector)

एंटीट्रस्ट (एकाधिकार व्यापार विरोध)	• एप्पल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से **एंटीट्रस्ट संबंधी एक मामले को रद्द करने का आग्रह किया है जिसमें ऐप बाजार में बाजार शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया** गया है।
	• एंटीट्रस्ट **आर्थिक नीति के एक क्षेत्र तथा एकाधिकार और एकाधिकार आधारित प्रथाओं से निपटने वाले कानूनों** को संदर्भित करता है।
	• **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002,** भारत का एंटीट्रस्ट कानून है। यह ऐसी किसी भी आर्थिक गतिविधि की निगरानी करता है, जो बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धात्मक एकाधिकार स्थापित करती है।
	  ○ अधिनियम यह गारंटी देता है कि **कोई भी उद्यम** आपूर्ति के नियंत्रण, खरीद कीमतों में हेरफेर आदि के माध्यम से **बाजार में अपनी 'महत्त्वपूर्ण स्थिति' का दुरुपयोग नहीं कर सकता** है।
	  ○ CCI की स्थापना वर्ष 2002 के अधिनियम के तहत **देश में प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधि को विनियमित करने** के लिए की गई है।

विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियाँ {Special purpose acquisition companies (SPACs)}	• SPACs **सूचीबद्ध शेल कंपनियाँ** होती हैं। **इन्हें गैर-सूचीबद्ध या निजी कंपनियों का अधिग्रहण करने के एकमात्र उद्देश्य से गठित किया जाता है** और फिर बाद में उनका विलय कर दिया जाता है। • SPACs स्वयं व्यवसाय संचालन नहीं करती हैं। इनके द्वारा निजी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग[119] के माध्यम से पूंजी जुटाई जाती है। ○ वर्तमान में **SPAC को भारत में IPO के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान नहीं** की गई है। • इन्हें **"ब्लैंक चेक कंपनियाँ"** (Blank Cheque Companies) भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि SPACs के निवेशकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि उनकी पूंजी का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाएगा।
सोशल कॉमर्स (Social commerce)	• ई-कॉमर्स लेन-देन में जब **खरीदार और विक्रेता किसी खरीदारी के पूर्ण होने से पूर्व सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं,** करते हैं, तो उसे सोशल कॉमर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। • एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सोशल कॉमर्स (सकल मर्चेंडाइज मूल्य के संदर्भ में) अनुमानतः वर्ष **2020 में 2 बिलियन डॉलर था और वर्ष 2025 तक इसके 16-20 बिलियन डॉलर तथा वर्ष 2030 तक 60-70 बिलियन डॉलर तक** पहुँचने का अनुमान है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)	• **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** के तहत, CCI एक **सांविधिक निकाय** है। • **प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों को समाप्त करना,** प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इत्यादि इस आयोग के दायित्व हैं।
विशेष ऋण संबद्ध पूंजीगत अनुदान योजना (Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme: SCLCSS)	• केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री ने **सेवा क्षेत्र के लिए SCLCSS** का शुभारंभ किया है। यह योजना **सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने** में मदद करेगी। • इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु अनुदान का प्रावधान है। इसके तहत **संयंत्र एवं मशीनरी व सेवा उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% पूंजीगत अनुदान (सब्सिडी)** दिए जाने का प्रावधान है।

[119] Initial Public Offering: IPO

 © Vision IAS

9. अवसंरचना क्षेत्रक (INFRASTRUCTURE SECTOR)

9.1. शहरी अवसंरचना (Urban Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने **'भारत में शहरी नियोजन की क्षमता में सुधार'**[120] नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में शहरी नियोजन की क्षमता में सुधार करने वाले उपायों पर आधारित है।

भारत में शहरीकरण का संक्षिप्त विवरण

- **जनसंख्या:** भारत की शहरी आबादी लगभग 37.7 करोड़ है (जनगणना, 2011)।
  - वर्ष 2011-36 के दौरान, शहरी विकास के कारण कुल जनसंख्या में 73% की वृद्धि होगी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2019)। पूर्व के अनुमान इंगित करते हैं कि भारत में वर्ष 2050 तक शहरी आबादी बढ़कर 50% हो जाएगी (यू.एन.-हैबिटैट, 2017)।
- **आर्थिक योगदान:** भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में शहरीकरण लगभग 60% का योगदान करता है।

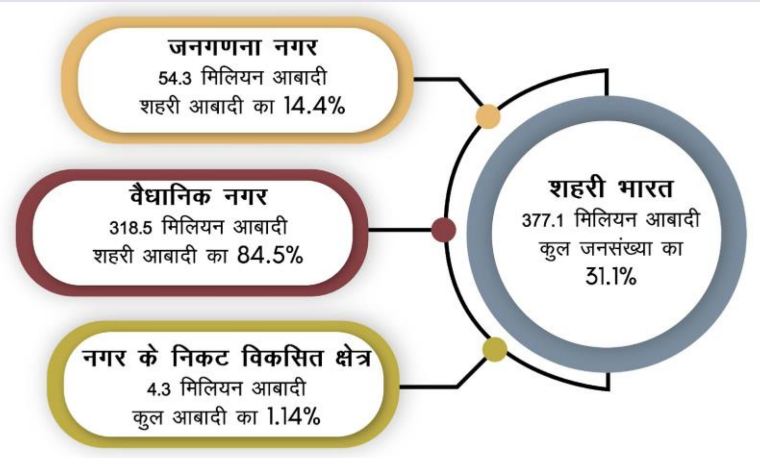

- **भौगोलिक हिस्सेदारी:** भारत के कुल भूमि क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की भूमि की हिस्सेदारी 3.1% है।
- **शहरी समूहों का वर्गीकरण:**
  - **वैधानिक नगर (Statutory Towns):** ऐसे अधिवासित क्षेत्र (settlements) हैं, जो संबंधित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा कानून बनाकर अधिसूचित किए जाते हैं। यहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर समिति जैसे स्थानीय निकायों की मौजूदगी होती है।
  - **जनगणना नगर (Census Towns):** जनगणना के समय ऐसे अधिवासित क्षेत्र जहाँ पुरुष जनसंख्या का कम-से-कम 75% हिस्सा गैर-कृषि व्यवसायों आदि में संलग्न पाया जाता है, उन्हें अर्बन या शहरी क्षेत्र के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। ये गाँव के रूप में शासित होते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि इन क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकाय हो।
  - **नगर के निकट विकसित क्षेत्र (Outgrowths):** नगर के निकट विकसित कई इलाकों में शहरी विशेषताएँ जैसे कि पक्की सड़के और विद्युत जैसी सुविधाएँ पाई जाती हैं। ये महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं जैसे कि आस-पास के गांव। इनकी अवस्थिति और सीमाओं को देखते हुए इन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। ये क्षेत्र अपने निकट के मुख्य शहर से भौतिक रूप से जुड़े होते हैं।

9.1.1. शहरी रूपांतरण (Urban Transformation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** ने तीन रूपांतरकारी शहरी मिशनों, यथा- **स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन**[121] तथा **प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)** के 6 वर्ष पूर्ण होने के आलोक में एक समारोह का आयोजन किया।

शहरी रूपांतरण को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

मिशन	विवरण
प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U)	• इसका उद्देश्य **वर्ष 2022 तक सभी के लिए पक्का घर** सुनिश्चित करना है। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वालों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections: EWSs) और मध्यम आय समूह (Middle Income Group: MIG) के लिए शहरी आवास की कमी को दूर करेगी।

120 Reforms in Urban Planning Capacity in India

121

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

- **PMAY-U के घटकों में सम्मिलित हैं:**
    - स्वस्थाने मलिन बस्तियों का पुनर्विकास (In-situ Slum Redevelopment: ISSR);
    - ऋण से संबद्ध सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme: CLSS);
    - भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership: AHP);
    - लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण/ संवर्द्धन {Beneficiary-led Individual House Construction/ Enhancement (BLC)}।

</td>
</tr>
<tr>
<td>अमृत (AMRUT)</td>
<td>

- इसके अंतर्गत पहले **राष्ट्रीय जल मिशन योजना** पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसका उद्देश्य **घरों को जलापूर्ति, सीवरेज आदि जैसी बुनियादी सेवाएँ प्रदान करना तथा शहरों में सुविधाओं का निर्माण** करना है।
- अमृत के तहत 500 शहरों का चयन किया गया है।

प्रगति

- **105 लाख घरेलू नल और 78 लाख सीवर कनेक्शन** प्रदान किए गए हैं।
- 101 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष **88 लाख स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल एल.ई.डी. लाइटों से प्रतिस्थापित कर दिया गया** है, जिससे CO2 उत्सर्जन में कमी आई है।

</td>
</tr>
<tr>
<td>स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)</td>
<td>

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के संयुक्त प्रयास से वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी।
- SCM के तहत भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 100 शहरों और नगरों को चुना गया है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) का उपयोग कर स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट जल आदि जैसे 'स्मार्ट समाधानों' के माध्यम से **अपने नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना, स्वच्छ और संधारणीय पर्यावरण प्रदान करने वाले शहरों को बढ़ावा देना है।**

</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>

</td>
</tr>
</table>

© Vision IAS

उपर्युक्त मिशनों को और सुदृढ़ करने हेतु हाल ही में उठाए गए अन्य कदम

जलवायु स्मार्ट शहरों के लिए क्षेत्रवार भारांश आकलन 2.0

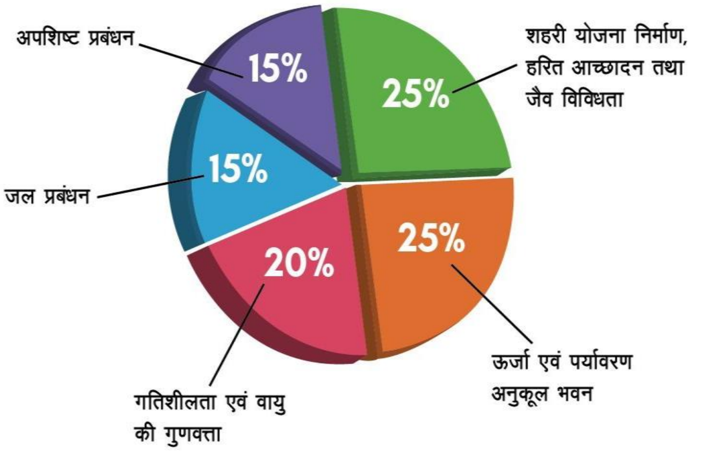

- **जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा (Climate Smart Cities Assessment Framework: CSCAF) 2.0:** इसका उद्देश्य भारत में **शहरी जलवायु कार्रवाई के निर्धारण, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु एक व्यापक रोडमैप/कार्य-योजना प्रदान करना है।**
    - CSCAF 2.0 पांच क्षेत्रकों पर आधारित है, **जिनमें कुल 28 विविध संकेतक शामिल किए गए हैं** (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0:** इसके तहत प्रत्येक वर्ष, स्मार्ट शहरों को रैंकिंग प्रदान की जाती है, ताकि शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) अपने **डेटा पारितंत्र को विकसित करने तथा सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में निवेश** जारी रखें।
- **इसके तहत 100 स्मार्ट शहरों की आंकड़ों से संबंधित तैयारी का आकलन किया जाता है।** ये आंकड़े ढांचागत स्तंभों के 5 घटकों (यथा- नीति, जनता, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और परिणाम) से संबंधित हैं।

स्मार्ट शहरों के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technologies: ICT) पहल:

- **ICCC मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (IMAF):** यह **स्वतः आकलन वाला टूल किट** है। इसे एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centres: ICCCs) के प्रमुख घटकों (जैसे- कार्यशीलता, प्रौद्योगिकी, शासन और नागरिक/हितधारकों से संवाद या संपर्क) की परिपक्वता के आकलन के लिए विकसित किया गया है। यह शहरों को ICCCs में सुधार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।
- **स्मार्ट सिटी ICT मानक:** यह स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विद्यमान बहु-विक्रेता, बहु-नेटवर्क और बहु-सेवा परिवेश में उत्पादों के मध्य पारस्परिकता (इंटरऑपरेबिलिटी) को सुगम बनाता है।
    - **इंडिया स्मार्ट सिटी फेलो रिपोर्ट: यह युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करने** तथा भारत के शहरी भविष्य को एक उन्नत दिशा प्रदान करने में मदद करता है।

- **ट्यूलिप (शहरी लर्निंग प्रशिक्षुता कार्यक्रम) {TULIP (The Urban Learning Internship Program)} रिपोर्ट:** यह स्नातकों को ULBs और स्मार्ट शहरों से जोड़ने हेतु उपयोग किया जाने वाला एक मंच है, जो संयुक्त रूप से हमारे शहरों के लिए नए समाधान तैयार करने में मदद करता है। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ भागीदारी में आरंभ किया गया है।
- **स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम**[122]**: स्मार्ट सिटीज मिशन** के तहत SAAR कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर **ऐतिहासिक परियोजनाओं तथा उनके परिणामों का दस्तावेजीकरण करेंगे।**

122 Smart Cities And Academia Towards Action & Research (SAAR) Program

* **म्युनिसिपल प्रदर्शन सूचकांक (MPI):** यह शहरी शासन की गुणवत्ता का विवरण प्रस्तुत करता है। (नगर निगमों का प्रदर्शन)।
* **ईज़ ऑफ लिविंग सूचकांक (EoLI):** आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रकाशित यह सूचकांक शहरी नीतियों, योजनाओं और क्रियान्वयन पहलों में अंतर को दर्शाता है।
    * संधारणीय शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिए, यह राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करता है।

9.1.2. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (National Urban Digital Mission: NUDM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ मिलकर **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** ने शहरी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM)** आरंभ किया है। यह मिशन लगभग 2,535 शहरों को आपस में जोड़ेगा।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के बारे में

* राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) का लक्ष्य शहरों और कस्बों को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिए **लोगों, प्रक्रिया एवं प्लेटफॉर्म जैसे तीन स्तंभों पर कार्य करते हुए शहरी भारत के लिए साझा डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना है।**
* यह वर्ष 2022 तक भारत के चुनिंदा शहरों में एवं वर्ष 2024 तक सभी शहरों तथा कस्बों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए **नागरिक-केंद्रित व पारितंत्र-चालित दृष्टिकोण** को संस्थागत रूप प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के उद्देश्य:

* NUDM का लाभ उठाकर नए प्लेटफॉर्मों, समाधानों और नवाचारों का निर्माण करने हेतु **शहरी राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारितंत्र (urban National Open Digital Ecosystem: u-NODE)** को **प्रोत्साहित करना।**
* **मुक्त मानकों** का निर्माण करना तथा सभी राष्ट्रीय डिजिटल शहरी हितधारकों के लिए **मुक्त मानकों के अंगीकरण को लागू करना।**
* शहरी परिसंपत्तियों, सेवा वितरण, शहरी डेटा और अभिकर्ताओं के संबंध में तथ्य का एकल स्रोत सृजित करने के लिए **उचित स्तर पर रजिस्ट्रियां स्थापित करना।**
* शहरी क्षेत्र के लिए सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलन योग्य अनुप्रयोग प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना।
* इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ कार्य करते हुए **सहकारी संघवाद के सर्वोत्तम सिद्धांतों का अंगीकरण करना।**
* सभी स्तरों पर **शासन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के** लिए व्यवस्था प्रदान करना।

संबंधित तथ्य

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (National Institute of Urban Affairs: NIUA) के ज्ञान उत्पाद

- NIUA, **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय(MoHUA) की एक स्वायत्त इकाई** है। इसका उद्देश्य शहरीकरण से संबंधित मामलों पर अनुसंधान और क्रियान्वयन के बीच के अंतर को समाप्त करना है।
- **नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहर में निवेश[123] कार्यक्रम:** इसे वर्ष 2018 में फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपीय संघ की भागीदारी में आरंभ किया गया था। शहरी बुनियादी ढांचे में संधारणीयता और नवाचार के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए इसमें प्रदर्शनकारी परियोजनाओं को विकसित करने का एक नया दृष्टिकोण शामिल है।
- **शहरी सांख्यिकी/आंकड़ों की हस्तपुस्तिका:** यह अपनी तरह का पहला दस्तावेज है। इसमें भारतीय शहरों में रहने वाले **दिव्यांगजनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।** इसके अंतर्गत दिव्यांगता की प्रकृति और कारण, दिव्यांगजनों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनके लिए विभिन्न भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना की सुलभता आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं।
- **शहरों की अंतर्दृष्टि रिपोर्ट:** इसके अंतर्गत वंचित वर्ग, दिव्यांगजन, वृद्धजन, बच्चे और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय शहरों में शहरीकरण के रुझान का अन्वेषण किया जाता है। इस पहल को नई दिल्ली स्थित NIUA के **'सुलभ सुरक्षित समावेशी भारतीय शहरों का विकास'[124]** कार्यक्रम के तहत संचालित किया गया है।

9.1.3 शहरी/ग्रामीण अवसंरचना की अन्य पहलें (Other Initiatives Urban/Rural Infrastructure)

इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX)	• इसे **स्मार्ट सिटीज मिशन** और **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु** के मध्य साझेदारी के माध्यम से विकसित किया गया है, ताकि शहरों के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर **डेटा सिलोस (Silos) की समस्या का समाधान किया जा सके।** ○ यह एक **ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म है,** जो विभिन्न डेटा प्लेटफ़ॉर्म के मध्य डेटा के सुरक्षित, प्रमाणित और प्रबंधित विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। ○ यह शहरों, शहरी प्रशासन और शहरी सेवा वितरण से संबंधित डेटा समुच्चय साझा करने, अनुरोध करने एवं एक्सेस करने संबंधी शहरी स्थानीय निकायों[125] सहित **डेटा प्रदाताओं और डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध इंटरफ़ेस** के रूप में कार्य करता है।
स्मार्टकोड प्लेटफॉर्म	इसकी शुरुआत, शहरी शासन के लिए विभिन्न समाधानों और एप्लीकेशन हेतु ओपन सोर्स कोड की रिपॉजिटरी में योगदान देने तथा सभी पारिस्थितिकी हितधारकों को समर्थ करने हेतु की गई थी। • यह शहरी चुनौतियों के समाधान के लिए **डिजिटल एप्लिकेशन्स के विकास और उनके परिनियोजन में ULBs द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान** करता है। ऐसा, शुरुआत से नए समाधानों का विकास करने की जगह, मौजूदा कोड्स का लाभ उठाकर और उन्हें स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप ढालकर किया जा सकता है।
स्मार्ट सिटीज मिशन 2.0	• **स्मार्ट सिटीज मिशन 2.0 वेबसाइट को सभी स्मार्ट सिटी पहलों के लिए एकल बिन्दु के** रूप में नए सिरे से डिजाइन किया गया है। इस वेबसाइट को अत्यधिक प्रभावी संचार और व्यापक पहुँच बनाने वाले साधन के रूप में उपयोग करने हेतु विकसित किया गया है। ○ इस वेबसाइट के साथ **भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (GMIS)** को एकीकृत किया गया है। यह वेबसाइट **स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए सिंगल विंडो हब की सुविधा** प्रदान करती है।
प्रदर्शनी केंद्रों और सभागारों को 'अवसंरचना' का दर्जा प्रदान किया गया (Infrastructure Status for Exhibition and Convention Centres)	• इसके तहत **'अवसंरचना'** संबंधी परियोजनाओं के रूप में उपलब्ध लाभ केवल उन परियोजनाओं को प्राप्त होंगे, जिनका **विशिष्ट प्रदर्शनी स्थल या सभागार (Convention Space) या संयुक्त रूप से दोनों का न्यूनतम निर्मित तल-क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग मीटर का होगा।** • **'अवसंरचना' के दर्जे का महत्त्व:** ○ यह दर्जा उद्योगों को बाह्य वाणिज्यिक उधारी[126] मार्ग के माध्यम से कम ब्याज दर वाले विदेशी मुद्रा वित्त-पोषण तक पहुँच प्रदान करता है। ○ ऐसे क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी दरों पर और दीर्घावधि के आधार पर अधिक ऋण प्राप्त होता है।

[123] City Investments to Innovate, Integrate and Sustain: CITIIS

[124] Building Accessible Safe Inclusive Indian Cities: BASIIC

[125] Urban Local Bodies: ULBs

[126] External Commercial Borrowing

स्वामी कोष (SWAMIH Fund)	• हाल ही में, **भारत सरकार के किफायती एवं मध्यम आय वाले आवास (Special Window for Affordable and Mid Income Housing: SWAMIH) कोष के लिए विशेष विंडो ने रिवली पार्क (मुंबई, महाराष्ट्र) में अपनी प्रथम आवासीय परियोजना पूरी की है।** • **स्वामी (SWAMIH) के बारे में:** ○ भारत सरकार द्वारा नवंबर 2019 में अवरुद्ध आवास परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए इस कोष की स्थापना की गई थी। यह एक वैकल्पिक निवेश कोष[127] है, जो अवरुद्ध आवास परियोजनाओं को पूर्ण करने , ब्राउनफील्ड, स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण[128] के अंतर्गत पंजीकृत आवासीय विकास योजनाओं (जो किफायती आवास/ मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में शामिल हैं) के लिए प्राथमिकता ऋण आधारित वित्तपोषण प्रदान करता है। ○ यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष- II है।
वैकल्पिक निवेश कोष (AIF)	**वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के बारे में** • **AIF** का आशय भारत में स्थापित या निगमित किसी भी कोष से है, जो निजी रूप से संचित एक निवेश साधन है। यह निवेशकों से धन एकत्र करता है (चाहे वे भारतीय हों या विदेशी) तथा अपने निवेशकों के लाभ के लिए परिभाषित निवेश नीति के अनुसार इस धन का निवेश करता है। **AIF की विभिन्न श्रेणियाँ हैं:** • **AIF I:** AIF स्टार्ट-अप या प्रारंभिक चरण के उद्यमों या सामाजिक उद्यमों या लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) या अवसंरचना या अन्य खंडों या ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं, जो सरकार या विनियामक निकायों की दृष्टि में सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनीय हैं। • **AIF II:** इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फंड जैसे रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड (PE Fund), संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए फंड आदि शामिल हैं। • **AIF III:** इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फंड, जैसे- हेज फंड, निजी निवेश सार्वजनिक इक्विटी (PIPE) फंड आदि शामिल हैं।

9.2. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने **'फ्रेट स्मार्ट सिटीज'** के लिए योजनाओं का अनावरण किया है।

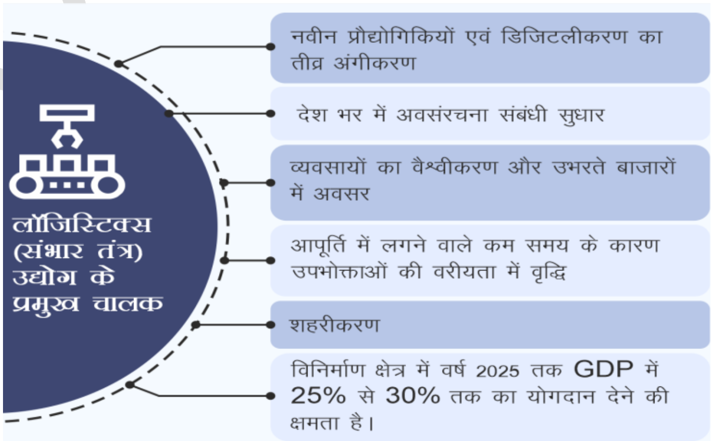

अन्य संबंधित तथ्य

- आरंभ में फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में **10 शहरों को विकसित किया जाएगा।** इसके अतिरिक्त, सरकार, निजी हितधारकों जैसे कि लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, उपयोगकर्ताओं और नागरिकों को सम्मिलित करते हुए **एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा।**
- **शहरी माल ढुलाई प्रणाली में सुधार करने के लिए,** उपायों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यथा- वाहन उपयोग को ईष्टतम करना, अवसंरचना का विकास, मांग और भूमि उपयोग योजना और प्रौद्योगिकी अंगीकरण।

भारत में लॉजिस्टिक्स उद्योग

- सामान्य रूप से परिभाषित करें तो, लॉजिस्टिक्स में **विनिर्माण प्रक्रिया के पूर्ण होने से आरंभ होकर उपभोग के लिए वितरण करने तक** व्यापार, परिवहन और वाणिज्य के सभी पहलू सम्मिलित होते हैं।

---

127 Alternative Investment Fund: AIF

128 Real Estate Regulatory Authority: RERA

© Vision IAS

- वर्तमान में, **परिवहन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक गतिविधि माना जाता है,** जो लॉजिस्टिक्स लागत का लगभग 50-60% है। इसके बाद भंडारण (माल को गोदामों में रखना) का स्थान आता है। (इन्फोग्राफिक देखें)

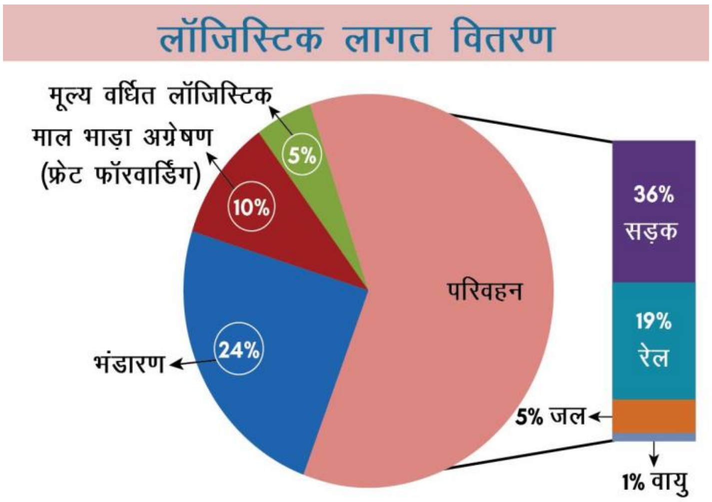

- भारत में **लॉजिस्टिक्स** उद्योग का आकार 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।
- यह **22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है** और इस क्षेत्रक में सुधार से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स लागत में 10% की कमी आएगी जिससे **निर्यात में 5 से 8% की वृद्धि होगी।**

उठाये गए कदम

- **लॉजिस्टिक क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना:** यह निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर और दीर्घावधि के आधार पर **ऋण प्रदान** करने में सहायता करता है, जिससे **लॉजिस्टिक संबंधी लागतें कम होती हैं।**
- **करारोपण सुधार जैसे GST** और वाणिज्य विभाग में **लॉजिस्टिक्स प्रभाग** का निर्माण
- **लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के लिए एकीकृत दृष्टिकोण:** इस दिशा में महत्वपूर्ण पहलों में **भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 35 मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs)** का नियोजित विकास, **सागरमाला परियोजना** के अंतर्गत अनेक बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाएं, अंतर्देशीय टर्मिनलों के साथ राष्ट्रीय जलमार्गों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना और देश के प्रमुख क्लस्टरों में विभिन्न **औद्योगिक और समर्पित माल-ढुलाई गलियारे** की योजना निर्मित की जा रही है।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार:** इन पुरस्कारों का उद्देश्य **शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं की पहलों और उपलब्धियों को उजागर करके** लॉजिस्टिक्स में **सर्वोत्तम प्रथाओं को लोकप्रिय बनाकर** भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्रक के **सुनियोजित रूपांतरण** को प्रोत्साहित करना है।
- **प्रस्तावित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक विधि: इसके तहत,** वर्तमान में हितधारकों के साथ परामर्श कर **"एक राष्ट्र-एक बाजार" एजेंडा** का समर्थन करने वाले **"एक राष्ट्र-एक अनुबंध" के प्रतिमान** (सभी माध्यमों के लदान हेतु एकल बिल) के लिए एकीकृत विधिक रूपरेखा के माध्यम से एक कुशल विनियामक परिवेश प्रदान किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का प्रारूप:** इसका उद्देश्य देश भर में **माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना** है और यह अंतिम चरण में है।

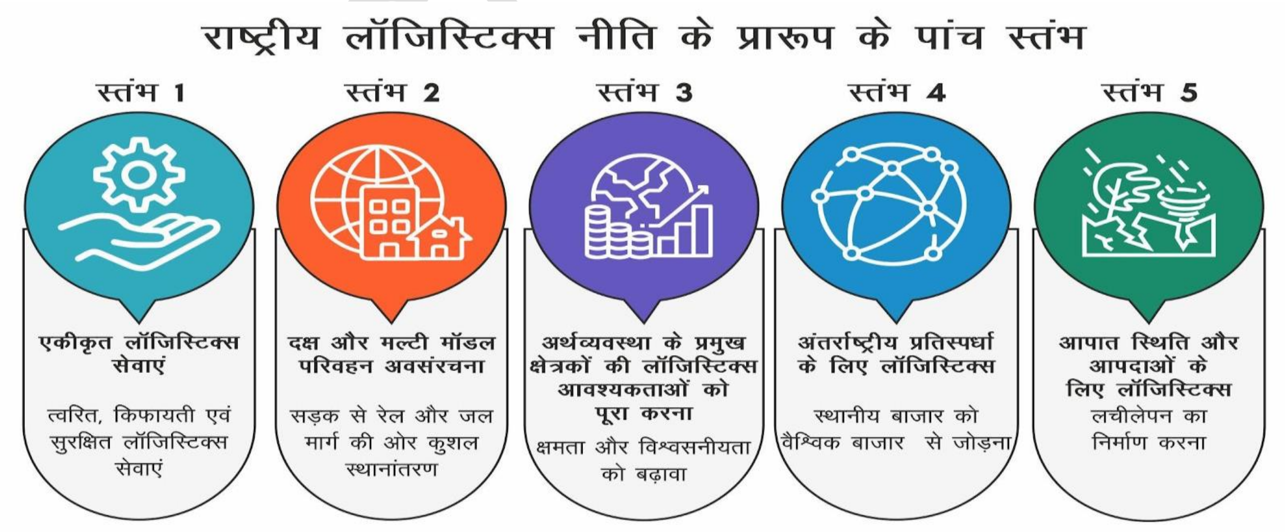

9.2.1. गति शक्ति (Gati Shakti)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए **100 ट्रिलियन रुपये** की **गति शक्ति** या **राष्ट्रीय मास्टर प्लान** का शुभारंभ किया ताकि **भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।**

"गति शक्ति" के बारे में

- यह वास्तव में **अवसंरचना संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना बनाने और उनके समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों** (रेलवे और सड़क मार्ग सहित) **को एक साथ लाने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म** है।
- एक एकीकृत मल्टीमॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) एकीकृत रूप से योजना बनाने और प्रस्तावों के एकीकरण के लिए जिम्मेदार होगा।
- इस संपूर्ण प्लेटफॉर्म को **भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइंफॉर्मेटिक्स (BISAG)** द्वारा विकसित किया गया है।

भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइंफॉर्मेटिक्स (BISAG) के बारे में

- यह **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अंतर्गत गांधीनगर स्थित एक स्वायत्तशासी वैज्ञानिक सोसायटी है।
- यह उपग्रह संचार, भू-सूचना विज्ञान और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में प्रोजेक्ट या परियोजनाएं चलाता है।

गति शक्ति भारत में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाने में कैसे मदद करेगा?

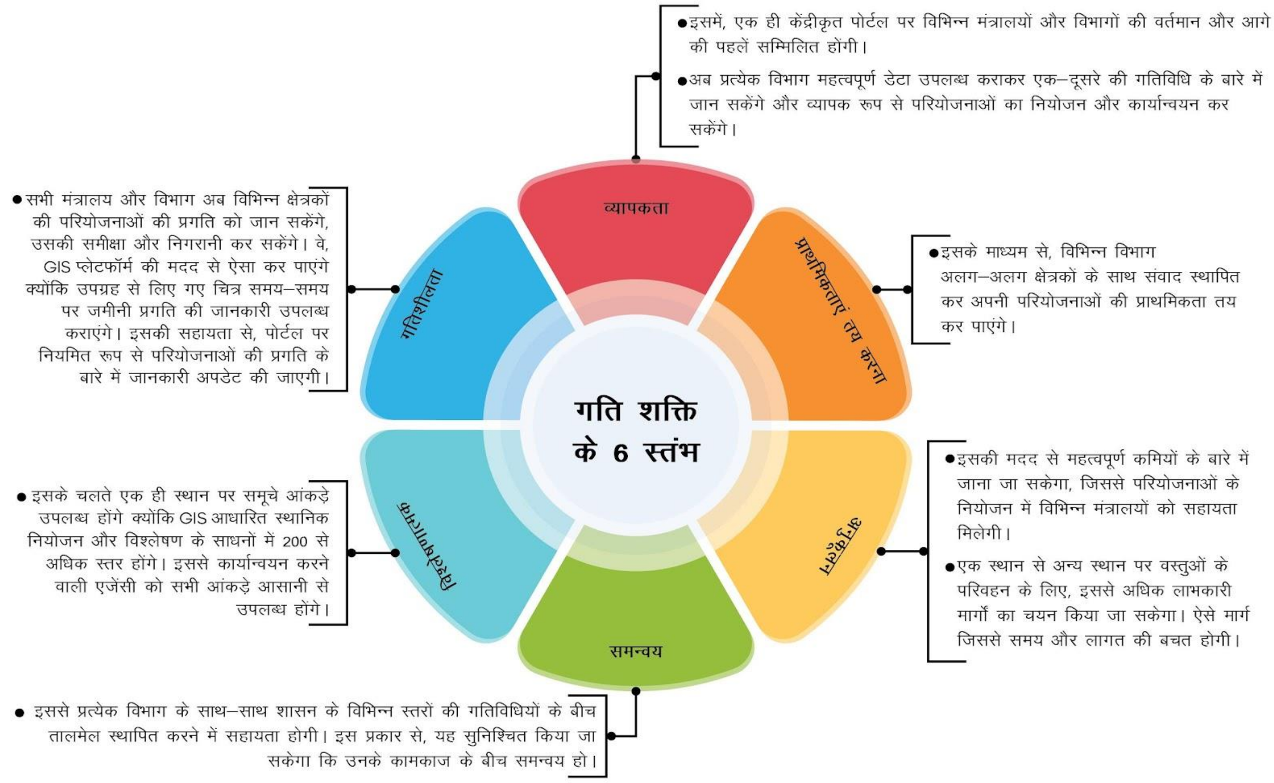

		गति शक्ति से मिली सहायता
खोखली संरचना	• परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच **समन्वय का अभाव**	• मास्टर प्लान से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच **सामान्य लक्ष्य के साथ परियोजनाओं को तैयार और कार्यान्वित किया जाए।** इससे, उनके बीच समन्वय में सुधार आएगा।
समय और लागत का अधिक होना	• विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना योजनाओं जैसे कि **भारतमाला, सागरमाला** आदि का कार्य कई प्रकार की समस्याओं के कारण बहुत **धीमी गति से पूरा हो पाता है। ये समस्याएं इस प्रकार हैं, मंजूरी की प्रक्रिया में अधिक समय लगना, कई प्रकार की नियामक मंजूरी की आवश्यकता आदि।**	• ऐसी आशा है कि **वास्तविक समय में निगरानी और समन्वय की व्यवस्था वाले तकनीकी प्लैटफॉर्म** के साथ इस योजना से इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए समय पर मंजूरी को प्राथमिकता दी जा सकेगी।
सामान्य लक्ष्य का अभाव	• पृथक परियोजनाओं में स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य का अभाव होता है। इससे संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है।	• परियोजनाओं को विभिन्न मंत्रालयों के बीच **एक सामान्य लक्ष्य के साथ तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा।**
व्यर्थ व्यय	• दीर्घकालीन और समग्र नियोजन के अभाव के साथ–साथ विभिन्न विभागों के बीच सही संवाद नहीं होने के कारण न सिर्फ अत्यधिक असुविधा होती है, बल्कि व्यय भी व्यर्थ चला जाता है। o उदाहरण के लिए, किसी सड़क का निर्माण हो जाता है। परंतु, थोड़े समय बाद ही कोई अन्य एजेंसी भूमिगत केबल, गैस पाइपलाइन आदि बिछाने जैसी गतिविधि के लिए निर्मित सड़क की फिर से खुदाई कर देती है।	• इस पहल के अंतर्गत **प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं हेतु हितधारकों के लिए समग्र नियोजन को संस्थागत रूप दिया गया है।** इससे इन समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलेगी।

9.2.2 लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के लिए अन्य पहलें (Other initiatives for the Logistics Sector)

9.2.2.1. "विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सहजता" (लीड्स) रिपोर्ट, 2021 {LEADS (Logistics Ease Across Different States) 2021 Report}

- **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** ने तीसरी लीड्स रिपोर्ट, 2021 जारी की है।
- **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके लॉजिस्टिक्स परितंत्र की दक्षता के आधार पर रैंकिंग** प्रदान करने के उद्देश्य से लीड्स इंडेक्स वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य राज्यों में **लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार** पर ध्यान केंद्रित करना है। यह देश के **व्यापार में सुधार करने और लेनदेन की लागत को कम** करने के लिए आवश्यक है।
- "LEADS 2019" के समान, 2021 संस्करण में भी **अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार दोनों** पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि वर्ष 2020 में कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी।
    - वर्ष 2018 और 2019 के लीड्स संस्करण **धारणा-आधारित अनुक्रिया** पर केन्द्रित थे, वर्ष 2021 की रिपोर्ट में पहली बार **सभी 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए** सूचकांक निर्माण में **वस्तुनिष्ठ मापदंडों** को पेश किया गया है।
- **वर्ष 2021 का सूचकांक इक्कीस संकेतकों पर आधारित** है, जिसमें सत्रह धारणा संकेतक (Perception indicators) और चार वस्तुनिष्ठ संकेतक शामिल हैं।
- धारणा संकेतक को मुख्यतः **तीन आयामों** को सम्मिलित करते हुए विकसित किया गया है:
    - **अवसंरचना-** सड़क, रेल, युनिमॉडल, मल्टी-मॉडल व वेयरहाउसिंग।
    - **सेवाएं-** गुणवत्ता, समयबद्धता, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता क्षमता, सुरक्षा एवं संरक्षा आदि।
    - **विनियामक-** सरलीकरण, अनुमोदन प्राप्त करने में आसानी, विनियामक सेवा दक्षता आदि।

9.2.2.2. वाणिज्य मंत्रालय ने 'फ्रेट स्मार्ट सिटी' की योजना प्रस्तुत की है (Commerce Ministry unveils plans for 'Freight Smart Cities')

- फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल से **शहरी माल ढुलाई की दक्षता में सुधार** करने और **लॉजिस्टिक लागत में कमी करने** का अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
    - **राज्य सरकारें** फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले **दस शहरों की पहचान** करेंगी। आगे **75 शहरों** को शामिल करने के लिए **सूची का और विस्तार** किया जाएगा।
    - सरकारी विभाग और निजी क्षेत्र को मिलाकर **शहर स्तरीय लॉजिस्टिक्स समिति** का गठन किया जाएगा।
    - ये समितियां **स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन सुधारने के उपायों** को लागू करने के लिए मिलजुल कर शहर की लॉजिस्टिक्स योजनाओं को तैयार करेंगी।
    - पेरी-अर्बन फ्रेट सेंटर विकसित करने, ट्रक रूट विकसित करने, इंटेलीजेंट परिवहन प्रणाली और आधुनिक तकनीकों का उपयोग, शहरी माल ढुलाई में विद्युतीकरण को बढ़ावा देने, पार्सल डिलीवरी टर्मिनल आदि जैसे शीघ्रता से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
    - वाणिज्य मंत्रालय ने **फ्रेट स्मार्ट शहरों के विकास** के लिए **भारत-जर्मन विकास सहयोग** के तहत **जी.आई.जेड. (जर्मनी), रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI)** और **RMI इंडिया** के साथ सहयोग किया है।

9.2.3 अवसंरचना वित्तपोषण मॉडल (Infrastructure Financing Models)

विशेष प्रयोजन वाहन मॉडल {Special purpose vehicle (SPV) model}	• **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)** के विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) मॉडल द्वारा कुछ परियोजनाओं के लिए बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मोड को प्रतिस्थापित किया जाएगा। • SPV एक **विधिक इकाई** है। इसे एक **सुपरिभाषित, एकल और लघु उद्देश्य के लिए** निर्मित/विकसित किया जाता है। A. इन्हें आम तौर पर किसी कंपनी की संपत्ति या गतिविधियों को पृथक करने के लिए सृजित किया जाता है। B. गतिविधियों या परिसंपत्तियों को एक नई इकाई अर्थात SPV में समाविष्ट कर दिया जाता है। इससे निवेशकों या ऋणदाताओं को सुविधा प्राप्त हो जाती है। • **महत्व:** यह जोखिम को पृथक करने और पूंजी को मुक्त करने का एक साधन है।

टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) मॉडल	• TOT मॉडल में, सार्वजनिक वित्त पोषण के माध्यम से निर्मित परियोजनाओं के लिए शुल्क के संग्रह और विनियोग का अधिकार NHAI को अग्रिम भुगतान के निमित्त रियायतग्राहियों (डेवलपर्स/निवेशकों) को पूर्व-निर्धारित रियायत अवधि के लिए सौंपा जाएगा। • **संचालन और रख-रखाव (O&M) दायित्व** रियायत अवधि के पूर्ण होने तक रियायतग्राहियों पर होता है।
निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (BOT)	• BOT के तहत, एक निजी संस्था सड़क के **निर्माण, डिजाइन और संचालन तथा इसे वापस सरकार को हस्तांतरित** करने के लिए उत्तरदायी होती है। • हाल ही में, NHAI ने **मॉडल रियायत समझौते (MCA)** को संशोधित किया है। इसके तहत रियायत अवधि के दौरान प्रत्येक पांच वर्ष में एक **परियोजना की राजस्व क्षमता का पुनर्मूल्यांकन** किया जाएगा, जबकि वर्तमान में यह प्रत्येक 10 वर्ष में संपादित किया जाता है।
अभियांत्रिकी, खरीद व निर्माण (EPC) मॉडल	• इंजीनियरिंग और निर्माण ठेकेदार द्वारा **परियोजना की विस्तृत अभियांत्रिकी डिजाइन** का कार्य किया जाएगा। उसके पश्चात **सभी आवश्यक उपकरण और सामग्री की खरीद** की जाएगी तथा तत्पश्चात अपने ग्राहकों को एक **कार्यशील सुविधा या संपत्ति प्रदान करने के लिए उसका निर्माण** किया जाएगा।
हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM)	• परियोजना लागत का **40% निर्माण अवधि के दौरान निर्माण सहायता के रूप में सरकार द्वारा प्रदान किया जाता** है। शेष 60 प्रतिशत वार्षिकी भुगतान के रूप में परिचालन अवधि के दौरान **छूटग्राही को ब्याज के साथ प्रदान** किया जाता है। • यह **EPC और BOT मॉडल का एक मिश्रण** है। • **टोल शुल्क वसूली का उत्तरदायित्व सरकार का** होता है।
बिल्ड-लीज-ट्रांसफर (BLT)	• इसमें एक **सुविधा का निर्माण** करना, इसे **सरकार को पट्टे पर देना** और **निवेश की वसूली के उपरांत उसे हस्तांतरित करना** शामिल है।
लीज-डेवलप-ऑपरेट-ट्रांसफर (LDOT)	• यहां, रियायत अवधि के लिए संपत्ति को **संचालित करने और अनुरक्षित रखने** हेतु विशिष्ट शर्तों के तहत **उसे निजी क्षेत्र को पट्टे** पर दिया जाता है। इसके उपरांत **संपत्ति को प्राधिकरण को हस्तांतरित** कर दिया जाता है।

9.3. रेलवे (Railways)

9.3.1. भारतीय रेलवे के वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट {Comptroller and Auditor General (CAG) Report on Indian Railways}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय रेलवे के वित्त** पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि आमदनी, व्यय, भंडार और परिचालन दक्षता के संदर्भ में, रेलवे एक विकट स्थिति का सामना कर रहा है।

वर्तमान रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

* **राजस्व प्राप्तियों में गिरावट:** कुल प्राप्तियों में **वर्ष 2018-19 में 6.47% की वृद्धि** की तुलना में **वर्ष 2019-20 में 8.30% की कमी** आई है।

- **क्रॉस-सब्सिडी:** माल ढुलाई से होने वाले लाभांश का उपयोग, नुकसान (यात्री और अन्य कोच आधारित सेवाओं के संचालन पर) की भरपाई के लिए किया गया था।
- **कोयले पर निर्भरता:** इससे प्राप्त होने वाली आय वर्ष 2019-20 के दौरान **माल ढुलाई से प्राप्त होने वाली कुल आय का लगभग 49%** थी।
- **परिचालन अनुपात (Operating Ratio: OR):** यह अनुपात वर्ष 2018-19 के 97.29% से बढ़कर **वर्ष 2019-20 में 98.36%** हो गया था।
    - **परिचालन अनुपात** यातायात से **अर्जित राजस्व** और **परिचालन व्यय** (रेलवे के दिन-प्रतिदिन के संचालन में होने वाला व्यय) का अनुपात है।
    - इसका **उच्च अनुपात अधिशेष सृजित करने की ख़राब क्षमता को इंगित करता है।** इस अधिशेष का उपयोग पूंजी निवेश के लिए किया जा सकता है।
- **पूँजी उत्पादन अनुपात (Capital Output Ratio: COR): वर्ष 2019-20 में COR में वृद्धि** हुई। इससे पता चलता है कि लगाई गई पूंजी (capital employed) की तुलना में भारतीय रेलवे के प्रदर्शन में कमी आई है।
    - COR से उत्पादन की एक इकाई उत्पन्न करने हेतु लगाई गई पूंजी की मात्रा का पता चलता है।
- **आंतरिक संसाधनों में गिरावट: पूंजीगत परियोजनाओं के लिए आंतरिक संसाधनों** के योगदान में **गिरावट** आई। इसके परिणामस्वरूप सकल बजटीय सहायता[129] और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों[130] पर निर्भरता में वृद्धि हुई।
    - भारतीय रेलवे के **राजस्व के तीन प्राथमिक** स्रोत हैं:
        - ✓ GBS में हर साल केंद्र सरकार के बजट आवंटन से मिलने वाली राशि शामिल होती है।
        - ✓ इसके अपने **आंतरिक संसाधन** (माल और यात्री राजस्व, रेलवे भूमि को पट्टे पर देना आदि)।
        - ✓ EBR में ऋण व साझेदारी के माध्यम से आमदनी और संस्थागत वित्तपोषण शामिल हैं।
- **कर्मचारियों की उत्पादकता:** वर्ष 2019-20 में कर्मचारियों की उत्पादकता में गिरावट का कारण माल ढुलाई तथा यात्रियों की संख्या में कमी होना था।

9.3.2. रेलवे सुरक्षा (Railway Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पश्चिम बंगाल में हुई एक रेलवे दुर्घटना में कम-से-कम 9 लोगों की मृत्यु हो गयी। इसके बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने दुर्घटना से संबंधित सभी पहलुओं की पहचान करने हेतु गहन जांच के आदेश दिए हैं।

रेलवे सुरक्षा आयोग (Commission of Railway Safety)

- यह **रेलवे अधिनियम, 1989** के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है (मुख्यालय- **लखनऊ**)।
- यह गम्भीर रेल दुर्घटनाओं की जाँच सहित रेल यात्रा और ट्रेन संचालन की सुरक्षा से जुड़े मामलों से संबद्ध है।
- इस आयोग की **मूल एजेंसी नागर विमानन मंत्रालय** है।

भारतीय रेलवे में सुरक्षा संबंधी मुद्दे

इतने लम्बे नेटवर्क पर तेज, सुरक्षित गतिशीलता एक प्रमुख चिंता का विषय है। इस संदर्भ में भारतीय रेलवे द्वारा कई समितियां गठित की गईं और कुछ कदम उठाए गए।

इसमें **सुरक्षा पर समर्पित समितियां** और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें करने वाली अन्य समितियां सम्मिलित हैं, जैसे कि:

- **रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति** (खन्ना समिति) वर्ष 1998 में,
- **उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति** (काकोडकर समिति) वर्ष 2012 में,
- **भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए विशेषज्ञ समूह** (पित्रोदा समिति) वर्ष 2012 में,
- **प्रमुख रेलवे परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिए समिति** (देबरॉय समिति) वर्ष 2015 में।

वर्तमान में, रेलवे में सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा/अनुमोदन, नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र संस्थान, **रेलवे सुरक्षा आयोग** द्वारा किया जाता है।

---

[129] Gross Budgetary Support: GBS

[130] Extra Budgetary Resources: EBRs

रेलवे की सुरक्षा स्थिति

- **ट्रेन की टक्कर और पटरी से उतरने की घटनाओं में कमी:** वर्ष 2014-15 और वर्ष 2019-20 के बीच, ऐसी दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या क्रमशः 135 से घटकर 55 और 292 से घटकर 5 हो गई है।
- **यात्री सुरक्षा:** NCRB[131] के अनुसार, वर्ष 2019 की 27,987 दुर्घटनाओं की तुलना में, वर्ष 2020 में 13,018 दुर्घटनाएं हुई। इनमें लगभग 12,000 रेल यात्रियों की मृत्यु हुई।
- **सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा:** विभिन्न रेलवे क्रॉसिंग पर 1,014 दुर्घटनाओं में 1,185 लोगों की मृत्यु हुई।
- **मानव तस्करी से बचाव:** वर्ष 2017-21 के दौरान 2,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाया गया।
    - भारतीय रेलवे ने मानव तस्करी (अक्सर भारतीय रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने वाले तस्करों) को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान **'ऑपरेशन आहट (AAHT)'** शुरू किया है।

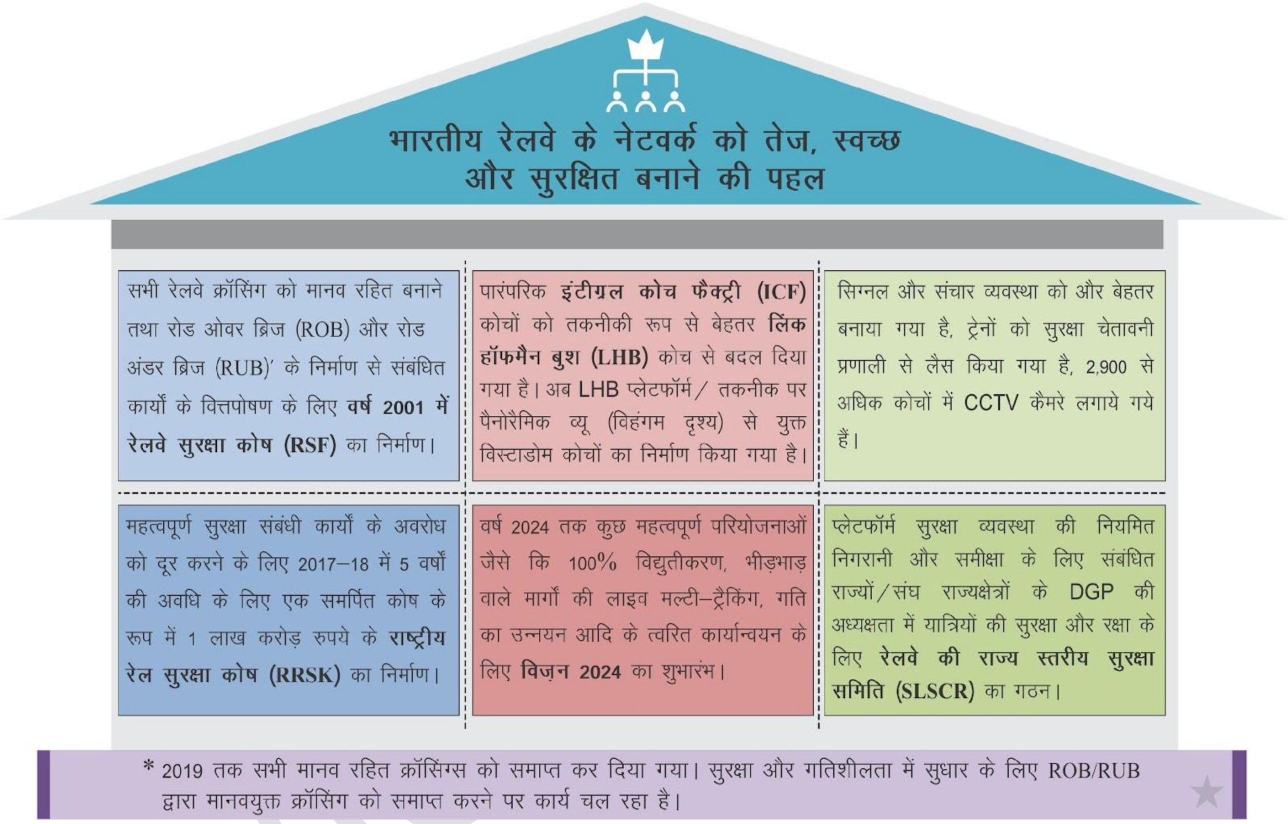

भारतीय रेलवे में किए गए अन्य सुधार

- **राष्ट्रीय रेल योजना (NRP):** NRP के आधार पर, वर्ष 2024 तक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक **विजन 2024 दस्तावेज** तैयार किया गया है ताकि **माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक हो सके** और **वर्ष 2030 तक** यातायात आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
    - **योजनाबद्ध परियोजनाओं में शामिल हैं: 14000 कि. मी. मार्ग की मल्टी ट्रैकिंग , समस्त रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण,** महत्वपूर्ण मार्गों की गति क्षमता को 130 कि. मी. प्रति घंटा तथा 160 कि.मी. प्रति घंटा तक बढ़ाना (वर्तमान गति क्षमता- 110 कि.मी. प्रति घंटा), महत्वपूर्ण **कोयला कनेक्टिविटी और पोर्ट कनेक्टिविटी को** पूर्ण करवाना।
- प्राथमिक निधि आवंटन तथा **ई-वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत, ई-श्रमिक कल्याण पोर्टल, तथा एक एकीकृत केंद्रीय भुगतान प्रणाली** (भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से) के माध्यम से **बेहतर परियोजना कार्यान्वयन और संगठनात्मक कुशलता।**
- **रेलवे के विद्युतीकरण को तेज़ करना और मिशन ग्रीनिंग: नवंबर 2020 तक 66% ट्रैक लंबाई का विद्युतीकरण** किया गया है। रेलवे का उद्देश्य 2023 तक अपने समस्त ब्राड -गैज (चौड़ी लाइन) नेटवर्क का विद्युतीकरण करना है।
    - एक बार यह कार्य पूरा हो जाने पर,भारतीय रेलवे, दुनिया के प्रमुख रेलवे के बीच एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लेगा। आयात किए गए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हुए बिना, यह रेलवे गाड़ियों को पूर्ण रूप से देश में ही उत्पादित बिजली से चलाने में सक्षम हो जाएगा।

[131] National Crime Records Bureau

© Vision IAS

- 100% विद्युतीकरण के बाद, भारतीय रेलवे के लिए तेल/ऊर्जा बिल में अनुमानतः करीब 14,500 करोड़ रुपए की बचत होगी।
- भारतीय रेलवे ने स्वयं के लिए वर्ष 2030 तक कार्बन का **शुद्ध-शून्य उत्सर्जक** बनने का कठोर लक्ष्य निर्धारित किया है।

- **हाई स्पीड रेल:** वर्तमान में, **मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना**, देश में अनुमोदित हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में इकलौती है। यह **जापान की सरकार द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहयोग** से क्रियान्वित है।
- इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए नैशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) नामक एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV) का गठन किया गया है।
- **रेल विकास प्राधिकरण (Rail Development Authority: RDA):** केंद्र सरकार ने **यात्री और माल ढुलाई किराये की सिफारिश करने तथा सेवा स्तर के मानक निर्धारित करने के लिए** एक स्वतंत्र नियामक RDA की स्थापना को मंजूरी दी है।
- **समर्पित माल ढुलाई गलियारे (Dedicated Freight Corridors: DFCs):** माल की ढुलाई में तेजी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने तथा आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बेहतर करने हेतु।
- **भारत गौरव ट्रेन योजना:** देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों का दर्शन कराने के लिए।

9.4. नागरिक उड्डयन क्षेत्रक (Civil Aviation Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नागर विमानन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए 100 दिवसीय विकास योजना की घोषणा की है।

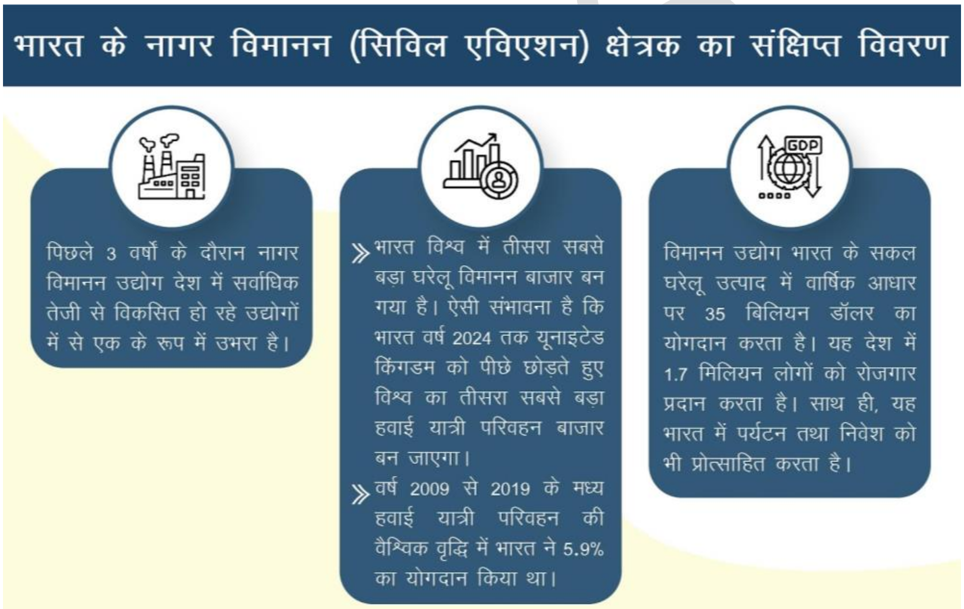

अन्य संबंधित तथ्य

- नागरिक उड्डयन/विमानन क्षेत्रक पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप उड़ानों का संचालन बाधित हुआ है और यात्रियों एवं माल ढुलाई की मात्रा में अत्यधिक गिरावट आई है। हालांकि, यह क्षेत्रक सुधार की दिशा में प्रगतिशील है।
- 100 दिनों की इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्रक को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके तहत तीन प्रमुख क्षेत्रों, यथा- अवसंरचना, नीतिगत लक्ष्य और सुधार संबंधी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
    - इसके तहत अगले 100 दिनों में **चार नए हवाई अड्डों का निर्माण किया** जाएगा। इसमें **अगरतला, कुशीनगर, जेवर (ग्रेटर नोएडा) हवाई अड्डा** और **देहरादून में दूसरा टर्मिनल बिल्डिंग** का निर्माण इत्यादि शामिल हैं।
    - साथ ही, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी **छह हेलीपोर्ट** और उड़ान (UDAN) योजना के तहत **50 नए उड़ान मार्गों** को शामिल किया जाएगा।
    - **रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार सेवाओं के लिए भी नई नीति** की घोषणा की गई है।

रखरखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) सेवाओं के बारे में

- विमानन क्षेत्रक में MRO सेवा का आशय विमान या विमान के कलपुर्जों की मरम्मत, सेवा तथा जांच या निरीक्षण से है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होता है जिससे सभी विमानों की सुरक्षा और उनकी सफल उड़ान को सुनिश्चित किया जाता है।
- MRO बाजार विमानन क्षेत्रक से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एयरफ्रेम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEMs) द्वारा मुख्य रूप से विमान के विकास और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है न कि विमानों के लिए आवश्यक कलपुर्जे और अन्य घटकों पर।

- इस क्षेत्र के लिए योग्य प्रतिभा के साथ श्रम के संबंध में लाभप्रद स्थिति और एयरलाइन के बेड़े में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद भी भारतीय MROs **सेवाएं अभी भी अलाभकारी बनी हुई हैं। भारत के 90% MRO संबंधी कार्यों को देश के बाहर किया जाता है, जिनसे अंततः परिचालन लागत में वृद्धि होती है।**
- **नई नीति में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया गया है:**
  - खुली बोली (निविदाओं) के माध्यम से भूमि को पट्टे पर देना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा वसूली जाने वाले रॉयल्टी को समाप्त करना।
  - खुली निविदाओं के माध्यम से MRO सुविधाएं स्थापित करने वाली संस्थाओं के लिए 3 से 5 वर्ष की मौजूदा अल्पावधि की जगह 30 वर्षों के लिए भूमि आवंटित करना।
  - MRO गतिविधियों के संबंध में सैन्य और नागरिक सेवाओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए वार्ता करना।
- **मंत्रालय ने MRO सुविधाओं की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु आठ हवाई अड्डों की पहचान की है, ताकि** MRO गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इन हवाई अड्डों में बेगमपेट, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, जुहू, कोलकाता और तिरुपति शामिल हैं।

संबंधित तथ्य

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 246** के साथ पढ़े जाने पर **सातवीं अनुसूची की सूची 1 (संघ सूची) की प्रविष्टि 29**, संसद को विमान पत्तनों; वायुयानों और विमान चालन; विमानक्षेत्रों की व्यवस्था; विमान यातायात तथा विमानक्षेत्रों के विनियमन के विषय में कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करती है।

इस क्षेत्रक में विनियामक

विनियामक	कार्य
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण **(AAI)**	यह विमानपत्तनों (एयरपोर्ट्स) के निर्माण तथा प्रबंधन को विनियमित करता है।
नागर विमानन महानिदेशालय **(DGCA)**	यह वायुयानों की सुरक्षा और परिचालन (उड़ान) को विनियमित करता है।
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो **(BCAS)**	यह विमानपत्तनों एवं वायु–मार्गों के लिए सुरक्षा संबंधी मानकों को विनियमित करता है।
विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण **(AERA)**	यह टैरिफ तथा शुल्कों का विनियमन करता है।

विकास नीति की रूपरेखा

सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) नीतिः इसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों के विमानपत्तनों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अपनाया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतिः

- मौजूदा विमानपत्तनों के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। लेकिन 74% से अधिक विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) का अनुमोदन अनिवार्य होता है।
- ग्रीन फील्ड विमानपत्तनों के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
- घरेलू एयरलाइन में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। लेकिन यह विदेशी निवेश किसी विदेशी एयरलाइन कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता है।

इस क्षेत्रक के विकास हेतु उत्तरदायी कारक

- **नीतिगत कारक:** राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 द्वारा FDI मानदंडों में ढील देकर और उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाकर हवाई यात्रा को सुलभ एवं वहनीय बनाया गया है। इसने विमानन क्षेत्रक में अनुकूल माहौल का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों के निम्नलिखित परिणाम हुए हैं:
  - क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के अंतर्गत शामिल 53 हवाई अड्डों में से **22 हवाई अड्डों को वंचित और असेवित क्षेत्रों** में संचालित किया जा रहा है।
  - इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत के औसत घरेलू हवाई किराए में** वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में **70% तक** की गिरावट हुई है।
  - **यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंकिंग** वर्ष 2015 में 52 थी, जो वर्ष 2019 में 34 हो गई।
- **आर्थिक कारक:** भारत के मध्यम वर्ग का बढ़ता आकार, सीमा-पार व्यापार में वृद्धि, विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का विकास, ईंधन की कीमतों में गिरावट और कम लागत वाली विमान सेवाओं की क्षमता में वृद्धि इत्यादि इस क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों में शामिल हैं।

सम्बंधित तथ्य	
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक,	• यह विधेयक **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008** में संशोधन करता है, जिसके तहत **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA)** की स्थापना की गई थी।

2021 {Airport Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill} 2021,	○ AERA भारत के मुख्य विमानपत्तनों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए प्रशुल्क और अन्य शुल्कों को विनियमित करता है। **मुख्य प्रावधान:** • **"प्रमुख विमानपत्तनों/महा विमानपत्तनों"** की परिभाषा का विस्तार किया गया है। ○ सरकार किसी भी विमानपत्तन को अधिसूचना द्वारा **मुख्य विमानपत्तन** के रूप में नामित कर सकती है। • वर्ष 2008 का अधिनियम किसी विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में नामित करता है, जिनकी क्षमता वार्षिक **15 लाख से अधिक यात्रियों की** है। • विमानपत्तनों का समूह निर्मित करना और किसी समूह को एक प्रमुख विमानपत्तन के रूप में घोषित करना। ○ यह **विधेयक लाभकारी विमानपत्तनों को गैर-लाभकारी विमानपत्तनों के साथ समूहित** करने का भी प्रयास करता है, जिसे संभावित बोलीदाताओं के लिए एक पैकेज के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।
ड्रोन संचालन के लिए भारत के वायु क्षेत्र का मानचित्र जारी किया गया	• इसे **नागर विमानन मंत्रालय** द्वारा जारी किया गया है और यह डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ○ ड्रोन वायु क्षेत्र के मानचित्र को **उदारीकृत ड्रोन नियम (Liberalized Drone Rules), 2021** के पूरक के रूप में तैयार किया गया है। • इसमें तीन क्षेत्रों में चिह्नित हवाई क्षेत्रों का अन्योन्यक्रियात्मक मानचित्र शामिल है: ○ **ग्रीन जोन:** इसमें **500 किलोग्राम** तक के कुल वजन वाले ड्रोन के संचालन के लिए **किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।** ○ **रेड जोन:** यह **'नो ड्रोन जोन'** है। इसके भीतर **केंद्र सरकार की अनुमति के उपरांत ही ड्रोन का संचालन** किया जा सकता है। ○ **येलो जोन: यह एक निर्दिष्ट ग्रीन जोन में 400 फीट से ऊपर का वायु क्षेत्र है।** येलो जोन में ड्रोन संचालन के लिए संबंधित **हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होती है।**

9.5. सड़क मार्ग (Roadways)

9.5.1. सड़क सुरक्षा (Road Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय[132] ने राष्ट्रीय **सड़क सुरक्षा बोर्ड** के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के विषय में

- इसमें **एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य** होंगे, जिनकी संख्या तीन से कम और सात से अधिक नहीं होगी। इन्हें **केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त** किया जाएगा।
- **बोर्ड के कार्य:**
  - पहाड़ी क्षेत्र के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानक तैयार करना और यातायात पुलिस, राजमार्ग प्राधिकरणों आदि के क्षमता निर्माण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
  - केंद्र सरकार द्वारा विचारार्थ ट्रॉमा सुविधाओं और पैरा-मेडिकल सुविधाओं की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

132 Ministry of Road Transport and Highways: MoRTH

- तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करना, मददगार व्यक्तियों (Good Samaritans) और अच्छे आचरण को बढ़ावा देना तथा सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए अनुसंधान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू तकनीकी मानकों के बीच निरंतरता को बढ़ावा देना।

सड़क दुर्घटनाओं की समस्या: वैश्विक स्तर पर और भारत में

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (2021) के अनुसार, विश्व स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन 3,000 से अधिक लोग घायल होते हैं।
  - सड़क यातायात के कारण चोटिल (Road Traffic Injuries: RTIs) होना **वैश्विक स्तर पर मौत का आठवां प्रमुख कारण** है।
  - सड़क दुर्घटना का जोखिम उच्च आय वाले देशों की तुलना में **निम्न आय वाले देशों में तीन गुना अधिक** है।
  - प्रतिदिन 400 से अधिक मौतों के साथ, **भारत सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है (WHO, 2018)**।
- MoRTH के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सालाना लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत में सम्पूर्ण विश्व के 1% वाहन हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के कारण विश्व भर में होने वाली कुल मौतों में से 11% मौतें भारत में होती हैं।
  - पिछले एक दशक में, केवल भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 50 लाख से अधिक घायल हुए है।
- वर्ष 2019 में दुर्घटनाओं की कुल संख्या में **मामूली चोटों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी** लगभग 35% थी, इसके बाद लगभग 31% **घातक दुर्घटनाएँ** हुईं, जिसमें 28% गंभीर चोटें थीं।
- वर्ष 2019 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर चोट की आर्थिक लागत वर्ष 2016 के सकल घरेलू उत्पाद के 7.5% के बराबर है। यह सरकार द्वारा बताए गए जी.डी.पी के 3 फीसदी के आंकड़े के दोगुने से भी अधिक है।

सड़क सुरक्षा में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा किये गए उपाय

विज़न जीरो	
• मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक व्यापक **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा रणनीति** तैयार की है जो सड़क सुरक्षा सुधार पर **राष्ट्रीय सहयोग** के लिए रूपरेखा प्रदान करती है और **विज़न जीरो की दिशा में आगे बढ़ने** की अनुमति देती है। ○ इस रणनीति में **शिक्षा, प्रचार और जागरूकता अभियान, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के विषय** शामिल हैं।	
शोध आधारित	
एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (Integrated Road Accident Database: IRAD)	• IRAD राज्यों और केंद्र को निम्नलिखित में सक्षम बनाने की **एक मजबूत प्रणाली** है: ○ सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी को समझने, ○ सड़क दुर्घटनाओं के मूल कारणों का विश्लेषण करने और ○ 'डेटा-आधारित' सड़क सुरक्षा उपायों को विकसित और कार्यान्वित करने में।
सड़क सुरक्षा में अनुसंधान	• **प्राथमिकता वाले क्षेत्रों** की पहचान करके, वित्त पोषण आदि द्वारा **सड़क सुरक्षा अनुसंधान के कार्यक्रमों में बढ़ी हुई गतिविधि को प्रोत्साहित** करता है। • अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों में **उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित करना।
व्यवहारात्मक परिवर्तन	
बेहतर सड़क उपयोग व्यवहार	• "**ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र** (DTC) की स्थापना की योजना" के लिए दिशा-निर्देश • **ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान** (IDTR) और **क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र** (RDTC) की स्थापना
प्रचार और जागरूकता अभियान	• टीवी, फिल्म, रेडियो स्पॉट और प्रिंट मीडिया के माध्यम से **जागरूकता का प्रसार**; • राज्यों में सड़क सुरक्षा **जागरूकता कार्यशालाएँ** आयोजित की गईं; • **गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों** की भागीदारी।
बदलती पारगमन प्रणाली	
इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों, दोनों के) उपाय	• **सड़क के लिए:** ○ दुर्घटना **ब्लैक स्पॉट** की पहचान और सुधार करना तथा **सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा का प्रयोग करना**; ○ यातायात को नियंत्रित करने के उपाय और **दुर्घटना अवरोधों** का निर्माण करना; • **वाहनों के लिए:**

	○ दोपहिया वाहनों में अनिवार्य **'स्वचालित हेडलैम्प ऑन' (AHO);** ○ मंत्रालय द्वारा सभी हल्के मोटर वाहनों के क्रैश टेस्ट को कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया है; ○ अधिसूचित बस बॉडी कोड और ट्रक बॉडी कोड; ○ कारों में स्पीड अलर्ट सिस्टम; ○ **वर्ष 2018** से नए वाहनों में अनिवार्य एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)
इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS) को बढ़ावा देना	• ई-चालान और एम-परिवहन (विभिन्न परिवहन संबंधी सेवाओं का उपयोग करने के लिए); • परिवहन मिशन मोड परियोजना (वाहन पंजीकरण के लिए **'वाहन'** और चालक लाइसेंस के लिए **'सारथी'**); • सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन।
प्रवर्तन उपाय	
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019	• इसमें वाहन स्क्रैपिंग नीति, वाहन रिकॉल सिस्टम, वाहन पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर, ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्ट्रानिकी जांच और निगरानी आदि से संबंधित प्रावधान हैं।
आपातकाल (दुर्घटना पश्चात् प्रतिक्रिया और ट्रामा केयर)	• प्रभावी ट्रामा केयर और मददगार व्यक्तियों के दिशानिर्देश; • गोल्डन आवर के दौरान **मोटर वाहन दुर्घटना कोष** और **कैशलेस उपचार**; • सड़क दुर्घटनाग्रस्त लोगों को **देय मुआवजा।**

आगे की राह

स्टॉकहोम घोषणा-पत्र के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत **वर्ष 2030 तक** सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली **मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करने** के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने और **हर समय सभी के लिए हर सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए**, तकनीकी, संस्थागत से लेकर मनोवैज्ञानिक तक, हर दृष्टिकोण से सभी क्षेत्रों का अन्वेषण करना होगा।

9.6. अवसंरचना की मूल अवधारणाएँ (Key Concepts on Infrastructure)

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NBFID)	• सरकार ने **के.वी. कामथ को NBFID का अध्यक्ष** नियुक्त किया है। • NBFID को **अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान (DFI)** के रूप में स्थापित किया गया था। ○ DFIs उन क्षेत्रों के लिए **दीर्घकालिक वित्त** प्रदान करते हैं, **जहां शामिल जोखिम वाणिज्यिक बैंकों और अन्य सामान्य वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा से अधिक हैं।** • NBFID को **एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।** इसकी अधिकृत शेयर पूंजी एक लाख करोड़ रुपये है। **इसके उद्देश्य वित्तीय और विकासात्मक दोनों हैं।** • **केंद्र सरकार** (अध्यक्ष या अन्य निदेशकों के मामले में) और **प्रबंध निदेशक** (अन्य कर्मचारियों के मामले में) **की पूर्व मंजूरी के बिना** NBFID के **कर्मचारियों के खिलाफ कोई जांच आरंभ नहीं** की जा सकती है।
सरोद पोर्ट्स अर्थात सोसायटी फॉर अफोर्डेबल रीड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स-पोर्ट्स (SAROD-Ports)	• यह **समुद्री क्षेत्रक** में, **मध्यस्थता के माध्यम से विवाद निपटान** में मदद करेगा। इसके दायरे में निजी पत्तन, जेट्स, टर्मिनल्स और हार्बर्स सहित गैर-प्रमुख पत्तन व प्रमुख पत्तन न्यास में पत्तन और जहाजरानी आते हैं। • इसे **सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860** के तहत स्थापित किया गया था। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं: ○ विवादों का निष्पक्ष ढंग से वहनीय और समयबद्ध निपटान ○ मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ **विवाद निपटान तंत्र का समृद्धिकरण।** • प्रदाता प्राधिकरण और लाइसेंसधारी/रियायतग्राही/ठेकेदार के बीच के तथा लाइसेंसधारी/ रियायतग्राही और उनके ठेकेदारों के बीच के विवाद भी इसके दायरे में आएंगे।
अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021 (Inland Vessels Bill, 2021)	• यह विधेयक अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 को प्रतिस्थापित करेगा। इसका उद्देश्य संपूर्ण **देश में अंतर्देशीय पोत (जलयान) परिवहन के लिए एक समान विनियामक ढांचा** प्रदान करना है। ○ **नीदरलैंड (42%) व चीन (8.7%) की तुलना में** भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की आदर्श हिस्सेदारी **मात्र 0.5%** है। यह विधेयक अंतर्देशीय पोतों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करेगा।

	• **प्रमुख प्रावधान** ○ इस विधेयक के अनुसार सरकार यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय पोतों का वर्गीकरण, डिजाइन के मानकों, निर्माण और चालक दल के आवास, सर्वेक्षण के प्रकार तथा उनकी आवधिकता का निर्धारण करेगी। ○ संचालन से पूर्व **पोतों के लिए सर्वेक्षण, पंजीकरण और बीमा पॉलिसी का प्रमाण-पत्र** अनिवार्य होगा। ○ यह निम्नलिखित के माध्यम से **माल और यात्रियों की सुरक्षित ढुलाई सुनिश्चित** करेगा: ✓ नौवहन सुरक्षा मानक; ✓ उत्सर्जन पर प्रदूषण मानक, ✓ सभी दुर्घटनाओं की जांच के साथ-साथ कार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आदि। ○ केंद्र सरकार **अंतर्देशीय पोतों पर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस** का निर्माण करेगी। • आपातकालीन तैयारी, प्रदूषण की रोकथाम और अंतर्देशीय नौवहन को बढ़ावा देने के लिए एक **विकास कोष** की स्थापना की जाएगी।

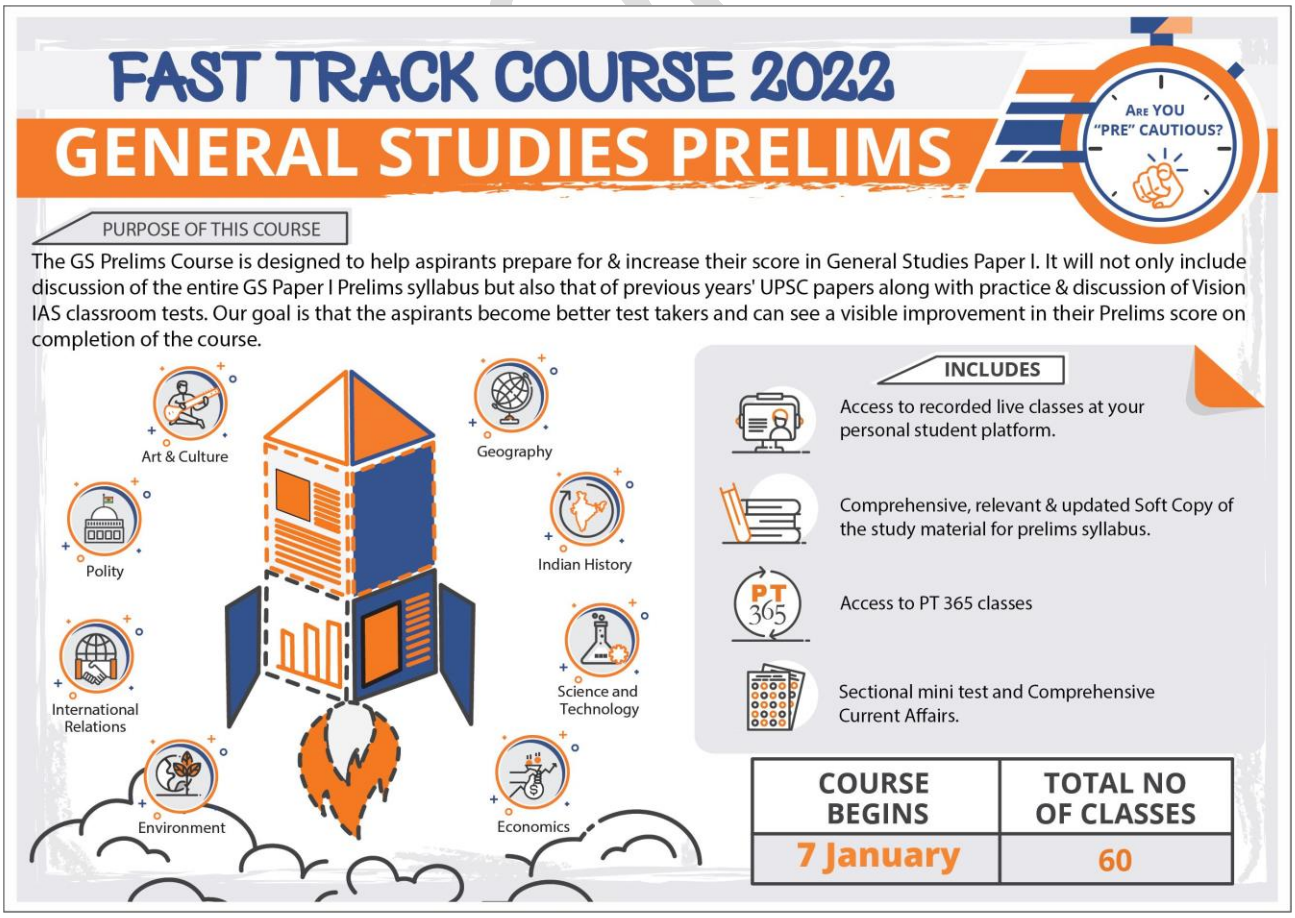

10. ऊर्जा क्षेत्रक (ENERGY SECTOR)

10.1. विद्युत क्षेत्र में सुधार (Power Sector Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने विद्युत विधेयक, 2020 के मसौदे में पेश किये गए कई प्रस्तावों को वापस लेने का फैसला किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

सरकार ने **कई प्रस्तावों को वापस लेने का फैसला किया है जिनमें शामिल हैं:**

- **विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (Electricity Contract Enforcement Authority: ECEA)** का निर्माण किया जाएगा जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच विद्युत की बिक्री, खरीद और संचरण (Transmission) के अनुबंधों से संबंधित किसी भी मामले को हल करेगा।
    - **विद्युत सब्सिडी खत्म करना।**
    - राज्य विद्युत नियामक आयोगों (State Electricity Regulatory Commissions) के **अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन।**

मसौदा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 के बारे में

- यह **विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन** करेगा। यह विधेयक उन महत्त्वपूर्ण मुद्दों को हल करने की कोशिश करेगा, जिन्होंने विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक और निवेश गतिविधियों को कमजोर कर दिया है।
- **इस विधेयक की मुख्य विशेषताएँ**
    - यह विद्युत क्षेत्र में **निर्दिष्ट अनुबंध-संबंधी** (Specified Contract-Related) विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र प्राधिकरण के रूप में **ECEA** के गठन का प्रावधान करता है।
    - अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL), केंद्रीय एवं राज्य नियामक आयोगों (CERC, SERC) तथा ECEA के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के लिए **सामान्य चयन समिति** का गठन किया जाएगा।
    - **SERCs क्रॉस-सब्सिडी** का निर्धारण करते समय **राष्ट्रीय विद्युत टैरिफ नीति** का पालन करना करेगा।
    - **यह केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से एक राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति को** अधिसूचित करने और न्यूनतम नवीकरणीय तथा पनबिजली खरीद के दायित्व को निर्धारित करने का अधिकार देता है।

विद्युत क्षेत्र का अवलोकन

- जून 2017 में, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत विद्युत अधिशेष देश बन गया है एवं देश में विद्युत या कोयले की कोई कमी नहीं है।
    - नवंबर 2021 तक **विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता लगभग 392 गीगा वाट** है जो बिजली की चरम मांग (electricity peak demand) को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- वर्तमान में, भारत अपनी **अधिकांश ऊर्जा ऊष्मीय स्रोतों (Thermal Sources)** से पैदा करता है।
- हालांकि, **पेरिस समझौते (जलवायु परिवर्तन पर)** की प्रतिबद्धता के कारण, देश में **नवीकरणीय ऊर्जा** की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में जोर दिया जा रहा है।
    - **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों** में पवन, सौर, जैव ऊर्जा और छोटी जल विद्युत इकाईयों को शामिल किया जाता है तथा इन्हें या तो ग्रिड या ऑफ-ग्रिड सिस्टम से जोड़ा जा सकता सकता है।

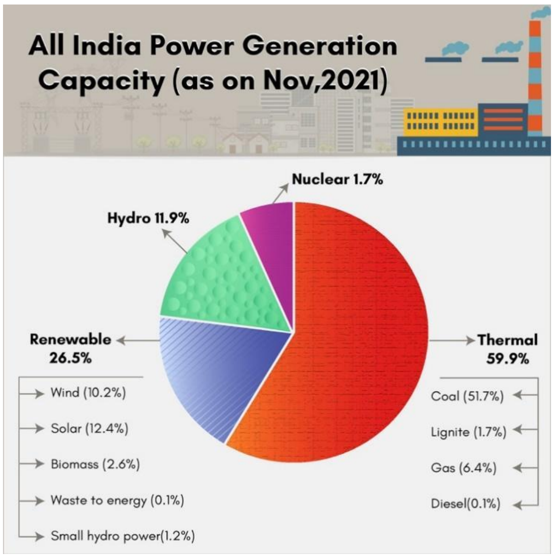

- ऑफ-ग्रिड सिस्टम **दूरदराज के क्षेत्रों** और उन क्षेत्रों की **ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद** करते हैं, जिनके निकट भविष्य में विद्युतीकरण की संभावना नहीं है।
    - **ऑफ-ग्रिड सिस्टम के उदाहरणों में** बायोमास-आधारित ऊष्मा (Biomass-Based Heat) और विद्युत परियोजनाएँ, औद्योगिक अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाएँ, और सोलर रूफ-टॉप सिस्टम शामिल हैं।

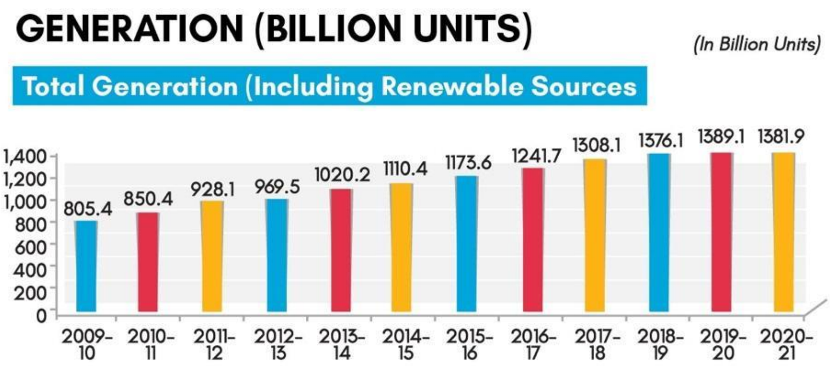

10.1.1. जनरल नेटवर्क एक्सेस (General Network Access: GNA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने **अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली विनियम, 2021** हेतु **कनेक्टिविटी** तथा **जनरल नेटवर्क एक्सेस** का प्रारूप तैयार किया है।

जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) क्या है?

- जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) का अर्थ अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली को **बिना किसी भेदभाव के सबके लिए उपलब्ध कराना है।** यह व्यवस्था **"एक राष्ट्र, एक ग्रिड" की अवधारणा के अनुरूप है।**
- यह प्रणाली, विद्युत प्रदान करने के लिए विद्युत उत्पादकों और थोक उपभोक्ताओं के बीच **अनावश्यक अनुबंधों** की आवश्यकताओं को समाप्त करती है। अनुबंधित मात्रा प्रदान किये जाने में सक्षम होने पर किसी भी निर्माता को किसी भी उपभोक्ता तक पहुँचने का अधिकार होगा।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने निम्नलिखित प्रयोजन से जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) के विचार को प्रस्तुत किया है:
    - **पारेषण तंत्र (transmission system) हेतु समुचित योजना** का निर्माण करना; तथा
    - आवेदक से पारेषण शुल्कों (transmission charges) की सुनिश्चित वसूली।

इन विनियमों के बारे में

- ये विनियम, जनरल नेटवर्क एक्सेस के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी लाइसेंसधारकों या उत्पादक कंपनियों या उपभोक्ताओं द्वारा अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) का उपयोग किये जाने हेतु नियामक ढांचा प्रदान करते हैं और संबंधित नियमों को समेकित करते हैं।
- ये विनियम केंद्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित तारीख को लागू होंगे।
- **ISTS से जुड़ने के लिए पात्र संस्थाएँ:** पात्र संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के **उत्पादन स्टेशन, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र, स्टैंडअलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS)** और **रिन्यूएबल पावर पार्क डेवलपर** शामिल हैं।
- **समर्पित पारेषण लाइनें:** अगर किसी जेनरेटिंग स्टेशन या कैप्टिव जेनरेटिंग प्रोजेक्ट या स्टैंडअलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ESS) को कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है तो ऐसी संस्थाओं द्वारा समर्पित पारेषण लाइनों की स्थापना, संचालन और रख-रखाव का कार्य किया जाना चाहिए।
- रिन्यूएबल पावर पार्क डेवलपर के मामले में, डेवलपर द्वारा समर्पित पारेषण लाइनों का **विकास, स्वामित्व और संचालन किया जाएगा।**
- **STU के अलावा अन्य संस्थाओं को जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) का अनुदान:** जिन संस्थाओं को ISTS से कनेक्टिविटी दी गई है उन्हें GNA **प्रदान किया गया माना जाएगा।** इसकी मात्रा कनेक्टिविटी की शुरुआत की तारीख से नियत कनेक्टिविटी की मात्रा के बराबर होगी।
- **अस्थायी जनरल नेटवर्क एक्सेस (T-GNA):** ISTS से सीधे जुड़े वितरण लाइसेंसधारी या थोक उपभोक्ता, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र आदि जैसी कुछ संस्थाएँ ISTS के लिए T-GNA हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

© Vision IAS

जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) के लाभ

- **विद्युत उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए:** इससे यह सुनिश्चित होगा कि उत्पादक **केवल विद्युत उत्पादन पर ध्यान लगाए। उपभोक्ताओं** को इस बात की चिंता नहीं करनी होगी **कि आपूर्ति कहाँ से होगी और यह किस ऊर्जा स्रोत** से आएगी। उपभोक्ता को अनुबंधित मात्रा प्रेषित की जाएगी।
- **देश के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन करेगा:** वर्तमान में, नवीकरणीय ऊर्जा-समृद्ध राज्यों में **पारेषण बाधाओं के कारण** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत निकासी **बाधित है।**
- **अन्य लाभ:**
    - विद्युत जन सुविधाओं के लिए **विश्वसनीय पारेषण पहुंच** सुनिश्चित होगी।
    - राज्य विद्युत वितरण और पारेषण कंपनियां को **अपनी पारेषण आवश्यकताओं को निर्धारित करने और उनका निर्माण करने** में सक्षम हो सकेंगे;
    - राज्य **अपनी विद्युत खरीद लागत का अनुकूलन करने में सक्षम होंगे;**
    - देश के लिए **गहरी पैठ वाला विद्युत बाजार विकसित करना संभव होगा।**

GNA के लिए पात्रता: निम्नलिखित संस्थाएं GNA के अनुदान के लिए पात्र होंगी:

1. अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़े हुए वितरण लाइसेंसधारियों की ओर से **राज्य पारेषण संस्थाएं (स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी)** और अन्य अंतरराज्यीय संस्थाएं;
2. **अंतरराज्यीय पारेषण तंत्र से जुड़ी** खरीद इकाईयां;
3. ISTS से जुड़ने की इच्छा रखने वाला **वितरण लाइसेंसधारी या बल्क कस्टमर;**
4. विद्युत के सीमा–पार व्यापार में लगे **व्यापार लाइसेंस धारक;**
5. **अतिरिक्त विद्युत का निकास करने के लिए ISTS से जुड़ा पारेषण लाइसेंसधारक।**
6. **अंतरराज्यीय पारेषण से जुड़ी** संस्थाएं या जिनके लिए कनेक्टिविटी विनियमों के तहत दी गई कनेक्टिविटी प्रभावी हो गई है, वे GNA के अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

GNA के उपयोग में चुनौतियाँ

- **मांग का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल: राज्यों के लिए GNA आवश्यकताओं का सटीक अनुमान लगाना** संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि **काफी परिवर्तनशील हो चुकी मांग के आकलन में अनिश्चितता** है।
- **मांग के उभरते क्षेत्र: परिवहन** क्षेत्र, **कृषि और खाना पकाने की व्यवस्था** के विद्युतीकरण के बढ़ते रुझान **के कारण** आने वाले वर्षों में **मांग की अनिश्चितता बढ़ने की** संभावना है।
- **उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तनशीलता:** राज्य वितरण कंपनियाँ भी **ऐसे ओपन एक्सेस ग्राहकों की संख्या का आकलन** करने को चुनौतीपूर्ण पा रही हैं, जो राज्य के बाहर से विद्युत ले सकते हैं। इससे GNA आवश्यकताओं का **सटीक आकलन करना कठिन हो जाता है।**

संबंधित सुर्ख़ियाँ

कैबिनेट ने इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (InSTS) के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) के दूसरे चरण हेतु 12,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

- GEC परियोजना, **ग्रिड में पारंपरिक विद्युत स्टेशनों की विद्युत के साथ** सौर और पवन जैसे **नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित विद्युत को सिंक्रनाइज़ करने या जोड़ने का लक्ष्य रखती** है।
    - इसका उद्देश्य कार्यान्वयन करने वाले राज्यों में ट्रांसमिशन लाइन और सब-स्टेशन स्थापित करके और ग्रिड में सुधार करके **बड़े पैमाने पर उत्पादन स्थलों से अक्षय ऊर्जा का निकास करना है।**
- **GEC चरण II** गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय ग्रिड को 20 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा (RE) की आपूर्ति करने में मदद करेगा।
    - **GEC चरण I,** 8 राज्यों (उपर्युक्त 7 राज्य और मध्य प्रदेश) में कार्यान्वयन के तहत, **वर्ष 2022 तक लगभग 24 GW नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति में मदद करेगा।**
- **महत्व:** हाल ही में, भारत ने (पेरिस में COP21 में व्यक्त प्रतिबद्धता के अनुसार) वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की 40% स्थापित क्षमता (392.01 गीगावाट में से 157.32 गीगावाट) प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया।
    - **यह वर्ष 2030 तक 450 GW स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने** में मदद करेगा।
    - यह **दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा** में मदद करेगा और **कार्बन फुटप्रिंट को कम** करके **पारिस्थितिक रूप से संधारणीय विकास** को बढ़ावा देगा।
    - यह विद्युत और अन्य संबंधित क्षेत्रकों में **कुशल और अकुशल** दोनों तरह के कर्मियों के लिए अवसर पैदा करेगा।
    - इसके चलते कभी-कभी आपूर्ति करने वाले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से **राष्ट्रीय ग्रिड में विद्युत के भारी इंजेक्शन से ग्रिड** को खतरा नहीं होगा।

10.1.2. सुधार-आधारित और परिणाम-से जुड़ी, संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना (Reforms-Based and Results-Linked, Revamped Distribution Sector Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “सुधार-आधारित तथा परिणाम-से जुड़ी, संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना” को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस योजना के बारे में

- **योजना का लक्ष्य:** इस योजना का उद्देश्य सभी विद्युत वितरण कंपनियों (Distribution Companies: DISCOMs) तथा विद्युत विभाग की **परिचालनात्मक दक्षता एवं वित्तीय संधारणीयता में सुधार** करना है। हालांकि, **इसके अंतर्गत निजी क्षेत्रक की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को शामिल नहीं किया गया है।**
- इस योजना के तहत आपूर्ति अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए **डिस्कॉम्स को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान** की जाएगी।
- **पात्रता:** इस वर्ष योजना के अंतर्गत वित्तपोषण संबंधी पात्रता के लिए डिस्कॉम्स को न्यूनतम 60% अंकों का स्कोर करना होगा और साथ ही निम्नलिखित प्रदर्शन मापदंडों के संबंध में न्यूनतम मानदंडों को पूर्ण करना होगा, जैसे-
  - समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक (Aggregate Technical and Commercial: AT&C) हानि;
  - आपूर्ति की औसत लागत (Average Cost of Supply: ACS)- प्राप्त औसत राजस्व (Average Revenue Realised: ARR) अंतर;
  - अवसंरचना उन्नयन प्रदर्शन;
  - उपभोक्ता सेवाएं;
  - विद्युत आपूर्ति के घंटे;
  - कॉर्पोरेट शासन इत्यादि।
- **समय अवधि:** इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- **योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसियाँ:** इस योजना के क्रियान्वयन के लिए **REC लिमिटेड** (इसे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) तथा **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)** को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- **वित्तीय परिव्यय:** इस योजना का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये होगा और इसमें केंद्र सरकार की ओर से 97,631 करोड़ रुपये का अनुमानित सकल बजट समर्थन (Gross Budgetary Support: GBS) प्रदान किया जाएगा।
- **वित्तीय सहायता:**
  - **प्रीपेड-स्मार्ट मीटर हेतु:** इस योजना के अंतर्गत समग्र परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का

समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक क्षति (Aggregate Technical and Commercial Losses: AT&C)

- तकनीकी क्षति का तात्पर्य पारेषण तथा वितरण के दौरान होने वाली विद्युत की हानि से है। इसमें विद्युत की चोरी करना भी शामिल है।
- वाणिज्यिक क्षति का तात्पर्य मुख्यतः अपर्याप्त बिलिंग, संग्रहण और भुगतान संबंधी चूक के कारण राजस्व की वसूली में हुई विफलता या हानि से है।

VISION

15% या 900 रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 22.5% या 1,350 रुपये जो भी कम हो) प्रदान किया जाएगा।

- **स्मार्ट मीटर के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए:** डिस्कॉम्स को प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता, अनुमोदित लागत का 60% (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 90%) होगी।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, यदि डिस्कॉम्स दिसंबर 2023 तक स्मार्ट मीटर की लक्षित संख्या को पूर्ण कर लेते हैं तो वे उपर्युक्त अनुदानों के अतिरिक्त 50% का विशेष आर्थिक प्रोत्साहन का लाभ भी उठा सकते हैं।

योजना के घटक

घटक	प्रावधान	लाभ
उपभोक्ता मीटर तथा सिस्टम मीटर	• कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराना। • **शहरी क्षेत्रों, संघ राज्यक्षेत्रों, अमृत (AMRUT) शहरों, सरकारी कार्यालयों तथा उच्च हानि वाले क्षेत्रों के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को प्राथमिकता देना।** • इसमें सभी फीडरों तथा वितरण ट्रांसफार्मर के लिए सूचनीय AMI (उन्नत मीटरिंग अवसंरचना/ Advance Metering Infrastructure) मीटर के अंगीकरण का प्रस्ताव शामिल है, जिससे डिस्कॉम द्वारा नुकसान में कमी के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके।	**डिस्कॉम्स के लिए** • **यह ऊर्जा लेखांकन** को सक्षम करता है ताकि विदयुत क्षति को कम करने के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके। **उपभोक्ताओं के लिए** • उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए डिस्कॉम्स को सुदृढ़ करना। • प्रीपेड स्मार्ट मीटर के अंतर्गत 25 करोड़ उपभोक्ता को कवर करना। • मासिक आधार की बजाए नियमित आधार पर उपभोक्ता अपनी विद्युत खपत की निगरानी कर सकेंगे।
फीडर पृथक्करण	• **गैर-पृथक फीडरों के लिए फीडर पृथक्करण वित्तपोषण पर ध्यान देना।** • सभी फीडरों के सौरीकरण या सोलराइजेशन (सौर ऊर्जा का उपयोग कर संचालन योग्य बनाना) हेतु प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना के साथ अभिसरण।	• फीडरों के सोलराइजेशन (सौर ऊर्जा का उपयोग कर संचालन योग्य बनाना) से सिंचाई के लिए दिन की अवधि में सस्ती/मुफ्त विद्युत सुनिश्चित होगी तथा **किसानों की आय में भी अतिरिक्त वृद्धि होगी।**
शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण	• सभी शहरी क्षेत्रों में पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA) को सुनिश्चित करना। • 100 शहरी केंद्रों में वितरण प्रबंधन प्रणाली (Distribution Management System: DMS) को स्थापित करना।	• डेटा का विश्लेषण करने के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा,** ताकि डिस्कॉम्स को विद्युत की क्षति को कम करने, मांग संबंधी पूर्वानुमान, दिन की अवधि आधारित (Time of Day: ToD) टैरिफ, अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy: RE) का एकीकरण तथा अन्य पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।

10.1.3. स्मार्ट मीटर (Smart Meters)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राज्य विद्युत विनियामकों ने, डिस्कॉम्स द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **विद्युत क्षति को कम करने** के उद्देश्य से डिस्कॉम्स को **दिसंबर 2023 तक** निम्नलिखित उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का दायित्व सौपा गया है:
  - सभी संघ राज्यक्षेत्रों के विद्युत मंडलों में, जहाँ 50% से अधिक उपभोक्ता शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं और जहां वित्त वर्ष 2019-20 में विद्युत की क्षति लगभग 14% से अधिक रही है। अन्य विद्युत मंडलों में जहाँ वित्त वर्ष 2019-20 में विद्युत की क्षति लगभग 25% से अधिक रही है।
  - **ब्लॉक और उससे ऊपर के स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों** में तथा **सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु।**

- कृषि को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों में **मार्च 2025** तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
- साथ ही, सभी फीडरों को **दिसंबर 2022 तक स्वचालित मीटर रीडिंग (AMR) की सुविधा वाले मीटर** उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्मार्ट मीटर और राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम के विषय में

- स्मार्ट मीटर वस्तुतः एक डिजिटल मीटर का ही रूप है, जो **ऊर्जा खपत/उपभोग को ट्रैक और नियंत्रित करने की क्षमता से युक्त** होता है।
- हालांकि, स्मार्ट मीटरिंग को लागू करने के लिए **उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (AMI)** प्रमुख अनिवार्यताओं में से एक है।
- **स्मार्ट मीटर्स 'नेट मीटरिंग' की योजना को भी समर्थ बनाते हैं।**
    - **नेट मीटरिंग** एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें कोई व्यक्ति विद्युत उत्पादित करके उसे ग्रिड को बेच सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसी ग्रिड से विद्युत खरीद सकता है (उत्पादक+उपभोक्ता-उत्पादभोक्ता)। नेट मीटरिंग का तात्पर्य है कि व्यक्ति केवल कुल उपभोग की गई बिजली का ही भुगतान करेगा।
- **राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम (Smart Meter National Programme: SMNP)**
    - **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL)** को वर्ष 2009 में **चार केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों** (NTPC, REC, PFC और पावर ग्रिड) के बीच एक **संयुक्त उद्यम** के रूप में स्थापित किया गया था। इसे भारत में **राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम (SMNP)** के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है।
    - **लक्ष्य:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य **3 लाख करोड़ रुपये** की लागत से वर्ष **2022 तक 25 करोड़** पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर से प्रतिस्थापित करना है।
    - SMNP के लिए सभी पूंजीगत और परिचालनात्मक व्यय को EESL द्वारा अग्रिम रूप से (**बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल** के माध्यम से) किया जाता है। तत्पश्चात इस व्यय को एक अवधि के दौरान डिस्कॉम से वसूल किया जाता है।
- वर्तमान अवधि में भारत में **केवल 24 लाख स्मार्ट मीटर** परिचालन में हैं, यह हालिया निर्णय SMNP को गति प्रदान करेगा।

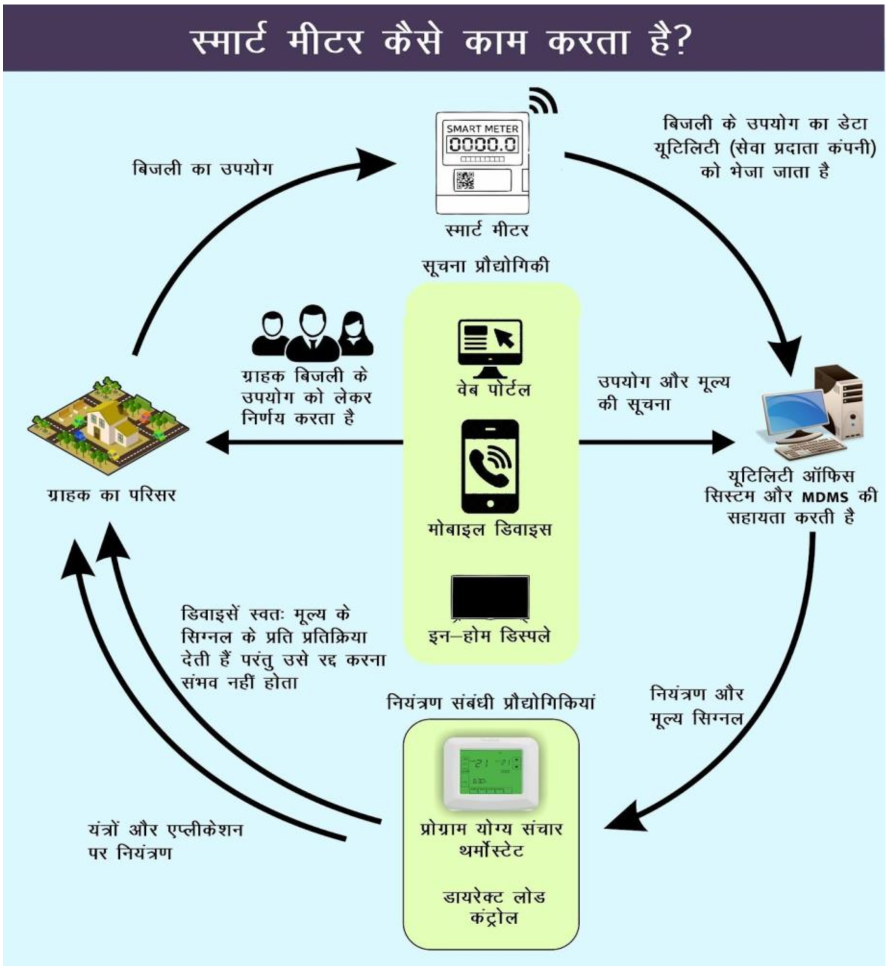

उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (Advanced Metering Infrastructure: AMI) के विषय में

- AMI मुख्य रूप से **विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों** (जैसे कि स्मार्ट मीटर, संचार नेटवर्क, मीटर डेटा अभिग्रहण प्रणाली और मीटर डेटा प्रबंधन प्रणाली) **को शामिल करके निर्मित एक एकीकृत प्रणाली है।** यह जनोपयोगी सेवाप्रदाताओं और ग्राहकों के बीच द्विपक्षीय संचार को सक्षम बनाती है।
- यह **ग्राहकों और जनोपयोगी सेवा प्रदाताओं को अनेक परिचालन संबंधी एवं वित्तीय लाभ** प्रदान करती है जैसे:
    - वास्तविक समय में विद्युत् के उपयोग को **स्वचालित और दूर से** (remotely) मापने की क्षमता, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट सेवाएं आदि प्रदान करती है।
    - हेरफेर का पता लगाने के लिए **बेहतर निगरानी** की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ ग्रिड के लिए संभावित साइबर खतरे को भी कम करती है।
    - तीव्र सेवा बहाली के लिए **सेवा कटौती की पहचान करने और उसका समाधान** करने में भी मदद करती है।
- यह जनोपयोगी सेवाप्रदाताओं को नई **समय-आधारित दरों** और **प्रोत्साहन-आधारित कार्यक्रमों** को आरंभ करने में सक्षम बनाती है। ये ग्राहकों को उच्चतम मांग को कम करने और ऊर्जा खपत एवं लागत प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

© Vision IAS

10.2. कोयला, तेल और गैस (Coal, Oil and Gas)

10.2.1. सामरिक तेल भंडार (Strategic Oil Reserves)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने सामरिक तेल भंडार में सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (PPP) मोड की शुरुआत की है

स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR)

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण समर्थन

उद्देश्यः आपूर्ति संबंधी किसी भी बाहरी व्यवधान के दौरान देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

भारत सरकार ने निम्नलिखित 3 स्थानों पर SPR चरण–1 के तहत 5.33 MMT स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल के भंडार की स्थापना की है।

1) **विशाखापट्टनमः 1.33 MMT**
2) **मैंग्लोरः 1.5 MMT**
3) **पादुरः 2.5 MMT**

SPR चरण– 2 में 6.5 MMT के स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल के भंडारण की योजना बनाई जा रही है:

1) चंडीखोल (ओडिशा): 4 MMT
2) पदुर (कर्नाटक): 2.5 MMT

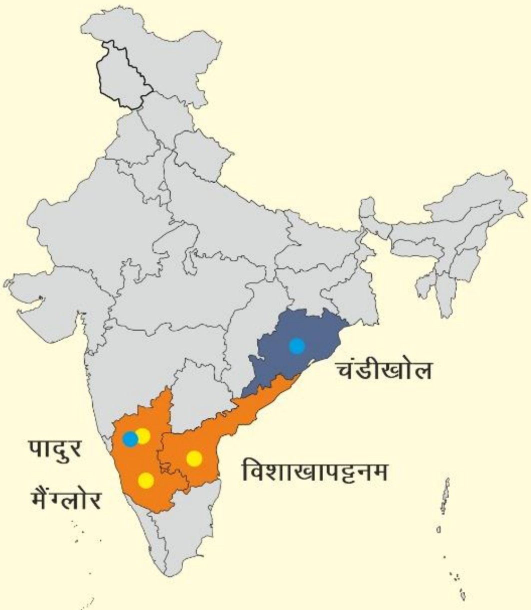

मौजूदा क्रूड ऑयल भंडारण क्षमता
- 1.33 MMT (विशाखापट्टनम, आंध्रप्रदेश)
- 1.5 MMT (मैंग्लोर, कर्नाटक)
- 2.5 MMT (पादुर, कर्नाटक)

SPR चरण - 2 के तहत स्थापित की जाने वाली आगामी क्रूड ऑयल भंडारण क्षमता
- 4 MMT (चंडीखोल, ओडिशा)
- 2.5 MMT (पादुर, कर्नाटक)

MMT: मिलियन मीट्रिक टन

अन्य संबंधित तथ्य

- निजी क्षेत्र के संसाधनों का लाभ उठाने के लिए, एक निजी फर्म या संघ **भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिज़र्व कार्यक्रम** (Indian Strategic Petroleum Reserve Program: ISPRP) के दूसरे चरण के तहत दो नए भूमिगत कच्चे तेल भंडारण प्रतिष्ठानों को संचालित करेगा।

ISPRP के बारे में

- भारत ऊर्जा का **तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता** है और विश्व में **कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक** भी है।
- इसके लिए नोडल निकाय **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (ISPRL)** है।
- यह भारत को **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा सदस्य देशों के लिए अधिदेशित 90 दिनों के अनिवार्य भंडारण** की ओर बढ़ने तथा **आपूर्ति पक्ष के व्यवधानों को कम करने** में सहायता करेगा।
- प्रथम चरण के तहत, 3 स्थानों- **विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर** में कच्चे तेल के **सामरिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves: SPR)** प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं।

- संयुक्त अरब अमीरात की **अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी** और **नेशनल ऑयल कंपनी** मंगलुरु में अपना तेल भंडारण करने के लिए प्रथम चरण में शामिल हुई हैं।

- दूसरे चरण के तहत, **ओडिशा में चंडीखोल** और **कर्नाटक के पादुर** में दो अतिरिक्त SPR प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएंगे।

ISPRL के बारे में

- यह वर्ष 2004 में स्थापित एक विशेष प्रयोजन साधन है। यह **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय** के तहत **तेल उद्योग विकास बोर्ड (Oil Industry Development Board: OIDB)** की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है।

10.3 ऊर्जा क्षेत्रक की प्रमुक अवधारणाएँ और संबद्ध जानकारी (Key Concepts and Information for Energy Sector)

जिला स्तरीय विद्युत समितियां	• **विद्युत मंत्रालय** (MoP) द्वारा **जिला स्तरीय समितियां**[133] गठित की जाएंगी, जो केंद्र सरकार की **सभी विद्युत संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगी।** ○ ध्यातव्य है कि समिति में **जिले के वरिष्ठ सांसद अध्यक्ष के रूप में**, जिले के अन्य सांसद **सह-अध्यक्ष** के रूप में तथा जिला कलेक्टर सदस्य सचिव के रूप में सम्मिलित होंगे। ○ इसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को सूचित करते हुए **जिला विद्युत समितियों की स्थापना को अधिसूचित और सुनिश्चित करना है।** • यह देश में विद्युत क्षेत्र के सुधारों और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में **लोगों की भागीदारी एवं निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।**
मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच (MBED)	• उपभोक्ताओं हेतु आर्थिक बचत के साथ उत्पादनकर्ता और वितरण कंपनियों दोनों के लिए लाभदायक स्थिति सृजित करने हेतु, **विद्युत मंत्रालय ने मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच (MBED)** पर एक चर्चा पत्र प्रसारित किया है। • MBED **विद्युत् बाजार संचालन में सुधार** और **"एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी, एक मूल्य"** ढांचे की दिशा में एक कदम है। • MBED मॉडल एक दिन आगे के समय क्षितिज और अनुसूची पर कार्य करेगा तथा सभी उत्पादन को पूर्णतया आर्थिक सिद्धांतों (केवल कुछ तकनीकी बाधाएं ही आ सकती हैं) पर प्रेषित करेगा।

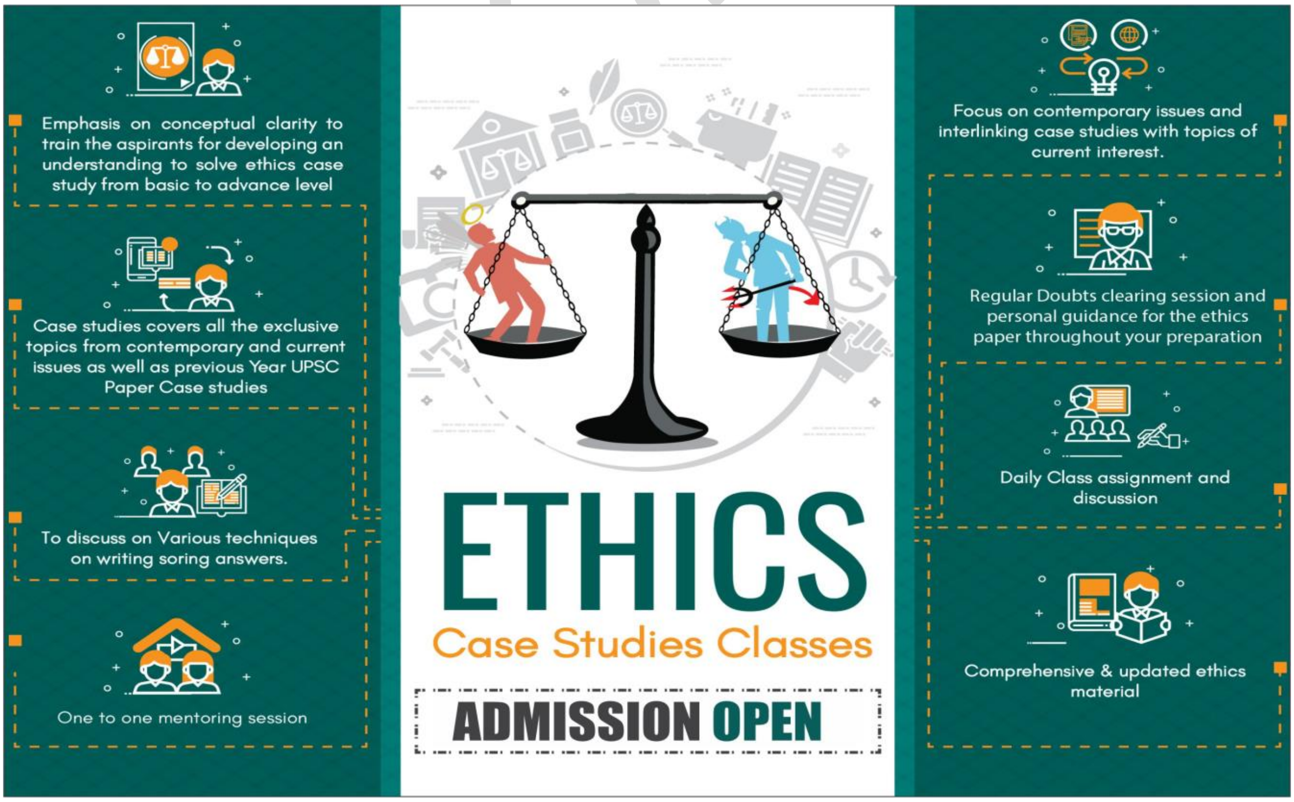

[133] District-Level Committees: DLCs: DLCs

11. विविध (MISCELLANEOUS)

11.1. संधारणीय उद्यम पद्धतियाँ (Sustainable Business Practices)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ[134] ने भारत में जलवायु कार्रवाइयों के संचालन में **"बिजनेस रिस्पॉन्सबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (BRSR)"** की भूमिका पर **CoP26 (ग्लासगो)** में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

उद्यम उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट या BRSR के बारे में

- **वैश्विक स्तर पर निवेशकों के बढ़ते दबाव** के कारण, विनियामकों द्वारा **कंपनियों के लिए** यह **अनिवार्य** किया जा रहा है, कि वे वैश्विक स्तर पर **संधारणीयता से संबंधित अपने प्रदर्शन रिपोर्ट** का प्रकटीकरण करें। उदाहरणस्वरूप- यूरोपियन यूनियन ने 500 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी कंपनियों के लिए पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन[135] संबंधी रिपोर्ट का प्रकटीकरण करना अनिवार्य कर दिया है।
- **संधारणीय प्रदर्शन (Sustainability performance)** या **ESG संबंधी प्रकटीकरण** या **BRSR** के भारतीय संस्करण को मई 2021 में सेबी द्वारा पेश किया गया था। इसका उद्देश्य सूचीबद्ध कंपनियों के लिए **अनिवार्य वित्तीय प्रकटीकरण के साथ गैर-वित्तीय मापदंडो** पर अतिरिक्त **प्रकटीकरण** को सुनिश्चित करना है।

BRSR और इसके सिद्धांत क्या हैं?

- **सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015**[136] के अंतर्गत BRSR में **पर्यावरण** (Environment), **सामाजिक** (Social) और **अभिशासन** (Governance) से संबंधित **आवश्यक (अनिवार्य)** और **नेतृत्व (स्वैच्छिक) संबंधी प्रकटीकरण** शामिल हैं।
- वर्तमान में, **कुछ कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से** इससे संबंधित रिपोर्ट का प्रकटीकरण किया जा रहा है।
- BRSR में **नौ सिद्धांत शामिल हैं**। यह तीन खंडों, यथा- **सामान्य प्रकटीकरण, प्रबंधकीय प्रकटीकरण** और **प्रणाली-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण**[137] में विभाजित है। यह प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग कर **अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और लोगों** पर कंपनियों के प्रभावों का मापन करेगा।

---

[134] Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry: FICCI

[135] Environment, Social and Governance: ESG

[136] SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

[137] Principle-wise performance disclosures

मुख्य निष्पादन सूचकांक

पर्यावरणीय	सामाजिक	कॉर्पोरेट गवर्नेंस
GHG उत्सर्जन	CEO भुगतान अनुपात	बोर्ड भिन्नता
ऊर्जा एवं उत्सर्जन गहनता	लिंग डाइवर्सिटी या भिन्नता	बोर्ड निर्भरता
अपशिष्ट प्रबंधन	जेंडर पे या लिंग भुगतान अनुपात	नैतिकता, और भ्रष्टाचार-रोधी
जल उपयोग	वैश्विक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	डेटा निजता
जलवायु खतरे का शमन या उसे कम करना, आदि	मानव अधिकार इत्यादि	खुलासे की प्रथाएं, इत्यादि

संधारणीयता की रिपोर्टिंग हेतु प्रमुख वैश्विक मानक

- **GRI मानक:** यह मानक ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) द्वारा प्रदान किया गया है। यह एक स्वतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- **संधारणीयता लेखांकन मानक बोर्ड (Sustainability Accounting Standards Board: SASB):** इसका प्रबंधन वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। यह एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है।
- **ISO 26000 मानक:** इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रदान किया गया है। यह एक स्वतंत्र गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- **संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट:** यह सार्वभौमिक संधारणीयता सिद्धांतों पर आधारित, विश्व की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉर्पोरेट संधारणीयता पहल है।

11.2. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics)

तीन अर्थशास्त्रियों को 'प्राकृतिक प्रयोगों' का उपयोग कर दो महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा **अर्थशास्त्र में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार 2021** दिया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आधा पुरस्कार **डेविड कार्ड** को श्रम अर्थव्यवस्था में उनके आनुभविक योगदान के लिए दिया है।
- और शेष आधा पुरस्कार संयुक्त रूप से **जोशुआ डी ऐंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेन्स** को प्रदान किया। यह पुरस्कार कारण संबंधों में विश्लेषण (Analysis Of Causal Relationships) के लिए उनके मेथाडोलॉजिकल योगदान हेतु दिया गया था।

पुरस्कार विजेता शोध के बारे में

- डेविड कार्ड ने न्यूनतम मजदूरी, आप्रवास और शिक्षा के श्रम बाजार प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए **"प्राकृतिक प्रयोग" (Natural Experiments)** (वास्तविक जीवन में उत्पन्न होने वाली स्थितियाँ जो यादृच्छिक प्रयोगों से मिलती-जुलती हैं) का उपयोग किया।
    - शोध के परिणाम से पता चलता है कि **न्यूनतम वेतन बढ़ाने से जरूरी नहीं कि रोजगार कम हो जाए**।
    - किसी **देश में पैदा हुए लोगों की आय नए आप्रवास से लाभान्वित हो सकती है**, जबकि पहले प्रवास कर गए लोग नकारात्मक रूप से प्रभावित होने का जोखिम उठाते हैं।
    - **स्कूलों में विद्यमान संसाधन छात्रों के भविष्य के** श्रम बाजार की सफलता के लिए पहले की तुलना में **कहीं अधिक महत्वपूर्ण** हैं।
- प्राकृतिक प्रयोगों से **डेटा की व्याख्या करने और निष्कर्ष निकालने की पद्धति** की खोज जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेन्स द्वारा दी गई थी।

© Vision IAS

स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार के बारे में

- इसकी स्थापना वर्ष **1968** में **सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन - स्वेरिग्स रिक्सबैंक** द्वारा नोबेल पुरस्कार के संस्थापक **अल्फ्रेड नोबेल** की स्मृति में की गई थी।
- यह पुरस्कार बैंक की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर **नोबेल फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1968 में स्वेरिग्स रिक्सबैंक से प्राप्त दान** पर आधारित है।
- वर्ष 1969 में अर्थशास्त्रीय विज्ञान में पहला पुरस्कार रैग्नर फ्रिश और जन टिनबरगन को दिया गया था।

11.3. एक राष्ट्र एक मानक (One Nation One Standard)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रेलवे का अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन[138], भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के "एक राष्ट्र एक मानक मिशन" के अंतर्गत **मानक विकास संगठन**[139] घोषित होने वाला प्रथम संस्थान बन गया है।

विश्व व्यापार संगठन- व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं {WTO-Technical Barriers to Trade (WTO-TBT)} के बारे में

- **भारत, WTO-TBT समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है।** इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारत के भीतर संचालित गैर-सरकारी मानकीकरण निकाय एवं क्षेत्रीय मानकीकरण निकाय, WTO-TBT समझौते के अनुलग्नक-3 में उल्लिखित **मानकों के निर्माण, अंगीकरण और अनुप्रयोग हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं के नियम**[1] को स्वीकार करते हैं और उनका अनुपालन करते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन** को WTO-TBT[140] के अंतर्गत उल्लिखित सर्वोत्तम प्रथाओं के नियम (Code Of Good Practices) के अनुसार अपनी मानक निर्माण प्रक्रियाओं को पुनः निर्धारित करने में मदद करेगा।
- **BIS-SDO मान्यता योजना के तहत** RDSO ने SDO के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रयास किया था।
    - इस योजना के तहत **"एक राष्ट्र एक मानक"** के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए BIS, अन्य मानक विकास संगठनों (SDOs) की मान्यता की परिकल्पना करता है।

एक राष्ट्र एक मानक (ONOS) के बारे में:

- इसका लक्ष्य देश में विभिन्न मानक विकास संगठनों (SDOs) द्वारा अपनाए गए मानकों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। साथ ही, इस ONOS अवधारणा के तहत **विभिन्न एजेंसियों द्वारा उत्पादों के मानकों के निर्धारण की बजाय, एक उत्पाद के लिए एक मानक दस्तावेज के निर्माण पर बल देना है।**
- वर्तमान में, **BIS एकमात्र राष्ट्रीय निकाय है, जो मानकों का निर्धारण** करता है। हालांकि, विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा भी विशिष्ट डोमेन में मानक विकसित किये जाते रहे हैं।
- उदाहरण के लिए, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य पदार्थों से संबंधित मानकों का निर्धारण करता है, जबकि ऑटोमोबाइल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबद्ध मानकों का निर्धारण करता है।

भारत में मानकीकरण के लिए की गई पहलें:

- **मानकीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय-रणनीति:** यह सभी क्षेत्रों में विकास की वर्तमान स्थिति, मौजूदा बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता तथा घरेलू आर्थिक विकास और वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के संबंध में नीति निर्देशों पर विचार करती है।
- **भारतीय मानकों का निरूपण BIS की प्रमुख गतिविधियों में से एक है।** इन गतिविधियों को 17 डिवीजन काउंसिल के माध्यम से संचालित किया जाता है। ये काउंसिल अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोटेक्निकल, केमिकल, सेवाओं आदि का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- **'पहचान' पहल:** भारतीय हस्तशिल्प को संगठित और मानकीकृत करने के लिए, सरकार ने पहचान पहल के तहत लगभग 22.85 लाख शिल्पियों को पंजीकृत किया है।
- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Orders: QCOs):** उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा QCOs जारी किए जाते हैं।

PT 365 - अर्थव्यवस्था

[138] Research Design and Standards Organisation: RDSO

[139] Standard Developing Organization: SDO

[140] विश्व व्यापार संगठन-व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं {WTO-Technical Barriers to Trade (WTO-TBT)}

भारत में प्रयुक्त कुछ मानक

मार्क / चिन्ह	प्रमाणन एजेंसी	विवरण
ISI मार्क	भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)	यह कई उत्पादों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए अनिवार्य है। परंतु अन्य विनिर्मित वस्तुओं की स्थिति में, यह स्वैच्छिक है।
BIS हॉलमार्क	BIS	इससे यह पुष्टि होती है कि आभूषण BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
फल उत्पाद आदेश (FPO) चिन्ह	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	यह एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में बेचे जाने वाले उन सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य है जिन पर खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 लागू होता है।
भारतीय जैविक प्रमाणीकरण	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA).	यह भारत में विनिर्मित उन खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणन चिन्ह है जिसकी खेती जैविक रूप से हुई है।
कृषि विपणन (AGMARK)	विपणन और निरीक्षण निदेशालय	यह कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (वर्ष 1986 में संशोधित) के माध्यम से भारत में विधिक रूप से लागू है।

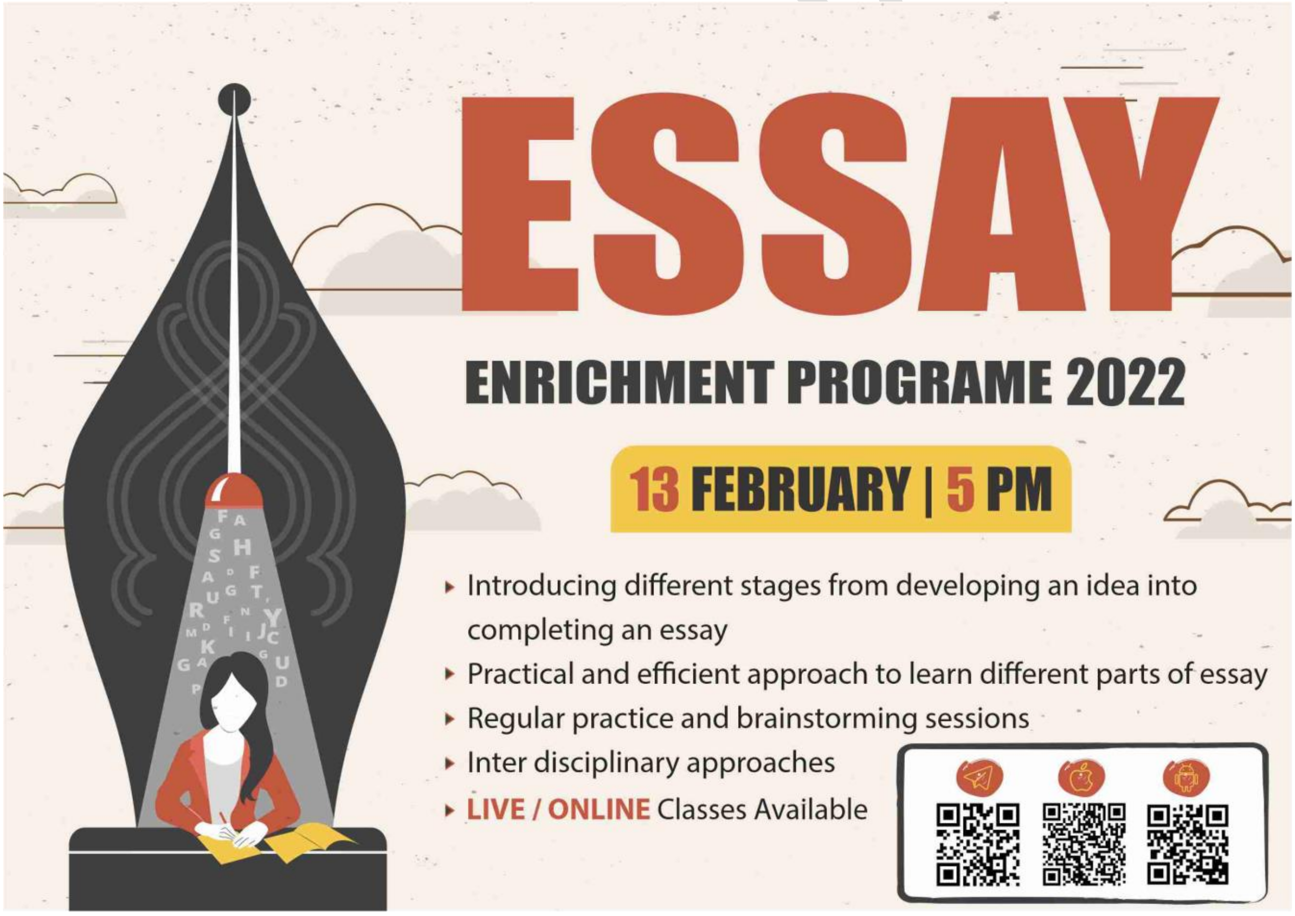

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Heartiest Congratulations to all successful candidates

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS

1 AIR SHUBHAM KUMAR

2 AIR JAGRATI AWASTHI

3 AIR ANKITA JAIN

4 AIR YASH JALUKA

5 AIR MAMTA YADAV

6 AIR MEERA K

7 AIR PRAVEEN KUMAR

8 AIR JIVANI KARTIK NAGJIBHAI

9 AIR APALA MISHRA

10 AIR SATYAM GANDHI

ABHYAAS 2022

ALL INDIA PRELIMS (GS + CSAT) MOCK TEST SERIES

3 TEST

TEST-1	TEST-2	TEST-3
17 APRIL	1 MAY	15 MAY

- All India Ranking
- Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
- Available In ENGLISH / हिन्दी

Register @ www.visionias.in/abhyaas

OFFLINE IN 100+ CITIES

AGARTALA | AGRA | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMRAVATI | AMRITSAR | ANANTHAPURU | AURANGABAD | BAREILLY BENGALURU | BHAGALPUR | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR | COIMBATORE | CUTTACK | DEHRADUN DELHI MUKHERJEE NAGAR | DELHI RAJENDRA NAGAR | DHANBAD | DHARWAR | DIBRUGARH | FARIDABAD | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR GREATER NOIDA | GUNTUR | GURGAON | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JAMSHEDPUR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KANPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLKATA | KOTA | KOZHIKODE (CALICUT) | KURNOOL | KURUKSHETRA | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MORADABAD | MUMBAI | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NASIK NAVI MUMBAI | NOIDA | ORAI | PANAJI (GOA) | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) | PUNE | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | ROHTAK | ROORKEE SAMBALPUR | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE | THIRUVANANTHAPURAM | TIRUCHIRAPALLI | UDAIPUR | VADODARA VARANASI | VIJAYAWADA | VISHAKHAPATNAM | WARANGAL

8468022022 WWW.VISIONIAS.IN

DELHI | JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD | HYDERABAD | CHANDIGARH | LUCKNOW | GUWAHATI